रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/93

REGISTERED NO. DL-33001/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 20, 1993/कार्तिक 29, 1915
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 20, 1993/KARTIKA 29, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2457.—खण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और 1974 का 2 की धारा 24 की उपधारा (8) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा विशेष न्यायाधीश, बंगलौर के न्यायालय में श्री एस. बंगारप्पा पूर्व मुख्य मंत्री, कर्नाटक प्रदेश एवं अन्य के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना नियमित मामला संख्या 1(ए)/93-ए.सी.यु. (4) में अभियोजन का संचालन करने हेतु श्री एम. सीतारमैया शेटी, अधिवक्ता बंगलौर को विशेष अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 225/32/93-ए.बी.डी.-II]
पराग प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 28th October, 1993

S.O. 2457.—In exercise of the powers conferred by sub-section (s) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri M. Seetharama Shetty, Advocate Bangalore as Special Counsel for conducting prosecution of DSPE case RC. 1(A)/93ACU(IV), New Delhi against S/Shri S. Bangarappa Ex- Chief Minister of Karnataka and other in the Court of XXI Additional City Civil and Session Judge, CBI cases, Bangalore.

[No. 225/32/93-AVD. II]
PARAG PRAKASH, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1993

का.आ. 2458.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/82/93-सी.यु.-8 तारीख 2-9-93 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी के-118, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली तथा जिसका ड्राइवार 51, शंकर मार्किट, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में है, को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी का माल रखने, छिपाने तथा लाने ले जाने में लिप्त रहने से अन्यथा तस्करी का धंधा करने से रोका जा सके।

2575 GI/93—1

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष हाजिर हों।

[फा.सं. 673/82/93-सी.शु.-8]

जे.एल. साहनी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

((Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 1st November, 1993

S.O. 2458.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued under F. No. 673/82/93 CUS. VIII dated 2-9-1993 under the said sub-section that Shri Surinder Kumar resident of K-118, West Patel Nagar, New Delhi and having his business premises at 51, Shankar Market, Connaught Place, New Delhi be detained and kept in custody in the Central Prison, Tihar with a view to preventing him from dealing in smuggled goods therewise than by engaging in transporting or concealing or keeping goods.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this order inthe Official Gazette.

[F. No. 673/82/93-Cus-VIII]

J. L. SAWHNEY, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1993

का.आ. 2459.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/209/89-सी.शु.-8 दिनांक 16-5-89 को यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री ए. सार्थीनारायनन पुत्र श्री अरमूगम, नं. 68, 9वीं क्रास स्ट्रीट, इंदिरा नगर, मद्रास को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, मद्रास में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे सामान की तस्करी करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/209/89-सी.शु.-8]

जमना दास, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st November, 1993

S.O. 2459.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/209/89-Cus. VIII dated 16-5-1989 under the said sub-section directing that Shri A. Sathianarayanan S/o Shri Armugam, No. 68, 9th Cross Street, Indira Nagar, Madras be detained and kept in custody in the Central Prison, Madras with a view to preventing him from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/209/89-Cus.VIII]

JAMNA DASS, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1993

का.आ. 2460.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/367/91-सी.शु.-8 तारीख 27-3-1991 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि अकबरअली बरकतअली गांधी, कमरा नं. 4, ग्राउण्ड फ्लोर, दादी कालोनी के पास, मुम्ब्रा, जिला थाणे (महाराष्ट्र) को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है कि या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र, बम्बई के समक्ष हाजिर हों।

[फा.सं. 673/367/91-सी.शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st November, 1993

S.O. 2460.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/367/91-Cus. VIII dated 27-3-91 under the said sub-section that Shri Akbarali Barkatali Gandhi, Room No. 4 Ground Floor, Near Dadi Colony, Mumbra, Distt. Thane (Maharashtra) be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of Foreign Exchange.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person, to appear before the Director General of Police, Maharashtra, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/367/91-Cus.VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2461.—भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बंधपत्र विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1991 (1991 का 41) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत विकास बंधपत्र (स्कीम), 1991 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(i), तारीख 30 जनवरी, 1992 में सा.का.नि. 70(अ) के रूप में प्रकाशित रिजर्व बैंक (मुद्रा नियंत्रण विभाग) (केन्द्रीय कार्यालय) मुम्बई की भारतीय विकास बंधपत्र (संशोधन) स्कीम, 1992 की अधिसूचना के अन्त में निम्नलिखित पाद टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"मूल स्कीम, सा.का.नि. (अ), 597, तारीख 21 सितम्बर, 1991 द्वारा अधिसूचित की गई थी"।

[फाइल सं. 1/44/ई.सी. 93)]

वी. गोविन्दराजन, संयुक्त सचिव

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 12th October, 1993

S.O. 2461.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 5 of the Remittance of Foreign Exchange and Investment in Foreign Exchange Bonds (Immunities and Exemption) Act, 1991 (41 of 1991) the Reserve Bank of India hereby further amends the India Development Bonds (Scheme), 1991, as follows, namely :—

In the notifications of Reserve Bank of India (Exchange Control Department) (Central Office) Bombay, in the India Development Bonds (Amendment) Scheme, 1992 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II. Section 3(i) dated 30th January, 1992 as G.S.R. 70(E) the following "foot note" shall be added at the end, namely :—

"Principal Scheme notified vide G.S.R. 597(E) dated 21st September, 1991".

[F. No. 1/44/EC/93]

V. V. GOVINDARAJAN, Jt. Secy.

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2462.—भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 26 की उपधारा (2क) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (गक) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के कर्मकार कर्मचारियों में से श्री के. चन्द्रशेखरन नायर, विशेष सहायक, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर त्रिवेन्द्रम शाखा (त्रिवेन्द्रम) को श्री एम.एस. पिल्लै के स्थान पर 27 अक्तूबर, 1993 से प्रारंभ होकर 26 अक्तूबर, 1996 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक वे बैंक के एक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा छोड़ नहीं देते हैं, इनमें से जो भी पहले हो, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एफ 15/2/93-आई आर]

सुरेन्द्र बत्रा, अवर सचिव

(Banking Division)

New Delhi the 27th October, 1993

S.O. 2462.—In pursuance of clause (ca) of sub-section (1) of Section 25 read with sub-section (2A) of Section 26 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the Central Government hereby appoints Shri K. Chandrashekharan Nair Special Assistant, State Bank of Travancore, Trivandrum Branch, Trivandrum as a director on the Board of the State Bank of Travancore from among the employees of the State Bank of Travancore who are workmen for a period of three years commencing on 27th October, 1993 and ending with 26th October, 1996 or until he ceases to be an employee of the bank, whichever is earlier.

[F. No. 15/2/93-IR]

S. K. BATRA, Under Secy.

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2463.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (1) के खंड (ए) के उपखंड (ii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ उक्त संगठन द्वारा किसी विशिष्ट मामले में अथवा की जाने वाली जांच पड़ताल में जांच ब्यूरो, लोकायुक्त, बंगलौर के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी पुलिस अधिकारी को विनिर्दिष्ट करती है, जो पुलिस अधीक्षक के ओहदे में कम का अधिकारी न हो अथवा कोई अधिकारी, जिसे पुलिस अधीक्षक के ओहदे के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अथवा इस ओहदे से ऊपर के अधिकारी द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो।

[अधिसूचना संख्या 9392/फा.सं. 225/167/93-आयकर(नि II)]

अजय कुमार, अवर सचिव

(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 21st October, 1993

S.O. 2463.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of Section 138 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies, for the purposes of the said sub-clause, any Police Officer not below the rank of Superintendent of Police or any officer specially authorised in this behalf by a Police Officer of or above the rank of Superintendent of Police of competent jurisdiction of Bureau of Investigation, Lokayukta, Bangalore in any particular case or inquiry undertaken by the said Organisation.

[Notification No. 9392/F. No. 225/167/93-ITA-II]

AJAY KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2464.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निम्न-

लिखित कार्यालयों/शाखाओं की (सूची संलग्न), जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है :—

बैंक/वित्तीय संस्थाओं का नाम	कार्यालयों/शाखाओं की संख्या
1. इलाहाबाद बैंक	102
2. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	77
3. बैंक ऑफ इंडिया	102
4. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	42
5. बैंक आफ बड़ोदा	56
6. भारतीय स्टेट बैंक	11
7. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	14
8. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	6
9. भारतीय निर्यात-आयात बैंक	3
कुल	413

[संख्या का. 11016/1/93-हिन्दी)]

के. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th October, 1993

S.O. 2464.—In pursuance of sub-rule 4 of rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Offices/branches (list enclosed) of the Public Sector Banks and Financial Institutions the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi:—

Name of banks	No. of offices/branches
1. Allahabad Bank	102
2. Punjab and Sindh Bank	77
3. Bank of India	102
4. United Bank of India	42
5. Bank of Baroda	56
6. State Bank of India	11
7. The Industrial Finance Corporation of India Ltd.	34
8. Small Industries Development Bank of India	6
9. Export-Import Bank of India	3
Total—	413

[No. 11016/1/93-Hindi]

K. SRINIVASAN, Jt. Secy.

इलाहाबाद बैंक

प्रोफार्मा-II

अधिसूचित किया जाने वाला कार्यालय/शाखा का नाम व पूरा पता (हिन्दी में)	अधिसूचित किया जाने वाला कार्यालय/शाखा का नाम व पूरा पता (अंग्रेजी में)
बिहार	BIHAR
(1) खाजपुरा शाखा, खाजपुरा पो. बिहार भेटनरी कालेज, बेली रोड, पटना (बिहार)	(1) Khajpura Branch, Khajpura P.O. Bihar Vet. College, Baily Road, Patna, (Bihar)
(2) एक्जिबीशन रोड शाखा एक्जिबीशन रोड, पटना (बिहार)	(2) Exhibition Road Branch, Exhibition Road, Patna (Bihar)
(3) झाउगंज शाखा झाउगंज, पटना सिटी, पटना (बिहार)	(3) Jhauganj Branch Jhauganj Patna City, Patna (Bihar)
(4) सेवा शाखा, पटना ओजास बिल्डिंग, फ्रेजर रोड़, टाइम्स आफ इंडिया कार्यालय के निकट' पटना-1 (बिहार)	(4) Service Branch, Patna Ojas Building, Fraser Road, Near Times of India Patna-1 (Bihar)
(5) बराही शाखा बराही, जिला—औरंगाबाद (बिहार)	(5) Barahi Branch Barahi, Distt. Aurangabad (Bihar)

1	2
(6)	हरपुर शाखा ग्राम व पोस्ट—हरपुर वाया—राजपुर जिला—भोजपुर (बिहार)
(7)	चंदा शाखा ग्राम—चंदा पो.—मानपुर चंदा जिला—गया (बिहार)
(8)	चूरी जमुनिया टोला शाखा जमुनिया टोला (चूरी), वाया—पैरैया जिला—गया (बिहार)
(9)	जलहरा शाखा जलहरा जिला—भोजपुर (बिहार)
(10)	कोहरौल शाखा ग्राम—कोहरौल, पो.—भदासी, जिला—गया, (बिहार)
(11)	मठिला शाखा, मठिला, जिला—भोजपुर (बिहार)
(12)	सोरमपुर शाखा ग्राम—सोरमपुर पोस्ट—बलहारी जिला—पटना (बिहार)
(13)	सलैया शाखा ग्राम—सलैया वाया—खिरीयावां जिला—औरंगाबाद (बिहार)
(14)	उचौली शाखा ग्राम—उचौली पोस्ट—रेगनिया जिला—औरंगाबाद (बिहार)

1	2
(6)	Harpur Branch Vill+P.O.—Harpur Via Rajpur Dist.—Bhojpur (Bihar)
(7)	Chanda Branch Vill—Chanda P.O.—Manpur Chanda Dist.—Gaya (Bihar)
(8)	Churi Jamunia Tola Branch Jamunia Tola (Churi), Via—Paraiya Dist.—Gaya (Bihar)
(9)	Jalhara Branch Jalhara Dist.—Bhojpur (Bihar)
(10)	Kohraul Branch Vill.—Kohraul, P.O. Bhadasi, Dist.—Gaya (Bihar)
(11)	Mathila Branch Mathila Dist.—Bhojpur (Bihar)
(12)	Sorampur Branch Vill.—Sorampur P.O.—Balhouri, Dist.—Patna (Bihar)
(13)	Salaiya Branch Vill.—Salaiya, Via—Khiriyawan Dist.—Aurangabad (Bihar)
(14)	Uchauli Branch Vill.—Uchauli P.O. Regania Dist.—Aurangabad (Bihar)

1	2
(15)	कुर्था शाखा ग्राम—कुर्था पोहट—फतुहा जिला—पटना (बिहार)
(16)	मिल्की पर शाखा ग्राम—मिल्कीपर पोहट—कपसियावां जिला—नालन्दा (बिहार)
(17)	सिकठी शाखा ग्राम व पोस्ट—सिकठी वाया—दिनारा जिला—भोजपुर (बिहार)
(18)	अख्ता शाखा (अर्ध शहरी) ग्राम व पोस्ट—अख्ता प्रखण्ड—बैरगनियां, जिला—सीतामढ़ी पिन-843 335 (बिहार)
(19)	नोनिया शाखा (ग्रामीण) ग्राम—नोनिया (नवरंगा टोला) पोस्ट—नोनिया वाया—हरसिद्धि जिला—पूर्वी चम्पारण पिन-845 427 (बिहार)
(20)	फुलवार शाखा (ग्रामीण) ग्राम व पोस्ट—फुलवार ब्लाक—तूरकौलिया वाया—रघुनाथपुर बाजार जिला—पूर्वी चम्पारण (बिहार)
(21)	मोतीहारी शाखा (अर्ध शहरी) मेन रोड पोस्ट—मोतीहारी जिला—पूर्वी चंपारण पिन–845 001 (बिहार)
(22)	सीतामढ़ी शाखा (अर्ध शहरी) मेन रोड, सीतामढ़ी, जिला—सीतामढ़ी, पिन-843 001 (बिहार)

1	2
(15)	Kurtha Branch Vill.—Kurtha P.O.—Fatuha Dist.—Patna (Bihar)
(16)	Milky Par Branch Vill.—Milkipar, P.O.—Kapariyawan Dist.—Nalanda (Bihar)
(17)	Sikathi Branch Vill. & P.O.—Siltathi, Via—Dinara Distt.—Bhojpur (Bihar)
(18)	Akhta Branch SU) Vill. and P.O. : Akhta Block : Bairagania Distt. Sitamarhi, Pin—843335 (Bihar)
(19)	Nonia Branch (Rural) Vill.—Nonia (Navranga tola) P.O.—Nonia Via—Harsidhi, Dist.—East Champaran Pin—845427 (Bihar)
(20)	Phulwar Branch (Rural) Vill. and P.O. : Phulwar Block : Turkaulia, Via : Raghunathpur Bazar, Dist—East Champaran (Bihar)
(21)	Motihari Branch (SU) Main Road, P.O. : Motihari, Dist. East Champaran Pin—845001 (Bihar)
(22)	Sitamarhi Branch (SU) Main Road, Sitamarhi, Dist.—Sitamarhi, Pin—843001 (Bihar)

1	2
(23)	जवाहर लाल रोड शाखा, मुजफ्फरपुर (शहरी), जवाहर लाल रोड, पोस्ट-जिला—मुजफ्फरपुर पिन-842 001 (बिहार)
(24)	कन्हौली शाखा गोशाला रोड, मोहल्ला—कन्हौली पोस्ट व जिला—मुजफ्फरपुर (बिहार)
(25)	माता मंदिर शाखा 37, हर्षवर्धन नगर, भोपाल-462 003 मध्य प्रदेश
(26)	ऋषिनगर शाखा वीतराग, 48, आजाद नगर, उज्जैन-456 001 मध्य प्रदेश
(27)	सिटी सेंटर शाखा 15, टैगोर नगर, जीवाजी यूनीवर्सिटी रोड, सिटी सेंटर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
(28)	बानीपुर शाखा ग्राम—बानीपुर, पोस्ट—दिलारपुर, जिला—कटिहार, बिहार
(29)	मनसापुर शाखा, ग्राम व पोस्ट—मनसापुर, वाया—नरहोया, जिला—मधुबनी, बिहार
(30)	जमीरा शाखा ग्राम—जमीरा पोस्ट—बालुपारा, वाया—बारसोईघाट जिला—कटिहार बिहार
(31)	मधुबनी शाखा बाटा चौक पोस्ट एवं जिला—मधुबनी बिहार]

1	2
(23)	Jawahar Lal Road Branch, Muzaffarpur (U) Jawahar Lal Road, P.O.+Dist. Muzaffarpur Pin—842001 (Bihar)
(24)	Kanhauli Branch Goshala Road, Mohalla—Kanhauli P.O. and Distt.—Muzaffarpur (Bihar)
(25)	Mata Mandir Branch 37, Harshavardhan Nagar Bhopal—462003 Madhya Pradesh
(26)	Rishinagar Branch Veet Rag 48, Azad Nagar Ujjain—456001 Madhya Pradesh
(27)	City Centre Branch 15, Tagore Nagar Jiwaji University Road City Centre, Gwalior (Madhya Pradesh)
(28)	Banipur Branch Village—Banipur P.O.—Dilarpur Distt.—Katihar (Bihar)
(29)	Mansapur Branch Village and Post—Mansapur Via—Narhia Distt.—Madhubani (Bihar)
(30)	Zamira Branch Village—Zamira Post—Balupara Via—Barsoi Ghat Dist.—Katihar (Bihar)
(31)	Madhubani Branch Bata Chauk Post and Distt.—Madhubani (Bihar)

1	2	1	2
(32)	किशनगंज शाखा भगत टोली रोड, पोस्ट व जिला—किशनगंज (बिहार)	(32)	Kishanganj Branch Bhagat Toli Road, P.O. and Distt.—Kishanganj (Bihar)
(33)	भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर विश्वविद्यालय कैम्पस, डाक—टी. एन. बी. कालेज, भागलपुर—812 007 (बिहार)	(33)	Bhagalpur University Bhagalpur University Campus, P.O. T.N.B. College, Bhagalpur—812007 (Bihar)
(34)	अलीगंज कृषि बाजार प्रांगण अलीगंज, भागलपुर (बिहार)	(34)	Aliganj Agriculture Marketing Yard Aliganj, Bhagalpur (Bihar)
(35)	बेलडीह शाखा वाया—बेलडीह डाक—बसबतिया ब्लाक—पालोजोरी, जिला—देवघर (बिहार)	(35)	Beldih Branch Via—Beldih P.O.—Basbutia Block—Palojori Dist.—Deoghar (Bihar)
(36)	बेदिया शाखा ग्राम व डाक—बेदिया वाया—अमलाचातर, जिला—दुमका (बिहार)	(36)	Bedia Branch Vill. and P.O. Beldia Via—Amlachatar, Dist.—Dumka (Bihar)
(37)	देवीपुर शाखा ग्राम व डाक—देवीपुर वाया—रोहनी जिला—देवघर (बिहार)	(37)	Devipur Branch Vill and P.O.—Devipur Via—Rohini Dist.—Deoghar (Bihar)
(38)	दुमका शाखा (अ. श.) भागलपुर रोड, डाक एवं जिला—दुमका पिन-814 101 (बिहार)	(38)	Dumka Branch (SU) Bhagalpur Road, P.O. and Distt.—Dumka Pin—814101 (Bihar)
(39)	दुमका बाजार शाखा मैन रोड, डाक व जिला—दुमका पिन-814101 बिहार)	(39)	Dumka Bazar Branch Main Road, P.O. and Dist.—Dumka Pin—814101 (Bihar)
(40)	पंडनिया शाखा ग्राम—पन्डनिया, डाक—कुम्बमहा वाया—मधुपुर ब्लॉक—कारों (बिहार)	(40)	Pandania Branch Vill.—Pandania P.O.—Kumbmaha Via—Madhupur Block—Karon (Bihar)

1	2
41.	परगोड़ी शाखा ग्राम एवं डाक–परगोड़ी वाया—पालोजोरीहाट जिला–दुमका पिन—814146 (बिहार)
42.	रौंधिया शाखा ग्राम रौंधिया, ब्लॉक–सरैयाहाट, जिला–दुमका (बिहार)
43.	रोलाग्राम शाखा ग्राम एवं डाक–रोलाग्राम ब्लाक—महेशपुर, जिला–साहेबगंज, (बिहार)
44.	साप्तर शाखा ग्राम एवं डाक–साप्तर ब्लॉक—मधुपुर, जिला–देवधर (बिहार) इलाहाबाद बैंक
45.	शहरग्राम शाखा ग्राम—शहरग्राम, ब्लॉक—महेशपुर जिला–साहेबगंज, (बिहार)
46.	सुण्डमारा शाखा, ग्राम एवं डाक—सुण्डमारा, वाया–सरवन बाजार, जिला–गोड्डा, (बिहार)
47.	धसूनिया शाखा ग्राम व डाक–धसूनिया वाया–फतेहपुर, ब्लॉक—कुण्डहीत, जिला—दुमका पिन—841 166 (बिहार)
48.	जसीडीह शाखा डाक—जसीडीह जिला–देवधर पिन—814 142 (बिहार)

1	2
(41)	Pargodi Branch Vill. and P.O. Pargodi Via.—Palojorihat Dist.—Dumka Pin—814146 (Bihar)
(42)	Foundhiya Branch Vill—Roundhiya, Block—Saraiyahat, Dist.—Dumka (Bihar)
(43)	Rolagram Branch Vill. and P.O.—Rolagram Block—Maheshpur Dist.—Deoghar (Bihar)
(44)	Saptar Branch Vill. and P.O.—Saptar Block—Madhupur Dist.—Deoghar (Bihar)
(45)	Shahargram Branch Vill.—Shargram, Block—Maheshpur Distt.—Sahebganj, (Bihar)
(46)	Sundmara Branch Vill. and P.O. Sundmara, Via—Sarwan Bazar, Dist.—Godda, (Bihar)
(47)	Dhasunia Branch Vill. and P.O. Dhasunia Via—Fatehpur Block—Kundhit Dist.—Dumka Pin—841166 (Bihar)
(48)	Jasidih Branch P.O.—Jasidih Dist.—Deoghar Pin—814142 (Bihar)

1	2	1	2
49.	झीलीवाट शाखा ग्राम व डाक–झीलीवाट ब्लॉक–मोहनपुर जिला–देवघर (बिहार)	(48)	Jhilighat Branch Vill. and P.O.—Jhilighat Block—Mohanpur Dist.—Deoghar (Bihar)
50.	लक्ष्मीपुर शाखा ग्राम एवं डाक—लक्ष्मीपुर वाया–बैद्यनाथधाम ब्लॉक—जामा जिला–दुमका पिन-814 101 (बिहार)	(50)	Laxmipur Branch Vill. and P.O.—Laxmipur Via—B. N. Dham Block—Jama Dist.—Dumka Pin—814101 (Bihar)
51.	लखीपुर शाखा (ग्रा.) ग्राम एवं डाक—लखीपुर ब्लाक—पथना जिला–साहेबगंज (बिहार)	(51)	Lakhipur Branch (Rural) Village and Post—Lakhipur Block—Pathna Dist—Sahebganj (Bihar)
52.	तिलाय टांड शाखा (ग्रा.) ग्राम–तिलायटांड डाक–नारगंज ब्लॉक—काठीकुंड जिला–दुमका (बिहार)	(52)	Tilaitarn Branch (Rural) Village—Tilaitarn Post—Narganj Block—Kathikund Dist.—Dumka (Bihar)
	उत्तर प्रदेश		UTTAR PRADESH
53.	नावली शाखा (ग्रा.) ग्राम–नावली, डाक–रंदौर, जिला—जालौन (उत्तर प्रदेश)	(53)	Nawali Branch (Rural) Village—Nawali, Post—Randor, Dist.—Jalaun (Uttar Pradesh)
54.	गोपालपुरा जागीर शाखा (ग्रा.) ग्राम एवं डाक–गोपालपुरा जागीर, जिला—जालौन पिन—285 121 (उत्तर प्रदेश)	(54)	Gopalpura Jageer Br. (Rural) Vill. and Post—Gopalpura Jageer Dist.—Jalaun Pin—285121 (Uttar Pradesh)
55.	रूरा शाखा ग्राम व पोस्ट–रूरा, ब्लाक–तिरवा, जिला—फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश)	(55)	Rura Branch Vill. and Post—Rura Block—Tirwa Dist.—Farrukhabad (Uttar Pradesh)
56.	समथर शाखा, ग्राम व पोस्ट–समथर, ब्लॉक–ताखा, जिला–इटावा (अत्तर प्रदेश)	(56)	Samther Branch Vill. and Post—Samther Block—Takha Dist. Etawah (Uttar Pradesh)
57.	पीपीएन मार्केट शाखा 96/12, पीपीएन मार्केट, कानपुर—208 001 (उत्त र प्रदेश)	(57)	PPN Market Branch 96/12 PPN Marke Kanpur—208001 (Uttar Pradesh)

1	2	1	2
58.	लखनपुर शाखा, 124-ए बिकासनगर, लखनपुर, कानपुर-208 005 (उत्तर प्रदेश)	(58)	Lakhanpur Branch 124-A, Vikas Nagar, Lakhanpur Kanpur—208005 (Uttar Pradesh)
59.	फेथफुलगंज शाखा 640, फेथफुलगंज, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	(59)	Faithfulganj Branch 640, Faithfulganj, Kanpur (Uttar Pradesh)
60.	बर्रा कालोनी शाखा, 234 जेड-ए-बर्रा-1, पोस्ट—जूही लाल कालोनी, कानपुर—208 014 (उत्तर प्रदेश)	(60)	Burra Colony Branch 234-Z, A 1, Barra—1, Post—Juhi Lal Colony Kanpur—208014 (Uttar Pradesh)
61.	बिरौली शाखा ग्राम एवं डाक—बिरौली, तहसील—अनूपशहर, जिला—बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश)	(61)	Birauli Branch Vill. and Post—Birauli Tehsil—Anupshahar Dist.—Bulanshahar (Uttar Pradesh)
62.	महाबीरगंज अलीगढ़ शाखा जिला—अलीगढ़	(62)	Aligarh Mahabirganj Branch Dist.—Aligarh
63.	रायपुर मुंजाप्ता शाखा, ग्राम—रायपुर मुंजाप्ता, डाक—मालवीय नगर, जिला—अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	(63)	Raipur Munjapatha Branch Vill. Raipur Munjapatha Post—Malviya Nagar Dist.—Aligarh (Uttar Pradesh)
64.	अगौता शाखा (ग्रा.) ग्राम व डाक—अगौता ब्लाक—गुलावठी जिला—बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश)	(64)	Agota Branch (Rural) Vill. and Post—Agota Block—Gulabathi Dist.—Bulandshahar (Uttar Pradesh)
65.	ओझा की पट्टी शाखा, ग्राम—ओझा की पट्टी डाक—मानपुर जिला—इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	(65)	Ojha Ki Patti, Vill.—Ojha Ki Patti, Post—Manpur Distt.—Allahabad (Uttar Pradesh)
66.	सेरावां शाखा ग्राम—सेरावां डाक—अटरामपुर जिला—इलाहाबाद पिन—229 412 (उत्तर प्रदेश)	(66)	Serawan Branch Vill—Serawan Post—Atrampur Dist.—Allahabad Pin—229412 (Uttar Pradesh)
67.	महेवा शाखा ग्राम—महेवा डाक—शाहपुर जिला—इलाहाबाद पिन—251 318 (उत्तर प्रदेश)	(67)	Mahewa Branch Vill.—Mahewa Post—Shahpur Distt.—Allahabad Pin-251318 (Uttar Pradesh)

1	2	1	2
68.	बांका—जलालपुर शाखा ग्राम—बांका—जलालपुर ब्लॉक एवं डाक—मऊ-आइमा जिला—इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	(68)	Banka—Jalalpur Branch Vill.—Banka—Jalalpur Block and P.O.—Mauima Distt.—Allahabad (Uttar Pradesh)
69.	दमगढ़ा शाखा ग्राम—दमगढ़ा डाक—उतरांव ब्लाक —धनुपुर जिला—इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	(69)	Damgarha Branch Vill.—Damgarha Post—Utrion Block—Dhanupur Distt.—Allahabad (Uttar Pradesh)
70.	अयोध्या प्रसाद ग्राम—अयोध्या ब्लॉक—डाक—कोरांव जिला—इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	(70)	Ayodhaya Branch Vill.—Ayodhaya Block and Post—Koraon Distt.—Allahabad (Uttar Pradesh)
71.	बेटाबार शाखा ग्राम व डाक—बेटाबर जिला—गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)	(71)	Betabar Branch Vill. and P.O.—Betabar Distt.—Ghazipur (Uttar Pradesh)
72.	गरौरा शाखा ग्राम व डाक—गरौरा जिला—गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)	(72)	Garaura Branch Vill. and Post—Garaur Distt.—Ghazipur (Uttar Pradesh)
73.	महेंव शाखा डाक—ग्राम—महेंव जिला—गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)	(73)	Mahend Branch Post and Vill.—Mahend Dist.—Ghazipur (Uttar Pradesh)
74.	बड्डपुर शाखा ग्राम व डाक—गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)	(74)	Baddhupur Branch Vill and Post—Shazipur (Uttar Pradesh)
75.	सेवा शाखा 11, के.पी. कक्कड़ रोड, (जीरो रोड), पिन-211 003 इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	(75)	Service Branch 11, K.P. Kakkar Road (Zero Road) Pin—211003 Allahabad (Uttar Pradesh)
76.	हाजीपुर शाखा पोस्ट—मनिकापुर जिला—सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	(76)	Hajipur Branch Post—Manikapur Dist. Sitapur (Uttar Pradesh)
77.	रिखौना शाखा पोस्ट—रिखौना जिला—सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	(77)	Rikhauna Branch Post—Rikhauna Distt.—Sitapur (Uttar Pradesh)
78.	मानपारा शाखा पोस्ट—सिधौली, जिला—सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	(78)	Manpara Branch Post—Sidhauli Dist.—Sitapur (Uttar Pradesh)

1	2	1	2
79.	गोण्डा देवरिया शाखा पोस्ट—गोण्डा देवरिया जिला—सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	(79)	Gonda Deoria Branch Post—Gonda Deoria Distt.—Sitapur (Uttar Pradesh)
80.	दण्डपुरवा शाखा पोस्ट—भदफर, ब्लाक—बेहटा, जिला—सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	(80)	Dandpurwa Branch Post—Bhadfar Block—Behta Distt.—Sitapur (Uttar Pradesh)
81.	सोंसरी शाखा पोस्ट—मतुआ, जिला—सीतापुर, (उत्तर प्रदेश)	(81)	Sonsari Branch Post—Matua Distt.—Sitapur (Uttar Pradesh)
82.	रोठौरपुर शाखा पोस्ट—मछरेहटा, जिला—सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	(82)	Rathorepur Branch Post—Machchrehta Distt.—Sitapur (Uttar Pradesh)
83.	तेरवा मानकापुर शाखा पोस्ट—शंकरपुर, ग्राम—बघैया, जिला—सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	(83)	Terwa Mankapur Branch Post—Shankarpur Village—Baghaiya Distt.—Sitapur (Uttar Pradesh)
84.	सैदनपुर शाखा पोस्ट—पैंतेपुर जिला—सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	(84)	Saidanpur Branch Post—Paintaipur Distt.—Sitapur (Uttar Pradesh)
85.	रालामऊ शाखा बाया—औरंगाबाद जिला—सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	(85)	Ralamau Branch Via—Aurangabad Distt.—Sitapur (Uttar Pradesh)
86.	वसुन्धरा गाजियाबाद शाखा उ.प्र. आवास विकास कालोनी, वसुन्धरा, जी. टी. रोड, डाक—इंडस्ट्रियल इस्टेट (सी. ई. एल.) साहिबाबाद-201 010 जिला—गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	(86)	Vasundhra Ghaziabad Branch U.P. Avas Vikas Colony Vasundhra, G.T. Road, P.O. Industrial Area (C.E.L.) Sahibabad—201010 Distt. Ghaziabad (Uttar Pradesh)
87.	नेहरू कॉलोनी देहरादून शाखा 163, नेहरू कॉलोनी, देहरादून-248 001. (उत्तर प्रदेश)	(87)	Nehru Colony Dehradun Branch 163, Nehru Colony Dehradun—248001 (Uttar Pradesh)
88.	महुआ शाखा ग्राम एवं डाक—महुआ, जिला—बांदा पिन-210 427 (उत्तर प्रदेश)	(88)	Mahua Branch Village and P.O.—Mahua Distt. Banda Pin—210427 (Uttar Pradesh)

1	2	1	2
89.	चौसड़ शाखा ग्राम एवं डाक—चौसड़, ब्लॉक—बिसण्डा जिला—बांदा (उत्तर प्रदेश)	(89)	Chausar Branch Village and Post—Chausar Block—Bisanda Distt.—Banda (Uttar Pradesh)
90.	मुण्डेरा शाखा ग्राम एवं डाक—मुण्डेरा, भरूआ सुमेरपुर, जिला—हमीरपुर (उत्तर प्रदेश),	(90)	Mundera Branch Village and Post—Mundera Bharua Sumerpur Distt. Hamirpur (Uttar Pradesh)
91.	पुरैनी शाखा ग्राम एवं डाक—पुरैनी, तहसील—राठ, जिला—हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)	(91)	Puraini Branch Village and Post—Puraini Tehsil—Rath Distt.—Hamirpur (Uttar Pradesh)
92.	गुढ़ा शाखा ग्राम एवं डाक—गुढ़ा, तहसील—चरखारी, जिला—हमीरपुर उत्तर प्रदेश	(92)	Gurha Branch Village and Post—Gurha Tehsil—Charkhari Distt. Hamirpur (Uttar Pradesh)
93.	जरिया शाखा ग्राम एवं डाक—जरिया, तहसील—राठ, जिला—हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)	(93)	Jaria Branch Village and Post—Jaria Tehsil—Rath Distt.—Hamirpur (Uttar Pradesh)
94.	मसूदपुरा शाखा ग्राम एवं डाक—मसूदपुरा ब्लॉक—पनवाड़ी, जिला—हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)	(94)	Masoodpura Branch Village and Post—Masoodpura Block—Panwari Distt.—Hamirpur (Uttar Pradesh)
95.	पारा शाखा ग्राम एवं डाक—पारा ब्लॉक—कुरारा, जिला—हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)	(95)	Para Branch Village and Post—Para Block—Kurara Distt.—Hamirpur (Uttar Pradesh)
96.	मरौली शाखा ग्राम एवं डाक—मरौली, ब्लॉक—बिसण्डा, जिला—बांदा (उत्तर प्रदेश)	(96)	Marauli Branch Village and Post—Marauli Block—Bisanda Distt.—Banda (Uttar Pradesh)
97.	तरौंहा शाखा ग्राम—तरौंहा, डाक—कर्वी, ब्लाक—कर्वी, जिला—बांदा (उत्तर प्रदेश)	(97)	Taraunha Branch Village—Taraunha Post—Karwi Block—Karwi Distt. Banda (Uttar Pradesh)

1	2	1	2
98.	रामपुर गढ़ौवा (ग्रामीण) ग्राम एवं डाक—रामपुर गढ़ौवा ब्लॉक—औरस, जिला—उन्नाव (उत्तर प्रदेश)	(98)	Rampur Gadawo (Rural) Village and P.O. Rampur Gadawo Block—Auras, Dist.—Unnao (Uttar Pradesh)
99.	इनायतपुर बर्रा शाखा (ग्रा.) ग्राम—इनायतपुर बर्रा, डाक—औरस जिला—उन्नाव (उत्तर प्रदेश)	(99)	Inayatpur Barra (Rural) Village—Inayatpur Barra Post—Auras Distt. Unnao (Uttar Pradesh)
100.	अलीपुर भादर शाखा (ग्रा.) ग्राम एवं डाक—अलीपुर भादर, ब्लॉक—आरायान, तहसील—खागा जिला—फतेहपुर (उत्तर प्रदेश)	(100)	Alipur Bhadar (Rural) Village and P.O.—Alipur Bhadar Block—Arayan Tehsil—Khaga Distt. Fatehpur (Uttar Pradesh)
101.	माकनपुर शाखा (ग्रा.) ग्राम एवं डाक—महोई, ब्लॉक—भीटौरा, जिला—फतेहपुर (उत्तर प्रदेश)	(101)	Makanpur Branch (Rural) Village and P.O. Mahoi Block—Bhitaura Distt.—Bhitaura (Uttar Pradesh)
102.	इलाहाबाद बैंक स्टाफ कॉलेज 735-पी. सेक्टर 14 गुड़गांव—122 001 हरियाणा तार : अल्लासेंटर	(102)	Allahabad Bank Staff College 735-P, Sector—14 Gurgaon—122001 Haryana. Telegram : ALLACENTRE

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

राजभाषा नियम 1976 के उपनियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित करवाई जाने वाली शाखाओं/कार्यालयों की सूची

Name & Address of the Branches Proposed fir Notification under O. L. Rule No. 10(4).

"क" क्षेत्र

REGION 'A'

क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ :	REGIONAL OFFICE MEERUT :
1. पंजाब एण्ड सिंध बैंक रुड़की रोड, मुजफ्फर नगर	1. Punjab & Sind Bank, Roorke Road, Muzaffar Nagar.
2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक विस्तार पटल एस. डी. कालेज मुजफ्फर नगर	2. Punjab & Sind Bank, E|C, S. D. College, Muzaffar Nagar.
क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली :	REGIONAL OFFICE NEW DELHI :
3. पंजाब एण्ड सिंध बैंक बैंक हाऊस 31 राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली	3. Punjab & Sind Bank, Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi

1	2
	4. पंजाब एण्ड सिंध बैंक विस्तार पटल गुरु नानक पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग, नई दिल्ली
आंचलिक कार्यालय (केन्द्रीय) :	
	5. पंजाब एण्ड सिंध बैंक एच. ब्लाक कनाट सर्कस नई दिल्ली
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली :	
	6. पंजाब एण्ड सिंध बैंक फव्वारा, चांदनी चौक दिल्ली
	7. पंजाब एण्ड सिंध बैंक विस्तार पटल श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल शाहदरा दिल्ली
क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा :	
	8. पंजाब एण्ड सिंध बैंक क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा सैक्टर 17-बी, चंडीगढ़
	9. पंजाब एण्ड सिंध बैंक सिरसा रोड, हिसार
	10. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 313/5 गीता भवन रोड सोनीपत
	11. पंजाब एण्ड सिंध बैंक सैक्टर 16-ए अजरोंदा, फरीदाबाद
	12. पंजाब एण्ड सिंध बैंक मोहम्मदपुर सोतार ब्लाक रतिया जिला हिसार
क्षेत्रीय कार्यालय: जयपुर	
	13. पंजाब एण्ड सिंध बैंक तामकोट जिला श्रीगंगा नगर (राज.)
	14. पंजाब एण्ड सिंध बैंक बींध बयाला जिला श्रीगंगानगर
क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ :	
	15. पंजाब एण्ड सिंध बैंक बलेरा जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश)

1	2
	4. Punjab & Sind Bank Extension Counter G.N.P. School Punjabi Bagh New Delhi
ZONAL OFFICE (CENTRAL) : (Branches Under Direct Control)	
	5. Punjab & Sind Bank H. Block Con. Circus New Delhi
REGIONAL OFFICE DELHI .	
	6. Punjab & Sind Bank Fawara, Chandani Chowk Delhi
	7. Punjab & Sind Bank Extension Counter S.G.H.K.P. School Shahdra Delhi
REGIONAL OFFICE HARYANA	
	8. Punjab & Sind Bank Regional Office Haryana Sector 17 B. Chandigarh
	9. Punjab & Sind Bank Sirsa Road Hisar
	10. Punjab & Sind Bank 313|5 Gita Bhawan Road Sonipat
	11. Punjab & Sind Bank Sector 16 A Ajronda Faridabad
	12. Punjab & Sind Bank Monhammadpur Sotar Block Ratia Distt. Hissar
REGIONAL OFFICE JAIPUR :	
	13. Punjab & Sind Bank Tamkot Distt. Sriganga Nagar (Raj)
	14. Punjab & Sind Bank Beendh Bayala Distt. Sriganga Nagar
REGIONAL OFFICE CHANDIGARH	
	15. Punjab & Sind Bank Balera Distt. Solan (H. P.)

1	2
क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल:	
16.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक क्षेत्रीय कार्यालय ई 3/114 अरेरा कालोनी भोपाल (मध्य प्रदेश)
17.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक 25/583 जयेन्द्र गंज ग्वालियर
18.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक फोर्ट रोड ग्वालियर
19.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक आगरा मुम्बई रोड, बनमोर जिला मोरेना
20.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक आगरा मुम्बई रोड गुना (म.प्र.)
21.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक माधव चौक ए.बी. रोड शिवपुरी (म.प्र.)
22.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक महाराजपुर जिला जबलपुर (म.प्र.)
33.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक 5, न्यू इंदिरा प्लेस भिलाई, जिला दुर्ग
24.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक सदर बाजार चन्देरी (म.प्र.) जिला गुना
25.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक बस स्टैण्ड के निकट रीवा (म.प्र.)
26.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक पन्नी लाल चौक सतना (म.प्र.)
27.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक 7, हमीदिया रोड भोपाल
28.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक ई-5, अरेरा कालोनी शाहपुर भोपाल
29.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक 124, नेपियर रोड जबलपुर

1	2
REGIONAL OFFICE BHOPAL :	
16.	Punjab & Sind Bank Regional Office E3|114 Arera Colony Bhopal (M.P.)
17.	Punjab & Sind Bank 25|583 Jayander Ganj Gwalior
18.	Punjab & Sind Bank Fort Road Gwalior
19.	Punjab & Sind Bank Agra Bombay Road Banmore Distt. Morena
20.	Punjab & Sind Bank Agra Bombay Road Guna (M.P.)
21.	Punjab & Sind Bank Madhav Chowk A. B. Road Shivpuri (M.P.)
22.	Punjab & Sind Bank Maharajpur Distt. Jabalpur (M.P.)
23.	Punjab & Sind Bank 5, New Indra Place Bhilai Distt. Durg
24.	Punjab & Sind Bank Sadar Bazar Distt. Guna Chanderi (M.P.)
25.	Punjab & Sind Bank Near Bus Stand Rewa (M.P.)
26.	Punjab & Sind Bank Panni Lal Chowk Satna (M.P.)
27.	Punjab & Sind Bank 7, Hamidia Road Bhopal
28.	Punjab & Sind Bank E. 5, Arera Colony Shahpur Bhopal
29.	Punjab & Sind Bank 124, Napiar Road Jabalpur

1	2
क्षेत्रीय कार्यालय बरेली :	
30.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक जर्रा जिला पीली भीत (उ.प्र.)
31.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक टाऊन हाल रोड शाहजहां पुर
32.	पंजाब ए ण्ड सिंध बैंक विस्तार पटल गुरू गोसिन्द सिंह इन्टर कालेज, माडल टाऊन, बरेली
33.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक करेली जिला पीली भीत
34.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाहगढ़ जिला पीलीभीत तहसील पुरनपुर
35	पंजाब एण्ड सिंध बैंक नैनीमोल रोड हलद्वानी जिला नैनीताल
36.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक 88 सी, सिवल लाईंस, बरेली
37.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक चौड़ा पिट्टा, गांव रीठा साहिब, डा. चौड़ा मेहता, तहसील चम्पावत, जिला पियौरागढ़
38.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक जोगीथेर, जिला पीलीभीत
39.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, गगनदीप बिल्डिंग, 146, सिविल लाइन्स, बरेली
40.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक रामनगर जिला पीलीभीत
41.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाहगढ़ तहसील बहेरी जिला पीलीभीत
क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून :	
42.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक उद्दीवाला, कोलगढ़ देहरादून

1	2
REGIONAL OFFICE BAREILLY :	
30.	Punjab & Sind Bank Jrra Pili Bhit (U.P.)
31.	Punjab & Sind Bank Town Hall Road Shahjhan Pur
32.	Punjab & Sind Bank Extension Counter Guru Gobind S. Inter College Model Town Bareilly
33.	Punjab & Sind Bank Kareli Distt. Pilibhit
34.	Punjab & Sind Bank Shahgarh Distt. Pilibhit Teh. Puranppur
35.	Punjab & Sind Bank Nainital Road Haldwarni Distt. Nainital
36.	Punjab & Sind Bank 88, C. Civil Lines Bareilly
37.	Punjab & Sind Bank Chaura Pitta Vill. Ritha Sahib, Chaura Mehta Teh. Champwat, Distt. Pithoragarh
38.	Punjab & Sind Bank Jogither Distt. Pilibhit
39.	Punjab & Sind Bank Regional Office Gagandeep Building 146, Civil Lines Bareilly
40.	Punjab & Sind Bank Ram Nagar Distt. Pilibhit
41.	Punjab & Sind Bank Shahgarh Teh. Beheri Distt. Pilibhit
REGIONAL OFFICE DEHRADUN :	
42.	Punjab & Sind Bank Uddiwala Kaulgarh Dehradun

1	2
43.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक 2, इन्द्र रोड डालनवाला देहरादून
44.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक होटल मधुवन 97 राजपुर रोड, देहरादून
45.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक ए. के. रोड, देहरादून
46.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक आढ़त बाजार देहरादून
47.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक लाइब्रेरी दि माल मंसूरी
48.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक गड्डर हैडी जिला सहारनपुर
49.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक घाट रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून
50.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक जोगीवाला मोहकपुर, जिला देहरादून
51.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक हरबर्टपुर जिला देहरादून
52.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक चौली शाहबुद्दीनपुर जिला सहारनपुर
53.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक बुड्ढाखेड़ा, जिला सहारनपुर
54.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक बड़था कायस्थ जिला सहारनपुर
	क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता : बिहार क्षेत्र की शाखाएं
55.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 42 फ्रेजर रोड, पटना।
56.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक डालटन गंज, जिला पलमाउ

1	2
43.	Punjab & Sind Bank 2, Inder Road Dalanwala Dehradun
44.	Punjab & Sind Bank Hotel Madhuban 97, Rajpur Road Dehradun
45.	Punjab & Sind Bank A. K. Road Dehradun
46.	Punjab & Sind Bank Arahat Bazar Dehradun
47.	Punjab & Sind Bank Library the Mall Mussorie
48.	Punjab & Sind Bank Gadhar Heri Distt. Saharanpur
49.	Punjab & Sind Bank Ghat Road Rishikesh, Distt. Dehradun
50.	Punjab & Sind Bank Jogiwala Mohakpur Distt. Dehradun
51.	Punjab & Sind Bank Herbertpur Distt. Dehradun
52.	Punjab & Sind Bank Chauli Shahabuddinpur Distt. Saharanpur
53.	Punjab & Sind Bank Buddhakhera Distt. Saharanpur
54.	Punjab & Sind Bank Bartha Kayasth Distt. Saharanpur
	REGIONAL OFFICE CALCUTTA : BRANCHES SITUATED IN BIHAR STATE
55.	Punjab & Sind Bank 42 Fraser Road Patna
56.	Punjab & Sind Bank Daltan Ganj, Distt. Palmau

1	2	1	2
57.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, हार्जीगंज, पटना साहिब	57.	Punjab & Sind Bank Haziganj Patna Sahib
58.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक डायगोनल रोड बिस्तूपुर जमशेदपुर।	58.	Punjab & Sind Bank Diagonal Road Bistupur Jamshedpur
59.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, के. पी. रोड, गया।	59.	Punjab & Sind Bank K. P. Road Gaya
60.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, मैन रोड, रांची।	60.	Punjab & Sind Bank Main Road Ranchi
61.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक भागल पुर 86 एम पी द्विवेदी रोड स्टेशन चौक	61.	Punjab & Sind Bank 86 M. P. Diwedi Road Station Chowk Bhagalpur
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ		REGIONAL OFFICE LUCKNOW	
62.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक मझगांवा जिला लखीमपुर	62.	Punjab & Sind Bank Majganwa Distt. Lakhimpur
"ख" क्षेत्र		REGION 'B'	
क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई		REGIONAL OFFICE BOMBAY :	
1.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, 518/20 मोस बिल्डिंग जम्बुक वाडी, कालबा देवी, बम्बई—400002	1.	Punjab & Sind Bank Regional Office 518|20 Moss Building Jambuk Wadi, Kalba Devi Bombay-400002
2.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक आंचलिक कार्यालय, 27/29 अम्बालाल जोषी मार्ग, फोर्ट बम्बई —4000023	2.	Punjab & Sind Bank Zonal Office 27|29 Ambalal Doshi Marg Fort Bombay-400023
3.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक 315, लिंकिंग रोड, खार, बम्बई।	3.	Punjab & Sind Bank 315, Linking Road Khar Bombay
4.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, लाल गैट, एम. जी. रोड, सूरत।	4.	Punjab & Sind Bank Lal Gate, M. G. Road Surat
5.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, एम. जी. रोड, नोपदा, थाने।	5.	Punjab & Sind Bank M. G. Road, Nopda, Thane
6.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, रीड रोड, अहमदाबाद,	6.	Punjab & Sind Bank Read Road, Ahamdabad

1	2	1
69.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, जयन्त पालेकर मार्ग, वरली, बम्बई	7. Punjab & Sind Bank Jayant Palekar Marg, Warli Bombay.
70.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विखरोली, बम्बई ।	8. Punjab & Sind Bank Lal Bahadur Shastri Marg, Vishroli, Bombay.
71.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, इन्द्रा एवन्यू रोड, विश्वमैत्री ब्रिज, बड़ोदा ।	9. Punjab & Sind Bank Indra Avenue Road, Vishavmaitri Bridge, Baroda.
72.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 31, विकास बिल्डिंग, पेडर रोड, बम्बई ।	10. Punjab & Sind Bank 31, Vikas Buildings, Paddar Road, Bombay.
73.	पंजाब एंड सिंध बैंक, 1156, एक्जीबीशन रोड, पुणे ।	11. Punjab & Sind Bank 1156, Exhibition Road, Pune.
74.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, उत्तरीय आंचलिक कार्यालय–II सैक्टर 17बी, चण्डीगढ़ –17.	12. Punjab & Sind Bank Northern Zonal Office-11, Sector 17 B, Chandigarh-17.
75.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़, 17बी, चण्डीगढ़ ।	13. Punjab & Sind Bank Regional Office (Chandigarh) 17 B. Chandigarh.
	"ग" क्षेत्र	REGION 'C'
क्षेत्रीय कार्यालय गोहाटी :		REGIONAL OFFICE GAUHATI :
76.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, सैन्ट्रल रोड, सिलचर ।	76. Punjab & Sind Bank Central Road, Silcher.
77.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, फैन्सी बाजार, गोहाटी ।	77. Punjab & Sind Bank Fancy Bazar, Gauhati.

शाखाओं का अधिसूचना
Notification of Branch

बैंक आफ इंडिया "क"क्षेत्र उत्तरी अंचल :	BANK OF INDIA "A" Region NORTH ZONE :
1. बैरु शाखा ग्राम एवं डाकघर बैरू ब्लाक मंदोर, जिला जोधपुर, राजस्थान—342001	1. Beroo Branch, Vill. & P.O. Beroo, Block Mandore, Distt. Jodhpur, Rajasthan-342 001.
उत्तर प्रदेश अंचल :	UTTAR PRADESH ZONE :

बैंक ऑफ इण्डिया

2. बलिया शाखा
लाहापाटी, बलिया,
उत्तर प्रदेश,

3. करहल शाखा
मोहल्ला,
सिनेमा रोड,
करहल,
जिला मैनपुरी,
उत्तर प्रदेश—205264

4. बड़ी बाजार शाखा
जे–14/149
बड़ी बाजार रोड,
वाराणसी,
उत्तर प्रदेश

5. क्षेत्रीय कार्यालय,
आगरा,
पहली मंजिल,
जीवन प्रकाश,
एल आई सी, बिल्डिंग,
एम जी. रोड,
संजय प्लेस, आगरा,
उत्तर प्रदेश —282002

बिहार अंचल :

6. सेहुका,
ग्रामा एव डाकघर सेहुका,
बरास्ता रामगढ़,
जिला भभुआ,
बिहार —821110

7. नैनुआ,
ग्रामा एव डाकघर नैनुआ,
बरास्ता डुमराओन,
जिला बुक्सर,
बिहार —802119

8. भदौला
ग्राम एव डाकघर भदौला,
बरास्ता कुदरा,
जिला भभुआ,
बिहार —821106

9. उसेवा शाखा,
ग्रामा उसेवा,
डाकघर बैजू बिधा,
बरास्ता चेरकी—गुरव रोड,
जिला —गया,
बिहार —824237

BANK OF INDIA

2. Balia Branch,
Lohapati, Balia,
Utter Pradesh.

3. Karhal Branch,
Mohalla Bazar,
Cinema Road,
Karhal, Distt. Manpuri,
Utter Pradesh-205 264.

4. Badi Bazar Branch,
J-14|149,
Badi Bazar Road,
Varanasi, Utter Pradesh.

5. Regional Office, Agra
Ist Floor, Jeevan Prakasn,
L.I.C. Building,
M. G. Road, Sanjay Place,
Agra, Utter Pradesh-282 002.

BIHAR REGION :

6. Sehuka,
Vill. & P.O. Eehuka,
Barasta Ramgarh,
Distt Bhabhua,
Bihar-821 110.

7. Nanua,
Vill. & P.O. Nanua,
Brasta Doomraon,
Distt. Buxar,
Bihar-802 119.

8. Bhadhola,
Vill. & P.O. Bhadhola,
Bastra Kudra,
Distt. Bhabhua,
Bihar-821 106.

9. Useva Branch,
Vill. & P.O. Bajoo Bigha,
Brasta Cherki-Gurav Road,
Distt. Gaya, Bihar-824 237.

बैंक आफ इंडिया
'क' अंचल उत्तरी अंचल

1	2
10.	महरोढ़ शाखा, ग्राम एवं डाकघर महरोढ़ ब्लाक दिनारा, जिला रोहतास, बिहार—802213
11.	सागरपुर शाखा, ग्राम एवं डाकघर सागरपुर बरास्ता मखदुमपुर, जिला जेहानाबाद, बिहार—804422
"ख" क्षेत्र	
नागपुर अंचल	
12.	चन्द्रपुर, शाखा डा. मुन्डे भवन मेन रोड, पोस्ट बाक्स नं. 17 चन्द्र पुर, महाराष्ट्र पिन—442401
13.	सुकली (बाई) शाखा ग्राम एवं डाकघर सुकली (बाई) तहसील सेलु जिला वर्धा महाराष्ट्र—442003
कोलहापुर शाखा	
14.	कसबा बावडा 2384, दुहान गल्ली कसबा बावडा, कोल्हापुर, महाराष्ट्र
15.	राधानगरी, बालकृष्ण निवास नजदीक एस. टी. स्टैन्ड राधानगरी जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र-416221
16.	कसबा वालवे कसबा वालवे, तालुका राधानगरी जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र-415221
17.	कुरुंदवाड शाखा डाक्टर कलावार भवन तालुका शिरोल जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र —416219
18.	नेसारी ग्राम एवं डाकघर नेसारी तालुका गडहिंग्लज जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र —416504

Bank of India
"A" Region North Zone

1	2
10.	Mahrorh Branch, Vill. & P.O. Mahrorh, Block Dinara, Distt. Rohtash, Bihar-802 213.
11.	Sagarpur Branch, Vill. & P.O. Sagarpur, Brasta Makhdumpur, Brasta Jehanabad, Bihar-804 422.
"B" Region Nagpur	
12.	Chandrapur Branch, Dr. Munde Building, Main Road, Post Box No. 17, Chandrapur, Maharashtra, Pin-442401.
13.	Sukli (Bai) Branch, At & Post Sukli (Bai), Tehsil Selu, Dist. Verdha, Maharashtra-442003.
Kohlapur Zone	
14.	KasbaBawda, 2384, Duhan Galli, Kasba Bawda, Kolhapur, Maharashtra.
15.	Radhanagari, Balkrushna Niwas, Near S.T. Stand, Radhanagari, Dist. Kohlapur, Maharashtra-416212.
16.	Kasbe Walve, Kasbe Walve, Taluka Radhanagari, Dist. Kolhapur, Maharashtra-415221.
17.	Kurundwad Branch, Dr. Kalanwar Building, Taluka Shirol, Dist. Kolhapur, Maharashtra-416219.
18.	Nesari, At & Post Nesari, Taluka Gadhinglay, Dist. Kolhapur, Maharashtra-419504.

बैंक आफ इंडिया
'ख' क्षेत्र कोल्हापुर अंचल

1	2
19.	करन्जफेन ग्राम एवं डाकघर करन्जफेन तालुका शाहुपुरी जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र —416205
20.	चिकुर्डे ग्राम एवं डाकघर चिकुर्डे जिला सांगली महाराष्ट्र
21.	खानापुर ग्राक एवं डाकघर खानापुर जिला सांगली, महाराष्ट्र
22.	कोकरूड ग्राम एवं डाकघर कोकरूड तालुका शिराला जिला सांगली महाराष्ट्र —415405
23.	अकाले ग्राम एवं डाकघर अकाले तालुका चिपुलूण जिला रत्नागिरी महाराष्ट्र —415604
24.	काडवाई ग्राम कडवाई तालुका संगमेश्वर, जिला रत्नागिरी महाराष्ट्र
25.	कोनालकट्टा ग्राम तिल्लखाडी डाकघर कोनालकट्टा तालुका सावंतवाडी जिला सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र —416512
26.	चिचणी शाखा ग्राम एवं डाकघर चिंचणी तालुका तासगांव जिला सांगली महाराष्ट्र
27.	सालगांव शाखा मकान नं. 253 ग्राम एवं डाकघर शालगांव तालुका खानापुर, जिला सांगली महाराष्ट्र

Bank of India
"B' Region Kolhapur Zone

1	2
19.	Karanjfen, At & Post Karanjfen, Taluka-Shahuwadi, Dist. Kolhapur, Maharashtra-416205.
20.	Chikarde, At & Post Chikurde, Dist. Sangali, Maharashtra.
21.	Khanapur, At & Post Khanapur, Dist. Sangli, Maharashtra.
21.	Kokrud, At & Post Kokrud, Taluka Shirala, Dist. Sangali, Maharashtra-415405.
23.	Akale, At & Post Akale, Taluka Chipulan, Dist. Ratnagiri, Maharashtra-415604.
24.	Kadwai, Post Kadwal, Taluka Sangameshwar, Dist. Ratnagiri, Maharashtra.
25.	Konal Katta, At-Tillakhadi, Post Konalkatta, Taluka Sawantwade, Dist. Sindhudurg, Maharashtra-416512.
26.	Chinchani Branch, At & Post Chinchani, Taluka-Tasgaon, Maharashtra.
27.	Shalgaon Branch, House No. 253, At & Post Shalgaon, Taluka-Khanapur, Dist. Sangali, Maharashtra.

1	2
28.	झरे शाखा, त्रिवेणी स्मृति, ग्राम एवं डाकघर झरे, तालुका - आटपाडी, जिला—सांगली, महाराष्ट्र —415310
29.	अग्रणी जिला कार्यालय, सांगली, आनंदी गोपाल निवास, राम मन्दिर के पीछे, 144, शिवाजी नगर, पो. बॉ नं. 132, सांगली, महाराष्ट्र —416416
30.	सिरसंगी, ग्राम सिरसंगी, डाकघर –किने, तालुका–अजरा, जिला–कोल्हापुर, महाराष्ट्र –416220
31.	मडूर, केदारलिंग विकास सेवा संस्था मर्यादित, व्हिलेज मडूर, तालुका बुधरगढ, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र –416219
32.	केरावडे, आर–5 टी/1–2 तालंबा प्रोजेक्ट, कॉलोनी महादेवचे केरावडे, तालुका हुडा बरास्ता माणगांव, जिला–सिन्धुदुर्ग महाराष्ट्र –416519
33.	बाचणी, श्रीकृष्ण सहकारी दुध संस्था बिल्डिंग, ग्राम एवं डाकघर बाचणी, तालुका–कागल जिला–कोल्हापुर, महाराष्ट्र –416221
34.	हेब्बाल जलदयाल श्री भावेश्वरी दुध संस्था बिल्डिंग ग्राम एवं डाकघर हेब्बाल जलदयाल, तालुका गड्हिंग्लज, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र –416503

1	2
28.	Zare Branch, Triveni Smriti, At & Post Zare, Taluka Atpadi, Dist. Sangali, Maharashtra-415320.
29.	Lead District Office, Sangali, Amandi Gopal Niwas, Behind Ram Mandir, 144, Shivaji Nagar, P.B. No. 132, Sangali, Maharashtra-416416.
30.	Sirsangi. At Sirsangi, Post. Kine, Taluka-Ajara, Dist. Kolhapur, Maharashtra-416220.
31.	Madur, Kadarling Vikas Seva Sanstha, Ltd. Village-Madur, Taluka-Budhargad, Disst. Kolhapur, Maharashtra-416219.
32.	Kerawade, R-5, T/1-2 Talamba Project, Colony, Mahadewche Kerawade, Taluka Huda, Via Mangaon, Dist. Sindhudurg, Maharashtra-416519.
33	Bachani, Shrikrishna Sahakari Dudh, Sanstha Building, At & Post Bachani, Taluka-Kagal, Dist. Kolhapur, Maharashtra-416221.
34.	Hebbal Jaldayal, Shri Bhaveshwari Dudh Sanstha, Building, At & Post Hebbal, Jaldayal, Taluka-Gadhinglaj. Dist. Kolhapur, Maharashtra-416503.

1	2	1	2
	बैंक आफ इंडिया—जारी		Bank of India—Contd.
35.	मंडणगड शाखा, "तपश्चर्या मेन रोड, ग्राम एवं डाकघर मंडणगड तालुका मंडणगड जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र —415204	35.	Mandangad Branch, 'Tapscharya', Main Road, At & Post Mandangad, Taluka Mandangad, Dist. Ratnagiri, Maharashtra-415204.
36.	मिठबाव शाखा, ग्राम एवं डाकघर मिठबाव तालुका देवगड, जिला सिन्धुदुर्ग महाराष्ट्र —416615	36.	Mithabav Branch, At & Post Mithabav, Taluka-Deogad, Dist. Sindhudurg, Maharashtra-416615.
37.	मिठगवाणे शाखा, ग्राम पंचायत कार्यालय, ग्राम एवं तालुका मंडणगड जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र—416702	37.	Mithagvane Branch, Grampanchayat Karyalaya, At & Post Mandangad, Dist. Ratnagiri, Maharashtra-416702.
38.	प्रभानवल्ली शाखा, ग्राम एवं डाकघर प्रभानवल्ली तालुका लांजा, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र —416401	38.	Prabhanvalli Branch, At & Post Prabhanvalli, Taluka Lanja, Dist. Ratnagiri, Maharashtra-416401.
39.	पाचल शाखा, मकान नं. 551, ग्राम एवं डाकघर पाचल, तालुका राजापुर, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र —416704	39.	Pachal Branch, House No. 551, At & Post Pachal, Taluka Rajapur, Dist. Ratnagiri, Maharashtra-416704.
40.	पणदेरी शाखा, ग्राम एवं डाकघर पणदेरी, हमदर्द मोहल्ला, तालुका—मंडणगड, जिला—रत्नागिरि, महाराष्ट्र—416701	40.	Panderi Branch, At & Post Panderi, 'Tapscharya', Main Road, Hamdard Mohalla, Dist—Ratnagiri, Maharashtra-416701.
41.	साटेली भेडशी शाखा, मकान नं. 353ए, ग्राम एवं डाकघर भेडशी, तालुका सावंतवाडी, जिला—सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र—416530	41.	Sateli Bhedashi Branch, House No. 353 A, At & Post Bhedashi, Taluka Sawantwadi, Dist. Sindhudurg, Maharashtra-416530.
42.	सावंतवाडी शाखा, पोकळे बिल्डिंग, उभा बाजार, सावंतवाडी, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र—416510	42.	Sawantwadi Branch, Pokale Building, Ubha Bazar, Sawantwadi. Dist. Sindhudurg, Maharashtra-416510.
43.	तलवडे शाखा, ग्राम एवं डाकघर तलवडे, तालुक सावंतवाडी, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र—416516	43.	Talwade Branch, At & Post Talwade, Taluka—Sawantwadi, Dist. Sindhudurg, Maharashtra-416516.

1	2
44.	वेंगुर्ला शाखा, 1189, मेन रोड, वेंगुर्ला, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र
45.	वाडा शाखा, ग्राम एवं डाकघर वाडा, तालुका—देवगढ़, जिला—सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र—416805
46.	उंबर्डे शाखा, ग्राम एवं डाकघर उंबर्डे, तालुका—वैभववाडी, जिला—सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र—416810
47.	तिसंगी शाखा, ग्राम एवं डाकघर तिसंगी, तालुका—खेड, जिला—रत्नागिरि, महाराष्ट्र
48.	वेरवली शाखा, वेरवली ग्राम पंचायत कार्यालय, ग्राम एवं डाकघर वेरवली, तालुका लांजा, जिला—रत्नागिरि, महाराष्ट्र
49.	कोटलूक "उदय निवास" ग्राम एवं डाकघर कोटलूक, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र
50.	खवटी नातूवाडी प्रकल्प वसाहत, ग्राम एवं डाकघर खवटी, तालुका खेड, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र—415640
51.	लांजा 212—ए—1, पांडुरंग निवास, बंबई-गोवा रोड, ग्राम एवं डाकघर लांजा, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र
52.	लाटवण, ग्राम एवं डाकघर लाटवण, तालुका मंडणगड, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र—415202

1	2
44.	Vengurla Branch, 1189, Main Road, Vengurla Dist Sindhudurg, Maharashtra-.
45.	Wada Branch, At & Post Wada, Taluka Deogad, Dist. Sindhudurg, Maharashtra-416805.
46.	Umbarde Branch, At & Post Umbarde, Dist. Sindhudurg, Taluka Vaibhavwadi, Maharashtra-416810.
47.	Tisangi Branch, At & Post Tisangi, Taluka Khed, Dist. Sindhudurg, Maharashtra-.
48.	Werwali Branch, Werwali Grampanchayat Office, At & Post Wervali, Taluka Lanja, Dist. Ratnagiri, Maharashtra.
49.	Kotluk, "Dday Niwas" At & Post Kotluk, Taluka Guhaghar, Dist. Ratnagiri, Maharashtra.
50.	Khawati, Natuwadi Prakalp Wasahat, At & Post Khawati, Taluka—Khed. Dist. Ratnagiri, Maharashtra-415640.
51.	Lanja, 212-A-1, Pandurang Niwas, Bombay-Goa Road, At & Post Lanja, Dist. Ratnagari, Maharashtra.
52.	Latwan, At & Post Latwan, Taluka—Mandangad, Dist. Ratnagiri, Maharashtra-415202.

बैंक आफ इंडिया	BANK OF INDIA
53. लोटे कॉमन फसिलिटी सेन्टर बिल्डिंग, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, ग्राम एवं डाकघर लोटे, तालुका खेड, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र—4152043	53. Lote, Common Facility Centre Bldg., MIDC Industrial Area, At & Post Lote, Taluka—Khed, Dist. Ratnagiri, Maharashtra-415203.
54. विलेपार्ले (प) 185, स्वामी विवेकानंद रोड, विलेपार्ले (पश्चिम) बंबई—400056	54 Vile Parle (W), 185, Swami Vivekanand Road, Vile Parle (West), Bombay-400056.
55. तूर्भे (ठाणे क्षेत्र) इंग्लिश स्कूल कंपाऊंड, ग्राम एवं डाकघर तूर्भे, जिला—ठाणे, महाराष्ट्र—400705	55. Turbhe (Thane Region), English School Compound, At & Post Turbhe, Dist. Thane, Maharashtra-400705.
56. अंबरनाथ शाखा, नवरे बंगला, शिव मंदिर रोड, अंबरनाथ, जिला—ठाणे, महाराष्ट्र—421501	56. Ambarnath Branch, Naware Bengalow, Shiv Mandir Road, Ambarnath, Dist. Thane, Maharashtra.
57. मुलुंड (पूर्व) लोकमान्य तिलक रोड, मुलुंड (पूर्व) बंबई—400018	57. Mulund (East), Lokmanya Tilak Road, Mulund (East), Bombay-400018.
58. यारी रोड, कल्याण कांम्प्लेक्स, यारी रोड, वर्सोवा, बंबई—400061	58. Yari Road, Kalyan Complex, Yari Road, Versova, Bombay-400061.
59. इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान एवं शाखा (आईजीआईडीआर), मानसरोवर, सुचिधाम कांम्प्लेक्स, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, मालाड (पूर्व), बम्बई—400097	59. Indira Gandhi Vikas Anusandhan, Sansthan & Branch, (IGIDR) Mansarowar, Suchidhan Complex, Goregaon-Mulund Link Road, Malad (East), Bombay-400097.
60. कुंजराव (खेड़ा जिला) जिला खेड़ा, गुजरात—388335	60. Kunjrao Branch, Kunjrao, Dist. Kheda, Gujarat-388335.
61. सामरखा शाखा, बाजार सामरखा, जिला खेड़ा, गुजरात—388360	61. Samarkha Branch, Bazar, Samarkha, Dist. Kheda, Gujarat-388360.

1	2	1	2
62.	धर्मज, डाकघर के पास, धर्मज, जिला खेड़ा, गुजरात—388430	62.	Dharmaj Branch, Near Post Office, Dharmaj, Dist. Kheda, Gujarat-3884310
63.	करमसद शाखा, बापेश्वर महादेव के सामने, करमसद, जिला खेड़ा, गुजरात—388325	63.	Karmsad Branch, Oppo. Bapeshwar Mahadeo, Karamsad, Dist. Kheda, Gujarat-388325.
64.	हलदरवास बाजार के पास, हलदरवास, तालुका महेमदाबाद, जिला खेड़ा, गुजरात—387110	64.	Haldarvas Branch, Near Bazar Haldarvas, Tal. Mehmedabad, Dis. Kheda, Gujarat-387110.
65	गोपीपुरा शाखा, "कुंदन" बीचली मंजिल, 10/1330, चंदला गली, कामनाथ महादेव के पास, पो. बां. न. 154, गोपीपुरा, सूरत, गुजरात—395002	65.	Gopipura Branch, "Kundan" Mezzanine Floor, 10/1330, Chandla Galli, Near Kamath Mahadev, Gujarat-395002.
66.	भरूच "दौडी शॉपिंग सेन्टर" पंच बत्ती, पो. बां. न. 55, भरूच, गुजरात—392001	66.	Bharuch Branch, "Daudi Shopping Centre", Panch Batti, Gujarat-392001.
67.	वलवाडा शाखा, ग्राम पंचायत भवन के सामने, ग्राम वलवाडा (डाकघर बरात्ता) करेचेलिया तालुका—महुवा, जिला—सूरत गुजरात—394240	67.	Valvada Branch, Opp. Gram Panchayat Bhavan, At Valvada (Post Via Karcheli), Tal Mahuva, Dist. Surat, Gujarat-394240.
68.	रामपुरा 7/3412, स्वामीनारायण मंदिर रोड, रामपुरा सूरत, गुजरात	68.	Rampura, 7/3412 Swaminarayan Mandir Road, Rampura, Surat, Gujarat.
69.	धारोली शाखा, 127/2, कबुतरखाना के सामने, ग्राम एवं डाकघर धारोली, तालुका जगडिया, जिला भरूच, गुजरात –393111.	69.	Dharoli Branch, At & Post Dharoli, Tal. Jagadia, Dist. Bharuch, Gujarat.
70.	बिलीमोरा शाखा, स्टेशन रोड, बिलीमोरा, जिला वलसाड, गुजरात –396321	70.	Bilimora Branch, Station Road, Bilimora, Dist. Valsad, Gujarat-396321.

1	2
71.	बारडोली शाखा, मकान नं. 37, सरदार बाग, स्टेशन रोड, जिला सूरत, गुजरात –394601
72.	आंचलिक कार्यालय, अहमदाबाद, बैंक आफ इंडिया बिल्डिंग, पो. बा. नं० 8 भद्र, अहमदाबाद –380001
73.	वापी शाखा, झंडा चौक, पो. बा. नं. 39, वापी, गुजरात —396191
74.	वांघरोली शाखा, ग्रामा एवं डाकघर—वांघरोली, तालुका —घासरा, जिला खेड़ा, गुजरात –388234
75.	सुखपर शाखा सुखपर, तालुका, भुज, जिला कच्छ, गुजरात –370040
	बैंक आफ इंडिया "ग" क्षेत्र उड़ीसा
76.	महानदी विहार शाखा, प्लाट नं. 77, महानदी बिहार रोड, उड़ीसा —753003
77.	बांगरीपोसी शाखा, डाकघर बांगरीपोसी, जिला मयूरभंज, उड़ीसा
78.	संबलपुर शाखा, कालीबाडी, वी. एस. एस. मार्ग, संबलपुर, जिला संबलपुर, उड़ीसा —768001
79.	बारीपटा शाखा, लाल बाजार, डाकघर बारीपद जिला मयूरभंज , उड़ीसा –757001
80.	जरईकेला, ग्राम एवं डाकघर जरईकेला, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा –770036

1	2
71.	Burdoli Branch, House No. 37, Sardar Bagh, Station Road, Bardoli-2, Dist. Surat, Gujarat-394601.
72.	Zonal Offict, Bank of India Bldg., Post Box No. 8, Bhadra, Ahemdabad, Gujarat-380001.
73.	Vapi Branch, Zanda Chowk, P.B. No. 39, Vapi, Gujarat-396191.
74.	Wanghroli Branch, At & Post Wanghroli, Tal. Thasra, Dist. Kheda, Gujarat-388235.
75.	Sukhpar Branch, Sukhpar, Taluka Bhuj, Dist. Kutch, Gujarat-370040.
	BANK OF INDIA "C" REGION" ORISSA
76.	Mahanadi Vihar Branch, Plot No. 77, Mahanadi Vihar Road, P.O. Sikharpur, Cuttack, Orissa-753003.
77.	Bangriposi Branch. P.O. Bangriposi, Dist. Mayurbhanj, Orissa.
78.	Sambalpur Branch, Kalibari, V.S. Marg, Dist. Sambalpur, Orissa-768001.
79.	Baripada Branch. Lal Bazar, P.O. Baripada, Dist. Mayurbanj, Orrisa-757001.
80.	Jareikela Branch, At & Post Jareikela, Dist. Sundergarh, Orissa-770036.

1	2	1	2
81.	बड़बील शाखा, ग्राम बड़बील , डाकघर तवसरूआ, बरास्ता शहरपाड़ा , जिला क्योंझर, उड़ीसा पिन-758035	81.	Barbil Branch, Main Road, Post Box No. 15, Barbil, Dist. Keonjhar, Orissa-758035.
82.	कांडिया, ग्राम कांडिया डाकघर कांडिया हाट, जिला कटक, उड़ीसा –755016	82.	Kandia Branch, At Kandia, Post Kandia Hat, Dist. Cuttack, Orissa-755016.
83.	बेतनोटी शाखा, ग्राम एवं डाकघर बेतनोटी, जिला मयूरभंज, उड़ीसा पिन-757025	83	Betnoti Branch, At & Post Betnoti, Dist. Mayurbhunj, Orissa-757025.
84.	झुमपुरा शाखा, झुमपुरा, जिला क्योंझर, उड़ीसा ।	84.	Jhumpura Branch, Jhumpura, Dist. Keonjhar, Orrisa.
पूर्वी अंचल		Eastern Zone.	
85.	क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी, "यूनिटी बिल्डिंग" सेवोक रोड, सेवोक रोड डाकघर के सामने जिला दार्जिलिंग कोड-734401	85	Regional Office, Siliguri, 'Unity Building, Sevoke Road, Opp. Sevoke Road, Post Office, Dist. Darjeeling, West Bengal, Pin-734401.
86.	क्षेत्रीय कार्यालय, बर्दवान, "शर्मा मेंशन" 74 तथा 75 जी. टी. रोड, दूसरी/तीसरी मंजिल, डाकघर एवं जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल –713101	86.	Regional Office, Burdwan, "Sharma Mansion", 74 & 75 G.T. Road, 2nd/3rd Floors, P.O. & Dist. Burdwan, West Bengal-713101.
87.	क्षेत्रीय कार्यालय हावड़ा, 10, मुखराम कनोरिया रोड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल –811101	87.	Regional Office, Howrah, 10, Mukharam Kanoria Road, Howrah, West Bengal-711101.
88.	नरला शाखा, ग्राम एवं डाकघर नरला, जिला कालाहांडी, उड़ीसा –766101	88.	Narla Branch, At & Post Narla, Dist. Kalahandi, Orissa-766101.
89.	जोड़ा शाखा, डाकघर जोड़ा, जिला क्योंझर, उड़ीसा –758034	89.	Joda Branch, P.O. Joda, Dist. Keonjhar, Orissa-758034.
90.	नरला रोड, ग्राम एवं डाकघर नरला रोड, जिला कालाहांडी, उड़ीसा पिन –766101	90.	Narla Road Branch, At & Post Narla Road, Dist. Kalahandi, Orrisa-766101.

1	2
91.	करंजिया शाखा, डाकघर करंजिया, जिला मयूरभंज, उड़ीसा ।
92.	भवानी पटना, जगन्नाथ टेंपल रोड, भवानीपटना, उड़ीसा पिन –766001
93.	दैतारी शाखा, ग्राम दैतारी, डाकघर तालापाड़ा, जिला क्योंझर, उड़ीसा ।
94.	पुरी शाखा रामानन्द भवन, दत्ता टोटा, सदर थाना रोड, पुरी टाउन, जिला पुरी, उड़ीसा ।
95.	हरि चंदनपुर शाखा, ग्राम एवं डाकघर हरीचंदनपुर, जिला क्योंझर, उड़ीसा ।
96.	बिजातला शाखा, ग्राम एवं डाकघर बिजातला, जिला मयूरभंज, उड़ीसा ।
97.	बैंक आफ इंडिया आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र 25-ए अशोक नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा ।
98.	क्योंझर शाखा, शिशु भवन मार्केट काम्प्लेक्स, एम. एच. सं. 6; क्योंझर, उड़ीसा—758001
99.	अग्रिणी जिला कार्यालय, क्योंझर, हास्पिटल रोड, पो. बां. नं. 16, क्योंझरगढ़, जिला क्योंझर, उड़ीसा ।
100.	उदयपुर शाखा ग्राम एवं डाकघर उदयपुर, जिला मयूरभंज, उड़ीसा ।
101.	अलती शाखा, ग्राम एवं डाकघर अलती, बरास्ता सैकुल, जिला क्योंझर, उड़ीसा-758043
102.	दीघी शाखा, ग्राम एवं डाकघर दीघी, बरास्ता बांग्रीपोसी, जिला मयूरभंज, उड़ीसा ।

1	2
91.	Karanjia Branch, P.O. Karanjia, Dist. Mayurbhunj, Orissa.
92.	Bhawanipatna Branch, Jagannath Temple Road, Bhawanipatna, Orissa-766001.
93	Daitari Branch, At Daitari, P.O. Talapada, Dist. Keonjhar, Orissa-758026.
94.	Puri Branch, Ramanand Bhavan, Dutta Tota, Sadarthana Road, Puri Town, Dist. Puri. Orissa.
95.	Harichandanpur Branch, At & Post Harichandanpur, Dist. Keonjhar, Orissa.
96.	Bijatala Branch, At and Post Bijatala, Dist. Mayurbhanj, Orissa-757048.
97.	Bank of India Zonal Training Centre, 25-A, Ashok Nagar, Bhubaneshwar, Orissa Pin-751009.
98.	Keonjhar Branch, Shishu Bhavan Market Complex, M.H. No. 6, Keonjhar, Orissa-758001.
99.	Lead District Office, Keonjhar, Hospital Road. P.B. No. 16, Keonjhargarh Dist.—Keonjhar. Orissa Pin-758001.
100.	Udaypur Branch, At and Post Udaypur, Dist. Keonjhar, Orissa-758045.
101.	Alati Branch, At and Post Alati, Via Sainkul, Dist. Keonjhar, Orissa-758043.
102.	Dighi Branch, At and Post Dighi, Via Bangriposi, Dist. Mayurbhanj, Orissa-757032.

राजभाषा नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित की जाने वाली शाखाएं

BRANCHES TO BE NOTIFIED UNDER THE RULE 10(4) OF OFFICIAL LANGUAGE

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

1. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया,
आसफ अली रोड शाखा,
12/4, आसफ अली रोड,
नई दिल्ली—110002

2. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
चितरंजन पार्क शाखा,
एच—1598, डीडीए मार्केट नं. 4
(प्रथम तल) चितरंजन पार्क,
नई दिल्ली—110019

3. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
गांधी नगर शाखा,
7455-56 मेन रोड,
गांधीनगर, दिल्ली—110031

4. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
जम्मू (गांधीनगर) शाखा,
18 सी, एक्सटेंशन गांधीनगर,
जम्मू—18004

5. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
जनपथ शाखा,
72, जनपथ शाखा, नई दिल्ली—110001

6. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
खारी बावली शाखा,
6662, खारी बावली,
दिल्ली—110006

7. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
लाजपत नगर शाखा,
यूनिट नं. 40, ब्लाक "सी"
डिफेंस कालोनी, शापिंग-कम-आफिस
काम्प्लेक्स, नई दिल्ली—110024

8. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
प्रेसीडेन्ट ईस्टेट शाखा,
प्रेसीडेन्स ईस्टेट, नई दिल्ली-110004

9. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
स्वामी नगर शाखा,
डी-7, स्वामी नगर,
नई दिल्ली—110017

10. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया,
चंडीगढ़ शाखा,
एससीओ/32/33/34, सेक्टर 17 सी,
चंडीगढ़—160017

11. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
जालंधर शाखा,
अमरदीप, 32 जी. टी. रोड,
जालंधर सिटी—144001

UNITED BANK OF INDIA

1. United Bank of India,
Asaf Ali Road Branch,
12/4, Asaf Ali Road,
New Delhi-110002.

2. United Bank of India,
Chitterajan Park Branch,
H-1598, DDA Market No. 4,
1st Floor, Chitteranjan Park,
New Delhi-110019.

3. United Bank of India,
Gandhi Nagar Branch,
7455-56 Main Road,
Gandhi Nagar, Delhi-110031.

4. United Bank of India,
Jammu (Gandhi Nagar) Branch,
18-C, Extension Gandhi Nagar,
Jammu-180004.

5. United Bank of India,
Janpath Branch,
72 Janpath, New Delhi-110001.

6. United Bank of India,
Khari Bavali Branch,
6662, Khari Bavali,
Delhi-110006.

7. United Bank of India,
Lajpat Nagar Branch,
Unit No. 40, Block "C",
Defence Colony Shopping-
Cum-Office Complex,
New Delhi-110024.

8. United Bank of India,
President Estate Branch,
President Estate,
New Delhi-110004.

9. United Bank of India,
Swami Nagar Branch,
D-7, Swami Nagar,
New Delhi-110017.

10. United Bank of India,
Chandigarh Branch,
S C O32/33/34, Sector 17, C,
Candigarh-160017.

11. United Bank of India,
Jalandhar Branch,
Amar Deep, 32, G.T. Road,
Jalandhar City-144001.

1	2
12.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, फागवाड़ा शाखा, जी. टी. रोड, फागवाड़ा, कपूरथला—144401
13.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर शाखा, एस. एम. एस. हाईवे (चौड़ा रास्ता), जयपुर—302003
14.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अंबाला कैंट शाखा, 6143 निकलसन रोड, सदर बाजार, अम्बाला कैंटोनमेंट
15.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, गुड़गांव महरौली रोड शाखा, 971/14, गुड़गांव महरौली रोड, गुड़गांव, हरियाणा—122001
16.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, भिलाई शाखा, आकाश गंगा शॉपिंग कामप्लेक्स, जिला : दुर्ग, भिलाई, म. प्र.
17.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, जबलपुर शाखा, 232 भरतीपुर वार्ड, अनेरदेव, मेन रोड, जबलपुर—482002
18.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चांदनी चौक शाखा, 137, चांदनी चौक, दिल्ली—110006
19.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, कनाट सर्कस शाखा, पोस्ट बाक्स नं. 321, जे. सी. दास बिल्डिंग, 90/8 कनाट सर्कस, नई दिल्ली—110001
20.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, आई सी होटल शाखा, होटल ओबराय इंटरकांटिनेंटल, नई दिल्ली—110003
21.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, करोल बाग शाखा, 6/90-डब्ल्यू ई. ए. पदमसिंह रोड, नई दिल्ली—110005

1	2
12.	United Bank of India, Phagwada Branch, G.T. Road, Phagwada, Kapurthala-144401.
13.	United Bank of India, Jaipur Branch, S.M.S. High (Choda Rasta), Jaipur-302003.
14.	United Bank of India, Ambala Cant Branch, 6143, Nikalson Road, Sadar Bazar, Ambala Cantonment.
15.	United Bank of India, Gudgaon Mehroli Road Branch, 971/14 Gudagaon Mehroli Road, Gudgaon, Haryana-122001.
16.	United Bank of India, Bhilai Branch, Akash Ganga Shopping Complex, Distt. Durg, Bhilai, (M.P.)
17.	United Bank of India, Jabalpur Branch, 232 Bharatipur Ward, Anedheradev, Main Road, Jabalpur-482002.
18.	United Bank of India, Chandani Chowk Branch, 137, Chandani Chowk, Delhi-110006.
19.	United Bank of India, Cannaught Circus Branch, Post Box No. 321, J.C. Dass Bldg., 90/8 Cannaught Circus, New Delhi-110001.
20.	United Bank of India, I.C. Hotal Branch, Hotal Obrai International, New Delhi-110003.
21.	United Bank of India, Karol Bagh Branch, 6/90, W.E.A. Padam Singh Road, New Delhi-110005.

1	2
22.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कीर्तिनगर शाखा ए–24 टैगोर मार्केट, कीर्तिनगर, नई दिल्ली —110015
23.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, लेपरोसा काम्प्लेक्स शाखा, गगन थियेटर काम्प्लेक्स, नन्द नगरी (शाहदरा), दिल्ली —110093
24.	एस. डी. एरिया शाखा, (सफदरजंग डवलपमेंट एरिया), सी–9, कम्युनिटी सेंटर नई दिल्ली —110016
25.	तानसेन मार्ग शाखा, 2 तानसेन मार्ग, नई दिल्ली—110001
26.	अमृतसर शाखा, उप्पल बिल्डिंग, 9 शास्त्री मार्केट, अमृतसर–143001
27.	लुधियाना शाखा, टावर चौक के सामने लुधियाना–141001
28.	अलवर शाखा, 1, अशोक सर्कल, अलवर —301001
29.	उदयपुर शाखा, 160 अघवानी बाजार, दिल्ली गेट, उदयपुर–313001, राजस्थान
30.	फरीदाबाद शाखा, ए-3/1 नेहरू ग्राउंड एन. आई टाउन, फरीदाबाद गुडगांव —121001
31.	पानीपत शाखा, 7ए, सुखदेव नगर, सलारगंज के सामने. तहसील रोड, पानीपत 132103 हरियाणा
32.	इंदौर शाखा, 2/5महात्मा गांधी रोड, इंदौर सिटी—452001

1	2
22.	United Bank of India, Kirtinagar Branch, A-24 Tagore Market, Kirtinagar, New Delhi-110015.
23.	United Bank of India, Leprosy Complex Branch. Gagan Theater Complex, Nand Nagari (Shahadra) Delhi-110093.
24.	S. D. Area Branch, (Safderjang Development Area) C-9, Community Centre, New Delhi-110016.
25.	Tansen Marg Branch, 2, Hansen Marg, New Delhi-110001.
26.	Amritsar Branch, Uppal Building, 9, Shastri Market, Amritsar-143001.
27.	Ludhiyana Branch, Tower Chock, Ludhiyana-141001.
28.	Alwar Branch, 1, Ashok Sarkal, Alwar-301001.
29.	Udaipur Branch, 160 Aghavani Bazar, Delhi Gate, Udaipur-313001, Rajasthan.
30.	Faridabad Branch, A|3|1, Nehru Ground N.I. Town. Faridabad, Gudgaon-121001.
31.	Panipat Branch, 7, A Sukhdev Nagar, In front of Salarganj, Tehsil Road, Panipat-132103. Haryana.
32.	Indore Branch, 2/5 Mahatma Gandhi Road, Indore City-452001.

1	2	1	2
33.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया श्रीनगर शाखा, शेरवानी रोड, श्रीनगर–190001	33.	United Bank of India, Shrinagar Branch, Shewani Road, Shrinagar-190001.
34.	शिमला शाखा, रिजेंट हाउस, द् माल शिमला–171001 हिमाचल प्रदेश	34.	Shimla Branch, Resent House, The Mal, Shimla-171001, Himachal Pradesh.
35.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया सीतापुर शाखा, 67, हेमपुरवा, डाकखाना : सीतापुर जिला : सीतापुर, उत्तर प्रदेश	35.	United Bank of India, Sitapur Branch, 67, Hempurwa, P.O. Sitapur, Distt. Sitapur, Uttar Pradesh.
36.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया फैजाबाद शाखा, 138, देवनगर, नाका मुजफ्फरा, रायबरेली रोड, फैजाबाद 224001,उत्तर प्रदेश	36.	United Bank of India, Faizabad Branch, 138, Deonagar, Naka Mazalara, Raebareli Road, Faizabad-224001, Uttar Pradesh.
37	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हापुड़ शाखा, दिल्ली रोड, निकट यू पी एग्रो, हापुड–245101 उत्तर प्रदेश	37.	United Bank of India, Hapur Branch, Delhi Road, Near U.P. Agra, Hapur-24501, Uttar Pradesh.
38.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया झांसी शाखा 739, नन्दन पुरा झांसी —284003	38.	United Bank of India, Jhansi Branch, 739, Nandanpura, Jhansi-284003, Uttar Pradesh.
39.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अलीगढ़ शाखा, 3/270, देवेन्द्र मार्केट, रामघाट रोड, अलीगढ़ 10, उत्तर प्रदेश	39.	United Bank of India, Aligarh Branch, 3/270, Devendra Market, Ramghat Road, Aligarh-10, (U.P.)
40.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शाहजहांपुर शाखा, 718, एवं 719, रंग महल, खोया मंडी, पो. ओ. केरूगंज शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश	40.	United Bank of India, Shahjahanpur Branch, 718 and 719 Rang Mahal Khoya Mandi, P.O. Keruganj, Shahjahanpur (U.P.)
41.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बरेली शाखा 148, सिविल लाइंस, बरेली—243001, उत्तर प्रदेश	41.	United Bank of India, Bareilly Branch, 148, Civil Lines, Bareilly-243001. Uttar Pradesh.
42.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 24-परगना केन्द्रीय क्षेत्र (बेहला) 627/2, डो. एच. रोड, बहेला कलकत्ता —700034.	42.	United Bank of India, 24-Pagranas Central Region (Behala) 627/2, Diamond Harbour Rd., Behala Calcutta-700034.

राजभाषा नियम 10.4 के अन्तर्गत अधिसूचना हेतु प्रस्तावित शाखाओं के नाम व पते

NAME AND ADDRESSES OF THE BRANCHES PROPO SED FOR NOTIFICATION UNDER O.L. RULE NO. 10(4)

बैंक आफ बड़ौदा

क्षेत्र–क

1. बैंक आफ बड़ौदा
सेवा शाखा,
नरही लखनऊ

2. बैंक आफ बड़ौदा,
पीलीकोठी शाखा,
वाराणसी

3. बैंक आफ बड़ौदा,
नियावां शाखा,
फैजाबाद

पश्चिमी उत्तर प्रदेश अंचल मेरठ

4. बैंक आफ बड़ौदा,
हकीकत नगर,
मुरादाबाद क्षेत्र
उत्तरी अंचल, दिल्ली

5. बैंक आफ बड़ौदा,
विवेकानंद नगर शाखा,
रायपुर, मध्य प्रदेश।

6. बैंक आफ बड़ौदा,
दभाण रोड, नाडियाद,
जिला खेडा,
गुजरात

7. बैंक आफ बडौदा
सेटलाइट आधार शाखा
लूनावडा,
जिला पंचमहल (गुजरात)

8. बैंक आफ बडौदा,
सेना,
दोनिया गोराडा,
जिला पंचमहल

9. बैंक आफ बडौदा,
सटेटलाइट आधार शाखा,
बड़ौदा मुख्य शाखा,
बडौदा (गुजरात)
आसोज, सेना, मधेली,
पिपलिया, जिला,
बडौदा (गुजरात)

10. बृहत बंबई अंचल
बैंक आफ बड़ौदा,
पवई शाखा,
बम्बई —76

BANK OF BARODA

REGION 'A'

1. Bank of Baroda,
Service Branch,
Narhi Lucknow.

2. Bank of Baroda,
Pilikothi Branch,
Varanasi.

3. Bank of Baroda,
Niyawan Branch,
Faizabad.

WESTERN UTTAR PRADESH ZONE, MEERUT

4. Bank of Baroda,
Hakikat Nagar,
Muradabad Zone.
Northern Zone.

5. Bank of Baroda,
Vivekanand Nagar Branch,
Raipur, M.P.

6. Bank of Baroda,
Dabhan Road, Nadiad,
Dist. Kheda (Gujarat)

7. Bank of Baroda,
Satelite Base Branch,
Lunavada,
Dist. Panchmahal (Guj.)

8. Bank of Baroda,
Sena, Donia, Gorada,
Dist. Panchmahal.

9. Bank of Baroda,
S Base Branch Satelite,
Baroda Main Branch,
Baroda (Guj.),
Aashoj,Sena, Madhali Pipalia,
Dist. Baroda,
(Gujrat).

10. Greater Bombay Zone :
Bank of Baroda,
Powai Branch,
Bombay.

1	2
11.	बैंक आफ बडौदा, जैकब सर्कल शाखा, बम्बई —11,
12.	बैंक आफ बडौदा, अमरावती शाखा, पो. बा. क्र. 80 डा. अनी बेसेंट मार्ग, जोग चौक अमरावती —444601
13.	बैंक आफ बडौदा, हिंगणघाट शाखा लोढ़ा भवन, स्टेशन रोड, हिंगणघाट 442301 जिला वर्धा
14.	बैंक आफ बडौदा, परभणी शाखा, "दौलत" शिवाजी चौक, परभणी 431401 जिला परभणी
15.	बैंक आफ बडौदा, सावरगांव शाखा, तालुका कळंब जि. यवतमाला सावरगांव 445401
16.	बैंक आफ बडौदा, ब्राम्हणी शाखा, तालुका उमरेड जिला नागपुर
17.	बैंक आफ बडौदा, लातूर शाखा, पो. बा. क्रम 17 लोवीना, चंद्रनगर, काकूशेठ उका मार्ग, लातूर 413512
18	बैंक आफ बड़ौदा, पिंपरी चिंचवड शाखा, आलिंपिक हाउस, बम्बई पुणे रोड, पुणे 411018
19	बैंक आफ बड़ौदा, गलटेकडी शाखा लांजेकर बिल्डिंग, प्लाट क्र. 20, गलटेकडी, आदर्श नगर, पुणे 411037

1	2
11.	Bank of Baroda, Jacob Circle, Bombay.
12.	Bank of Baroda, Amravati Branch, Post Bag No. 80, Dr. Annie Besan Basant Road, Amravati-444601.
13.	Bank of Baroda, Hinganghat Branch, Lodha Bhavan, Station Road, Hinganghat-442301, Dist. Wardha.
14.	Bank of Baroda, Parbhani Branch, "Daulat" Shivaji Chock, Parbhani-431401. Dist. Parbhani.
15.	Bank of Baroda, Sawargaon Branch, Taluka Kalamb, Dist. Yeotmal, Sawargaon-445401.
16.	Bank of Baroda, Brahmani Branch, Taluka-Umred, Dist.—Nagpur.
1.	Bank of Baroda, Latur Branch, Post Box No. 71, Lovina, Chandranagar, Kakusheth Uka Marg, Latur-413512.
18.	Bank of Baroda, Pimpri—Chinchwad Branch, Olympic House, Bombay—Pune Road, Pune-411018.
19.	Bank of Baroda, Gultekdi Branch, Lanjekar Bldg., Plot No. 20, Gultekdi, Adarshnagar, Pune-411037.

1	2
20.	बैंक आफ बड़ौदा, समर्थनगर औरंगाबाद शाखा, 127, दीपा अपार्टमेंट, समर्थनगर, औरंगाबाद 431001
21.	बैंक आफ बड़ौदा, नासिक शहर शाखा, "गौरी शंकर", टीलक पथ, नासिक ।
22.	बैंक आफ बड़ौदा, इतवारी शाखा, जैन बिल्डिंग, शहीद चौक इतवारी, नागपुर 440002
	दक्षिण अंचल
23.	प्रबंधक बैंक आफ बड़ौदा, बरकतपुरा शाखा, एच. न. 3-4-490/बी प्रेमबाग बरकतपुरा, राज बहादुर वी रेड्डी रोड, हैदराबाद 500027 (आं.प्र)
24.	प्रबंधक बैंक आफ बड़ौदा, पोस्ट बाक्स नं. 107, 4-1-833 अबिड सर्कल, पालेस टॉकिज कंपोंड, हैदराबाद 500001 (आं.प्र.)
25.	प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, खैरताबाद, पोस्ट बाक्स नं. 49, 4-1-84, सचिवालय मार्ग, खैरताबाद, हैदराबाद 500004 (आं.प्रदेश)
26.	वरिष्ठ प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, पोस्ट बाक्स नं. 1547, कर्बला मैदान, महात्मा गांधी रोड, सिकंदराबाद ।
27.	प्रबंधक बैंक आफ बड़ौदा, आशिलमेटटा जंक्शन शाखा, राज मार्ग, द्वारकानगर, विशाखापटनम-530016
28.	प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, सत्य सदन, पी.पी. मेइन रोड, भीमवरम 534202 जिला पश्चिम गोदावरी (आं.प्र.)

1	2
20.	Bank of Baroda, Samarthnagar, Aurangabad Branch, 127/Deepa Apartments, Samarthnagar, **Aurangabad-431001.**
21.	Bank of Baroda, Nasik City Branch, "Gauri Shankar", Tilak Path, Nasik.
22.	Bank of Baroda, Itwari Branch. Jain Bldg., **Shaheed Chowk,** Itwari, Nagour-440002.
	SOUTH REGION
23.	The Manager, Bank of Baroda, Barkatpura Branch, H. N. 3-4; 490/B, Prembag, Barkatpura, Raj Bahadur V. Reddy Road, Hyderabad-500027 (A.P.)
24.	The Manager, Bank of Baroda, Post Box No. 107, 4-1, 833, Abid Circle, Palace Talkies Compound, Hyderabad-500001, (A.P.)
25.	The Manager, Bank of Baroda, Khairatabad Branch, Post Box No. 49, 6-1-84, Secretariat Road, Khairatabad, Hyderabad-500004. (A.P.)
26.	The Senior Manager, Bank of Baroda, P.B. No. 1547, Karbala Maidan, Mahatma Gandhi Road, Secunderabad-500003.
27.	The Manager, Bank of Baroda, Asilmetta Junction Branch, Raj Marg, Dwarkanagar, Visakhapatnam-530016. (A.P.)
28	The Manager, Bank of Baroda, Satya Sadan, P.P. Main Road, Bhimavaram-534202, Dist. West Godavari (A.P.)

1	2
29.	प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, कोटी रेड्डी वीधी, पी.बी. नं. 48, कड़पा 516001 (आं.प्र.)
30.	प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा एच नं. 22, बी 9-16, एन.जी.ओ.होम.वीधी, पवर पेट, पोस्ट बाक्स नं. 276 एलूरु, जिला पश्चिम गोदावरी (आं.प्र.')
31.	प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, पोस्ट बाक्स नं. 110, एच.नं. 654/1, श्री वेंकटेश्वर विज्ञान मंदिर परिसर, मेइन रोड राजास गार्डन, गुंटूर-522001 (आं.प्र.)
32.	प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, कडिपिकोंडा, शाखा, खाजीपेट मेइन रोड, कडिपिकोंडा 506003
33.	प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, मचिलीपट्नम शाखा, 25/230, जगन्नाथ पुरम रोड, मचिलीपट्नम (आं.प्र.)
34.	प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, नल्लूर शाखा, पहली मंजिल, जे०वी.आर मुनिसिपल भवन, ग्रांट ट्रक रोड, नेल्लूर-524001 (आं.प्र.)
35.	प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, राजमंडी शाखा, "पार्वती भवन", डोर नं. 29-15-21, फोर्ट गेट, राजमंड्री-533101 (आं.प्र.)
36.	प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, तिरुपति शाखा, पो. बाक्स नं. 49, 311 गान्धी रोड, तिरुपति -517501 (आं.प्र.

1	2
29.	The Manager- Bank of Baroda, Kotiraddy Street, P.B. No. 48, Cuddapah-516001 (A.P.)
30.	The Manager, Bank of Baroda, H. No. 22, B. No. 9—16. N.G.D's Home St., Power Pet, P.B. No. 276, Eluru-534002 Dist. West Godawri (A.P.)
31.	The Manager, Bank of Baroda Post Box No. 110, H. No. 654/1, Premises of Shri Venkateswar, Bignan Mandir, Main Road, Rajas Garden, Guntur-522001 (A.P.)
32.	The Manager, Bank of Baroda, Kadipikonda Branch, Kazipet, Main Road, Kadipikonda-506003 (A.P.)
33.	The Manager, Bank of Baroda, Machilipatnam Branch, 25/230, Jagannatha Puram Rd., Machilipatnam (A.P.)
34.	The Manager, Bank of Baroda, Nellore Branch, 1st Floor, J.V.R. Municipal Bailding, Grand Trunk Road, Nellore-524001 (A.P.)
35.	The Manager, Bank of Baroda, Rajamundry Branch "Parvati Bhavan", Door No. 29-15-21, Fortgate, Rajahmundry-533101 (A.P.)
36.	The Manager, Bank of Baroda, Tirupathi Branch, P.B. No. 49, 311, Gandhi Road, Tirupathi-517501 (A.P.)

1	2
37.	प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, विजयवाड़ा शाखा, 29-36-4, म्यूजियम रोड़, गवर्नर पेट, विजयवाड़ा-520002
38.	प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, विशाखापट्टनम, श्री निलयम, नं. 28-2-52 बी, मैन रोड, सूर्यबाग जंक्शन, विशाखापटनम-530020 (आं.प्र.)
39.	बैंक आफ बड़ौदा प्रबंधक बैंक आफ बड़ौदा, वरंगल शाखा, 12/864, विवेकानंद रोड, रेलवे गेट के पास, वरंगल-506002(आं.प्र.)
40.	प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, एलमंचिली शाखा, डोर नम्बर 16-67ए मैन रोड, एलमंचिली-531055 जिला विशाखापट्टनम (आं.प्र.)
41.	क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय ,(आं.प्र.) पहली मंजिल , खुसरु जंग हाउस, 6-1-84 सचिवालय मार्ग, सैफाबाद, हैदराबाद-500004 (आं.प्र.)
42,	प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, टी.सी. 13/196-1, कोट्टारातिल बिल्डिंग पालेयम तिरुवनन्तपुरम
43.	प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, वल्लयकडवु, इक्कल जंक्शन, एयरपोर्ट रोड, तिरुवनन्तपुरम ।

1	2
37.	The Manager, Bank of Baroda, Vijayawada Branch, 29-36-4, Museum Road, Governor Pet, Vijayawada-520002 (A P.)
38.	The Manager, Bank of Baroda, Visakhapatnam Branch, (Main), Srinilayam, No. 28-2-52-B, Main Road, Suryabagh Junction, Visakhapatnam-530020 (A.P.)
39.	The Manager, Bank of Baroda, Warangal Branch, 12/864, Vivekananda Road, Near Railway Gate, Warangal-506002 (A.P.)
40.	The Manager, Bank of Baroda, Elemanchili Branch, Door No. 16. 67-A, Main Road, Elemanchili-531055, Dist. Visakhapatnam (A.P.)
41.	The Regional Manager, Bank of Baroda, Regional Office, (A.P.), 1st Floor, Khusru Jung House, 6-1-84, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad-500004 (A.P.)
42.	The Manager, Bank of Baroda, TC. 13/196-1, Kottarathil Buildings, Palayam Trivandrum-695001.
43.	The Manager, Bank of Baroda, Vallakkadavu, Airport Road, Trivandrum-695008.

1	2
44.	प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, पत्र पेटी सं. 222, 4/128 शोट्कुलम रोड, मट्टाचेरी, कोचीन-682002
45.	वरिष्ठ प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, पत्र पेटी सं. 1772, पल्लिमुक्कु, एम. जी. रोड, एरनाकुलम, कोचीन-682016,
46.	प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, शारदा मेन्शन एनीहाल रोड, कालिकट-673002
47.	प्रबन्धक बैंक आफ बडौदा परमेश्वरन पिल्लै भवन अस्पताल रोड़, क्यूलोन-691001
48.	प्रबंधक बैंक आफ बडौदा एम एम. 6/162 मैन रोड, पोस्ट बाक्स न. 11 मावलीकरण 690101 (जिला एलेप्पो)
49.	प्रबन्धक बैंक आफ बडौदा पोस्ट बाक्स नं. 36 12/270 टी. के. रोड तिरुवल्ली—689101
50.	प्रबन्धक बैंक आफ बडोंदा पोस्ट बाक्स नं. 44 एम. ए. रोड़ कन्नानौर –6700001
51.	प्रबन्धक बैंक आफ बडौदा पोस्ट बाक्स नं. 619 प्लाट नं. 36, ब्रिस्टो रोड़, बिलिंगडन आइलैन्ड कोचीन —682003

1	2
44.	The Manager, Bank of Baroda, Post Box No. 222, 4/128, Kottukulam Road, Cochin-682002.
45.	The Senior Manager, Bank of Baroda, Post Box No. 1772, Pallimukku, M.G. Road, Ernakulam, Cochin-682016.
46.	The Manager, Bank of Baroda, Saradha Mansion, Annie Hall Road, Calicut-673002.
47.	The Manager, Bank of Baroda, Parameswaran Pillai Bhavan, Hospital Road, Quilion-691001.
48.	The Manager, Bank of Baroda, M M 6/162, Main Road, Post Box No. 11, Mavelikara-690101, (Alleppey Dist.)
49.	The Manager, Bank of Baroda, P.B. No. 36, 12/270, T.K. Road, Tiruualla-689101.
50.	The Manager, Bank of Baroda, P.B. No. 44, M.A. Road, Cannanore-670001.
51.	The Manager, Bank of Baroda, Post Box No. 619, Plot 36, Bristow Road, Willingdon Island, Cochin-682003.

1	2
52.	बैंक आंफ बड़ौदा, देवीपुरा कोठी रोड शाखा, जिला सीकर, सीकर, (राजस्थान)
53.	बैंक आफ बडौदा, अरूली बिहार शाखा, अलवर, जिला अलवर, (राजस्थान)
54.	बैंक आफ बडौदा, ब्रिज औद्योगिक क्षेत्र शाखा, भरतपुर, (राजस्थान)
55.	बैंक आंफ बडौदा, सुखेर औद्योगिक क्षेत्र शाखा, उदयपुर, (राजस्थान)
56.	बैंक आंफ बडौदा, मानसरोवर शाखा, सेक्टर–6 जयपुर, (राजस्थान)

1	2
52.	Bank of Baroda, Devipura Kothi Road Branch, Seekar, Dist. Seekar, (Rajasthan)
53.	Bank of Baroda, Arauli Vihar Branch, Alwar, Dist. Alwar, (Rajasthan)
54.	Bank of Baroda, Brij Industrial Area Branch, Bharatpur, (Rajasthan)
55.	Bank of Baroda, Sukher Industrial Area Branch, Udaipur, (Rajasthan)
56.	Bank of Baroda, Mansarovar Branch, Sector-6, Jaipur, (Rajasthan)

अधिसूचित किए जाने वाले कार्यालय का नाम

NAME OF THE OFFICE TO BE NOTIFIED

1.	स्टेट बैंक स्टाफ कॉलिज आई.डी.पी.एल. कॉम्पलेक्स, डुंडाहेड़ा, गुड़गांव (हरियाणा)
2.	भारतीय स्टेट बैंक, (पोर्टब्लेयर शाखा) (अण्डमान निकोबार)
3.	अमृतसर कैंट
4.	फगवाड़ा
5.	न्यू ग्रेन मार्किट, अमृतसर
6.	एयर कार्गो कम्पलेक्स, अमृतसर
	शाखा
7.	अबिद रोड, हैदराबाद
8.	किंग कोठी, हैदराबाद
9.	ईसामिया बाजार, हैदराबाद
10.	एचएएल कैम्पस, हैदराबाद
11.	मडफोर्ट, सिकन्दराबाद

1.	State Bank Staff College, I.D.P.L. Complex, Dundahera Gurgaon (Haryana)
2.	State Bank of India, (Port Blair Branch) (Andaman Nicobar)
3.	Amritsar Cantt,
4.	Fagwara.
5.	New Grain Market, Amritsar
6.	Air Cargo Complex, Amritsar
	Branches
7.	Abid Road, Hyd.,
8.	King Kothi, Hyd.
9.	Issamia Bazar, Hyd.
10.	HAL Campus, Hyd.
11.	Mudfort Sec'bad.

THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA LIMITED

1. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय, अर्नेस्ट हाउस, (7–8 मंजिल), बैकबे रिक्लेमेशन, नरीमन प्वांइट, पो.बा.सं. 9965, बम्बई–400 021	The Industrial Finance Corporation of India Ltd. Bombay Regional Office, Earnest House, (7th& 8th Floor), Backbay Reclamation, Nariman Point, P.B. No. 9965, Bombay—400 021.
2. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, एस सी ओ 76–79, लाली चैम्बर्स, सक्टर 17–डी, पोस्ट बाक्स संख्या 97, चंडीगढ़—160017	The Industrial Finance Corporation, of India Ltd. Chandigarh Regional Office, S.C.O. 76-79, Laly Chambers, Sector 17-D, P.B. No. 97, Chandigarh—160017.
3. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इंण्डिया लिमिटेड, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, कोर-5, स्कोप काम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	The Industrial Finance Corporation of India Ltd. Delhi Regional Office, Core-U, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi—110 003.
4. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, तारामंडल काम्प्लेक्स (8वीं मंजिल), 5–9–13, सचिवालय मार्ग, सैफाबाद, हैदराबाद–500 004	The Industrial Finance Corporation. of India Ltd. Hyderabad Regional Office, Taramandal Complex (8th Floor), 5-9-13, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad—500 004.
5. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय, रीजेन्सी, प्लाजा, 5–पार्क रोड, लखनऊ—226 001	The Industrial Finance Corporation, of India Ltd. Lucknow Regional Office, Regency Plaza, 5 Park Road, Lucknow—226 001.
6. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, अहमदाबाद शाखा कार्यालय, आईनि भवन, चिमनलाल, गिरधरलाल रोड, पो.बा. सं. 4049, अहमदाबाद—380 009	The Industrial Finance Corporation, of India Ltd. Ahmedabad Branch Office, IFC Bhawan, Chimanlal, Girdharlal Road, P. B. No. 4049, Ahmedabad—380 009.
7. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, बगलौर शाखा कार्यालय, आईनि भवन, 2 कब्बनपेट मेन रोड, नरसिंहराजा स्क्वेयर, पो.बा.सं. 6914 बंगलौर—560 002	The Industrial Finance Corporatio of India Ltd. Bangalore Branch Office, IFC Bawan, 2 Cubbonpet Main Road, Narisimharaja Square, P.B. No. 6914, Bangalore—560 002.

1	2
8. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, भोपाल शाखा कार्यालय, दैनिक भास्कर बिल्डिंग, (पहली मंजिल), 6. प्रेस काम्प्लेक्स, महाराणा प्रताप नगर, पोस्ट बाक्स संख्या 22, भोपाल—462 011	The Industrial Finance Corporation, of India Ltd. Bhopal Branch Office, Dainik Bhaskar Building, (1st Floor), 6, Press Complex, Maharana Pratap Nagar, P. B. No. 22, Bhopal—462011.
9. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, भुवनेश्वर शाखा कार्यालय, इडको टावर्स, दूसरी मंजिल, जनपथ, शहीद नगर, भुवनेश्वर–751007	The Industrial Finance Corporation, of India Ltd. Bhubaneswar Branch Office, IDCO Towers, 2nd Floor, Janpath, Sahidnagar, Bhubaneswar—751007.
10. इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जयपुर शाखा कार्यालय, आनन्द भवन (दूसरी मंजिल) संसार चन्द्र मार्ग, पो.बा.सं. 322, जयपुर–302 001	The Industrial Finance Corporation, of India Ltd. Jaipur Branch Office, Anand Bhawan (2nd Floor), Sansar Chandra Road, P. B. No. 322, Jaipur—302 001.
11. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कोच्चि शाखा कार्यालय, भाग्यविनि भवन, पानमपिल्ली नगर, पो.बा.सं. 1763, कोच्चि–682015	The Industrial Finance Corporation, of India Ltd. Kochi Branch Office, IFCI Bhawan, Panampilly Nagar, P.B. No. 1763, Kochi—682015.
12. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, पणजी शाखा कार्यालय, ईडीसी हाऊस (7वीं मंजिल), डा. आत्माराम बोरकर रोड, पणजी–403001	The Industrial Finance Corporation, of India Ltd. Panaji Branch Office, EDC House (7th Floor), Dr. Atmaram Borkar Road, Panaji—403 001.
13. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, पटना शाखा कार्यालय, मौर्य लोक व्यापारिक परिसर, खण्ड सी (तीसरी मंजिल), डाक बंगला रोड, पोस्ट बाक्स संख्या 193, पटना—800 001	The Industrial Finance Corporation, of India Ltd. Patna Branch Office, Maurya Lok Commercial Complex, Block 'C', (3rd Floor), Dak Bungalow Road, P.B. No. 193, Patna—800 001.
14. दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पुणे शाखा कार्यालय, सदाशिव विलास, 1183–ए, फरग्युसन कॉलेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे–411 005	The Industrial Finance Corporation, of India Ltd. Pune Branch Office, Sadashiv Vilas, 1183-A, Fergusson College Road, Shivaji Nagar, Pune—411 005.

अनुबंध

1. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
प्रधान कार्यालय,
"विकास दीप",
छठी व सातवीं मंजिल,
22, स्टेशन रोड,
लखनऊ—226 019

2. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
16/97 शिवाय टावर,
महात्मा गांधी मार्ग,
कानपुर—208 001

3. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
आनंद भवन, पहली मंजिल,
संसार चन्द रोड, पो.बो.नं. 46,
जयपुर—302 001

4. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
शिखर वार्ता भवन, प्रैस काम्प्लेक्स,
तीसरी मंजिल, महाराणा प्रताप नगर,
क्षेत्र-1, पो.बो. नं. 02,
भोपाल—462 011

5. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
13 सी/सी गांधी नगर,
पो.बो. नं. 28,
जम्मू—180 004

6. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
इफिकॉल हाउस (उप भवन),
चौथा तल, जनपथ,
भुवनेश्वर-751 007

ANNEXURE

Small Industries Development Bank of India,
Head Office,
'VIKAS DEEP'
6th & 7th Floor,
22, Station Road,
Lucknow—226 019.

Small Industries Development Bank of India,
16/97 Shivoy Tower,
Mahatma Gandhi Road,
Kanpur—208 001.

Small Industries Development Bank of India,
Anand Bhawan, 2nd Floor,
Sansar Chand Road, P. B. No. 46,
Jaipur—302 001.

Small Industries Development Bank of India,
Shikhar Varta Building,
3rd Floor, Press Complex,
Maharana Pratap Nagar, Zone I,
P. B. No. 02,
Bhopal—462 011.

Small Industries Development Bank of India,
13 C/C Gandhi Nagar,
P. B. No. 28,
Jammu—180 004.

SIDBI
IFICOL House, annexe
4th Floor Janpath,
Bhubaneswar-751007.

भारतीय निर्यात आयात बैंक
(एक्जिम बैंक)

1. भारतीय निर्यात आयात बैंक,
मुख्यालय
केन्द्र एक, 21 वीं मंजिल,
विश्व व्यापार केन्द्र,
कफ परेड,
बम्बई—400005

2. प्रतिनिधि कार्यालय,
भारतीय निर्यात आयात बैंक,
टावर 1, आठवीं मंजिल,
जीव भारतीय बिल्डिंग,
124, कनाट सर्कस,
नई दिल्ली 110 001

3. पश्चिम क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालय,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
मेकर चैम्बर्स, IV—, 8वीं मंजिल,
222, नरीमन प्वाइंट,
बम्बई 400 021

EXPORT—IMPORT BANK OF INDIA
(EXIM BANK)

Export-Import Bank of India
Head Quarters
Centre No. One, Floor 21,
World Trade Centre
Cuffe Parade,
Bombay—400005.

Representative Office
Export-Import Bank of India
Tower 1, 8th Floor
Jeevan Bharati Building
124, Cannaught Circus
New Delhi 110 001.

Western Region Regional Office
Export-Import Bank of India
Maker Chambers IV, 8th Floor
222, Nariman Point,
Bombay—400021.

वाणिज्य मंत्रालय

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1993

का. आ. 2465.—मै. लारसेन और टूबरो लिमिटेड, एल एण्ड टी हाउस, बैलर्ड एस्टेट, बम्बई 38 को 23,32,66,113 रु. के निर्यात वायदे के साथ 4,98,10,376 रुपए (डी. एम 2528446) के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए विशेष अग्रदाय लाइसेंस सं. पी/एल/1525652 दिनांक 20-8-93 और डी ई ई सी बुक सं. 080059 (भाग 1 और 2) जारी होने की तिथि से 12 महीने की वैधता अवधि के लिए प्रदान किए गए थे। अब फर्म ने उक्त विशेष अग्रदाय लाइसेंस और डी ई ई सी बुक की अनुलिपि इस आधार पर प्रदान करने के लिए आवेदन किया है। कि मूल लाइसेंस और डी ई ई सी बुक की दोनों प्रतियां खो गई हैं। फर्म ने अपेक्षित शपथ पथ प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार पूर्वोक्त विशेष अग्रदाय लाइसेंस और डी ई ई सी बुक किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी से बिना पंजीकृत हुए तथा बिल्कुल भी उपयोग में आए बिना ही खो गए हैं। शपथ पत्र में इस आशय की एक घोषणा भी समाविष्ट की गई है कि उक्त विशेष अग्रदाय लाइसेंस और डी ई ई सी बुक (भाग 1 व 2) का बाद में पता लगने पर या उनके मिलने पर उन्हें निर्गम प्राधिकारी को तुरंत लौटा दिया जाएगा।

इस पर संतुष्ट होते हुए कि उक्त मूल विशेष अग्रदाय लाइसेंस और डी ई ई सी बुक (भाग 1 व 2) खो गई हैं, अधोहस्ताक्षरी का यह निर्देश है कि विशेष अग्रदाय लाइसेंस और डी ई ई सी बुक (भाग 1 व 2) की अनुलिपि आवेदक को जारी की जाए। विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9 की उपधारा (4) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपर्युक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट मूल विशेष अग्रदाय लाइसेंस और डी ई ई सी बुक (भाग 1 व 2) को भी एतद्द्वारा निरस्त करता हूं।

[फाईल सं. 01/82/42/110/एएम.94/डी ई एस II/1945]

आर. के. सूद, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार
कृते महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Directorate General of Foreign Trade)

New Delhi, the 5th November, 1993

S.O. 2465.—M/s. Larsen and Toubro Ltd. L&T House, Ballard Estate Bombay-38, were granted Special Imprest Licence No. P/L/1525652 dated 20-8-93 and DEEC Books No. 080059 (Part I&II) for a cif value Rs. 4,98,10,376 (DM 2528446) with an export obligation of Rs. 23,32,66,113 with a validity of 12 months from the date of issue. Now the firm have applied for grant of Duplicate of the said Spl. Imp. Licence and DEEC Book on the ground that the original Licence and both copies of DEEC Books have been lost. The firm have furnished necessary affidavit according to which the aforesaid Spl. Imp. Lic. and DEEC Book have been lost without having been registered with any Customs Authority and utilised, at all. A declaration has also been incorporated in the Affidavit to the effect that if the said Spl. Imp. Licence and DEEC Books (Part I&II) are traced or found lateron, these will be returned forthwith to the issuing authority.

On being satisfied that the said original Spl. Imp. Lic. and DEEC Books (Part I&II) have been lost, the undersigned directs that a duplicate Special Imprest Licence and DEEC Books (Part I&II) be issued to the applicant. I also, in exercise of the powers conferred in sub-clause (4) of Clause 9 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 hereby cancel the original Special Imprest Licence and DEEC Books (Part I&II), referred to in para 1 above.

[F. No. 01(82|42|110|AM. 94|DES.II|1945]

R. K. SOOD, Dy. Director General of Foreign Trade
For Director General of Foreign Trade

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2466.—केन्द्रीय सरकार को, विहित प्राधिकारी (अर्थात् निदेशक) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और वाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लंबी अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "फ्लैट आयल मीटर" ब्रांड नाम वाले 50 मिलीमीटर आकार के (जल से भिन्न) द्रव मीटर के प्रतिमान का, जो मैसर्स एस. एस इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज, एच 35, साउथ एक्सटेंशन, भाग 1, नई दिल्ली-110049 द्वारा विनिर्मित किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/01/93/11 समनुदिष्ट किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पुनः प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी विनिर्माता द्वारा अब उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार वैसी ही सामग्री से विनिर्माण के लिए प्रस्तावित 40 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर आकार के मीटर भी होंगे।

प्रतिमान (आकृति 1 देखिए) 12000 लिटर प्रति घंटा की अधिकतम

(आकृति 1)

प्रवाह दर और 410 लिटर प्रति घण्टा की न्यूनतम प्रवाह दर वाला एक मापन उपकरण है और इसका प्रयोग एक सेंटीस्टोक से 500 सेंटी स्टोक तक श्यानता के साथ द्रवों के लिए किया जा सकता है। यह एकल नुकीले प्रकार का है और लघुतम पठनीय मात्रा एक लिटर है। सर्वयोगिन्न 999990 किलोलीटर तक रीडिंग रजिस्टर कर सकता है।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम० 21(50)/92']

सती नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2466.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the Meter for liquids (Other than Water) of size 50 millimetre and with brand name Kent Oil Meter' (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. S.S. Engineering Industries, H-35, South Ext., Part-I, New Delhi-110049 and which is assigned the approval mark IND/01/93/11.

Further in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of Model shall also cover meters of size 40 millimetre and 80 millimeter propose to be manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principles and with the same materials ;

The Model (see Figure 1) is a measuring instrument with the maximum flow rate of 12,000 litre per hour and minimum

flow rate 410 litre per hour and can be used for liquids with the viscosity ranging from 1 centistoke to 500 centistoke. It is of single pointer type and the smallest readable quantity is one litre. The totaliser can register reading up to 999990 kilolitre.

[F. No. WM-21 (50)/92]
SATHINAIR, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2467.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी (अर्थात् निदेशक) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लंबी अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टाइप सं. ए-डी 200 बी और अदर दन ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक, गैर स्वचालित, तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है), जो मैसर्स अदर दन इस्ट्रूमेंटस प्राइवेट लिमिटेड, 29 एन. ए. ब्लाक "बी", न्यू अलीपुर, कलकत्ता 700053 द्वारा विनिर्मित है, जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन. डी./09/93/05 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत 500 ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले टाइप संख्यांक ए. डी. 500 बी के ऐसे तोलन उपकर भी आएंगे जिनका उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्माण करने की प्रस्थापना है ।

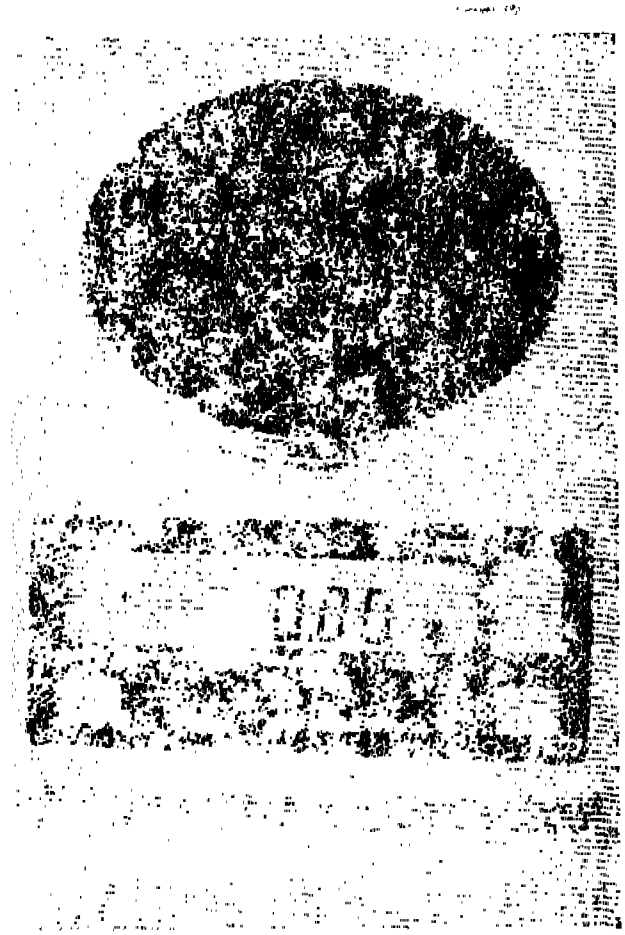

(आकृति 1)

प्रतिमान (आकृति 1 देखिए) एक उच्च शुद्धता (शुद्धता वर्ग 2) वाला तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 200 ग्राम और न्यूनतम क्षमता 200 मिलीग्राम है । सत्यापन अंतर (ई.) 10 मिलीग्राम है । इसमें एक ऐसी टेयर युक्ति है, जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव शत-प्रतिशत है । इसका आधार और भारग्राही क्रमशः मृदु स्टील और स्टैनलेस स्टील के बने हुए हैं । भार ग्राही की बनावट वृत्तकार है और वह आकार में 135 मिलीमीटर व्यास का है । 12.5 मिलीमीटर संप्रत्यीक आकार का निर्वात प्रतिबीप्तिशील प्रदर्श, तोल परिणाम उपदर्शित करता है । यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम 21 (1) 92]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2467.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, (that is the Director) is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the Self-indicating, non-automatic weighing instrument of type No. AD-200B and with brand name 'ADAIR DUTT" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Adair Dutt instruments Private Limited, 29, NA-Block 'B', New Alipore, Calcutta-700053 which is assigned the approval mark-IND/09/93/05 ;

Further in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of Model shall also cover the weighing instrument of type number AD-500B with a maximum capacity of 500 gram propose to be manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials ;

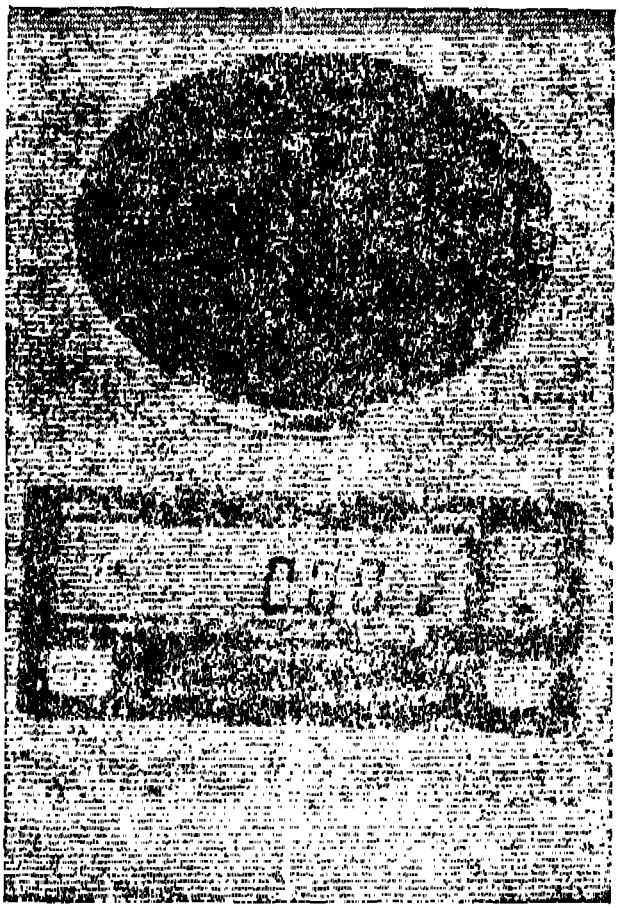

(Figure 1

The Model (see Figure 1) is a high accuracy (accuracy class II) weighing instrument with a maximum capacity of 200 gram and a minimum capacity of 200 milligram. The verification interval (e) is 10 milligram. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The base and load receptor are made up of miled steel and stainless steel respectively. The load receptor is circular in shape and of size 135 millimetre in diameter. The vacuum flourescent display of character sibe 12.5 millimetre indicate the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(1)/92]
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2468.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी (अर्थात् निदेशक) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अवरित उपयोग की लंबी अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टाइप सं. 1770 और "एवरी" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक, गैर-स्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है), जो मैसर्स एवरी इंडिया लिमिटेड, प्लाट सं. 50--54, सेक्टर 25, बल्लभगढ़ (हरियाणा)-121004 द्वारा विनिर्मित किये अनुमोदन चिह्न आई. एन. डी./01/93/14 समनुदेशित किया गया है । अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार,, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी टाइप संख्यांक और 15 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाला ऐसा तोलन उपकरण भी आएगा, जिसका उसी विनिर्माता द्वारा इसी सिद्धांत के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्माण करने की प्रस्थापना है ;

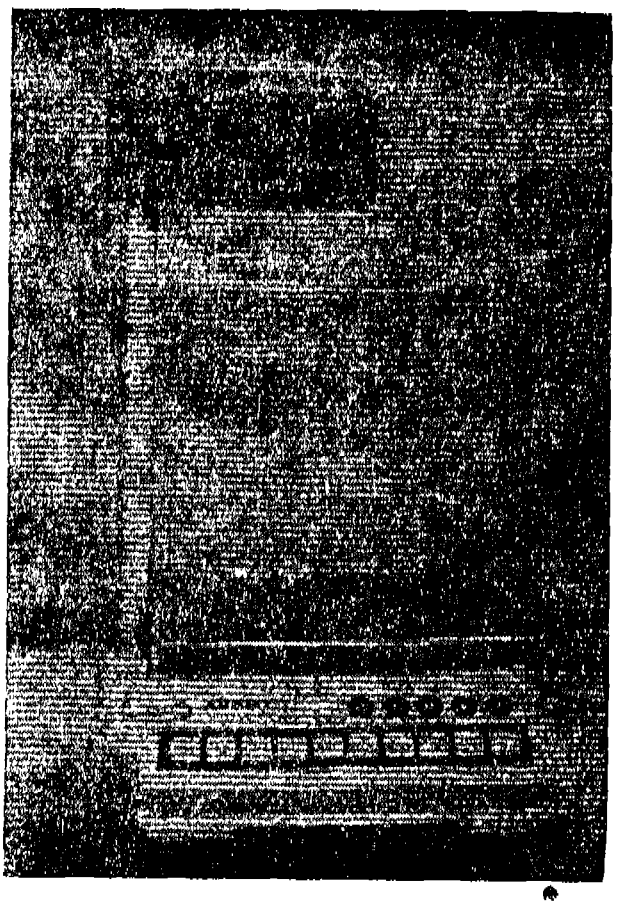

(आकृति 1)

प्रतिमान (आकृति 1 देखिए) एक मध्यम शुद्धता (शुद्धता वर्ग 3) वाला तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 6 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 40 ग्राम है। सत्यापन मापमान अंतर (ड.) दो ग्राम है । इसमें एक ऐसी टेयर युक्ति है, जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव पचास प्रतिशत है। इसका आधार और भारग्राही मृदु इस्पात की प्लेट से बने हुए हैं । भार ग्राही की विमा 280×250 मिलीमीटर है । 12 मिलीमीटर संप्रतीक आकार का सात खंडीय निर्वात प्रतिदीप्तिशील प्रदर्श,

तोल परिणाम उपदर्शित करता है । यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(20)/90]
राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2468.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, (that is the Director) is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the Self-indicating, non-automatic weighing instrument of type No. 1770 and with brand name 'AVERY' (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Avery India Limited, Plot No. 50—54, Sector 25, Ballabgarh (Haryana)-21004 which is assigned the approval mark-IND/01/93/14 ;

Further in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of Model shall also cover the weighing instrument of same type number with a maximum capacity of 15 kilogram propose to be manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials ;

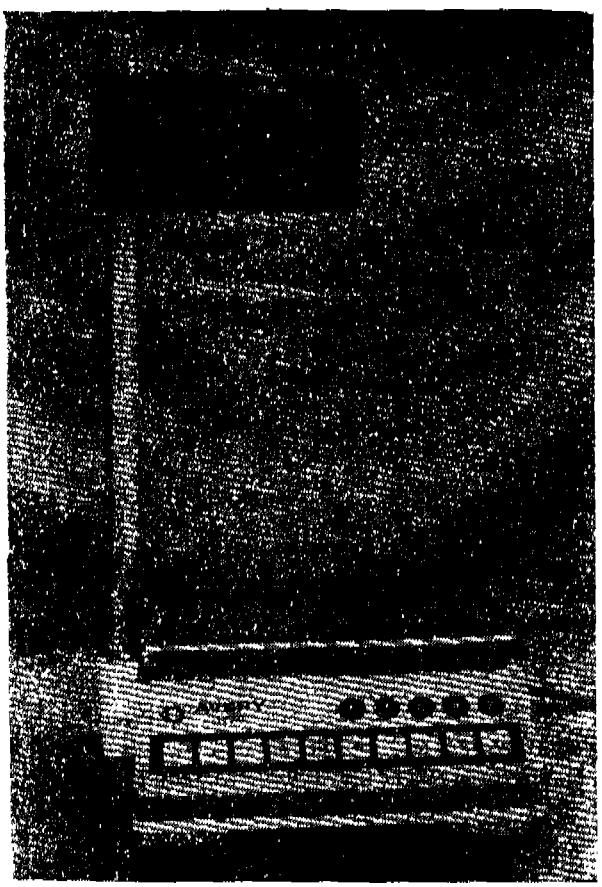

(Figure 1)

The Model (see figure 1) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 6 kilogram and minimum capacity of 40 gram. The verification scale interval (e) is 2 gram. It has a tare device with a 50 per cent subtractive retaincd tare effect. The base and the load receptor are made of mild steel plate. The load receptor has the dimension of 280 × 250 millimetre. The seven segment vacuum fluorsccent display of character size 12 millimetre indicate the weighing results. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz, alternate current power supply.

[F. No. WM-21(20)/90]
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर 1993

का. आ. 2469.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी (अर्थात् निदेशक) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लंबी अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टाइप सं. एम. एक्स. 7205 ए आर "अनमाव" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक, गैर-स्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) जो मैसर्स अनमाव इंडस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड 501, जन्मभूमि चैम्बर्स, डब्ल्यू एच मार्ग मुम्बई-400038 द्वारा विनिर्मित है जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन. डी./01/93/12 समनुदेशित किया गया है अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत टाइप सं. एम. एक्स. 7301 डी. ए. एम. एक्स. 7210 ए एम. एक्स. 7303 डी. ए. और एम. एक्स. 7240 डी. ए. के क्रमशः 100 ग्राम, 500 ग्राम, एक किलोग्राम, चार किलोग्राम, 300 ग्राम, और चार किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले ऐसे तोलन उपकरण भी आएंगे जिनका उसी विनिर्माता द्वारा उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्माण करने की प्रस्थापना है ।

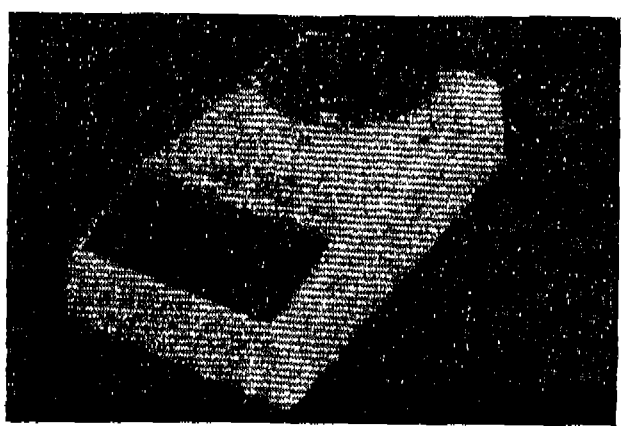

(आकृति 1)

प्रतिमान (आकृति 1 देखिए) एक उच्च शुद्धता (शुद्धता वर्ग 2) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 500 ग्राम और न्यूनतम क्षमता 200 मिलीग्राम है । सत्यापन मापमान अंतर (ड.) 10 मिलीग्राम है । इसमें एक ऐसी टेयर युक्ति है, जिसका व्यकलनात्मक

प्रतिधारण टेयर प्रभाव शत-प्रतिशत है। आधार और प्लेटफार्म स्टील के बने हुए हैं। वृत्ताकार प्लेटफार्म का व्यास 100 मिलीमीटर है। 7.5 मिलीमीटर संप्रतीक आकार का प्रकाश उत्सर्जन डायोड प्रदर्श, तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम. 21(14)/91]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2469.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, (that is the Director) is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the Self-indicating, non-automatic weighing instrument of type No. MX 7205 A with a brand name "ANAMED" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Anamed Instruments Pvt. Ltd. 501, Janmabhoomi Chambers, W.H. Marg Bombay-400038 which is assigned the approval mark IND/01/93/12 ;

Further in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of Model shall also cover the weighing instrument of type No. MX 7301 DA, MX-7210A, MX 7303 DA and MX 7240 DA with a maximum capacity of 100 gram, 500 gram, 1 kilogram, 4 kilogram, 300 gram and 4 kilogram respectively propose to be manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principles and with the same materials ;

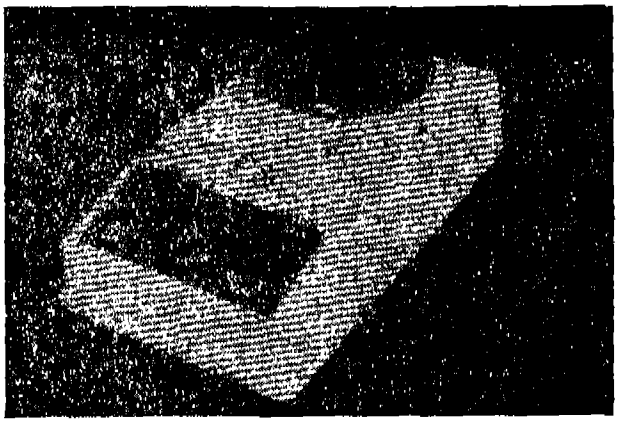

(Figure 1)

The Model (see (Figure 1) is a high accuracy (accuracy class II) weighing instrument with a maximum capacity of 500 gram and a minimum capacity of 200 milligram. The verification scale interval (e) is 10 milligram. It has a fare device with a 100 percent substractive retained tare effect. The base and the platform are made up of steel. The circular platform has a diametre of 100 milligram. The Light Emitting Diode display of character size 7.5 milimeter indicates the weighing results. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(14)/91]
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2470.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी (अर्थात् निदेशक) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में अर्जित प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम) 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरुप है और यह सभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लंबी अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टाईप सं एम 300 और अनमाद ब्रांड नाम वाले स्वतः [illegible] तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात [illegible] गया है), जो मैसर्स अनमाद इस्टूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड 501, जन्म भूमि चैम्बर्स, डब्ल्यू एच मार्ग बम्बई-400038 द्वारा विनिर्मित है जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी. /01 /93 /13 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत टाईप सं एम 3000, एम 300 डी आर और एम 3000 डी आर के क्रमशः 2 3 किलोग्राम, 300 ग्राम और 3 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले ऐसे तोलन उपकरण भी आएंगे, जिनका उक्त विनिर्माता द्वारा उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्माण करने की प्रस्थापना है,

(आकृति 1)

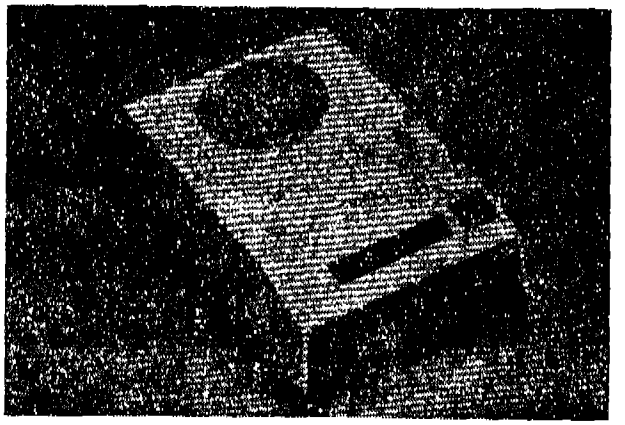

प्रतिमान (आकृति 1 देखिए) एक उच्च शुद्धता (शुद्धता वर्ग 2) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 300 ग्राम और न्यूनतम क्षमता 0.2 ग्राम है। सत्यापन मापमान अंतर (ड) 10 मिलीग्राम है। इसमें एक ऐसी टैयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टैयर प्रभाव शतप्रतिशत है। आधार और प्लेटफार्म स्टील के बने हुए हैं। प्लेटफार्म 75 मिलीमीटर व्यास के आकार वाला है। 7.5 मिलीमीटर संप्रतीक आकार का प्रकाश उत्सर्जन डायोड प्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम 21 (14) /91]
राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2470.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority (that is the Director) is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the Self-indicating, non-automatic weighing instrument of type No. M-300 with a brand name 'ANAMED' (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Anamed Instruments Pvt. Ltd. 501, Janmabhoomi Chambers, W.M. Marg Bombay-400038 which is assigned the approval mark IND/01/93/13 ;

Further in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of Model shall also cover the weighing instrument of type No. M 3000, M-300 DR and M-3000 DR and with a maximum capacity of 2.5 kilogram, 300 gram, and 3 kilogram respectively propose to be manufactured by the said manufacturer in accordance with the same principles and with the same materials ;

The Model (see Figure 1) is a high accuracy (accuracy class II) weighing instrument with a maximum capacity of 300 gram and a minimum capacity of 0.2 gram. The verification scale interval (e) is 10 milligram. It has a tare device with a 100 percent substractive retained tare effect. The base and the platform are made up of steel. The platform is of size 75 millimetre diameter. The Light Emitting Diode display

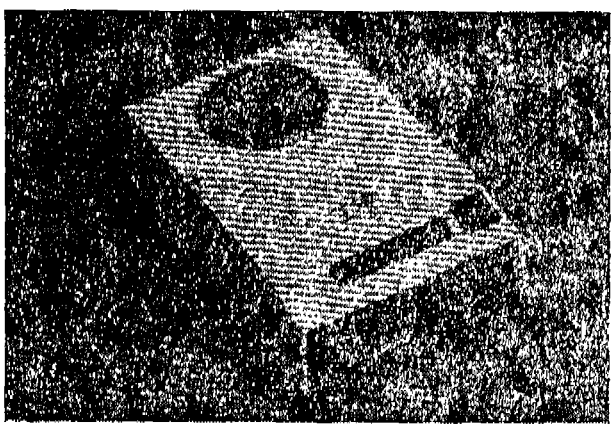

(Figure 1)

of character size 7.5 millimeter indicate the weighing results. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(14)/91]
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2471.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी (अर्थात निदेशक) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने पश्चात यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लंबी अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टाईप सं. डब्ल्यू-2 के और "किलबर्न" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक गैर-स्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रतिमान कहा गया है), जो मैसर्स किलबर्न रिप्रोग्राफिक्स लि०, भासा, डायमंड हारबर रोड, पी० ओ० विष्णुपुर, जि० 24 परगना, पश्चिम बंगाल-743 503 के द्वारा विनिर्मित है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09 समनुदिष्ट किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अन्तर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार और वैसी ही सामग्री को विनिर्माण के लिए प्रस्तावित दो किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाली टाईप सं. एस. टी-2 का तोलन उपकरण भी है।

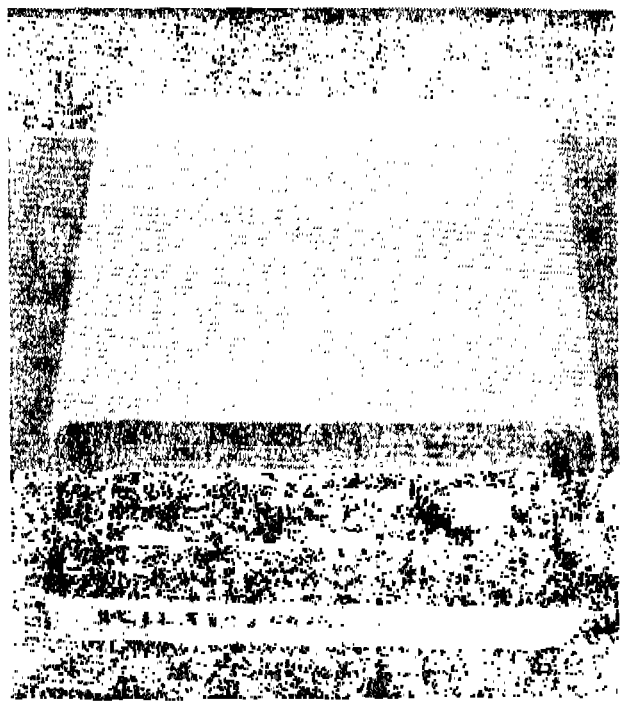

(आकृति 1)

प्रतिमान (आकृति 1 देखिए)

एक मध्यम शुद्धता (शुद्धता वर्ग III) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 2 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 20 ग्राम है। सत्यापन अंतर (ड) 1 ग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्याकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव शतप्रतिशत है। आधार और भार ग्राही फाईबर ग्लास का बना हुआ है। भार ग्राही का व्यास 151 मिलीमीटर × 162 मिलीमीटर है। 12.5 मिलीमीटर संप्रतीक आकार का सात घटाय प्रकाश उत्सर्जक डायोड तोलन परिणाम उपदर्शित करती है । यह उपकरण 230 वोल्ट्स, 50 हर्टज का प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम० 21 (27) /92]
राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2471.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority (that is the Director) is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the Self-indicating, non-automatic weighing

instrument of type No. LW-2 and with brand name 'KILBURN' (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Kilburn Reprographics Ltd., Bhasa, Diamond harbour Road, P.O. Bishnupur Dist. 24 Parganas (S), West Bengal-743503 which is assigned the approval mark-IND/09/93/01 ;

Further in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of Model shall also cover the weighing instrument of type number ST-2 with a maximum capacity of 2 kilogram propose to be manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials ;

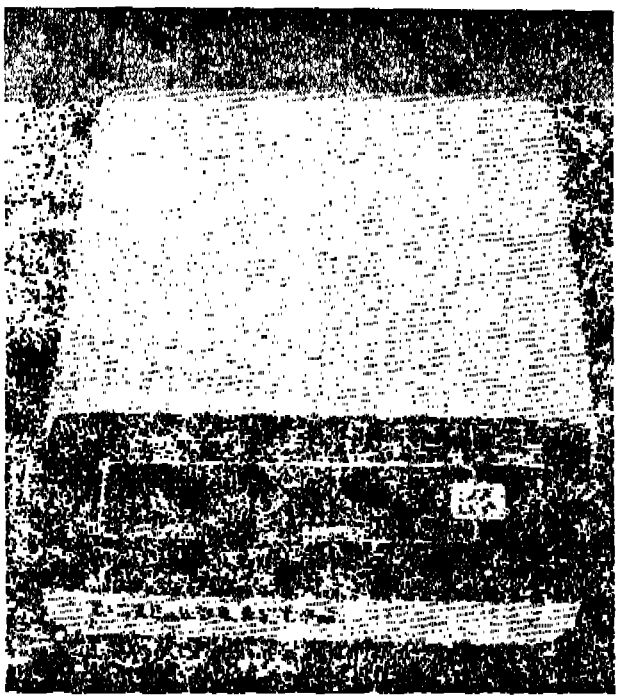

(Figure 1)

The Model (see Figure 1) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maxiumum capacity of 2 kilogram and a minimum capacity of 20 gram. The verification interval (e) is 1 gram. It has a tare device with a 100 per cent substractive retained tare effect. The base and the load receptor are made up of fibre glass. The load receptor has the dimension of 151 millimeter × 162 millimeter. The seven segment Light Emitting Diode display of character size 12.5 millimeter indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz, alternate current power supply.

[F. No. WM-21(27)/92]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली 29 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2472,—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी (अर्थात निदेशक) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान बाट और मानक अधिनियम 1976 (1976 का 60) और बाट और मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लंबी अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता के टाईप सं. डी सी-80 और "ईससाई ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक गैर स्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रतिमान कहा गया है), जो मैसर्स ससाई टेराओका प्राईवेट लिमिटेड, 27, नौवा क्रास, विल्सन गार्डन, बंगलौर-560027 द्वारा विनिर्मित है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी 09/93/08 समनुदिष्ट किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ।

केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पुनः प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि प्रतिमान के के इस प्रमाण पत्र के अन्तर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उन्ही सिद्धांतों के अनुसार और वैसी ही सामग्री से विनिर्माण के लिए प्रस्तावित 600 ग्राम, 3 किलोग्राम 6, किलोग्राम 15 किलोग्राम और 60 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले उसी टाईप संख्या तोलन उपकरण भी होंगे ।

प्रतिमान (आकृति 1 देखिए) एक उच्च शुद्धता (शुद्धता वर्ग II) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 16 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 40 किलोग्राम है। सत्यापन माप अंकेतर (इ.) है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यावकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव शतप्रतिशत है। आधार और प्लेटफार्म भार क्रमशः प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। प्लेटफार्म 256 मिलीमीटर X 205 मिलीमीटर आकार का है। 12.5 मिलीमीटर संप्रतीक आकार का

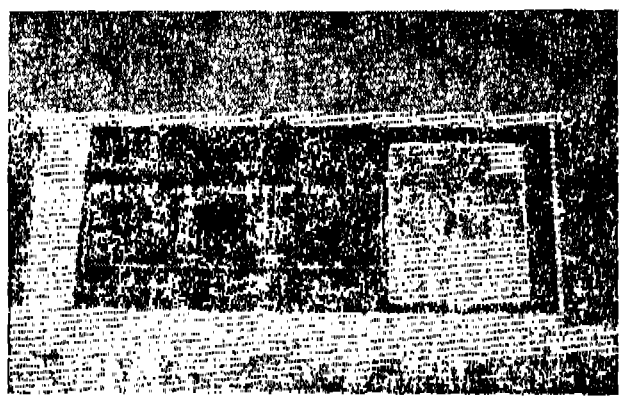

निर्यात प्रतीप्तिशील प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्टस 50 हर्टज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम -21 (4) 90]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2472.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority (that is the Director) is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the Self-indicating, non-automatic weighing instrument of type No. DC-80 with a maxumum capacity of 15 kilogram with a brand name "ESSAE DIGI" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Essae Teraoka Private Limited, 27, 9th Cross, Wilson Garden, Bangalore-560027 which is assigned the approval mark IND/09/93/08 ;

Further in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of Model shall also cover the weighing instrument of same type number and with maximum capacity of 600 gram, 3 kilogram, 6 kilogram and 15 kilogram and 60 kilogram propose to be manufactured by

the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials ;

The Model (see Figure 1) is a high accuracy (accuracy class II) weighing instrument with a maximum capacity of 15 kilogram and a minimum capacity of 40 gram. The verification scale interval (e) is 2 gram. It has a tare device with a 100 per cent substractive retained tare effect. The base and the platform are made up of plastic and stainless steel respectively. The platform is of size 256 millimeter × 205 millimeter. The vacuum fluorescent display of character size

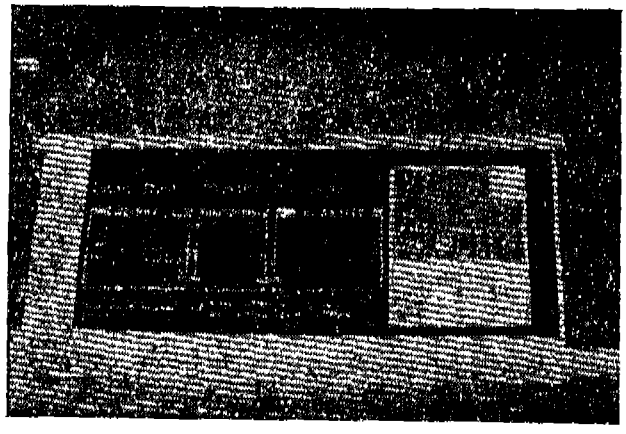

(Figure 1)

12.5 millimeter indicates the weighing results. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(4)/90]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2473.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी (अर्थात् निदेशक) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबन्धों के अनुरूप हैं और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लंबी अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा :

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकतम 15 किलोग्राम क्षमता वाले टाइप सं. डी एस-420 के और "इसमाई डिग्री" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक गैर-स्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है), जो मैसर्स इसमाई टेराओका प्राइवेट लिमिटेड, 27, 9वां क्रास, विलसन गार्डन, बंगलौर-560 027 द्वारा विनिर्मित है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एण्ड डी 09/93/09 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;

केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पुनः प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अन्तर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत के अनुसार और वैसी ही सामग्री से विनिर्माण के लिए प्रस्तावित उसी टाइप संख्या वाले तोलन उपकरण भी हैं। प्रतिमान (आकृति 1 देखिए) एक मध्यम शुद्धता (शुद्धता वर्ग III) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 15 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 40 ग्राम है। सत्यापन माप अंतर (ई.) 0 से 6 किलोग्राम के रेंज में 2 ग्राम और 6 से 15 किलोग्राम के रेंज में 5 ग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यावकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव है। इसका आधार तथा प्लेटफार्म भार क्रमश प्लास्टिक और स्टेनलैस स्टील का बना हुआ है। प्लेटफार्म 256 मिलीमीटर X205 मिलीमीटर आकार का है। 12.5 मिलीमीटर संप्रतीक आकार का

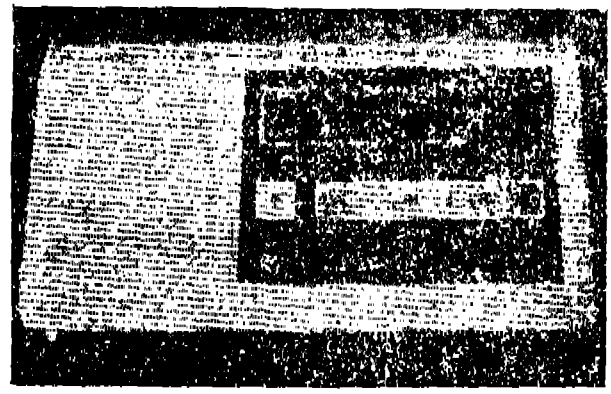

(आकृति 1)

निर्वात प्रदीप्तिशील प्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट्स, 50 हर्टज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम 21(4)/90)]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2473.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority (that is the Director) is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the Self-indicating, non-automatic weighing instrument of type No. DS-420 with a maximum capacity of 15 kilogram and with brand name 'ESSAE DIGI" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Essae Teraoka Private Limited, 27, 9th Cross, Wilson Garden, Bangalore-560027 which is assigned the approval mark IND/09/93/09 ;

Further in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of Model shall also cover the weighing instrument of same type number and with maximum capacity of 300 gram, 600 gram, 3 kilogram and 6 kilogram propose to be manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials ;

The Model (see Figure 1) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 15 kilogram and a minimum capacity of 40 gram. The verification scale interval (e) is 2 gram in the range 0 to 6 kilogram and 5 gram in the range 6 to 15 kilogram. It has a tare device with a substractive retained tare effect. The base and the platform load are made up of plastic and stainless

steel respectively. The platform is of size 256 millimeter × 205 millimeter. The vacuum flourescent display of character

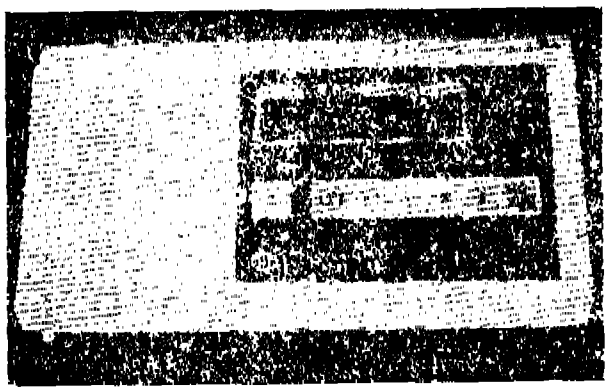

(Figure 1)

size 12.5 millimeter indicates the weighing results. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(4)/90]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

स्टेनलैस स्टील का बना हुआ है। प्लेटफार्म 450 मिलीमीटर × 550 मिलीमीटर आकार का है। 12.5 मिलीमीटर संप्रतीक आकार का निर्वात

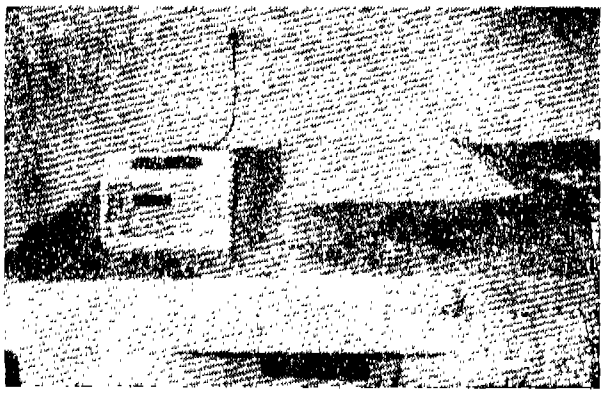

(आकृति 1)

प्रदीप्तिशील प्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट्स, 50 हर्ट्स की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(4)/90]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2474.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी (अर्थात् निदेशक) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लंबी अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टाइप सं. डी एस-410 के अधिकतम 60 किलोग्राम क्षमता वाले और "इससाई डिगी" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक गैर-स्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है), जो मैसर्स टेरोओका, प्राइवेट लिमिटेड, 27, 9वां क्रास, विलसन गार्डन, बंगलौर-560 027 द्वारा विनिर्मित है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/93/10 समनुदिष्ट किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;

केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अन्तर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार और वैसी ही सामग्री से विनिर्माण के लिए प्रस्तावित उसी टाइप सं. वाले और 60 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 600 किलोग्राम और 3000 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले तोलन उपकरण भी है;

प्रतिमान (आकृति 1 देखिए) एक मध्यम शुद्धता (शुद्धता वर्ग III) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 60 किलोग्राम है और न्यूनतम क्षमता 600 ग्राम है। सत्यापन माप और (इ) 20 ग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यावकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव शतप्रतिशत है। इसका आधार तथा प्लेटफार्म अल्यूमिनियम और

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2474.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, (that is the Director) is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the Self-indicating, non-automatic weighing instrument of type No. DS-410 with a maximum capacity of 60 kilogram with a brand name "ESSAE DIGI" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Essae Teraoka Private Limited, 27, 9th Cross, Wilson Garden, Bangalore-560027 which is assigned the approval mark IND/09/93/10 ;

Further in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of Model shall also cover the weighing instrument of same type number and with maximum capacity of 60 kilogram, 150 kilogram, 300 kilogram 600 kilogram and 3000 kilogram propose to be manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principles and with the same materials ;

The Model (see Figure 1) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 60 kilogram and a minimum capacity of 400 gram. The verification scale interval (e) is 20 gram. It has a tare device with a 100 per cent substractive retained tare effect. The

base and the platform are made up of aluminium and stainless steel. The platform is of size millimeter × 550 millimeter.

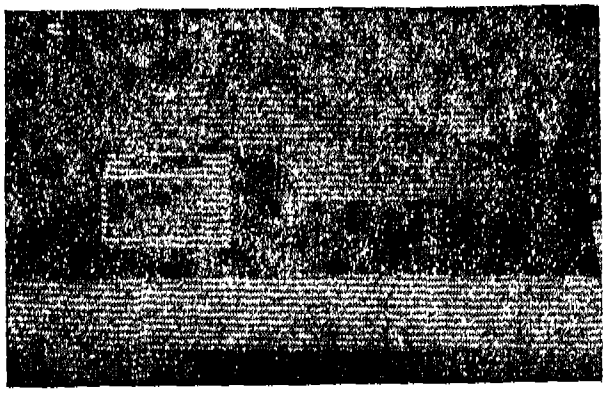

(Figure 1)

The vacuum fluoresent display of character size 12.5 millimeter indicates the weighing results. The instrument operates on 220 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(4)/90]
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2475.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी (अर्थात् निदेशक) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबन्धों के अनुरूप हैं और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लंबी अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टाइप सं. एस पी एम-500 और "प्रोम्पट" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक गैर स्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) जो मैसर्स आरबिटटान एंटरप्राइजिज, 120-ई, जी आई डी सी इलेक्ट्रोनिक एस्टेट, गांधी नगर-382 015 द्वारा विनिर्मित है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/93/06 समनुदिष्ट किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;

केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अन्तर्गत उक्त विनिर्माता द्वारा उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार और वैसी ही सामग्री से विनिर्माण के लिए प्रस्तावित 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले क्रमशः टाइप सं एस पी एम-10 एस पी एम-05, एस पी एम-02 और एस पी एम 01 के तोलन उपकरण भी होंगे;

प्रतिमान (आकृति 1 देखिए) एक उच्च शुद्धता (शुद्धता वर्ग II) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 500 ग्राम और न्यूनतम क्षमता 5 ग्राम है। सत्यापन मान अंतर (ई) 0.1 ग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यावकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव शतप्रतिशत है। आधार और प्लेटफार्म भार ग्राही क्रमशः स्टील और स्टनलेस स्टील का बना हुआ है। भारी ग्राही आयताकार है और 250 मिलीमीटर 225 मिलीमीटर आकार का है। 12 मिलीमीटर संप्रतीक आकार का निर्वात

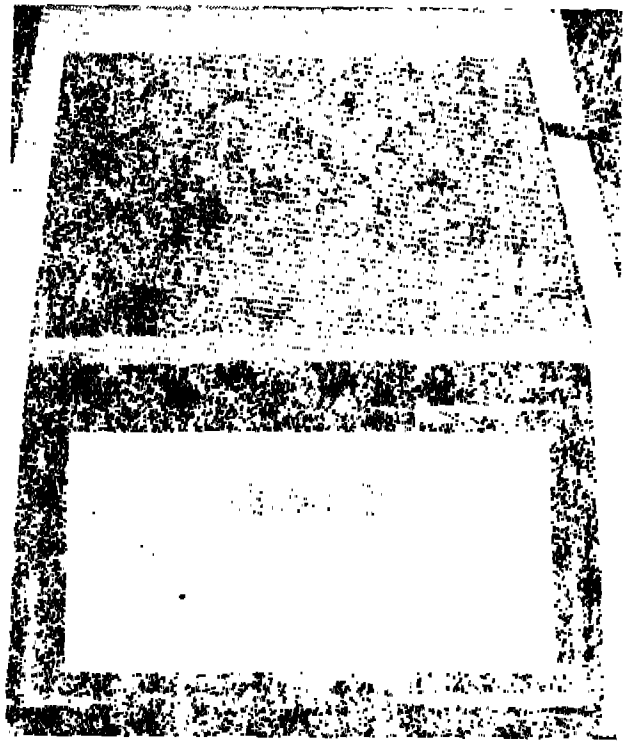

(आकृति 1)

प्रदीप्तिशील प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट्स, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(3)/92]
राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2475.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, (that is the Director) is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the Self-indicating, non-automatic weighing instrument of type No. SPM-500 and with a brand name "PROMPT" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Orbitron Enterprises 120-E, GIDC Electronic Estate, Ghandhinagar-382015 which is assigned the approval mark IND/09/93/06 ;

Further in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of Model shall also cover the weighing instrument of type No. SPM-10, SPM-05, SPM-02 and SPM-01 with a maximum capacity of 10 kilogram, 5 kilogram, 2 kilogram and 1 kilogram respectively propose to be manufactured by the said manufacturer in accordance with the same principles and with the same materials ;

The Model (see Figure 1) is a high accuracy (accuracy class II) weighing instrument with a maximum capacity of 500 gram and a minimum capacity of 5 gram. The verification scale interval (e) is 0.1 gram. It has a tare device with a 100 per cent substractive retained tare effect. The base and the platform load receptor are made up of steel and stainless steel respectively. The load receptor is of rectangular shape and of size 250 millimeter×225 millimeter. The vacuum flourescent display of character size

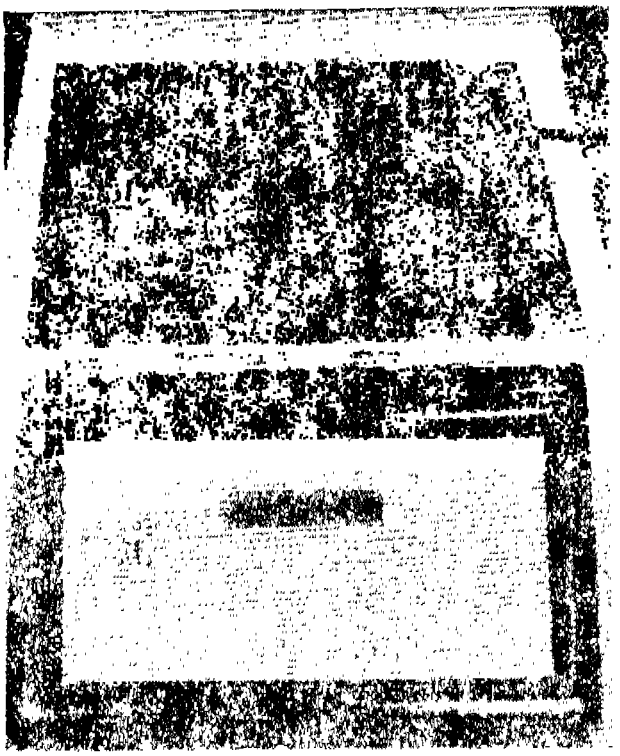

(Figure 1)

12 milimeter indicate the weighing results. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(3)/92]
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1993

का.आ. 2476.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी (अर्थात् निदेशक) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबन्धों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान अवरित उपयोग की लंबी अवधि तक ठीक बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "टाइप सं. ए 600" और "एवरी" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक, गैर स्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है), जो मैसर्स एवरी इंडिया लिमिटेड प्लाट सं. 50-54, सेक्टर 25, बल्लभगढ (हरियाणा)-121004 द्वारा विनिर्मित है जिसे अनुमोदन चिन्ह आई.एन. डी./01/93/97 समनुदेशित किया गया है अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ;

2575 GI/93—8

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अन्तर्गत उसी टाइप संख्यांक और 7.5 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाला ऐसा तोलन उपकरण भी आएगा, जिसका उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत के अनुसार और उसी सामग्री से विनिर्माण करने की प्रस्थापना है;

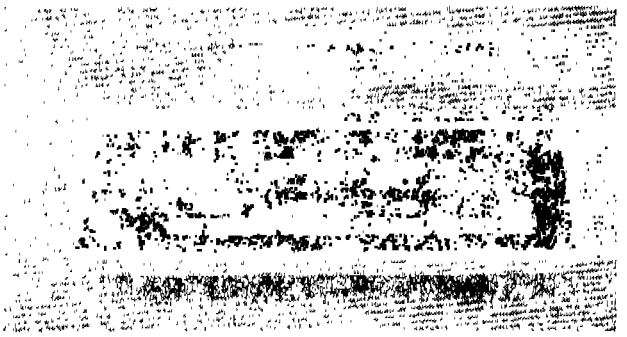

(आकृति 1)

प्रतिमान (आकृति 1 देखिए) एक मध्यम शुद्धता (शुद्धता वर्ग 3) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 15 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 200 ग्राम है। सत्यापन अंतर (e) 10 ग्राम है। इसमें एक ऐसी टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक टैयर प्रभाव पचास प्रतिशत है। इसका आधार और भार ग्राही क्रमशः साचयित प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं। भारग्राही आयताकार है और उसका आकार 350 मिलीमीटर× 230 मिलीमीटर है। 12.7 मिलीमीटर लंबाई के आकार का निर्वात प्रतिदीप्तिशील प्रदर्श, तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम 21(21)/90]
राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 3rd November, 1993

S.O. 2476.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, (that is the Director) is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the Self-indicating, non-automatic weighing instrument of type No. A-600 and with brand name 'AVERY' (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Avery India Limited, Plot No. 50—54, Sector 25, Ballabgarh (Haryana)-121004 which is assigned the approval mark-IND/01/93/07 ;

Further in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of Model shall also cover the weighing instrument of same type number with a maximum capacity of 7.5 kilogram propose to be manufatured

by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials ;

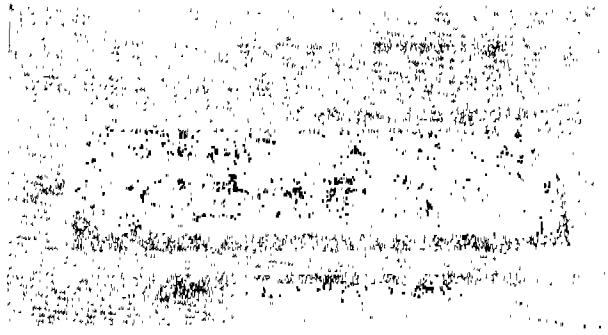

(Figure 1)

The Model (see Figure 1) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 15 kilogram and a minimum capacity of 200 gram. The verification interval (e) is 10 gram. It has a tare device with a 50 per cent substractive tare effect. The base and the load receptor are made up moulded plastic and stainless steel respectively. The load receptor is rectangular in shape and of sizer 350 milimeter × 230 milimeter. The vacuum fluorescent display of character size 12.7 milimeter indicate the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz, alternate current power supply.

[F. No. WM-21(21)/90]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2477.--राष्ट्रपति, डा. एच.एन. श्रीवास्तव को भारत मौसम विज्ञान विभाग में 5900-200-6700 रु. के वेतनमान में अपर महानिदेशक के पद पर 30 जनवरी, 1992 से स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

[सं. ए. 31024/1/92-स्था. I]

बी. लक्ष्मणास्वामी, मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक (प्रशासन और भंडार)
कृते मौसम विज्ञान के महानिदेशक

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(India Meteorological Department)

New Delhi, the 14th October, 1993

S.O. 2477.—The President is pleased to appoint Dr. H. N. Srivastava in a substantive capacity as Additional Director General of Meteorology (Scale Rs. 5900-200-6700) in India Meteorological Department with effect from January 30, 1992.

[No. A. 31024/1/92-E.I.]

B. LAKSHMANASWAMY, Dy. Director Genl. of Meteorology
(Administration & Stores)
for Director General of Meteorology

पेट्रोलियम और कैमीकल्स मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1993

का आ. 2478.—जबकि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिये मरकान सारडि कोन्दारी शुगर्स कैमिकल्स पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये उसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मेलवीडम पोक्कि सड़क, नागपट्टिणम, नागे कायिदेमिल्लत जिला तमिलनाडु-611001 को दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है।

अनुसूची

मरकान सारडि-कोन्दारि शुगर्स केमिकल्स गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	हैक्ट	क्षेत्रफल एकड़ में	विवरण
पाण्डिचेरी	कारैकाल	37 वांजूर	3/1	0.06.0	0.15	
			3/2	0.01.5	0.04	
			15/1	0.06.0	0.15	
			15/2	0.03.0	0.08	
			15/3	0.06.0	0.15	
			15/4	0.15.0	0.37	

[सं. एल-14016/7/93-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS

New Delhi, the 28th October, 1993

S.O. 2478.—Whereas it appears to the Central Goverenment that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Gas from Maraikkanchavadi Tap off—Kothari Sugars & Chemicals Ltd., Polagam village in Pondicherry State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Cauvery Project, Nagapattinam, Pin-611001.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Maraikanchavady – Kothari Sugars & Chemicals Pipe Line Project

State	District	Taluk	Village No. & Name	Survey No.	Area In Hectares	Area In Acr Cent.	Remarks
Pondicherry	Pondicherry	Karaikal	37—Vanjoore	3/1	0 06 0	0.15	
				3/2	0 01.5	0 04	
				15/1	0.06 0	0 15	
				15/2	0 03 0	0 08	
				15/3	0 05 0	0 15	
				15/4	0 15 0	0 37	

[No. L-14016/7/93-G.P.]
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2479.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए मरकान सावडि-कोथारि शुगर्स केमिकल्स पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये उसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, कावेरी बेसिन नीला मेलवडम पोक्कि सड़क, नागपट्टिनम नार्थ कायितमिल्लत जिल्ला, तमिलनाडु-611001 को दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है।

अनुसूची

मरेकान सारडि-कोम्तारी शूगर्स केमिकल्स गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		विवरण
				हैक्टे.	एकड़ में	
पाण्डिचेरी	कारॅकाल	35 पेकिगम	16/3	0.05.0	0.12	
			15/6	0.01.0	0.02	
			17/1	0.08.0	0.20	
			17/2	0.12.5	0.31	
			18/1	0.11.0	0.27	
			29	0.22.0	0.54	
			107/4बी	0.05.0	0.12	
			107/5	0.11.0	0.27	
			107/6	0.00.5	0.01	
			110/1	0.99.0	0.22	
			108/2	0.20.0	0.50	
			109/2	0.17.0	0.42	
			105/3	0.01.0	0.02	
			105/4	0.08.0	0.20	
			105/7	0.05.0	0.12	
			104/2	0.12.0	0.30	
			128/1ए	0.27.0	0.67	
			145/1	0.10.0	0.25	
			145/2	0.01.5	0.04	
			146/9	0.01.0	0.02	
			144/3	0.03.5	0.09	
			144/4	0.05.0	0.12	
			144/5	0.04.0	0.10	
			154/4	0.08.5	0.21	
			154/5	0.08.0	0.20	
			155/1	0.04.0	0.10	
			155/2	0.05.0	0.12	
			155/3	0.01.0	0.02	
			156/2बी	0.00.5	0.01	
			156/2डी	0.09.0	0.22	
			156/2ई1	0.00.5	0.01	
			156/2ई2	0.00.5	0.01	
			156/3ए	0.00.5	0.01	
			156/3बी	0.03.5	0.09	
			160/2	0.13.5	0.33	

[सं. एल-14016/7/93-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 28th October, 1993

S.O. 2479.—Whereas it appears to the Central Goverenment that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Gas from Maraikkanchavadi Tap off—Kothari Sugars & Chemicals Ltd., Polagam village in Pondicherry State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such p'peline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the lay ng of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Cauvery Project, Nagapattinam, Pin-611001.

And every person making such an objection shall also state specifically where he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Maraikanchavady– Kothari Sugars & Chemicals Pipe Line Project

State	District	Taluk	Village No. & Name	Survey Nos.	Area		Remarks
					In Hectares	In Acre Cent	
Pondicherry	Pondicherry	Karaikal	35—Polagam	16/3	0.05.0	0.12	
				15/6	0.01.0	0.02	
				17/1	0.08.0	0.20	
				17/2	0.12.5	0 31	
				18/1	0.11.0	0.27	
				29	0.22.0	0.54	
				107/4B	0.05.0	0.12	
				107/5	0.11.0	0.27	
				107/6	0.00.5	0.01	
				110/1	0.09.0	0 22	
				108/2	0.20.0	0.50	
				109/2	0.17.0	0.42	
				105/3	0.01.0	0.02	
				105/4	0.08.0	0.20	
				105/7	0.05.0	0.12	
				104/2	0.12.0	0.30	
				128/1A	0.27.0	0.67	
				145/1	0.10.0	0.25	
				145/2	0.01.5	0.04	
				146/9	0.01.0	0.02	
				144/3	0.03.5	0.09	
				144/4	0.05.0	0.12	
				144/5	0.04.0	0.10	
				154/4	0.08.5	0.21	
				154/5	0.08.0	0.20	
				155/1	0.04.0	0.10	
				155/2	0.05.0	0.12	
				155/3	0.01.0	0.02	
				156/2B	0.00.5	0.01	
				156/2D	0.09.0	0.22	
				156/2E1	0.00.5	0.01	
				156/2E2	0.00.5	0.01	
				156/3A	0.00.5	0.01	
				156/3B	0.03.5	0.09	
				160/2	0.13.5	0.33	

[No. L-14016/7/93-GP]
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2480.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए मरेकान सावडि कोन्तारी शूगर्स केमिकल्स पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये उसके साथ संलग्न विवरणीय में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, कावेरी बेसिन नीरा मेलबडम पोक्कि सड़क, नागप्पटिटणम नागे कायितेमिल्लत जिला तमिलनाडु-611001 दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत व्यक्त करना चाहता है।

अनुसूची

मरैकान सारडि-कान्तोरि शुगर्स केमिकल्स गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		विवरण
				हैक्टर	एकड़ में	
तमिलनाडु	ननिलम	150 पनगुंटि	159/1	0.07.0	0.17	

[सं. एल-14016/7/93-जी.पी.]
अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 28th October, 1993

S.O. 2480.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Gas from Maraikkanchavadi Tap off—Kothari Sugars & Chemicals Ltd., Polagam village in Pondicherry State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Cauvery Project, Nagapattinam, Pin-611001.

And every person making such an objection shall also state specifically where he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Maraikanchavady—Kothari Sugars & Chemicals Pipe Line Project

State	District	Taluk	Village No. & Name	Survey Nos.	Area		Remarks
					In Hectares	In Acre Cent.	
Tamil Nadu	Nagai Quaid-E-Milleth	Nannilam	150—Panangudi	159/1	0.07.0	0.17	

[No. L-14016/7/93-GP]
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2481.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए मरैकान सारडि-कोथारी शुगर्स केमिकल्स पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये उसके साथ संलग्न विवरणिय में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नोला मेलवडम नोक्कि सड़क, नागप्पटिटणम, नाग कायितेमिल्लत जिला तमिलनाडु-611 001 दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत व्यक्त करना चाहता है।

अनुसूची

मानकेान सावाडि-कोथारि शुगर्स केमिकल्स गैस पाइप लाइन प्रोजक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे न.	क्षेत्रफल		विवरण
				हैक्ट	एकड़ में	
तमिलनाडु	ननिलम	61 अगरकोन्दगै	178/5	0.03.5	0.09	
			178/7बी	0.04.0	0.10	
			178/9	0.04.0	0.10	
			184/3	0.13.0	0.32	
			184/4	0.08.5	0.21	
			184/1 सी	0.12.5	0.31	
			185/5ए	0.06.0	0.15	
			185/5बी	0.04.0	0.10	
			185/7	0.01.0	0.02	
			185/7बी	0.01.5	0.04	
			185/8	0.02.0	0.05	
			185/6	0.00.5	0.01	
			185/13	0.06.0	0.15	
			188/1 बी	0.07.5	0.18	
			188/3	0.01.0	0.02	
			188/4	0.01.0	0.02	
			188/2	0.02.0	0.05	
			188/6	0.01.5	0.04	
			188/8	0.08.5	0.21	
			188/11	0.01.0	0.02	
			188/13	0.05.0	0.12	
			188/14	0.12.0	0.30	

[सं. एल-14016/7/93-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 28th October, 1993

S.O. 2451.—Whereas it appears to the Central Goverenment that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Gas from Maraikkanchavadi Tap off—Kothari Sugars & Chemicals Ltd., Polagam village in Pond'cherry State Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such p'peline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 intent on to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to he Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Cauvery Project, Nagapattinam, Pin-611001.

And every person making such an objection shall also state specifically where he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Maraikanchavady– Kothari Sugars & Chemicals Pipe Line Project

State	District	Taluk	Village No. & Name	Survey Nos.	Area		Remarks
					In Hectares	In Acre Cent.	
Tamil Nadu	Nagai Quaid-E-Milleth	Nannilam	61–Agarakondagai	178/5	0.03 5	0.09	
				178/7B	0.04.0	0.10	
				178/9	0.04.0	0.10	
				184/3	0.13.0	0.32	
				184/4	0.08.5	0.21	
				184/1C	0.12.5	0.31	
				185/5A	0.06.0	0.15	
				185/5B	0.04.0	0.10	
				185/7A	0.01.0	0.02	
				185/7B	0.01.5	0.04	
				185/8	0.02.0	0.05	
				185/6	0.00.5	0.01	
				185/13	0.06.0	0.15	
				188/1B	0.07.5	0.18	
				188/3	0.01.0	0.02	
				188/4	0 01.0	0.02	
				188/2	0 02 0	0.05	
				188/6	0 01 5	0 04	
				188/8	0 08.5	0 21	
				188/11	0.01.0	0.12	
				188/13	0.05.0	0.02	
				188/14	0 12.0	0.30	

[No. L-14016/7/93-G.P]
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2492.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए मरकान सावडि कोलारी इंडस्ट्री केमिकल्स पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये उसके साथ संलग्न विवरणीय में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मेल बडम पोक्कि सड़क, नागप्पटिटणम, नागै कायिडमिल्लत जिला तमिलनाडु-611001 दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत व्यक्त करना चाहता है।

अनुसूची

मारकोन मावाई-कोथारि शुगर्स केमिकल्स गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे न.	क्षेत्रफल		विवरण
				हैक्ट.	एकड़ में	
तमिलनाडु	नननिलम	तित्तचेरि	160/4	0.02.5	0.06	
			160/6	0.03.5	0.09	
			159/11	0.07.0	0.17	
			159/12	0.01.0	0.02	

[सं. एल-14016/7/93-जी.पी.]
अर्धेन्दु सेन, निदेशक

S.O. 2482.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Gas from Maraikkanchavadi Tap off—Kothari Sugars & Chemicals Ltd., Polagam village in Pondicherry State Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Cauvery Project, Nagapattinam, Pin-611001.

And every person making such an objection shall also state specifically where he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Maraikanchavady—Kothari Sugars & Chemicals Pipe Line Project

State	District	Taluk	Village No. & Name	Survey Nos.	Area		Remarks
					In Hectares	In Acre Cent	
Tamil Nadu	Nagai. Quaid-E-Milleth	Nannilam	62—Thittacherry	160/4	0.02.5	0.06	
				160/6	0.03.5	0.09	
				159/11	0.07.0	0.17	
				159/12	0.01.0	0.02	

[No. L-14016/7/93-G.P.]
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1993

का.आ. 2483.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान में नयानौहरा (कोटा) तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., आनन्द भवन अनेक्सी, सुभाष रोड, धोबली फाटक, कोटा को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

गढ़ेपान-सेमकोर गैस पाइप लाइन

ग्राम : बृजपुरा तहसील : डोगोद जिला : कोटा (राज.)

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल एयर	वर्ग मी.	टि. विवरण
बृजपुरा	01	0	80	
	13	5	50	
	15	2	30	
	16	22	40	
	18	7	40	
	19	8	90	
	26	6	70	
	27	16	80	
	29	5	20	
	30	0	30	
	31	3	50	
	42	3	90	
ग्राम का योग :	किता 12	83	70	

किता 12 रकबा : तिरासी एयर सत्तर वर्ग मीटर

[सं. एल-14016/2/93-जी.पी.]
अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 3rd November, 1993

S.O. 2483.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas From H.B.J. in Gadepan (Kota Distt.) to Nayan Nohra (Kota Distt.) Rajasthan State, pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Samcor Gas Pipeline Project, Anand Bhawan Annexure, Subhash Road, Kherli Phatak, Kota.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Gadepan-Samcor Gas Pipeline

Village : Brijpura Tehsil Dogod Dist : Kota State : Rajasthan

Name of Village	Khasra No.	Area Are	Area Sq. Mtr.	Remarks
Brijpura	01	0	80	
-do-	13	5	50	
-do-	15	2	30	
-do	16	22	40	
-do-	18	7	40	
-do-	19	8	90	
-do-	26	6	70	
-do-	27	16	80	
-do-	29	5	20	
-do-	30	0	30	
-do-	31	3	50	
-do-	42	3	90	
Total	12	83	70	

[No. L-14016/2/93-G.P]
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1993

का.आ. 2484.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिये आवश्यककलंगलम जी.जी.एस.एम.आर.एल. पाननगुड़ि पाइपलाइन प्रोजेक्ट पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये उसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति संक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मेलवइम पोथिका सड़क, नागपट्टिणम, नागे कायितेमिल्लत जिला तमिलनाडु-611001 दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत व्यक्त करना चाहता है।

अनुसूची

अड़ियक्कमंगलम जी जी एस सेएमआरएल मनंगुड़ी गैस पाइप लाइन प्रोजक्ट

राज्य/जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे न.	क्षेत्रफल हैक्ट.	एकड़ में	विवरण
तमिलनाडु नंगाई-कायद-ई-मिलिथ	तिरुवरुर	36 अलिवलम	132	0.04.5	0.11	
			130/1	0.03.5	0.09	
			130/2	0.03.0	0.08	
			18/1	0.13.0	0.32	
			17/2	0.18.0	0.45	
			17/3	0.07.0	0.17	
				0.49.0		

[सं. एल-14016/8/93-जी.पी]
अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 5th November, 1993

S.O. 2484.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Gas from Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe line (Acqisition of Right of User in the Land) Act, 1962 intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Cauvery Project, Nagapattinam, Pin-611001.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Gas Pipe Line Project

State	District	Taluk	Village No. & Name	Survey Nos.	Area in Hectares	Area in Acre Cent	Remarks
Tamilnadu	Nagai-Quaid E-Milleth	Thiruvarur	36—Alivalam	132	0.04.5	0.11	
				130/1	0.03.5	0.09	
				130/2	0.03.0	0.08	
				18/1	0.13.0	0.32	
				17/2	0.18.0	0.45	
				17/3	0.07.0	0.17	
					0.49.0		

[No. F-14016/8/93-GP]
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1993

का.आ. 2485.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिये आडयकरालम जी.जी.एस. ईएम.आर.एल. पनगुडि पाइपलाइन प्रोजेक्ट पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये उसके साथ संलग्न विवरणीय में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उसपर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है:

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड कावेरी बेसिन लीला मेलवडम पोषिक सड़क, नागप्पटिटणम नागै कायिते मिल्लत जिल्ला तमिलनाडु 611001 दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत व्यक्त करना चाहता है।

अनुसूची

आडय करमगलम जीजीएस इ ई एम आर एम पनगुडि गैस पाईप लाइन प्राजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल हेक्टे	एकड़ में	विवरण
तमिलनाडु	तिरुवारूर	36/2 करुणपुर	285/2सी	0.02.0	0.05	
			284/2	0.15.0	0.37	
			283/2ए	0.03.0	0.08	
			283/2बी	0.02.0	0.05	
			283/3	0.03.0	0.08	
			283/4	0.03.0	0.08	
			283/6	0.03.0	0.08	
			283/7	0.03.0	0.08	
			282/2	0.05.0	0.12	
			282/3ए	0.04.0	0.10	
			282/3बी	0.16.0	0.40	
			281/1	0.13.5	0.33	
			281/3बी	0.02.5	0.06	
			280	0.17.0	0.42	
				0.92.0		

[सं. एल-14016/8/93-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 5th November, 1993

S.O. 2485.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Gas from Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe line (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, GasAuthority of India Ltd., Cauvery Project, Nagapattinam. Pin-611001.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practioner.

SCHEDULE

Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Gas Pipe Line Project

State	District	Taluk	Village No. & Name	Survey Nos.	Area In Hectares	Area In Acre Cent	Remarks
Tamil Nadu	Nagai Quaid-E-Milleth	Tiruvarur	36/2 Karuppoor	285/2C	0.02.0	0.05	
				284/2	0.15.0	0.37	
				283/2A	0.03.0	0.08	
				283/2B	0.02.0	0.05	
				283/3	0.03.0	0.08	
				283/4	0.03.0	0.08	
				283/6	0.03.0	0.08	
				283/7	0.03.0	0.08	
				282/2	0.05.0	0.12	
				282/3A	0.04.0	0.10	
				282/3B	0.16.0	0.40	
				281/1	0.13.5	0.33	
				281/3B	0.02.5	0.06	
				280	0.17.0	0.42	
					0.92.0		

[No. L-14016/8/93-G.P]
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1993

का. आ. 2486.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिये आड्यकमलम जी. जी. एस. से. एम. आर एल पनगुड़ पाइपलाईन केमिकल्स प्रोजेक्ट परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये उसके साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मेलवडम पोक्कि सड़क, नागप्पटि्टणम नार्गं कायितेमिल्लत जिला तमिलनाडु-611 001 को दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत व्यक्त करना चाहता है।

अनुसूची

आडियक कमगलम जीजीएस एमआरएल पनगुडी गैस पाईप लाइन प्रोजक्ट

राज्य/जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		विवरण
				हैक्टेयर	एकड़ में	
तमिलनाडु नागाई-क्व.ड-ई मिलिथ	तिरुवारुर	अडियक्कमंगलम	243/1	0.04.0	0.10	
			243/2ए	0.10.0	0.25	
			243/2बी	0.04.0	0.10	
			243/3ए	0.00.5	0.01	
			2/1	0.02.5	0.06	
			2/3	0.06.5	0.16	
			1	0.22.5	0.55	
			292/2	0.05.5	0.14	
			292/4	0.05.0	0.12	
			292/6	0.05.0	0.12	
			292/8	0.03.5	0.09	
			290/2	0.03.0	0.08	
			288/1	0.04.0	0.10	
			288/2	0.02.0	0.05	
			288/5	0.02.0	0.05	
			287/1	0.06.0	0.15	
			288/1	0.03.0	0.08	
			281/3ए7[1]	0.06.0	0.15	
			271/2	0.25.0	0.62	
			267/1	0.01.0	0.02	
			267/2ए	0.02.0	0.05	
			264/8	0.01.0	0.02	
			264/9	0.05.0	0.12	
			264/10	0.02.0	0.05	
			265/1	0.09.0	0.22	
			252/3बी	0.05.5	0.14	
			252/4ए[1]	0.06.0	0.15	
			252/4ए[2]	0.06.0	0.15	
			252/4बी	0.00.5	0.01	
			252/5ए	0.00.5	0.01	
			242/4	0.00.5	0.01	
				1.59.5		

[सं. एल-14016/8/93-जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 28th October, 1993

S.O. .—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Gas from Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipe line (Acquisition of Right of user in the land) Act 1962 intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land tothe Competent Authority, Gas Authority of land to the Compe'ent Authoirty, Gas Authority of 611001.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Gas Pipe Line Project

State	District	Taluk	Village No. & Name	Survey Nos.	Area In Hectares	Area In Acre Cent	Remarks
Tamil Nadu	Nagai. Quaid-e-Milleth	Tiruvarur	10. Adiyakkamangalam	243/1	0.04.0	0.10	
				243/2A	0.10.0	0.25	
				253/2B	0.04.0	0.10	
				243/3A	0.00.5	0.01	
				2/1	0.02.5	0.06	
				2/3	0.06.5	0.16	
				1	0.22.5	0.55	
				292/2	0.05.5	0.14	
				292/4	0.05.0	0.12	
				292/6	0.05.0	0.12	
				292/8	0.03.5	0.09	
				290/2	0.03.0	0.08	
				288/1	0.04.0	0.10	
				288/2	0.02.0	0.05	
				288/5	0.02.0	0.05	
				287/1	0.06.0	0.15	
				281/1	0.03.0	0.08	
				281/3A1	0.06.0	0.15	
				271/2	0.25.0	0.62	
				267/1	0.01.0	0.02	
				267/2A	0.02.0	0.05	
				264/8	0.01.0	0.02	
				264/9	0.05.0	0.12	
				264/10	0.02.0	0.05	
				265/1	0.09.0	0.22	
				252/3B	0.05.5	0.14	
				252/4A1	0.06.0	0.15	
				252/4A2	0.06.0	0.15	
				252/4B	0.00.5	0.01	
				252/5A	0.00.5	0.01	
				242/4	0.00.5	0.01	
					1.59.5		

[No. L-14016/8/93-G.P]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1993

का. आ. 2487 .—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए आड्मंकट्टमलम जी. जी. एस टू एम आर एल पनगुड़ी पाइपलाईन फैन केमिकल्स प्रोजेक्ट पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए उसके साथ संलग्न विवरणीय में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार (ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मेलवडम पौविक सड़क, नागप्पटिट्णम नागै कायितेमिल्लत जिल्ला तमिलनाडु 611001 दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है।

अनुसूची

आड्यक्ककमंगलम जी जी एस टू एम आर एल पनगुडि पाइप लाइन प्रोजेक्ट

राज्य/जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे न.	हेक्टे	एकड़ में क्षेत्रफल	विवरण
तमिलनाडु नागाई-क्वाए-ई-मिलिथ	तिरुवारूर	35. सेमंगलम	223	0.17.5	0.43	
			223/2ए	0.00.5	0.01	
			225/2बी	0.03.5	0.09	
			226/1	0.04.0	0.10	
			226/2	0.01.0	0.02	
			226/3	0.10.0	0.25	
			226/4	0.09.0	0.22	
			230/3	0.09.5	0.24	
			25/3	0.00.5	0.01	
			25/4	0.00.5	0.01	
			25/5	0.12.5	0.31	
			27/1	0.00.5	0.01	
			24/3	0.00.5	0.01	
			24/11ए	0.01.5	0.04	
			24/11बी	0.05.0	0.12	
			24/12	0.03.5	0.09	
			23/2	0.08.0	0.20	
			28/1	0.08.5	0.21	
			8/11	0.02.0	0.05	
			8/13	0.00.5	0.01	
			8/15	0.02.0	0.05	
				1.00.5		

[सं. एल.—14016/8/93—जी. पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 5th October, 1993

S.O. 2487.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Gas from Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipe line (Acquisition of Right of user in the land) Act 1962 intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Cauvery Project, Nagapattinam, Pin-611001.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Gas Pipe Line Project

State	District	Taluk	Village No. & Name	Survey Nos.	Area In Hectares	Area In Acre Cent	Remarks
Tamil Nadu	Nagai Quaid-e-Milleth	Tiruvarur	35-Semangalam	223	0.17.5	0.43	
				225//2A	0.00.5	0.01	
				225/2B	0.03.5	0.09	
				226/1	0.04.0	0.10	
				226/2	0.01.0	0.02	
				226/3	0.10.0	0.25	
				226/4	0.09.0	0.22	
				230/3	0.09.5	0.24	
				25/3	0.00.5	0.01	
				25/4	0.00.5	0.01	
				25/5	0.12.5	0.31	
				27/1	0.00.5	0.01	
				24/3	0.00.5	0.01	
				24/11A	0.01.5	0.04	
				24/11B	0.05.0	0.12	
				24/12	0.03.5	0.09	
				23/2	0.08.0	0.20	
				28/1	0.08.5	0.21	
				8/11	0.02.0	0.05	
				8/13	0.00.5	0.01	
				8/15	0.02.0	0.05	
					1.00.5		

[No. L-14016/8/93-G.P]
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1993

का. आ. 2488.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए आदियक्कमंगलम जी. जी. एस. टू. एम. आर एल पनंगुडि पाइपलाईन प्रोजेक्ट फैन केमिकल्स प्रोजेक्ट पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए उसके साथ संलग्न विवरणीय में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार) ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मेलवडम पोविक सड़क, नागप्पट्टिणम् नागे कायिनेमिल्लत जिल्ला तमिलनाडु 611001 दर्ज करा सकता है ।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत व्यक्त करना चाहता है ।

अनुसूची

आड्यक्कमगलम जी जी एस से एम आर एन. पशगुडि पाइप लाइन प्रोजेक्ट

राज्य/जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे न.	क्षेत्रफल हेक्टे	एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु नागाई-क्वाड-ई-मिलिथ	तिरुवारूर	11. कलिकुटि	178/9	0.00.5	0.01	
			178/10	0.00.5	0.01	
			178/11	0.05.0	0.12	
			178/17	0.03.0	0.08	
			178/18	0.03.0	0.08	
			178/19	0.01.0	0.02	
			178/20	0.00.5	0.01	
			174/6	0.08.0	0.20	
			173/12	0.06.5	0.16	
			173/18	0.04.0	0.10	
			172/2	0.00.5	0.01	
			172/4	0.02.5	0.06	
			172/8	0.06.0	0.15	
			172/9	0.01.0	0.02	
			168/1	0.00.5	0.01	
			168/2	0.03.0	0.08	
			168/3	0.02.0	0.05	
			164/1ए1	0.09.0	0.22	
			164/1बी1	0.08.5	0.21	
			164/3	0.06.0	0.15	
			164/4	0.00.5	0.01	
			162/5बी	0.03.5	0.09	
			162/7	0.04.0	0.10	
			209/7	0.11.0	0.27	
			209/8ए	0.01.0	0.02	
			209/9	0.02.0	0.05	
			211/3	0.00.5	0.01	
			211/4	0.08.0	0.20	
			211/5	0.00.5	0.01	
			183/1ए	0.02.0	0.05	
			183/1बी	0.09.5	0.24	
			183/5	0.02.5	0.06	
			183/6	0.06.5	0.16	
			192/1	0.10.0	0.25	
			192/2	0.00.5	0.01	
			192/5ए	0.02.0	0.05	
			192/5बी	0.01.0	0.02	
			192/6	0.01.5	0.04	

1	2	3	4	5	6	7	8
				192/8	0.04.5	0.11	
				193/1ए	0.03.5	0.09	
				193/2	0.08.0	0.20	
				195/1बी	0.00.5	0.01	
				195/1सी	0.05.5	0.14	
				195/4	0.05.5	0.14	
				195/5ए	0.00.5	0.01	
				195/5बी	0.06.5	0.16	
				197/4	0.01.0	0.02	
				197/6	0.00.5	0.01	
				197/7	0.07.0	0.17	
				310/2	0.01.0	0.02	
				210/4	0.04.5	0.11	
				210/5	0.01.0	0.02	
				210/6ए	0.08.5	0.21	
				210/6बी	0.02.5	0.06	
				210/6सी	0.00.5	0.01	

[सं. एल.-14016/8/93-जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 5th November, 1993

S.O. 2488.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Gas from Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipe line (Acquisition of Right of user in the land) Act 1962 intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the India Ltd., Cauvery Project, Nagapa'tinam, Pinland to the Competent Authority, Gas Authority of 611001.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Gas Pipe Line Project

State	District	Taluk	Village No. & Name	Survey Nos.	Area		Remarks
					In Hectares	In Acre Cent	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tamil Nadu	Nagai Quaid-e-Milleth	Tiruvarur	11. Kallikkudy	178/9	0.00.5	0.01	
				178/10	0.00.5	0.01	
				178/11	0.05.0	0.12	
				178/17	0.03.0	0.08	
				178/18	0.03.0	0.08	
				178/19	0.01.0	0.02	
				178/20	0.00.5	0.01	
				174/6	0.08.0	0.20	
				173/12	0.06.5	0.16	
				173/18	0.04.0	0.10	
				172/2	0.00.5	0.01	
				172/4	0.02.5	0.06	

1	2	3	4	5	6	7	8
Tamil Nadu	Nagai Quaid-e-Milleth	Tiruvarur	11-Kallikkudy	172/8	0.06.0	0.15	
				172/9	0.01.0	0.02	
				168/1	0.00.5	0.01	
				168/2	0.03.0	0.08	
				168/3	0.02.0	0.05	
				164/1A1	0.09.0	0.22	
				164/1B1	0.08.5	0.21	
				164/3	0.06.0	0.15	
				164/4	0.00.5	0.01	
				162/5B	0.03.5	0.09	
				162/7	0.04.0	0.10	
				209/7	0.11.0	0.27	
				209/8A	0.01.0	0.02	
				209/9	0.02.0	0.05	
				211/3	0.00.5	0.01	
				211/4	0.08.0	0.20	
				211/5	0.00.5	0.01	
				183/1A	0.02.0	0.05	
				183/1B	0.09.5	0.24	
				183/5	0.02.5	0.06	
				183/6	0.06.5	0.16	
				192/1	0.10.0	0.25	
				192/2	0.00.5	0.01	
				192/5A	0.02.0	0.05	
				192/5B	0.01.0	0.02	
				192/6	0.01.5	0.04	
				192/8	0.04.5	0.11	
				193/1A	0.03 5	0.09	
				193/2	0.08.0	0.20	
				195/1B	0.00 5	0.01	
				195/1C	0.06.5	0.14	
				195/4	0.05.5	0.14	
				195/5A	0.00.5	0.01	
				195/5B	0.06.5	0.16	
				197/4	0.01.0	0.02	
				197/6	0.00.5	0.01	
				197/7	0.07.0	0.17	
				210/2	0.01.0	0.02	
				210/4	0.04.5	0.11	
				210/5	0.01.0	0.02	
				210/6A	0.08.5	0.21	
				210/6B	0.02.5	0.06	
				210/6C	0.00.5	0.01	

[No. L-14016/8/93-G.P.]
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1993

क. आ. 2489.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए आडयक्कमंगलम जीजीएस से एमआरएल पननगुडि पाईप लाईन प्रोजेक्ट केमिकल्स पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए उसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार तद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मेलवडम पोंबिक सड़क, नागप्पट्टिणम नागै कायिदेमिल्लत जिल्ला तमिलनाडु 611 001 दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है।

अनुसूची

आड्यक्कमगलम जी जी एस से एम आर एल पनगुडि पाइप लाइन प्रोजेक्ट

राज्य/जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल हेक्टे०	क्षेत्रफल एकड़ में	विवरण
तमिलनाडु मागाई-क्वाइ-ई-मिल्लिथ	तिरुवारूर	27. कुरुमनांकुटि	187/1	0.16.0	0.40	
			177/2बी	0.02.0	0.05	
			177/4	0.08.0	0.20	
			177/6	0.05.0	0.12	
			177/7ए	0.02.0	0.05	
			177/7बी	0.00.5	0.01	
			175/8	0.02.0	0.05	
			159/ए-2	0.01.0	0.02	
			159/ए-10	0.04.0	0.10	
			159/ए-11	0.04.5	0.11	
			148/2ए	0.03.0	0.08	
			148/2बी	0.12.5	0.31	
			148/4	0.13.0	0.32	
			147/1ई	0.13.0	0.32	
			147/1 ई-1	0.00.5	0.01	
			144/5बी	0.02.0	0.05	
			145/2ए	0.05.0	0.12	
			145/2बी	0.06.0	0.15	
			145/3	0.06.5	0.16	
			145/6	0.12.0	0.30	
			107/3सी	0.00.5	0.01	
			107/3डी	0.01.0	0.02	
			107/5ए	0.01.0	0.02	
			107/5बी	0.06.0	0.15	
			105/20	0.01.5	0.04	
			101/1	0.09.5	0.24	
			102/1	0.26.0	0.64	
			103/3बी	0.00.5	0.01	
			88/1	0.01.0	0.02	
			87/1	0.20.5	0.51	
			87/3	0.06.0	0.15	
			87/6	0.04.5	0.11	
			86/2	0.14.5	0.36	
				2.11.0		

[सं. एल.-14016/8/93-जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 5th November, 1993

— S.O. 2489.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Gas from Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipe line (Acquisition of Right of user in the land) Act 1962 intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Cauvery Project, Nagapattinam, Pin-611001.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Gas Pipe Line Project

State	District	Taluk	Village No. & Name	Survey Nos.	Area		Remarks
					In Hectares	In Acre Cent	
Tamil Nadu	Nagai. Quaid-e-Milleth	Tiruvarur	27. Kurumanangudi	178/1	0.16.0	0.40	
				177/2B	0.02.0	0.05	
				177/4	0.08.0	0.20	
				177/6	0.05.0	0.12	
				177/7A	0.02.0	0.05	
				177/7B	0.00.5	0.01	
				175/8	0.02.0	0.05	
				159/A-2	0.01.0	0.02	
				159/A-10	0.04.0	0.10	
				159/A-11	0.04.5	0.11	
				148/2A	0.03.0	0.08	
				148/2B	0.12.5	0.31	
				148/4	0.13.0	0.32	
				147/1D	0.13.0	0.32	
				147/1E1	0.00.5	0.01	
				144/4B	0.02.0	0.05	
				145/2A	0.05.0	0 12	
				145/2B	0.06.0	0.15	
				145/3	0.06.5	0.16	
				145/6	0.12.0	0.30	
				107/3C	0.00.5	0.01	
				107/3D	0.01.0	0.02	
				107/5A	0.01.0	0.02	
				107/5B	0.06.0	0.15	
				105/20	0.01.5	0.04	
				101/1	0.09.5	0.24	
				102/1	0.26.0	0.64	
				103/3B	0.00.5	0.01	
				88/1	0.01.0	0.02	
				87/1	0.20.5	0.51	
				87/3	0.06.0	0.15	
				87/6	0.04.5	0.11	
				86/2	0.14.5	0.36	
					2.11.0		

[No. L-14016/8/93-G.P.]
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1993

क. आ. 2490.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए आडयक्कमंगलम जी. जी. एस. एम. से आर. एल. पनगुडि पाइप लाइन प्रोजेक्ट केमिकल्स पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए उसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 31 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मेलवडम पोक्कि सड़क, नागापटि्टणम, नागै कायिदेमिल्लत जिल्ला तमिलनाडु-611 001 दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है।

अनुसूची

आड्थककमगलय जी जो एस से एस आर एल पनगुडि पाइप लाइन प्रोजेक्ट

राज्य/जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल हेक्टे.	एकड़ में	विवरण
तमिलनाडु नागाई-क्वाड-ई-मिलिथ	तिरुवारुर	26. इरावांचेरि	149/1	0.01.0	0.02	
			149/2ए	0.02.0	0.05	
			149/2बी	0.02.0	0.05	
			149/3	0.02.5	0.06	
			149/4	0.02.5	0.06	
			149/5	0.03.0	0.08	
			149/8	0.01.0	0.02	
			149/11	0.06.5	0.16	
			149/12	0.01.0	0.02	
			149/13	0.00.5	0.01	
			147/1	0.10.5	0.26	
			147/2	0.04.0	0.10	
			147/3	0.06.5	0.16	
			146/1	0.06.5	0.16	
			146/2	0.06.5	0.16	
			146/4	0.03.0	0.08	
			195/2	0.00.5	0.01	
			195/3	0.05.6	0.16	
			195/4ए	0.05.0	0.12	
			196/2	0.13.5	0.33	
			197/1	0.08.5	0.21	
			197/2ए	0.01.0	0.02	
			197/3	0.07.0	0.17	
			198/2	0.06.5	0.16	
			198/3	0.07.5	0.18	
			198/6	0.13.0	0.32	
			68/1	0.13.5	0.33	
			68/2	0.04.5	0.11	
				1.46.0		

[सं. एल-14016/8/93-जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 5th November, 1993

S.O. 2490.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Gas from Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipe line (Acquisition of Right of user in the land) Act 1962 intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Cauvery Project, Nagapattinam, Pin-611001.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Gas Pipe Line Project

State	District	Taluk	Village No. & Name	Survey Nos.	Area		Remark
					In Hectares	In Acre Cent	
Tamil Nadu	Nagai. Quaid-e-Milleth	Tiruvarur	26. Iravancherry	149/1	0.01.0	0.02	
				149/2A	0.02.0	0.05	
				149/2B	0.02.0	0.05	
				149/3	0.02.5	0.06	
				149/4	0.02.5	0.06	
				149/5	0.03.0	0.08	
				149/8	0.01.0	0.02	
				149/11	0.06.5	0.16	
				149/12	0.01.0	0.02	
				149/13	0.00.5	0.01	
				147/1	0.10.5	0.26	
				147/2	0.04.0	0.10	
				147/3	0.06.5	0.16	
				146/1	0.06.5	0.16	
				146/2	0.06.5	0.16	
				146/4	0.03.0	0.08	
				195/2	0.00.5	0.01	
				195/3	0.06.5	0.16	
				195/4A	0.05.0	0.12	
				196/2	0.13.5	0.33	
				197/1	0.08.5	0.21	
				197/2A	0.01.0	0.02	
				197/3	0.07.0	0.17	
				198/2	0.06.5	0.16	
				198/3	0.07.5	0.18	
				198/6	0.13.0	0.32	
				68/1	0.13.5	0 33	
				68/2	0.04.5	0.11	
					1.46.0		

[No. L-14016/8/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1993

का. आ. 2491.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए आडियक्कमंगलम जी. जी. एस. से एम आर एल पनगुडि पाइप लाइन केमिकल्स प्रोजेक्ट पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया द्वारा बिछाया जाना है ।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए उसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मेनवलडम पोकिक सड़क, नागपटिणम कामितेमिलनत जिला तमिलनाडु-611 001 दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है।

अनुसूची

आडयक्कमंगलम जी जी एस से एम आर एल पनगुडि पाइप लाइन प्रोजेक्ट

राज्य/जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल हेक्टे.	एकड़ में	विवरण
तमिलनाडु नागाई-	तिरुवारुर	25. अगरकडवनूर	376/2	0.19.5	0.48	
			310	0.01.5	0.04	
			375/1	0.06.5	0.16	
			375/2	0.03.5	0.09	
			374	0.06.0	0.15	
			383/	0.01.0	0.02	
			295	0.14.0	0.35	
			294/1	0.14.0	0.35	
			293/1	0.10.5	0.26	
			415/3ए	0.13.5	0.33	
			415/3बी	0.12.0	0.30	
			255/2	0.10.0	0.25	
			416/2	0.05.5	0.14	
			416/3	0.06.5	0.16	
			416/4	0.04.0	0.10	
			417/1	0.00.5	0.01	
			418/6	0.00.5	0.01	
			418/8	0.14.5	0.36	
			244/4ए	0.11.0	0.27	
			244/4बी	0.03.0	0.08	
			244/5	0.05.5	0.14	
			426/2	0.16.0	0.40	
			243/1ए	0.08.0	0.20	
				1.87.0		

[सं. एल.-14016/8/93-जी पी]
अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 5th November, 1993

S.O. 2491.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Gas from Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipe line (Acquisition of Right of user in the land) Act 1962 intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Cauvery Project, Nagapattinam, Pin-611001.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Gas Pipe Line Project

State	District	Taluk	Village No. & Name	Survey Nos.	Area		Remarks
					In Hectares	In Acre Cent	
Tamil Nadu	Nagai Quaid-e-Milleth	Tiruvarur	25. Agarakadam-banur	376/2	0.19.5	0.48	
				310	0.01.5	0.04	
				375/1	0.06.5	0.16	
				375/2	0.03.5	0.09	
				374	0.06.0	0.15	
				383	0.01.0	0.02	
				295	0.14.0	0.35	
				294/1	0.14.0	0.35	
				293/1	0.10.5	0.26	
				415/3A	0.13.5	0.33	
				415/3B	0.12.0	0.30	
				255/2	0.10.0	0.25	
				416/2	0.05.5	0.14	
				416/3	0.06.5	0.16	
				416/4	0.04.0	0.10	
				417/1	0.00.5	0.01	
				418/6	0.00.5	0.01	
				418/8	0.14.5	0.36	
				244/4A	0.11.0	0.27	
				244/4B	0.03.0	0.08	
				244/5	0.05.5	0.14	
				426/2	0.16.0	0.40	
				243/1A	0.08.0	0.20	
					1.87.0		

[No. L-14016/8/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1993

का. आ. 2492.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए आडयक्कमंगलम जी. जी. एस एम आर. एल. पनगुडि पाइप लाइन प्रोजेक्ट केमिकल्स पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया द्वारा बिछाया जाना है ।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए उसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड कावेरी बेसिन नीला मेलवडम पोक्कि सडक, नागप्पट्टिणम् नागे कामितेमिल्लत-जिल्ला तमिलनाडु 611 001 दर्ज करा सकता है ।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है ।

अनुसूची

आडयक्कमंगलम जी जी एस से एम आर एल पनण्गुडि पाइप लाइन प्रोजेक्ट

राज्य/जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल हेक्टे.	एकड़ में	विवरण
तमिलनाडु	तिरूवारूर	25/3. वडक्कुनेलि	324/1	0.15.0	0.37	
नागोई-काज-ई-मिलिथ			325	0.17.0	0.42	
			319	0.01.0	0.02	
			316	0.19.0	0.47	
			271/2	0.00.5	0.01	
			271/3	0.16.0	0.40	
			270/2	0.21.5	0.53	
			269/1	0.01.0	0.02	
			269/2	0.19.5	0.48	
			323/2	0.19.0	0.47	
				1.29.5		

[सं. एल.—14016/8/93—जी पी]
अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 5th November, 1993

S.O. 2492.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Gas from Adiyakkamangalam GGS to MRL, Panangudi Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipe line (Acquisition of Right of user in the land) Act 1962 intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., Cauvery Project, Nagapattinam, Pin-611001.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Adiyakkamangalam GGS To MRL, Panangudi Gas Pipe Line Project

State	District	Taluk	Village No. & Name	Survey Nos.	Area		Remarks
					In Hectares	In Acre Cent	
Tamil Nadu	Nagai. Quaid-e-Milleth	Tiruvarur	25.3 Vadakkuveli	324/1	0.15.0	0.37	
				325	0.17.0	0.42	
				319	0.01.0	0.02	
				316	0.19.0	0.47	
				271/2	0.00.5	0.01	
				271/3	0.16.0	0.40	
				270/2	0.21.5	0.53	
				269/1	0.01.0	0.02	
				269/2	0.19.5	0.48	
				323/2	0.19.0	0.47	
					1.29.5		

[No. L-14016/8/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2493:—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड निम्नलिखित रेल कार्यालयों को, जहां कमचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है :—

1. रेलवे भर्ती बोर्ड, अजमेर
2. रेलवे भर्ती बोर्ड, भोपाल
3. रेलवे भर्ती बोर्ड, चंडीगढ़
4. रेलवे भर्ती बोर्ड, गोरखपुर
5. रेलवे भर्ती बोर्ड, जम्मू

[सं. हिन्दी-93/रा.भा. 1/12/6]

मसीहुज्जमाँ, सचिव

रेलवे बोर्ड और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2493.—In pursuance of Sub-Rule (2) and (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Ministry of Railways (Railway Board), hereby notify the under mentioned Railway Offices where the staff have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Railway Recruitment Board—Ajmer.
2. Railway Recruitment Board—Bhopal.
3. Railway Recruitment Board—Chandigarh.
4. Railway Recruitment Board—Gorakhpur.
5. Railway Recruitment Board—Jammu.

[No. Hindi-93|OL.I|12|6]

MASIHUZZAMAN, Secy. Railway Board, & Ex. Officio Addl. Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1993

का. आ. 2494 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, यूनाईटेड कमर्शियल बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12012/268/90-आई आर बी-2]

वी.के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 22nd October, 1993

S.O. 2494.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of United Commercial Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 22nd October, 1993.

[No. L-12012/268/90-IR.B.II]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर । (कैम्प जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री शंकरलाल जैन, आर.एच.जे.एस. के.ओ. विवाद संख्या :—16/1991

यूको बैंक स्टाफ एसोसियशन, परवाना भवन, माधोबाग, जोधपुर। —प्रार्थी

बनाम

डिवीजन मैनेजर, यूनाईटेड कामर्शियल बैंक, जी-79, शास्त्रीनगर, जोधपुर। —अप्रार्थी

उपस्थिति :—

(1) प्रार्थी-पक्ष की ओर से श्री पी.डी. जोशी प्रतिनिधि

(2) अप्रार्थी-पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

अधिनिर्णय

दिनांक 16-1-1993

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा आदेश संख्या एफ 12012/268/90 आई आर (बी-2) दिनांक 14-3-1991 द्वारा निम्न विवाद वास्ते निर्णय हेतु निर्देशित किया :—

"Whether the action of the management of United Commercial Bank in refusing 1/2 of Scale wages to Smt. Kaushalya Devi. Part-time Sweeper at their Divisional Office, Jodhpur with effect from the date of her employment is just and legal? If not, to what relief is the worker concerned entitled?"

2. दोनों पक्षों को नोटिस दिये गये जिसकी पालना में प्रार्थी-पक्ष ने अपना मांग-पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी-पक्ष बावजूद तामील अनुपस्थित रहा तथा उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही मांग-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। आज प्रार्थी-पक्ष के प्रतिनिधि ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर यह प्रकट किया कि प्रार्थी या अपने इस विवाद को आगे चलाने की इच्छुक नहीं है अतः इस प्रकरण में "नो-डिस्प्युट एवार्ड" पारित कर दिया जावे। प्रार्थी-पक्ष का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर रेकार्ड पर लिया गया एवं प्रार्थी-पक्ष की प्रार्थना अनुसार इस प्रकरण में "कोई विवाद नहीं अधिनिर्णय" पारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अधिनिर्णय

3. अतः प्रार्थी-पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के आधार पर यह अधिनिर्णित किया जाता है कि प्रार्थी या इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहती एवं पक्षकारों के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा है। अतः इस प्रकरण में "नो-डिस्प्युट एवार्ड" पारित किया जाता है।

4. इस अधिनिर्णय को वास्ते सूचना एवं प्रकाशन केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किया जावे।

5. यह अधिनिर्णय आज दिनांक 16-1-1993 को खुले न्यायालय के कैम्प, जोधपुर, में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

शंकरलाल जैन, न्यायाधीश, केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जोधपुर

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2495.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/184/85-डी-2(ए)]
वी.के. वणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd October, 1993

S.O. 2495.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 22nd October, 1993.

[No. L-12012/184/85-D.II.A]
V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 30/1986

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-12012/184/85 डी II (ए) दिनांक 28-7-86 सचिव, सेन्ट्रल बैंक कर्मचारी यूनियन, भीलवाड़ा। —प्रार्थी

बनाम

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, एस.सी. रोड, जयपुर।

2. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, सिविल लाईन्स कोटा। —अप्रार्थीगण

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकरलाल जैन, आर.एच.जे.एस.
प्रार्थी संघ की ओर से : श्री जे.एल. शाह
अप्रार्थी बैंक की ओर से : श्री डी.एन. शर्मा
दिनांक अवार्ड : 1-1-1993

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस अभिकरण को वास्ते अधिनिर्णय प्रेषित किया है :

"क्या सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्धतंत्र की, जिस तारीख से श्री जे.पी. आसोपा ने पदोन्नति लेने से इंकार किया था उस तारीख से सहायक कैशियर श्री एन.एम. शर्मा को मुख्य कैशियर के पद पर पदोन्नति न देने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

2. केन्द्रीय बैंक कर्मचारी यूनियन की ओर से प्रस्तुत किये गये क्लेम में यह अभिवाक किया गया है कि श्रमिक श्री नवरतनमल शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा की प्रथम नियुक्ति विपक्षी बैंक में दिनांक 20-10-70 को सब-स्टाफ में हुई थी। उसके बाद उसे दिनांक 5-6-78 को असिसटैन्ट कैशियर कम गोदाम कीपर के पद पर पदोन्नत किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी बैंक की ओर से प्रस्तुत उत्तरवाद में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि श्रमिक नवरतनमल शर्मा की प्रथम पदोन्नति 5 जून, 1978 को हुई तब से वह विपक्षी बैंक में कार्यरत हैं ।

3. श्रमिक ने यह अभिकथन किया है कि उसे दिनांक 5-6-78 को जब पदोन्नति दी गई तो उसने इसने पद का कार्यभार उसी दिन संभाल लिया था जबकि सर्वश्री जे. पी. आसोपा व मदनसिंह ने दिनांक 19-6-78 को कार्य-भार संभाला । इस कारण वह इन दोनों से वरिष्ठ है । विपक्षी बैंक की ओर से यह अभिकथन किया गया है कि श्री नवरतनमल शर्मा, जे.पी. आसोपा व मदनसिंह से वरिष्ठ नहीं है क्योंकि उनको भी दिनांक 5-6-78 से ही पदोन्नत माना गया था । यह उल्लेखनीय है कि वरिष्ठता सूची दिनांक 1-3-82 प्रदर्श एम-1 में प्रार्थी का नाम क्रमांक 9 पर दर्शाया गया है जबकि श्री जे.पी. आसोपा को क्रमांक सं. 7 तथा श्री मदनसिंह को क्रमांक 8 पर वरिष्ठता सूची में दर्शाया गया है । प्रार्थी इस वरिष्ठता सूची प्रदर्श एम-1 को चुनौती देने में सक्षम नहीं माना जा सकता सकता क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित किये गये निवेश के संबंध में ही न्याय निर्णय किया जाना अपेक्षित है । मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त एफ एल आर 1981 (वाल्यूम-43) पेज 258 फाइव स्टोन टायर एंड कम्पनी ऑफ इण्डिया प्रा. ल. बनाम श्रमिक पर भरोसा करता हूं ।

4. केन्द्रीय सरकार ने जो विवाद इस अधिकरण को न्याय निर्णय हेतु प्रषित किया है, उसके अनुसार वरिष्ठता सूची दिनांक 1-3-82 प्रदर्श एम. 1 के अधीन जिस तारीख से श्री जे.पी. आसोपा ने पदोन्नति लेने से इंकार किया था उस तारीख से श्रमिक सहायक कैशियर श्री नवरतनमल शर्मा को मुख्य कैशियर के पद पर पदोन्नति नहीं देने की कार्य-वाही न्यायोचित है अथवा नहीं, यह विचारणीय प्रश्न है ।

5. प्रार्थी संघ की ओर से क्लेम के कथनों के समर्थन में श्रमिक श्री नवरतनमल का शपथ पत्र पेश हुआ है जिस पर बैंक के प्रतिनिधि ने जिरह की है तथा अप्रार्थी बैंक की ओर से श्री आर.सी. सविता का शपथ पत्र पेश हुआ है जिस पर प्रार्थी संघ के प्रतिनिधि द्वारा जिरह की गई । मैंने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री तथा विधि के सुसंगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया । प्रार्थी ने अपने शपथपत्र द्वारा क्लेम के कथनों की पुष्टि की है ।

6. यह निर्विवाद तथ्य है कि असिसटैंट कैशियर कम गोदाम कीपर के पद से हैड कैशियर के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है । विपक्षी ने अगस्त, 1982 में वरिष्ठता सूची प्रदर्श एम-1 के आधार पर 5 व्यक्तियों सर्वश्री एस.एन. शर्मा, जगदीश प्रसाद, रामावतार गुप्ता, जे. पी आसोपा व श्री मदनसिंह को पदोन्नत किया था । विपक्षी के साक्षी श्री आर.सी. सविता ने यह स्वीकार किया है कि श्री जे.पी. आसोपा ने पदोन्नति लेने से इंकार किया था और प्रबन्धन को 31-8-82 को ही इस बारे में जानकारी हो गई थी जबकि इन 5 व्यक्तियों को पदोन्नति के आदेश 31-8-82 को जारी हुए । ऐसी स्थिति में प्रबन्धन के लिये यह आवश्यक था कि जब श्री जे.पी. आसोपा ने हैडकैशियर के पद पर पदोन्नति लेना स्वीकार नहीं किया था तब वरिष्ठता सूची के आधार पर श्री आसोपा के स्थान पर श्रमिक श्री नवरतनमल शर्मा को वरिष्ठ होने के नाते कन्सीडर किया जाना चाहिए था क्योंकि उक्त वरिष्ठता सूची उस समय प्रभावशील थी । उस समय 5 पद रिक्त थे, श्री आसोपा द्वारा पदोन्नति नहीं लेने से 4 पद ही भरे जा सके थे और एक पद जो रिक्त था उसके लिए श्री नवरतनमल पदोन्नति का अधिकारी था जिसके नाम पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता के आधार पर विचार नहीं किया जाना न्यायोचित नहीं था ।

7. ऐसा प्रमाणित नहीं है कि प्रबन्धन तथा यूनियन के बीच कोई समझौता हुआ हो जिस तथाकथित समझौते के आधार पर श्रमिक नवरतनमल शर्मा को पदोन्नति नहीं किया जा सका हो क्योंकि इस प्रकार के समझौते की कोई प्रति रिकार्ड पर प्रबन्धन की ओर से पेश नहीं की गई है ।

8. प्रार्थी संघ यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्धन के 31-8-82 को वरिष्ठता सूची दिनांक 1-3-82 प्रदर्श एम-1 के आधार पर 5 रिक्त पदों पर सहायक कैशियर से हैड कैशियर के पदों पर सर्वश्री एस.एन. शर्मा, जगदीश प्रसाद, रामावतार गुप्ता, जे.पी. आसोपा व मदनसिंह को दिनांक 31-8-82 को पदोन्नत किया गया था किंतु श्री जे.पी. आसोपा के पदोन्नति लेने से इंकार किये जाने पर, जिसकी कि जानकारी प्रबन्धन को 31-8-92 को ही हो गई थी, किंतु फिर भी वरिष्ठता के आधार पर श्रमिक श्री नवरतनमल शर्मा को श्री जे.पी. आसोपा के स्थान पर मुख्य कैशियर के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया और न ही उसके नाम पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया जो अनुचित अवैध है । मैं अपने इस निष्कर्ष के संबन्ध में न्याय दृष्टान्त एस.सी.एल.जे. 1988-90 पेज 682, डा. मैसर्स ओ. जेड. हुसैन बनाम यूनियन आफ इण्डिया पर भरोसा करता हूं ।

9. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से मैं इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार करता हूं ।

प्रार्थी श्रमिक श्री नवरतनमल शर्मा को दिनांक 31-8-82 से, जब श्री जे.पी. आसोपा ने हैड कैशियर के पद पर

पदोन्नति लेने से इन्कार कर दिया था, असिसटेंट कैशियर से हैड कैशियर के पद पर पदोन्नति नहीं किये जाने की कार्यवाही न्यायोचित नहीं है । श्रमिक श्री नवरतनमल शर्मा सहायक कैशियर दिनांक 31-8-82 वरिष्ठता सूची प्रदर्श एम-1 के अनुसार वरिष्ठ होने से हैड कैशियर के पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी घोषित किया जाता है । श्रमिक को दिनांक 31-8-82 से मुख्य कैशियर के पद पर पदोन्नति मानते हुए उस पद के समस्त परिलाभ अंदर तीन माह अदा किये जायेंगे अन्यथा उक्त राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से लाभ भी देय होगा । 100/- रुपया खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है ।"

10. अवार्ड की प्रति भारत सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजी जावे ।

शंकर लाल जैन, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2496.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, न्यू बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12012/2/125/88-डी-2 (ए)]
वी. के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd October, 1993

S.O. 2496.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of New Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 22nd October, 1993.

[No. L-12012/2/125/88-D.2.A]
V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर
केस नं. सी.आई.टी. 60/1988

रैफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-12012/2/125/88 डी II (ए) दिनांक 22-8-88

श्री मालचन्द्र गूजर, उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री साराण राम मार्फत श्री अरुण शर्मा, सी-75 तिलक नगर, जयपुर ।
—प्रार्थी

बनाम

1. महाप्रबन्धक, न्यू बैंक आफ इण्डिया, टालस्टाय मार्ग नई दिल्ली ।

2. प्रादेशिक प्रबन्धक, न्यू बैंक ऑफ इण्डिया, सी-46 सरोजनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर ।

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर.एच.जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री आर.सी. जैन
अप्रार्थी की ओर से : श्री जगत अरोड़ा
दिनांक अवार्ड : 17-3-1993

अवार्ड

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश के जरिये निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम संबोधित किया है, की धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

"क्या न्यू बैंक ऑफ इण्डिया के प्रबन्धतंत्र की श्री एम.सी. गुर्जर की सेवाएं समाप्त करने तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-ज के अधीन नई भर्ती करते समय उसके नियोजन पर विचार न करने की कार्यवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

2. श्री मालचन्द गूजर, जिसे तत्पश्चात प्रार्थी श्रमिक संबोधित किया है, ने स्टेटमैंट ऑफ क्लेम प्रस्तुत कर जाहिर किया कि उसकी प्रथम नियुक्ति अप्रार्थी बैंक की शाखा डडवाना में दिनांक 17-11-78 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुई । वह डोडवाना में दिनांक 17-11-79 से 24-12-79, 17-1-80 से 6-2-80, 3-4-80 से 19-4-80 तक लगातार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत रहा । इसके बाद प्रार्थी ने अप्रार्थी की सुजानगढ़ शाखा में 16-6-80 से 7-7-80 एवं चूरू में दिनांक 1-6-81 से 21-9-81 तक कार्य किया । यह कि प्रार्थी श्रमिक को अप्रार्थी बैंक ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए साक्षात्कार हेतु 7-4-81 के आदेश के तहत जयपुर में दिनांक 6-5-81 को उपस्थित होने को लिखा । साक्षात्कार में उर्तीर्ण होने पर प्रार्थी को दिनांक 12-4-81 को नियुक्ति पत्र निर्गमित कर दिया जिसके तहत उसने 1-6-81 को चूरू में कार्यभार संभाल लिया । प्रार्थी को बिना कोई नोटिस दिये एवं बिना कोई सेवा समाप्ति का आदेश दिये दिनांक 22-9-81 को शाखा प्रबन्धक चूरू ने प्रार्थी को कार्य करने से मना कर दिया । उसी दिन जब वह चूरू शाखा में उपस्थित हुआ तो प्रबन्धक ने उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने से मना कर दिया और बिना किसी नोटिस के तुरंत प्रभाव से उसकी सेवाएं समाप्त कर दी । अप्रार्थी ने न तो कोई आरोप पत्र दिया न कोई विभागीय जांच कराई, प्रार्थी का कार्य पूर्ण रूप से संतोषप्रद था । तत्पश्चात प्रार्थी ने बैंक को एक प्रतिवेदन भी दिया

जिसका अप्रार्थी बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया । इसलिए प्रार्थी ने सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) जयपुर के समक्ष विवाद उठाया जिन्होंने 12-2-88 को केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को असफलता प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और तत्पश्चात् उक्त विवाद इस न्यायाधीकरण के समक्ष पेश हुआ है । प्रार्थी ने आगे जाहिर किया है कि उसने अप्रार्थी बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कुल 211 दिन ही काम किया । किन्तु उसका कथन है कि जब साक्षात्कार उतीर्ण करने के पश्चात् उसे नियमित नियुक्ति दी गई थी और उसने अपना कार्य भी निष्ठा एवं ईमानदारी से किया तो बिना कारण बताए एवं बिना नोटिस दिये उसकी सेवाएं समाप्त करना उचित नहीं है । जबकि प्रार्थी की सेवाएं समाप्त करने के बाद श्री आर.डी. शर्मा को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दे दी इस प्रकार अप्रार्थी ने धारा 25-एच अधिनियम की अवहेलना की है । अप्रार्थी का दायित्व था कि बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद रिक्त होने पर सर्वप्रथम प्रार्थी श्रमिक को नियुक्ति देना जबकि अप्रार्थी ने ऐसा नहीं किया और प्रार्थी का नाम कन्सीडर किये बिना और उसे सूचना दिये बिना ही दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर धारा 25-एफ का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अप्रार्थी ने धारा 25-जी अधिनियम का भी उल्लंघन किया है क्योंकि एक ओर तो श्रमिक की सेवाएं समाप्त कर दी हैं और दूसरी ओर उससे कनिष्ठ व्यक्ति को सेवा में रख लिया है तथा अप्रार्थी को विभिन्न शाखाओं में अभी तक प्रार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्य कर रहे हैं । अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसे पुनः सेवा में लिये जाने के आदेश पारित किये जावें ।

3. अप्रार्थी ने जवाब पेश कर जाहिर किया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संस्थान की डीडवाना शाखा में पूर्ण रूप से अस्थाई कर्मचारी के रूप में लीव वेकन्सी की एवज समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्य किया था तथा प्रार्थी को पूरी जानकारी थी कि उस अवधि की समाप्ति के बाद उसकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी । द्विपक्षीय समझौते के पैरा 20.7 के अनुसार उसकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई थी । यह स्वीकार किया है कि उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया जो नियुक्ति पत्र 12-5-81 को उसे दिया था उसमें पूर्णतः स्पष्ट कर दिया था कि उसकी नियुक्ति तीन माह के लिए पूर्णतः अस्थाई है । इन तीन माह की समाप्ति के साथ ही प्रार्थी की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी तथा उसे किसी प्रकार का स्थायित्व एवं वरीयता प्राप्त नहीं होगी । इसी कारण प्रार्थी को किसी प्रकार का नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी न ही कोई औचित्य था । प्रार्थी की सेवा समाप्ति सेवा अनुबन्ध के अनुसार की गई है इसलिए यह छंटनी की परिभाषा में नहीं आती है । रैफरेंस नॉन एप्लीकेशन आफ माइंड है । अप्रार्थी ने धारा 25-एच या 25-जी का उल्लंघन नहीं किया है और प्रार्थी की सेवा मुक्ति उचित एवं वैध है इसलिए उसका क्लेम खारिज किया जावे ।

4. अप्रार्थी ने उपरोक्त जवाब के अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त आपत्तियां भी की हैं कि प्रार्थी का विवाद करीब 8 वर्ष पुराना है इस दौरान उसने अन्य जगह पर काम किया है । यह कि प्रार्थी ने 240 दिन की सेवा पूरी नहीं की है अतः छंटनी से संबंधित कोई प्रावधान लागू ही नहीं होता । प्रार्थी का नाम रोजगार कार्यालय द्वारा नहीं भेजा गया है, अतः क्लेम खारिज किये जाने योग्य है ।

5. अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के समर्थन में प्रार्थी श्री माल चन्द गूजर का स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है जिससे अप्रार्थी के प्रतिनिधि ने जिरह की है । अप्रार्थी की ओर से श्री नवल किशोर धूत का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है जिससे प्रार्थी के प्रतिनिधि ने जिरह की है । तत्पश्चात मैंने पक्षकारों की बहस सुनी । पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, शपथ पत्र एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया ।

6. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्तों का आश्रय लिया :

1. डब्ल्यू०एल.सी० (राज) 1992 (1), 464, ओरिऐण्टल बैंक आफ कामर्स बनाम दी प्रिसाइडिंग आफीसर, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण व अन्य ।

2. II एल०एल०एन० (एस.सी०) 1983 पेज 951 जय भगवान बनाम अम्बाला सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. व अन्य ।

7. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्तों का आश्रय लिया :

1. 1959 II एल० एल०जे० पेज 26, शालीमार वर्क्स लि० बनाम उनके कर्मचारी

2. 1980 लैब०आई०सी० पंज 1004, (एस.सी.) गुजरात स्टील ट्यूब्स लि० बनाम गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा व अन्य ।

3. 1990 एफ०एल०आर० (60) पेज 672 (माननीय अलाहाबाद हाई कोर्ट) मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, कानपुर बनाम पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण कानपुर व अन्य ।

4. 1992 ए०आई०आर० (एस०सी०) पेज 789, दिल्ली डेवेलपमेंट हॉर्टीकल्चर एम्पलाईज यूनियन बनाम दिल्ली प्रशासन, दिल्ली व अन्य ।

5. 1990 एस०एल०आर० (5) 695 (पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट) राज बहादुर केयर ऑफ डॉ० केवल दास शर्मा, अमृतसर बनाम जनरल मैनेजर, फूड स्पेशियलिटीज लि० मोगा जिला फरीदकोट व अन्य ।

6. 1991 एल.एल. एन. (38) पेज 247, (माननीय केरला उच्च न्यायालय) इण्डियन एयरलाईन्स बनाम सबास्टियन ।

7. [एल एल. जे. 1991, पेज 547 (मद्रास उच्च न्यायालय) पी. मनीकम बनाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया व अन्य ।

8. प्रबन्धन के योग्य प्रतिनिधि प्रो. जगन अरोड़ा ने प्रबल दलील दी कि श्रमिक श्री मालचन्द गूजर ने 240 दिवस की सेवा पूरी नहीं की है । इस कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम संबोधित किया जायेगा, की धारा 25-जी व 25-एच के प्रावधानों की पालना करना अपेक्षित नहीं था । मैं विद्वान प्रतिनिधि की इस दलील से सहमत नहीं हूं क्योंकि अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधान अधिनियम की धारा 25-जी व एच के प्रावधानों से अलग व भिन्न हैं । दोनों प्रावधानों को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता । अधिनियम की धारा 25-जी व 35-एच निम्न प्रकार है :

Section 25G

"*Procedure of retrenchment* : Where any workman in an industrial establishment, who is citizen of India is to be retrenchment and he belongs to a particular category of workmen in that establishment, in the absence of any agreement between the employer and the workmen in this behalf, the employer shall ordinarily retrench the workman who was the last person to be employed in that category, unless for reasons to be recorded the employer retrenches any other workman."

Section 25H

"Re-employment of retrenched workmen—Where any workmen are retrenched and the employer proposes to taken into his employ any person, he shall, in such manner as may be prescribed, give an opportunity to the retrenched workmen who are citizens of India to offer themselves for re-employment and such retrenched workman who offer themselves for re-employment shall have preference over other persons."

9. जैसा कि ऊपर स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 25-जी में यह प्रावधान है कि जो सबसे बाद में आया है वह सबसे पहले जायेगा और इस संशोधन को हर प्रकार की छंटनी के मामलों में लागू किया जायेगा । धारा 25-एच में यह प्रावधान है कि जहां किसी श्रमिक की छंटनी की गई है और तत्पश्चात किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर लिया हो और सेवा मुक्त किये हुए श्रमिक को नई नियुक्ति के लिये मौका नहीं दिया हो और उसका नाम नियुक्ति हेतु विचारार्थ नहीं रखा हो तो धारा 25-एच के प्रावधानों की अवहेलना हो जाती है ।

10. प्रबन्धक ने योग्य प्रतिनिधि ने यह भी प्रबल दलील दी कि कर्मकार मालचंद गुजर को पूर्णतः अस्थाई कर्मचारी के रूप में तीन माह के लिए ही नियुक्त किया गया था अतः उसकी सेवाएं उस निश्चित अवधि के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो गई । इस कारण श्रमिक की सेवा समाप्ति अधिनियम की धारा 2(OO) (बीबी) के अनुसार छंटनी की परिभाषा में नहीं आती है । प्रबन्धन के योग्य प्रतिनधि का एक तर्क यह भी था कि अन्य श्रमिकगण श्री आर.डी. शर्मा व परमेश्वर लाल प्रभावन की नियुक्ति नियमित चयन प्रक्रिया द्वारा स्थाई कर्मचारी के रूप में प्रोबेशन पर की गई थी इसलिए प्रार्थी श्रमिक का मामला उनसे बिल्कुल भिन्न हो जाता है । श्री गूजर की नियुक्ति स्थाई कर्मचारियों के चयन प्रक्रिया में समय लगने के कारण अस्थाई अवधि के लिए की गई थी ।

11. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात यह स्पष्ट प्रमाणित है कि प्रार्थी श्रमिक ने न्यू बैंक आफ इंडिया में पहले भी कार्य किया था । उसे विपक्षी बैंक की डीडवाना शाखा में 17-11-79 को नियुक्त किया गया और उसने इस शाखा में 17-11-79 से 30-11-79, 1-12-79 से 24-12-79, 17-1-80 से 6-2-80, 3-4-80 से 17-4-80 व 19-4-80 तक 75 दिवस कार्य किया तथा सुजानगढ़ शाखा में 16-6-80 से 7-7-80 तक कार्य किया । इस संबंध में शाखा प्रबन्धक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-1 व डब्ल्यू-2 अभिलेख पर उपलब्ध हैं । यह सही है कि प्रार्थी श्रमिक ने 240 दिवस कार्य नहीं किया है इस कारण यह मामला अधिनियम की धारा 25-एफ के अन्तर्गत नहीं आता है ।

12. यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रमिक को प्रादेशिक प्रबन्धक जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 7553 दिनांक 7-4-81, प्रदर्श डब्ल्यू-3 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्रम के पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया तथा साक्षात्कार के पश्चात उस पद के लिए उसका चयन कर लिया गया तथा इस आशय का नियुक्ति आदेश प्रदर्श डब्ल्यू-4 दिनांक 12-5-81 को जारी किया जिसकी अनुपालना में श्रमिक श्री गुजर ने विपक्षी बैंक की चुरु शाखा में दिनांक 1-6-81 को कार्यभार ग्रहण कर लिया और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर उसने 1-6-81 से 21-9-81 तक कार्य किया । उसके बाद दिनांक 22-9-81 से उसे कार्य पर नहीं लिया और उसे सेवा मुक्त कर दिया गया । इस अवधि में प्रार्थी श्रमिक का कार्य संतोषजनक रहा है । यह प्रदर्श डब्ल्यू-5 से प्रमाणित होता है जो कि विपक्षी बैंक की चुरु शाखा के प्रबन्धक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र है ।

13. प्रबन्धक के साथी श्री एन. के. धूर्त ने अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि श्रमिक मालचन्द गुजर का नाम नियोजन कार्यालय से आया था । इस प्रकार श्रमिक मालचन्द गुजर की नियुक्ति नियमित चयन प्रक्रिया के अनुसार ही नियोजन कार्यालय से नाम मंगवाने के पश्चात तथा साक्षात्कार के बाद नियमित वेतनमान में च. श्रे. कर्मचारी के पद पर दिनांक 12-5-81 को तीन माह के

लिए की गई थी किन्तु तीन माह की अवधि समाप्त होने के बाद भी इस श्रमिक ने विपक्षी बैंक में कार्य किया है। विपक्षी के साक्षी श्री धूर्त ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे याद नहीं है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने स्थाई पद रिक्त थे। उसका कथन है कि चयन प्रक्रिया 5.81 शुरू हुई एवं 6.82 में समाप्त हुई एवं 8/82 में स्थाई च. श्रे. कर्मचारियों की नियुक्तियां हो गई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परमेश्वर लाल प्रजापत को दिनांक 16-10-81 के आदेश से एवं रामदेव शर्मा को 2-8-82 के आदेश से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्थाई पद पर 6 माह की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया जबकि इन दो श्रमिकों की नियुक्ति से पूर्व ही स्थाई पद रिक्त रहने हुए भी प्रार्थी श्रमिक की सेवाएं दिनांक 22-9-81 से समाप्त कर दी। इस सेवा मुक्ति के बारे में कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया। श्रमिक श्री मालचंद गुजर की साक्ष्य से प्रमाणित है कि परमेश्वर लाल तथा आर.डी. शर्मा उससे उससे कनिष्ठ हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति प्रार्थी श्रमिक के बाद हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि परमेश्वर लाल को साक्षात्कार के लिए 6 मई 1981 को बुलाया गया था उसी रोज प्रार्थी श्रमिक मालचंद गुजर को भी साक्षात्कार के लिए बलाया गया था और उसी के परिणाम स्वरूप प्रार्थी श्रमिक को 12-5-81 को नियुक्त करने के आदेश हुए जबकि परमेश्वर लाल प्रजापत के नियुक्ति आदेश 16-10-81 को पारित किये गये हैं। प्रबन्धन के साक्षी श्री एन.के. धूर्त ने अपने प्रति परीक्षण में यह कथन किया है कि तीन माह समाप्त होने के बाद श्रमिक मालचन्द गुजर को हटाने के आदेश नहीं निकाले होंगे फिर कहा कि 21-9-81 को हटाने के आदेश रीजनल ऑफोस से जारी नहीं हुए। यह साक्षी में भी बताने में असमर्थ है कि जब 21-9-81 तक नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं नियुक्त हुए तो श्रमिक मालचंद गुजर को क्यों हटाया गया जबकि उसकी नियुक्ति नियमित च.श्रे. कर्मचारियों की नियुक्ति में समय लगने के कारण तब तक के लिए की गई थी जब तक नियमित च.श्रे. कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो जाती।

14. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्रमिक मालचंद गुजर की नियुक्ति स्थाई च. श्रेणी कर्मचारी पद के विरुद्ध चयन प्रक्रिया द्वारा की गई थी, उसका नाम नियोजन कार्यालय से मंगवाया गया था और उसके बाद उसका साक्षात्कार लेकर उसमें सफल होने के बाद ही च. श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित वेतन श्रंखला में उसे नियुक्त किया गया था। यद्यपि उसके नियुक्ति आदेश में तीन माह की अवधि दर्ज है किन्तु उसने तीन माह की अवधि के पश्चात भी इस पद पर कार्य किया और बाद में उसे बिना कोई आदेश जारी किये सेवा मुक्त कर दिया गया। तब कोई वरिष्ठता सूचि नहीं बनाई गई। जबकि उस समय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थाई पद रिक्त थे और प्रार्थी श्रमिक को हटाने के बाद दो अन्य व्यक्ति श्री रामदेव शर्मा व श्री परमेश्वर प्रजापत को नियुक्त किया गया जो प्रार्थी श्रमिक से कनिष्ठ हैं जबकि प्रार्थी श्रमिक को इस विषय में न तो कोई सूचना दी गई, न ही इस पद के लिए उसका नाम कन्सीडर किया गया तथा न ही उसे इस पद पर नियुक्त करने का कोई मौका दिया व अनुचित तरीके से उसको सेवा मुक्त कर छंटनी कर दी। इस प्रकार धारा 25-एच के प्रावधानों की अवहेलना प्रमाणित हुई है। अधि-नियम की धारा 25-जी की पालना नहीं हुई है कि जो सबसे बाद में आया है वह सबसे पहले जायेगा।

15. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी श्रमिक की छंटनी करने से पहले विपक्षी ने कोई वरिष्ठता सूची जारी नहीं की। अतः अधिनियम की धारा 25-जी की अवहेलना भी विपक्षी द्वारा किया जाना सावित है।

16. विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि की यह दलील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि अधिनियम की धारा 2(OO) (बीबी) के प्रावधान इस मामले में आकर्षित होते हैं क्योंकि यह संशोधन वर्ष 1984 का है जो भूतलक्षी न होकर भवि-ष्यलक्षी है। मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त आर.एल. आर. 1987 (II) प्रिंसीपल, मेयो कॉलेज, अजमेर बनाम जज, लेबर कोर्ट जयपुर व अन्य पेज 421 डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 522/87 निर्णय दिनांक 21-8-87 पर भरोसा करता हूं।

17. यह उल्लेखनीय है कि इस न्यायाधिकरण द्वारा सी.आई. टी.केस नं. 44/87 जहां श्रमिक गोपाल शर्मा ने मात्र 79 दिवस ही विपक्षी संस्थान में कार्य किया था, और इस श्रमिक को हटा दिया गया था, इस मामले में न्यायाधिकरण ने 19-3-91 के अधिनिर्णय द्वारा अधिनियम की धारा 25-जी व एच की अवहेलना मानते हुए श्रमिक की सेवा मुक्ति को छंटनी की परिभाषा में मानते हुए सेवा मुक्ति आदेश को अपास्त कर दिया गया। इस अवार्ड से व्यथित होकर विपक्षी ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. एस.बी.सि. रिट पि. 4732/91 दायर की जिसका निर्णय 20-9-91 को करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायाधिकरण के अवार्ड को यथावत रखा गया। उपरोक्त न्याय दृष्टान्त वैस्टर्न लॉ केसेज (राज-स्थान) 1992 वाल्यूम-1 पेज 464, ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स बनाम रीठासीन अधिकारी केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण व अन्य के तथ्य एवं परिस्थितियां हस्तगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूर्णतः लागू होते जिस पर मैं भरोसा करता हूं। प्रबन्धन के विद्वान प्रतिनिधि की यह दलील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि इस मामले में राजस्थान औद्यो-गिक विवाद नियम 1958 के नियम 76 पर विचार नहीं किया गया हो। माननीय न्यायाधिपति ने अधिनियम की धारा 2(OO) (बीबी), 25-एफ, 25-जी, 25-एच व राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम 1958 के नियम 77 व 78 की पूरी विवेचना करते हुए उसे छंटनी का मामला

माना है । विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि ने जो न्याय दृष्टान्त इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये हैं वही न्याय दृष्टान्त उन्होंने रिट याचिका की बहस के दौरान प्रस्तुत किये थे जिन पर पूर्णतः विवेचना कर माननीय न्यायाधिपति ने अधिनियम की धारा 25-जी व एच की अवहेलना मानते हुए इस न्यायाधिकरण द्वारा पारित पंचाट की पुष्टि की है । अतः मेरी विनम्र राय में यह तो प्रमाणित है कि प्रार्थी श्रमिक मालचन्द की सेवा मुक्ति अधिनियम की धारा 25-जी व एच की अवहेलना होने से अनुचित एवं अवैध है जिसे अपास्त किया जाता है ।

18. जहां तक अनुतोष का प्रश्न है, प्रार्थी श्रमिक ने यह मामला काफी विलम्ब से उठाया है । असफल वार्ता प्रतिवेदन प्रदर्श डब्ल्यू-6 से यह प्रकट होता है कि श्रमिक ने यह विवाद 19-11-87 के पत्र द्वारा उठाया है जबकि उसकी सेवा मुक्ति 22-9-81 को ही कर दी गई थी । इस प्रकार करीब 6 वर्ष के विलम्ब के बाद यह विवाद उठाया गया है अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि प्रार्थी को पिछला पूरा बकाया वेतन दिलाने की बजाय 22-9-81 से अवार्ड के दिनांक तक अर्थात् 17-3-93 तक आधा बकाया वेतन दिलाने से ही न्याय हित की पूर्ति हो जायेगी । मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त II एल.एल.एन. (एस.सी.) 1983 पेज 951, जय भगवान बनाम अम्बाला सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. व अन्य पर भरोसा करता हूं ।

19. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

"न्यू बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्तंत्र की श्री एम.सी. गुर्जर की सेवाएं समाप्त करने तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एच/ज के अधीन नई भर्ती करते समय उसके नियोजन पर विचार न करने की कार्यवाई अनुचित एवं अवैध है जिसे अपास्त किया जाता है । श्रमिक श्री माल चन्द गुर्जर को उसके पद पर नियोजित घोषित किया जाता है तथा उसकी सेवा की निरन्तरता कायम रखते हुए उसे दिनांक 22-9-81 से दिनांक 17-3-93 तक उसके पद का आधा वेतन दिलाया जाता है । प्रार्थी अवार्ड की तारीख से पूरे वेतन का हकदार होगा । 100/- रुपये खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है । यदि नियोजक द्वारा उक्त राशि तीन माह अंदर अदा नहीं की गई तो 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज भी देना होगा ।"

20. अवार्ड की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजी जावे ।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2497—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, खेतड़ी कापर काम्पलेक्स के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-43012/20/87-डी. III(बी)]
बी.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd October, 1993

S.O. 2497.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Kathadi Copper Complex and their workmen, which was received by the Central Government on 22nd October, 1993.

[No. L-43012/20/87-D.III(B)]
B. M. DAVID, Desk Officer

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 5/88

रैफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-43012/20/87-डी.-3(बी) दिनांक 4-12-1987

श्री ईश्वर पुत्र मौहन गांव दानी डोगर बावड़ी, पो. तहसील बाई, खेतड़ी, जिला झुंझनु द्वारा श्री बी.एम. बागड़ा, जयपुर ।

—प्रार्थी

बनाम

ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, खेतड़ी कापर काम्पलेक्स, मु. पो. खेतड़ी नगर, जिला झुंझनू ।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री बी.एम. बागड़ा

अप्रार्थी की ओर से : श्री मनोज शर्मा

दिनांक अवार्ड : 16-7-1993

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम संशोधित किया है की धारा 101(1)(घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

"क्या खेतड़ी कापर काम्पलेक्स, खेतड़ीनगर के प्रबन्धतंत्र की श्री ईश्वर, खनक को 13-11-1965 से सेवा से बरखास्त करने श्री कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

2. श्रमिक ईश्वर, जिसे तत्पश्चात् प्रार्थी संबोधित किया है, ने दिनांक 25-6-88 को स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थी ने दिनांक 9-10-73 से 15-9-76 तक मैसर्स हिन्दुस्तान कापर कोलिहान कोपर माईन्स खेतड़ीनगर के यहां माईनर के पद पर मेहनत व ईमानदारी से काम किया जिसके कारण उसे अप्रार्थी नियोजक ने माईनर पद वेतन श्रृंखला 235-6-325-7-353 में काम करने के लिए चयन किया जिसका नियुक्ति आदेश 21-6-77 को दिया गया और प्रार्थी श्रमिक ने 22-6-77 को अप्रार्थी नियोजक के यहां ड्यूटी ज्वायन की तभी से वह मेहनत व ईमानदारी से काम करता आ रहा है । आगे जाहिर किया कि दिनांक 13-11-85 के आदेश द्वारा सीनियर डिप्टी मैनेजर ने पार्टी को डिसमिस कर दिया जिसके संबंधित आदेश उसे 18-11-85 को प्राप्त हुए और प्रार्थी से 19-11-85 को ही नियोजक को सांय प्रतिवेदन एवं मचायान आदि के बचायों की सभी मांगों थी उसे नहीं दी गई और उसे विभागीय जांच की कोई जानकारी भी नहीं है । प्रार्थी श्रमिक ने उक्त आदेश के विरुद्ध स्थाई आदेश के तहत अपील भी की लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और अपील दाखिल होने की सूचना उसे 4-2-86 को दी गई तब उसने समझौता अधिकारी के यहां विवाद प्रस्तुत किया । वहां जाता विफल हुई तो केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्देश इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया । प्रार्थी कहता है कि उसकी सेवा मुक्ति अनुचित एवम् अवैद्य है क्योंकि उसे मिथ्या आरोपों के आधार पर माइन्स मैनेजर ने 20-11-92 को निलंबित किया था जिस संबंध में मिथ्या मुकदमा जो दायर किया गया, वह तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट खेतड़ी थाना में 17-8-81 व 17-8-82 को दर्ज कराई गई थी जिन दोनों ही मुकदमों के निर्णय में प्रार्थी को न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था । आरोप पत्र का जवाब भी प्रार्थी के आरोपों को अस्वीकार करते हुए दे दिया था और प्रार्थना की कि जब न्यायालय ने प्रार्थी को उपरोक्त आरोपों के लिए बरी कर दिया है तो उसके लिए विभागीय जांच की कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं है. और उसे जो निलंबित कर रखा है वे सारे वेतन व अन्य लाभ श्रमिक को दे दिये जाने पर नियोजक ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और जांच कार्यवाही आरंभ कर दी । प्रार्थी कहता है उसे जांच में प्रयुक्त दस्तावेजों की नकले नहीं दी गई, ना ही विभागीय न्यासों से जिरह करने का उसे अवसर दिया गया साथ ही उसने अपने बचाव हेतु प्रतिनिधित्व करने हेतु एडवोकेट की स्वीकृति मांगी जो उसे नहीं दी गई, इस प्रकार जांच नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने से केपर एवं प्रोपर नहीं है और प्रार्थी को सहज परेशान करने की नियत से ही यह उन के पर लेबर प्रेक्टिस अपनाते हुए उसे सेवा से पृथक किया गया है । प्रार्थी कहता है कि जांच अधिकारी ने उसे आरोप मुक्त भी कर दिया था लेकिन दुबारा जांच कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है और प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है । प्रार्थी को डिसमिस करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया गया तथा अपना बचाव पत्र प्रस्तुत करने का मौका भी नहीं दिया गया, विभागीय जांच भी हिन्दी में न की जाकर अंग्रेजी में की गई है तथा जांच कार्यवाही से प्रार्थी के विरुद्ध लगाये गये दुराचरण के आरोप भी प्रथम दृष्टया साबित नहीं होने हैं अतः उसे डिसमिस किया जाना न्यायोचित नहीं है । आगे जाहिर किया कि सेवा मुक्ति की दिनांक से ही वह बेकार बैठा है और उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अतः प्रार्थना की कि नियोजन प्रार्थी के आदेश दिनांक 13-11-85 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी को नौकरी में बहाल किया जाये व उसे समस्त लाभ एवं हर्जा खर्जा समेत नौकरी में लिया जावे ।

3. डिप्टी मैनेजर (पर्सनल) खेतड़ी कापर काम्लेक्स, जिसे तत्पश्चात् अप्रार्थी संबोधित किया है, ने क्लेम का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थी श्रमिक वर्ष

1973 से 1976 तक कम्पनी का वर्कमैन नहीं था बल्कि कम्पनी से अनुबंधित ठेकेदार के नियोजन में था । विपक्षी कम्पनी में उसकी नियुक्ति बतौर माईनर 23 जून 1977 को प्रथम बार हुई। प्रार्थी के विरुद्ध दुराचरण के गंभीर आरोप थे । ये आरोप कंपनी के माल की चोरी एवं संस्थान में अनुशासन के विरुद्ध कार्य करना था जिसके लिए उसे 20-11-82 को चार्ज शीट दी गई थी और इस चार्ज शीट पर घरेलू जांच की गई जिसमें प्रार्थी श्रमिक ने भी हिस्सा लिया था । जांच कार्यवाही की नकल देने का प्रावधान नहीं था फिर भी जांच कार्यवाही की नकल लेने का उसे अवसर दिया गया, समस्त रिकार्ड के अवलोकन हेतु उसे लिखित में बताया गया था ताकि अपील करने में उसे सहायता मिले । प्रार्थी को अपील पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के विचार करने के बाद ही खारिज किया गया था जिसकी सूचना उसे दे दी गई थी । प्रकरण सं. 409/83 व 276/83 में प्रार्थी को बाइज्जत रिहा नहीं किया गया बल्कि संदेह के कारण का लाभ देते हुए उसे रिहा किया गया क्योंकि दुर्भाग्य से आपराधिक प्रकरणों में सीधी साक्ष्य मातादीन बारीक की होनी थी जो प्राप्त न हो सकी और घरेलू जांच में इस साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी ने जिरह भी की थी, अतः जांच फेयर एवं प्रोपर थी और प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुरूप थी । संस्थान में ऐसा कोई नियम या प्रक्रिया नहीं है जिसके अनुसार सेवा मुक्ति करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस एवं जवाब का पक्ष देने का कोई कारण हो। प्रार्थी द्वारा किया गया दुराचरण इतना गंभीर है कि डिसमिसल के अतिरिक्त कोई और दण्ड दिया जाना संस्थान के नियमो के विरुद्ध होगा। प्रार्थी की सेवा मुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा तथा स्थाई आदेशों के अनुसार ही की गई है । अतः प्रार्थी किसी राहत का अधिकारी नहीं है ।

4. प्रार्थी श्रमिक अप्रार्थी नियोजक मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लि. कोलिहान कॉपर माईन्स खेतड़ी नगर के अधीन माईनर के पद पर कार्यरत था । अप्रार्थी कम्पनी की विद्युत मोटरें गायब होने के संबंध में पुलिस थाना खेतड़ी में दिनांक 17-8-87 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श एम-1 तथा दिनांक 17-8-82 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श एम-2 दर्ज कराई गई थी । पुलिस के अनुसंधान के दौरान कथित चुराई गई विद्युत मोटरें बरामद होना बताकर अप्रार्थी कम्पनी को सूचित किया था कि उक्त मोटरें प्रार्थी श्रमिक के मकान की तलाशी लेने पर बरामद हुई हैं । इस संबंध में अप्रार्थी कम्पनी ने प्रार्थी श्रमिक ईश्वर को दुराचरण का दोषी मानते हुए चोरी का आक्षेप लगाते हुए चार्जशीट प्रदर्श एम-8 जारी की एवं प्रार्थी श्रमिक का जवाब लेते हुए उसके विरुद्ध धरेलू जांच सम्पन्न कराई और प्रार्थी श्रमिक को दुराचरण का दोषी मानते हुए दिनांक 13-11-85 को उसे सेवा से पृथक कर दिया ।

5. यह उल्लेखनीय है कि मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल लाल गुप्ता ने दिनांक 18-9-90 के आदेश द्वारा यह निर्णित किया कि घरेलू जांच निष्पक्ष एवं उचित नहीं थी और नियोजक को प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध कदाचरण के आरोप को सिद्ध करने का अवसर दिया । प्रबन्धन की ओर से दो साक्षी सर्वश्री मतादीन शर्मा व बी.एम. विजयवर्गीय के शपथ पत्र साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे प्रार्थी श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने प्रति परीक्षण किया है और प्रार्थी श्रमिक ईश्वर ने विपक्षी साक्ष्य के खण्डन में स्वयं का तथा एक अन्य साक्षी ओम सिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनसे अप्रार्थी नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने प्रति परीक्षण किया है । दोनों पक्षों की ओर से प्रालेखीय सबूत भी प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवेचन साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय यथास्थान किया जायेगा । तत्पश्चात पक्षकारान के प्रतिनिधियों की बहस सुनी और पत्रावली, धरेलू जांच पत्रावली तथा विधि के सुसंगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया ।

6. अप्रार्थी कम्पनी की ओर से अपनी दलीलों के समर्थन में न्याय दृष्टान्त 1978 (iii) एस. सी. सी., 504, आई.टी.सी. लि. मोल्यर बिहार बनाम प्रसाइडिंग आफिसर लेबर कोर्ट, पटना व 1972 (VI) एस.सी.सी. 618, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सरदार बहादुर का आश्रय लिया ।

7. अब मैं विधि की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए यह अभिनिर्णीत करूंगा कि क्या नियोजक पक्ष प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये दुराचरण के आरोपों को प्रमाणित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ।

8. यह उल्लेखनीय है कि विद्युत मोटरों की चोरी के संबंध में अप्रार्थी नियोजक द्वारा पुलिस थाना खेतड़ी में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श एम-1 व एम-2 दर्ज कराई गई थी, इसमें प्रार्थी श्रमिक को अभियुक्त नामजद नहीं किया गया था और बरामदगी के आधार पर पुलिस थाना खेतड़ी ने अभियुक्त के विरुद्ध विद्वान मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी के समक्ष प्रदर्श एम-1 एफ.आई.आर. की तफ तोश के आधार पर अपराध अन्तर्गत धारा 319 भा.द.स. में प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 4-1-85 को विद्वान

मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया। दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श एम–2 की तफतीश के आधार पर एक अन्य चालान प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध विद्वान मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 8–5–85 को अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.द.सं. के आधार पर उन्मोचित किया गया।

9. यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये दुराचरण के आरोपों की जांच अप्रार्थी कम्पनी के प्रमाणित स्थाई आदेश के क्लॉज 39(2)(iii) व 39(1)2(v) के अन्तर्गत चोरी व अनुशासनहीनता (एक्ट सबवर्सिव ऑफ डिसीपलिन) के अधीन जांच अधिकारी श्री आर.ए. सुगन्ध सहायक प्रबन्धक (लॉ) को नियुक्त किया गया जिन्होंने घरेलू जांच करके दिनांक 25–1–85 को यह निर्णीत किया कि प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये आरोप चार्जशीट दिनांक 20–11–82 प्रमाणित नहीं हुए हैं जिस पर प्रबन्धक के सीनियर मैनेजर (कार्मिक) श्री एस. एन. सिंघल ने दिनांक 31–1–85 को यह जांच पुनः खोलने के आदेश दिये और साक्षी मातादीन सहायक निरीक्षक पुलिस के बयान लेने के निर्देश दिये जिस पर जांच कार्यवाही पुनः खोली जाकर श्री मातादीन को परीक्षित किया गया और उसके बयानों के आधार पर प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध लगाये गय आरोपों को प्रमाणित मानते हुए प्रार्थी श्रमिक को दुराचरण का दोषी मानते हुए सेवा से पृथक करने के आदेश दिनांक 13–11–85 को पारित किये गये हैं।

10. नियोजक के साक्षी श्री बी.एन. विजयवर्गीय ने यह कथन किया है कि दिनांक 15–10–81 को अप्रार्थी कम्पनी की विद्युत मोटर चोरी होने के संबंध में उसे पुलिस थाना खेतड़ी में एफ.आई.आर. प्रदर्श एम–1 दर्ज कराई थी तत्पश्चात् अगले साल 15 अगस्त 1982 को विद्युत मोटर चोरी हुई इस संबंध में भी उसने एफ.आई.आर. पुलिस थाना खेतड़ी में 17–8–82 को दर्ज कराई जो प्रदर्श एम–2 है। इस साक्षी ने यह कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श एम–1 में जिस मोटर की चोरी का हवाला है उसका विवरण प्रदर्श एम–4 है तथा दुसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिस विद्युत मोटर चोरी का उल्लेख किया गया है उसका विवरण प्रदर्श एम–5 से एम–9 पर अंकित है एवं घरेलू जांच में प्रदर्श एम–2, ए–2, व 3 है। इस साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 23–9–82 को पुलिस से सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर उसने पुलिस स्टेशन खेतड़ी जाकर चैक किया था तथा मोटरों को देखा था। उसमें हिन्दुस्तान कॉपर की वो मोटरें भी थी जो चोरी हुई थीं। इस साक्षी के कथन का मूल्यांकन करने के पश्चात् में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस साक्षी ने प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी कथन नहीं किया है। इसने केवल यह कथन किया है कि उसके द्वारा दर्ज कराई गयी एफ.आई.आर. प्रदर्श एम–1 व 2 के आधार पर पुलिस की सूचना आने पर उसने पुलिस थाना खेतड़ी में जाकर देखा तो उनमें हिन्दुस्तान कॉपर लि. की वे मोटरें भी थी जो चोरी हुई थी। यह उल्लेखनीय है कि यह साक्षी बरामदगी के समय मौजूदा नहीं था और न ही उसने यह कथन किया है कि उसके सामने पुलिस ने प्रार्थी श्रमिक के घर से चोरी की मोटर बरामद की हो। इस बरामदगी के संबंध में अप्रार्थी नियोजक के एक मात्र साक्षी श्री मातादीन शर्मा ए.एस.आई. थाना खेतड़ी का बयान सुसंगत है जिसने कथन किया है कि उसने सूचना के अनुसार ईश्वर सैनी निवासी डोगर बावड़ी के घर पर दिनांक 18–8–82 को छापा मारा था और उस समय ईश्वर के घर के चौक के एक कोने में लकड़ियों के ढेर के नीचे दो बिजली की मोटर बरामद की थी इनमें से एक मोटर पर 321–546 कवर पर खुदा हुआ था और दुसरी पर 262 कवर पर खुदा हुआ था। इस साक्षी ने यह भी बयान किया है कि बरामदगी के समय ईश्वर सैनी और दो अन्य मोतबिर तथा सर्किल आफीसर श्री रतन सिंह मौजूद थे। यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी नियोजक ने इन दोनों मोतबिरों तथा सैर्किल आफीसर रतन सिंह को परीक्षित नहीं कराया है और एक मात्र साक्षी मातादीन शर्मा के कथनों का अवलम्ब लिया है। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में यह माना है कि वह बरामदगी करने गया तब उसके साथ 4 सिपाही भी थे जबकि इन चारों सिपाहियों को भी शहादत में परीक्षित नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस बरामदगी के आधार पर प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध दो फौजदारी मुकदमें संस्थित किये गये थे उसमें चोरी के प्रकरण में इस साक्षी को परीक्षित तक नहीं किया गया था जिसमें प्रार्थी श्रमिक को दोषमुक्त किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण साक्षी है जिसका बयान घरेलू जांच में भी कराया गया है और इस घरेलू जांच को फेयर व प्रोपर नहीं मानने पर दुराचरण के आरोप सिद्ध करने के लिए इस साक्षी को इस न्यायाधिकरण के समक्ष परीक्षित किया गया। यहां यह उल्लेख करना भी अनावश्यक नहीं होगा कि नियोजक पक्ष जिस बरामदगी को साक्ष्य पर भरोसा करता है उस संबंध में फर्द बरामदगी प्रदर्श एम–9 को न तो घरेलू जांच के समय इस साक्षी से प्रमाणित कराया गया और न ही इस फर्द प्रदर्श एम–9 को इस साक्षी द्वारा इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रदर्शित कराकर प्रमाणित किया गया है। विधि की स्थिति से स्थिर रहे कि जांच में केवल वे ही प्रलेख पढ़े जा सकते हैं जो शहादत में प्रदर्शित कराये गये हों किन्तु हस्तगत मामले में प्रदर्श एम–9 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था जिसे तो मातादीन शर्मा द्वारा प्रदर्शित नहीं कराया गया है। मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में डब्ल्यू. एल.एम. (यू.सी.) 1981, 457 अमृत लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (राज. उच्च न्यायालय) पर भरोसा करता हूं। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श एम–9 को मातादीन शर्मा के बयान से प्रदर्शित नहीं कराना अप्रार्थी के लिए घातक सिद्ध हुआ है और यह एक ऐसी कमजोरी है जिसके लिए प्रार्थी श्रमिक को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। इस बरामदगी को साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये दुराचरण के आरोप सिद्ध नहीं हो सके हैं और यह भी प्रमाणित

नहीं हो सका है कि प्रार्थी श्रमिक के घर से दो विद्युत मोटरें बरामद की गई हों ।

11. आपराधिक प्रकरण में भी दोनों बरामदगी मोतबिर ओम सिंह एवं दुर्गासिंह पेश हुए थे जिन्होंने बरामदगी का समर्थन नहीं किया था और इन दोनों साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित किया गया था और बरामदगी प्रमाणित नहीं होने पर प्रार्थी श्रमिक को विद्वान मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी द्वारा दिनांक 4-1-85 को दोषमुक्त किया गया तथा दूसरे आपराधिक प्रकरण में अपराध धारा 457, 380 भा.द.सं. से उन्मोदित किया। विधि की स्थिति सुस्थिर है कि आपराधिक प्रकरणों में संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है तथा सिविल प्रकरणों में प्रोपोन्डरैन्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एवीडेन्स(Preponderous of Probabilities of Evidence) के आधार पर साक्ष्य का मूल्यांकन कर प्रकरण को निस्तारित किया जाता है और घरेलू जांच में साक्ष्य अधिनियम के स्ट्रिक प्रोपोजल लागू नहीं होते किन्तु यह अवश्य ध्यान रखना पड़ता है कि जांच नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के अनुकूल की गई हो । जैसा कि मैं ऊपर उल्लिखित कर चुका हूं कि मातादीन के कथनों के अनुसार कथित बरामदगी के समय दो मोतबिर ओम सिंह व दुर्गा सिंह मौजूद थे तथा सर्किल आफीसर रतन सिंह भी मौजूद थे और 4 पुलिस सिपाही भी मौजूद थे किन्तु इनमें से किसी को भी नियोजक पक्ष ने परीक्षित नहीं कराया है तथा हमत्वपूर्ण दस्तावेज एम-9 कर्द बरामदगी को साक्षी मातादीन से भी प्रदर्शित कर प्रमाणित नहीं किया है । नियोजक की इस दुर्बलता का लाभ प्रार्थी श्रमिक को पहुंचता है क्योंकि उसने मोतबिर ओम सिंह को परीक्षित करवाया है जिसने इस बरामदगी का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है और प्रार्थी श्रमिक ने भी यह अस्वीकार किया है कि उसके आधिपत्य से चोरी की मोटरें बरामद हुई हों । प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य नियोजक को साक्ष्य के मुकाबले में ज्यादा विश्वसनीय एवं मजबूत है जिस पर भरोसा किया जाता है । अप्रार्थी नियोजक यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि कर्द प्रदर्श एम-9 द्वारा प्रार्थी श्रमिक के मकान से कथित दोनों चोरी की मोटर बरामद की गई हो । यहां यह भी उल्लिखित करना अनावश्यक नहीं होगा कि प्रदर्श एम-2 के आधार पर पुलिस थाना खेतड़ी ने दो चालान विद्वान मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी के समक्ष प्रस्तुत किये थे उसमें भी प्रार्थी श्रमिक को आपराधिक धारा 380, 411 भा.द.सं. में उन्मोचित कर दिया किन्तु अन्य तीन अभियुक्तगण सर्वश्री टाकूड़ा, ताराचंद व झावर को आरोप सुनाये गये हैं। प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध न तो चोरी का आरोप सिद्ध हुआ है और ना ही अनुशासनहीनता का कोई कृत्य प्रमाणित हुआ है । अप्रार्थी नियोजक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त हस्तगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण उन्हें कोई मदद् नहीं पहुंचाते । मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त आर.एल.आर. 1991 (2) पेज 469 बाबूलाल मंगवाल स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य पर भरोसा करता हूं ।

12. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

"खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ीनगर के प्रबन्धन द्वारा श्रमिक श्री ईश्वर, माईनर की सेवाएं दिनांक 13-11-85 से समाप्त किया जाना उचित एवं वैध नहीं है । उसे उसके पद पर नियोजित घोषित किया जाता है एवं उसके पद का समस्त वेतन एवं अन्य सभी लाभ मन सेवा की निरन्तरता के दिलाए जाते हैं। प्रार्थी श्रमिक ईश्वर ने नियोजक से अन्तरिम राहत की जो राशि प्राप्त की है वह राशि उसे देय राशि में से समायोजित कर शेष राशि का भुगतान नियोजक अंदर तीन माह अदा नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।"

13. उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जाये ।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2498—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स बाबा मार्बल्स सप्लायर्स के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कामकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-29012/37/88-डी-III(बी)]
बी एम डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd October, 1993

S.O. 2498.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Baba Marbles Suppliers and their workmen, which was received by the Central Government on 22nd October, 1993.

[No. L-29012/37/88-D.III(B)]
B. M. DAVID, Desk Officer

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस. नं. सी. आई. टी. 12/89

रैफरैन्स : केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल 29012/37/88-5/3 बी दिनांक 3-1-1989

श्री किशन दान पुत्र श्री शिवदानजी चाटनागांव पोस्ट सरदार तहसील खेदार जिला सिरोही प्रार्थी

बनाम

मैसर्स बाबा मार्बल्स सप्लायर्स, 84/227 ए, अर्फीस को कोठी खानपुर विपक्षी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जयन्ती लाल शाह
विपक्षी की ओर से : कोई हाजिर नहीं (एकपक्षीय)
दिनांक अवार्ड : 4 अगस्त 1993

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10(1) (घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

"Whether the action of the management of M/s. Baba Marbles Suppliers, Kanpur in terminating the services of Shri Kishan Dan, Chowkidar w.e.f. 28th December, 1987 is justified ? If not, what relief is the concerned workman entitled to ?"

2. प्रार्थी श्री किशन दान ने अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम दिनांक 10-4-89 को प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि प्रार्थी को प्रथम नियुक्ति सरमन मारबल्स रामपरा में चौकीदार के पद पर दिनांक 2-7-86 को हुई थी तब से लगातार वह विपक्षी संस्थान में कार्य करता रहा तथा उसका कार्य संतोषप्रद था एवं उसे 400 रुपए प्रतिमास वेतन मिलता था। प्रार्थी कहता है कि चूंकि वह वरिष्टतम चौकीदार था एवं उसका कार्य अच्छा था अतः श्री अरूण कुमार गुप्ता व श्री तेज बहादुर जो उस समय बाबा मारबल्स में कार्य कर रहे थे ने मास अक्तूबर 1987 में मौखिक आदेश दिये कि उनके एक खान बाबा सप्लायर्स के नाम से मेन तलेटी पर है वहां जाकर वह चौकीदार का कार्य करे जिसपर उसका वेतन भी 600 रुपये प्रति माह कर दिया गया और प्रार्थी ने वहां 14-10-87 को ड्यूटी जोईन कर ली। दिनांक 28-12-87 को मौखिक आदेश द्वारा उसे सेवामुक्त कर दिया गया उसके बाद भी वह विपक्षी को खान पर ड्यूटी देता रहा किन्तु उसे ड्यूटी पर नहीं लिया और उसके स्थान पर नये चौकीदार को नियुक्त कर लिया गया। प्रार्थी कहता है कि उसने केन्द्रीय लेबर कमिश्नर अजमेर के यहां विवाद उठाया किन्तु समझौता नहीं हो सका (1) अतः केन्द्रीय सरकार ने यह मामला न्याय निर्णय हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया। प्रार्थी कहता है कि उसने विपक्षी संस्थान के यहां 2-7-86 से 29-12-88 तक लगातार कार्य किया है अर्थात् एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक की सेवा पूरी कर ली थी किन्तु ऐसे सेवा मुक्ति से पूर्व ना तो कोई नोटिस ना ही नोटिस के एवज में एक माह का वेतन और छंटनी मुआवजा भी नहीं दिया गया इस प्रकार धारा 25 एफ अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की है। प्रार्थी से जूनियर श्रमिक अभी भी खान पर कार्य कर रहे हैं तथा नये चौकीदार की भी नियुक्ति की गई है, अतः धारा 25 एफ अधिनियम के प्रावधानों की भी अवहेलना की गई है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि उसकी सेवामुक्ति को अवैध व अनुचित घोषित किया जाए तथा प्रार्थी को पूरे वेतन सेवाओं व सुविधाओं सहित सेवा में बहाल किया जाये।

3. अप्रार्थी नियोजक ने दिनांक 31-1-90 को क्लेम का जवाब पेश कर यह आपत्ति उठाई है कि वह मुकदमा मै. बाबा मारबल्स सप्लायर्स कानपुर के विरुद्ध है अतः यह मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत जयपुर के औद्योगिक न्यायाधिकरण में नहीं चल सकता। गुणावगुण पर अप्रार्थी का कथन है कि बाबा मारबल्स सप्लायरस सरमन मारबल की ईकाई नहीं है और सरमन मारबल्स मापुरा व अप्रार्थी के मध्य कोई एकता नहीं है। आगे जाहिर किया कि बाबा मारबल्स सप्लायर्स के प्रबन्धक ने श्री किशनदान को 14-10-87 से आकस्मिक कार्य हेतु टैम्परेरी चौकीदार के पद पर रखा था। किन्तु उसका कार्य संतोषजनक नहीं होने से उसकी सेवा 28-12-87 को समाप्त कर दी गई। किशनदान ने लगातार तीन माह भी कार्य नहीं किया है। यह भी कहा कि प्रार्थी कभी भी 28-12-87 के बाद ड्यूटी पर नहीं आया और प्रार्थी ने केवल 14-10-87 से 28-12-87 तक ही कार्य किया है, अतः वह किसी राहत का अधिकारी नहीं है।

4. यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में विपक्षी की ओर से गैरहाजिर पेश होने के लिए पत्रावली नियत थी किन्तु न तो उनकी ओर से कोई उपस्थित आया और न ही कोई गैरहाजिर पेश की गई अतः दिनांक 5-11-92 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश पारित किये गये।

5. प्रार्थी की एक पक्षीय साक्ष्य में श्री किशन दान ने स्वयं को परीक्षित कराया है जिसके शपथ पत्र पर विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी ने प्रतिपरीक्षण भी किया है। अपने शपथ पत्र में प्रार्थी श्रमिक ने प्रमाणित किया है कि उसकी नियुक्ति अप्रार्थी संस्थान में दिनांक 2-7-86 को की गई थी और चौकीदार के पद हेतु 400 रुपये माहवार पर की गई थी। उसने श्री अरूण कुमार गुप्ता व श्री तेज बहादुर के मौखिक आदेशों की अनुपालना में दिनांक 14-10-87 को मीण तलेटी की खान पर चौकीदारी का कार्य शुरू किया जहां उसे रुपये 200 बढ़ाकर अर्थात 600 माहवार वेतन दिया जाता था। किन्तु दिनांक 28-12-87 को श्री तेजबहादुरजी ने मौखिक आदेश द्वारा उसे सेवामुक्त कर दिया जबकि उस समय मणि तलेटी खान चल रही थी और प्रार्थी को सेवा से हटाने के बाद वह नये चौकीदार को नियुक्त किया गया। प्रार्थी श्रमिक ने अपनी एक पक्षीय साक्ष्य में यह प्रमाणित किया है कि उसने दिनांक 2-7-86 से दिनांक 28-12-87 तक लगातार विपक्षी संस्थान में कार्य किया है अर्थात एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक सेवा पूरी कर ली थी किन्तु सेवामुक्ति से पूर्व उसे न तो कोई नोटिस अथवा नोटिस पे और ना ही छंटनी मुआवजा दिया गया तथा उसकी सेवा मुक्ति के बाद नये व्यक्ति की नियुक्ति भी की इस प्रकार धारा 25-एफ एवं एच अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना प्रमाणित है। अपने प्रति परीक्षण में प्रार्थी ने प्रमाणित किया है कि सरमन मारबल्स तथा बाबा मारबल्स अलग अलग नहीं है यह भी कहा है कि बाबा मारबल्स में चौकीदारी के अलावा उसने सुपरवीजन का भी कार्य किया है तथा अरूण कुमार गुप्ता ही सरमन मारबल्स के मालिक भी थे। इस प्रकार प्रार्थी की साक्ष्य के खण्डन में विपक्षी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है अतः प्रार्थी की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किये जाने का कोई उचित कारण नहीं है। विपक्षी ने जवाब में केवल यही कहा है कि सरमन मार्बल्स व बाबा मार्बल्स दोनों अलग-अलग संस्थान है एक नहीं जबकि प्रार्थी की साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि दोनों ही संस्थान के मालिक श्री अरूण कुमार गुप्ता है। इस प्रकार प्रार्थी ने विपक्षी संस्थान में एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक कार्य करना प्रमाणित किया है और उसे सेवा मुक्ति से पूर्व कोई नोटिस, नोटिस पे अथवा छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया जो धारा 25एफ के प्रावधानों की अवहेलना है। अतः प्रार्थी श्रमिक को सेवा मुक्ति अनुचित एवं अवैध होने से अपास्त की जाती है और इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

"मैसर्स बाबा मारबल्स सप्लायर्स, कानपुर के प्रबन्धतंत्र द्वारा श्रमिक श्री किशन दान की दिनांक 28-12-87 से सेवा मुक्ति किया जाना उचित एवं वैध नहीं है। उसे उसके पद पर नियोजित घोषित किया जाता है एवं उसका पिछला समस्त वेतन व अन्य सभी लाभ एवं सेवा की निरन्तरता के दिलाये जाते हैं। नियोजक को आदेश है कि समस्त बकाया राशि प्रार्थी को अंदर तीन माह अदा करे अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा 100 रुपये खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है।"

6 उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जाये।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2499—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डिप्टी कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स, नार्दर्न रेलवे जोधपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में

औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/43/86-डी-2 (बी) (पीटी)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th October, 1993

S.O. 2499.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Dy. Controller of Stores, Northern Rly., Jodhpur and their workmen, which was received by the Central Government on 22nd October, 1993.

[No. L-41012/43/86-D.II(B)(Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

केन्द्रीय औद्योगिक, न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी आई. टी. 74/1987

रैफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल—41012/43/86—डी—2 दि दिनांक 2-9-1987

श्रीचन्द्र भूषण सिंह पुत्र श्री सियाराम सिंह निवासी [पुरानी लोको कॉलोनी, जोधपुर मार्फत भरत सिंह महामंत्री रेलवे कैज्युअल लेबर यूनियन (पं. सं. 33/69) डागा स्कूल के पास, बीकानेर।

—प्रार्थी

बनाम

डिप्टी कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स, नोर्दन रेलवे, जोधपुर

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकरलाल जैन, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से :	श्री अरविंद सिंह
अप्रार्थी की ओर से :	श्री बी. एस. माथुर
दिनांक अवार्ड	24 फरवरी, 1993

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है।

"Whether the termination of Shri C. B. Singh Casual Khalasi w.e.f. 4-1-85 by the management of Railway Administration is legally in order and justified ? If not, to what relief and from what date, the workman is entitled to ?"

2. महामंत्री, रेलवे कैज्युअल लेबर यूनियन, जिसे तत्पश्चात प्रार्थी संघ संबोधित किया है, ने अपना स्टेटमेंट आफ क्लेम पेश कर जाहिर किया कि कर्मचारी श्री चन्द्र भूषण सिंह को दिनांक 4-4-83 को डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर आफ स्टोर्स, जोधपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक 220 ई/ई-2/सी/लेबर/82—83 दिनांक 31-3-83 के अनुसार नियुक्त किया गया। कर्मचारी को कार्यालय आदेश सं. ओ. औ. /ई/184 केस सं. 220ई/ई-2/कैज्युअल लेब/82-83/भाग-II दिनांक 10-10-83 के अनुसार टैम्प्रेरी स्टेटस एवं वेतनमान 196—232 को वेतन भत्ता दिनांक 3-8-83 दिया गया। आगे बताया कि उसे दिनांक 3-1-85 तक लगातार सेवा में रखा और दिनांक 4-1-85 को उसकी सेवाएं टर्मीनेट कर दी। उसने एक वर्ष में 240 दिन से अधिक काम कर लिया था अतः वह औद्योगिक कर्मचारी बन गया था। यह भी जाहिर किया कि कर्मचारी को इस बाबत डिप्टी कन्ट्रोलर ऑफ स्टोर्स, नोर्दन रेलवे, जोधपुर ने पत्र क्र. डिप्टी सी ओ एस/स्टि/सी सं. 220 ई—सी डी एस/सी एल/दिनांक 29-1-85 दिया कि कर्मचारी ने 1-8-78 से पूर्व काम नहीं किया अतः उसकी सेवा समाप्त करना आवश्यक है। प्रार्थी श्रमिक का कहना है कि उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई। न ही कोई आरोप पत्र दिया गया और विभागीय जांच नहीं की गई। उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका भी नहीं दिया गया। अतः उसकी सेवा मुक्ति अनुचित एवं अवैध है। प्रार्थी संघ का कथन है कि श्रमिक का सेवा छटनी की परिभाषा में आती है किन्तु उसे छंटनी से पूर्व कोई नोटिस अथवा नोटिस पे एवं छंटनी का मुआवजा भी नहीं दिया गया न ही कोई वरिष्ठता सूची बनाई गई। इस प्रकार धारा 25-एफ व जी प्रावधानों की अवहेलना हुई है। कर्मचारी ने सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अजमेर के समक्ष औद्योगिक विवाद उठाया जो वार्ता असफल रही अतः उक्त विवाद इस न्यायाधिकरण में अधिनिर्णयार्थ राज्य सरकार द्वारा भेजा गया। अतः क्लेम पेश कर प्रार्थी संघ का निवेदन है कि श्रमिक सेवा में पुनः बहाल होने का अधिकारी है तथा उसे टर्मीनेशन अवधि का पूरा वेतन एवं भत्ते वेतनमान 196—232 एवं दिनांक 1-1-86 से इसके समकक्ष संशोधित वेतनमान का पूरा वेतन पाने का अधिकारी है, जो उसे दिलाया जावे।

2 डिप्टी कन्ट्रोलर ऑफ स्टोर्स, उत्तर रेलवे, जोधपुर, जिसे तत्पश्चात अप्रार्थी नियोजक संबोधित किया है, ने क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थी ने फर्जी व बनावटी जाली प्रलेख के आधार पर अपनी नियुक्ति डिप्टी कन्ट्रोलर ऑफ स्टोर्स, जोधपुर के कार्यालय में आकस्मिक अस्थाई श्रमिक के पद पर दैनिक वेतन 7 रु. प्रतिदिन पर प्राप्त की थी। प्रार्थी ने अपने नये पिटीशन में लिखित तथ्यों को पुष्टि में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है और न ही अपने कथन को सत्यापित किया है जो नियम विरुद्ध है। नियोजक ने वस्तुस्थिति इस प्रकार बताई है कि प्रार्थी को प्रथम नियुक्ति रेलवे विभाग में आकस्मिक श्रमिकों की श्रेणी में अस्थाई रूप से निश्चित अवधि अर्थात दस रोज के लिए दिनांक 23-9-82 को की गई, इसके बाद उसकी नियुक्ति दिनांक 31-3-83 को दैनिक वेतन रु. 7.80 प्रति दिन पर 90 रोज के लिए की गई जो 4-3-83 से 22-6-83 तक थी। उपरोक्त नियुक्ति बाबत पत्र में स्पष्ट कर दिया गया था कि जिस कार्य पर उसे लगाया जा रहा है उसकी समाप्ति पर उसकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जावेंगी। चूंकि अस्थाई कार्य समाप्त होने में समय लगने वाला था अतः प्रार्थी की सेवाएं अवधि को समय-समय पर प्रशासनिक आदेशानुसार बढ़ाया जाता रहा। रेलवे प्रशासन के नियमानुसार प्रार्थी के 120 दिन के कार्यकाल को पूरा कर लेने पर उसका पद अस्थाई मानकर उसे दिनांक 3-6-83 से वेतनमान रु. 196—232 में रखा गया। किन्तु चयन समिति द्वारा उसका चयन नहीं हुआ था अतः उसे केजुअल लेबर ही रखा, अस्थाई स्टेटस नहीं दिया। आगे जाहिर किया कि रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार रेलवे मुख्यालय उत्तरी रेलवे, देहली के पत्र दिनांक 3-1-81 द्वारा केजुअल लेबर की नई भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था केवल उन्हें ही आकस्मिक लेबर रखा जा सकता था जो दिनांक 1-8-78 से पहले रेल सेवा में आकस्मिक श्रमिक का कार्य कर चुके हों। प्रार्थी ने रेलवे प्रशासन को धोखा देने हेतु अपना केज्युअल लेबर का फर्जी कार्ड बनवा लिया तथा उसमें अपनी नियुक्ति 1-8-78 से पूर्व की अंकित कर दी तथा इसमें दर्शाया गया कि श्रमिक ने इन्सपेक्टर (वर्क्स) (एन. ई.) रेलवे, समस्तीपुर में कार्य किया है। इस फर्जी कार्ड के आधार पर ही प्रार्थी ने अपनी नियुक्ति डिप्टी कन्ट्रोलर ऑफ स्टोर्स, जोधपुर के कार्यालय में आकस्मिक श्रमिक के पद पर प्राप्त कर ली जो नियुक्ति एवं रीतियों गलत थी। जब जांच पड़ताल से पता चला कि बनावटी कार्ड के आधार पर उसने नौकरी प्राप्त की है तो तुरन्त प्रभाव से उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई जो न्यायसंगत व उचित है। प्रार्थी ने गैर कानूनी कार्य करके रेलवे प्रशासन को धोखा दिया है जो दण्डनीय अपराध है और प्रार्थी ने विपक्षी के प्रति अपना विश्वास खो दिया है। श्रमिक की छंटनी नहीं की गई है बल्कि उपरोक्त आधार पर उसकी सेवाएं डिस्चार्ज की गई है न ही उसे

टर्मीनेट किया गया है। अत : क्लेम खारिज किये जाने योग्य है और प्रार्थी किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है।

3. प्रार्थी संघ ने अपने क्लेम के कथनों के समर्थन में प्रार्थी श्री चन्द्र भूषण सिंह स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिससे अप्रार्थी नियोजक के प्रतिनिधि ने जिरह की है। प्रालेखिक साक्ष्य में प्रदर्श डब्ल्यू-1 एवं डब्ल्यू –2 प्रस्तुत किये है। इसके विपरीत विपक्षी की ओर से श्री आर. के. मुखर्जी, श्री बाबूराम एवं श्री पी. सी. मेहता के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनसे प्रार्थी के प्रतिनिधि ने जिरह की है। प्रालेखिक साक्ष्य में प्रदर्श एम–1 एवं एम–2 सेवा कार्ड एवं गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत किये गये हैं। तत्पश्चात मैंने पक्षकारों के सुयोग्य प्रतिनिधियों की बहस विस्तारपूर्वक सुनी और पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का विस्तारपूर्वक परिशीलन किया।

4. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि के अपने दलीलों (Arguments) में निम्न न्याय-दृष्टान्तों का सहारा लिया है :

4. ए. आई. आर. 1987 (एस. सी.) पेज 1892 सिविल अपील नं. 1080/87 दिनांक 17-7-87 मक्खन सिंह बनाम नारायण-पुरा कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल सर्विस सोसायटी नि० व अन्य, (एस. सी. सी) 1989 एल. एंड एस.) 585 नरोत्तम चोपड़ा बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय व अन्य, 1985 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 975 एच. डी. सिंह बनाम रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ए. अन्य।

5. विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों (Argum nt.) के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्तों का सहारा लिया।

1989 (1) एल. एस. आर. पेज 40, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर बैंच, गोबा अन्सार बनाम भारत संघ व अन्य, एस. एल. आर. 1978 (1) पेज 312 (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय) डा. बी. के. गुप्ता बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 388 पटना (26) रोता मिश्रा व अन्य बनाम निदेशक प्राथमिक शिक्षा, बिहार, एस. एल. आर. 1989(4) पेज 612, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर, गोपाल प्रसाद बनाम भारत संघ व अन्य, एस. एल. आर. 1987 (5) पेज 248 केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, अहमदाबाद, गोविन्द स्वामी केसवन व अन्य बनाम भारत संघ, वेस्टर्न रेलवे 1984, एफ. एल. आर. (49) माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय, राम पाल सिंह बनाम भारत सिंह व अन्य।

6. अभिलेख पर उपलब्ध शहादत व सामग्री का मूल्यांकन करने पर यह प्रकट होता है कि प्रबन्धक ने प्रार्थी श्रमिक श्री सी. बी. सिंह, आकस्मिक खलासी को आदेश प्रदर्श डब्ल्यू-1 द्वारा दिनांक 4-1-85 को सेवा से पृथक किया है यद्यपि प्रबन्धक ने कार्यालय आदेश प्रदर्श डब्ल्यू-1 में श्रमिक को हटाने का कोई कारण दर्शित नहीं किया है किन्तु प्रबन्धक की साक्ष्य में यह आया है कि श्रमिक ने फर्जी, बनावटी प्रलेख प्रदर्श एम–1 "सेवा कार्ड" प्रस्तुत करते हुए अपनी नियुक्ति डिप्टी कमिश्नर आफ स्टोर्स, जोधपुर के कार्यालय में आकस्मिक श्रमिक के पद पर रेलवे प्रशासन को धोखा देकर प्राप्त की जो नियुक्ति पूर्णत : गलत थी। रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार रेलवे मुख्यालय उत्तरी रेलवे देहली के पत्र दिनांक 3-1-81 द्वारा कैज्यूअल लेबर की नई भर्ती पर प्रतिबंध लगाया जा चुका था केवल वे ही कैज्यूअल लेबर नियुक्त किये जा सकते थे जो दिनांक 1-8-78 से पहले राज्य सेवा में आकस्मिक श्रमिक का कार्य कर चुके हों। प्रार्थी श्रमिक ने प्रशासन को धोखा देने हेतु कैज्यूअल लेबर का फर्जी कार्ड प्रदर्श एम–1 बनवा लिया और अपनी नियुक्ति उसमें 1-7-78 से पूर्व में 16-3-78 से 15-9-78 अंकित कर दी तथा उक्त कार्ड में दर्शाया गया कि श्रमिक ने इंजीनियर वर्क्स (एम ई) रेलवे समस्तीपुर में कार्य किया है। जब प्रशासनिक नियमों के अनुसार उसकी कथित पूर्व रेल सेवाओं का सत्यापन रेलवे के सक्षम अधिकारियों द्वारा कराया गया तो प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रस्तुत कार्ड जाली व बनावटी पाया गया ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी के उक्त कुकृत्य को दृष्टिगत रखते हुए उसे सेवा से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस संबंध में प्रबन्धक की ओर से दो साक्षीगण सर्वश्री आर. के. मुखर्जी तथा श्री बाबू राम को परीक्षित किया गया है। श्री आर. के. मुखर्जी ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने अपने शपथ पत्र में जो कथन किये है वह रिकार्ड के आधार पर ही किये हैं, इस बारे में उसे कोई निजी जानकारी नहीं है। इस साक्षी का कथन है कि सबसे पहले उन्होंने मस्टररोल शीट देखी थी जिसमें प्रार्थी का नाम नहीं था। यह उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण के समक्ष उक्त मस्टररोल प्रस्तुत नहीं की गई है यद्यपि इस साक्षी के प्रति परीक्षण के समय रेलवे के विद्वान प्रतिनिधि ने यह प्रार्थना की थी कि मस्टररोल की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर देंगे। किन्तु जब मस्टररोल को खोलकर देखा गया तो उक्त मस्टररोल दीमक द्वारा खाया हुआ होने से विद्वान प्रतिनिधि ने उक्त मस्टररोल को प्रस्तुत करने का ईरादा बदल दिया। साक्षी श्री मुखर्जी ने यह स्वीकार किया है कि कार्ड प्रदर्श एम–1 में जो इन्द्राज ए टू बी है वह कर्मचारी द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि विभाग द्वारा यह ईबारत लिखी जाती है। यह उल्लेखनीय है कि रेलवे के जिस पदाधिकारी ने प्रदर्श एम-1 बनाया है उसे शहादत में प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस जोब कार्ड को बनावटी व फर्जी बनाने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि इस पर अधिकृत विक्रेता का नाम नहीं है टपे नं. नहीं है, रसीद में भी नहीं है। विक्रेता कार्यालय का नाम भी अंकित नहीं है, कीमत कार्ड देना भी अंकित नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि श्री मुखर्जी ने उक्त कारणों के आधार पर प्रदर्श एम–1 को बनावटी नहीं बताया है और उन्होंने केवल मस्टररोल में प्रार्थी श्रमिक का नाम नहीं होने से यह कथन किया है कि श्रमिक ने 16-3-78 से 15-9-78 की अवधि में रेलवे प्रशासन में काम नहीं किया। जैसा कि उपर उल्लिखित किया जा चुका है कि उक्त मस्टररोल दीमक लग जाने के कारण शहादत में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। प्रबन्धक ने साक्षी श्री पी. सी. मेहता ने यह कथन अवश्य किया है कि जांच से उक्त जो कार्ड फर्जी व बनावटी पाया गया किन्तु इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है प्रार्थी के विरुद्ध जो जांच कराई गई वह जांच श्रमिक के सामने नहीं हुई थी और न ही उसे गवाहों से जिरह का मौका दिया गया था। प्रबन्धक के साक्षी श्री बाबूराम का इस जांच के संबंध में प्रस्तुत किया है जिसने यह गोपनीय जांच कर रिपोर्ट प्रदर्श एम–2 प्रस्तुत की है। उसने अपने प्रति परीक्षण में स्पष्ट कथन किया है कि जांच में उनके समक्ष श्रमिक के बयान नहीं हुए और न ही श्रमिक को जांच रिपोर्ट प्रदर्श एम–2 की प्रति ही दी गई। इस प्रकार प्रबन्धक द्वारा गोपनीय जांच हुई है जिसका कोई ज्ञान श्रमिक को नहीं है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी श्रमिक को स्टिगमा लगाकर विभागीय जांच किये बिना ही सेवा से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रमिक ने रेलवे प्रशासन को एक रिप्रेजेन्टेशन भेजा था जिसका प्रत्युत्तर रेलवे प्रशासन ने श्रमिक को भेजा इस प्रत्युत्तर की प्रति को भी प्रदर्श एम–1 मार्क किया गया है तथा प्रार्थी श्रमिक को गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति बाद में जो भेजी गई इस पत्र को प्रदर्श एम–2 मार्क किया गया है जो श्रमिक को प्रदर्श एम–1 दिनांक 30-1-85 को प्राप्त हुआ है जबकि इससे पूर्व ही श्रमिक की सेवाएं दिनांक 4-1-85 को ही समाप्त कर दी गई थी। यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रमिक के प्रति परीक्षण में विवादास्पद जोब कार्ड प्रदर्श एम-1 तथा गोपनीय प्रतिवेदन प्रदर्श एम–2 के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। इंडियन रेलवे ऐस्टेबलिशमेंट मैन्युअल (2 एडीशन) के क्लाज 2513 में आकस्मिक श्रमिकों को इस प्रकार के कार्ड देने का प्रावधान है और इस जोब कार्ड में सारे विवरण सुपरवाइजरी आफीशियल द्वारा ही भरे जाने का प्रावधान है जो अपने हस्ताक्षर के साथ मुद्रा भी अंकित करते हैं। प्रदर्श एम–1 जोब कार्ड में जो विवरण अंकित किये गये हैं उस पदाधिकारी को परीक्षित नहीं कराया गया है और गोपनीय जांच प्रदर्श एम–2 के बारे में प्रार्थी श्रमिक को कोई जानकारी नहीं दी गई है और न ही उसने इस जांच में भाग ही लिया। प्रार्थी श्रमिक को यह स्टिगमा लगाकर हटाया गया कि उसने फर्जी व बनावटी जांब कार्ड प्रस्तुत कर नौकरी प्राप्त की। प्रार्थी श्रमिक को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया और न ही कोई विभागीय घरेलू जांच करवाई गई

प्रार्थी श्रमिक को कोई आरोप पत्र भी नहीं दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने ए.आई.आर. 1987 (एस सी) 1892 मक्खन सिंह बनाम नारायणपुरा कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल सर्विस सोसाईटी व अन्य में विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि विभागीय धरेलू जांच कराये बिना प्रार्थी श्रमिक को स्टिगमा लगाकर सेवा से पृथक करने की कार्यवाही अनुचित एवं अवैध है।

7 प्रार्थी श्रमिक श्री चन्द्रभूषण सिंह ने अपनी साक्ष्य में यह प्रमाणित किया है कि उसे दिनांक 4-4-83 को डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स जोधपुर कार्यालय आदेश सं. 220 ई/ई-2/सी लेबर/82-83 दिनांक 31-3-83 के अनुसार नियुक्त किया गया था और उसने 3-1-85 तक इस सेवा में कायम रखा गया और दिनांक 4-1-85 को उसको सेवा से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार श्रमिक ने एक कलैण्डर वर्ष में लगातार अप्रार्थी नियोजक के यहां 240 दिवस से अधिक सेवा पूरी कर ली थी और वह औद्योगिक कर्मकार की परिभाषा में आ गया था। यह उल्लेखनीय है कि रेलवे प्रशासन ने भी इन तथ्यों को अस्वीकार नहीं किया है कि प्रार्थी श्रमिक ने एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक की सेवा पूरी नहीं की हो। प्रबन्धक के साक्षी श्री पी. सी. मेहता ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रार्थी श्रमिक को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया न ही कोई धरेलू जांच श्रमिक की उपस्थिति में की गई। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रार्थी श्रमिक को हटाते समय वह वेतन श्रृंखला 196-232 प्राप्त कर रहा था और यह भी स्वीकार किया है कि प्रार्थी श्रमिक को अस्थाई श्रमिक मानकर उक्त ग्रेड दिया गया था। इस साक्षी ने यह भी माना है कि कोई वरिष्ठता सूची भी नहीं बनाई गई और न ही श्रमिक को कोई नोटिस दिया गया तथा न ही नोटिस के एवज में एक माह का वेतन यहां तक कि छटनी का मुआवजा भी नहीं दिया गया। चूंकि प्रार्थी श्रमिक ने 240 दिवस की सेवा एक कलैण्डर वर्ष में पूरी कर ली थी अतः धारा 25-एफ एवं जी की पालना करना अनिवार्य था जो नहीं की गई है अतः श्रमिक की सेवा समाप्ति "वोइड-इन इनीशियो" है।

8. प्रबन्धक द्वारा यह प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि इस मामले में क्लेम का सत्यापन नियमानुसार नहीं कराया गया है। यह उल्लेखनीय है कि स्टेटमेंट आफ क्लेम पर यूनियन के महामंत्री श्री भरत सिंह सैंगर तथा श्रमिक श्री भूषण सिंह के हस्ताक्षर हैं, यद्यपि पृथक से सत्यापन नहीं किया गया है किन्तु इस क्लेम के समर्थन में प्रार्थी श्रमिक ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो विधि अनुसार सत्यापित किया गया है, ऐसी स्थिति में क्लेम पर सत्यापन नहीं होना घातक नहीं हो सकता और प्रबन्धक की प्रारंभिक आपत्ति खारिज की जाती है।

9. प्रबन्धक की ओर से जो न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं वे हस्तगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं। 1984 एफ एल आर. 1984 (49) पेज 80 माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय राम पाल सिंह बनाम भारत संघ के तथ्य हस्तगत मामले के तथ्यों से सर्वथा भिन्न हैं। इस मामले में प्रार्थी श्रमिक का चयन इस शर्त पर किया गया था कि उसकी आयु का सत्यापन किये जाने के बाद ही उसे नियुक्ति दी जायेगी। उसमें प्रार्थी श्रमिक ने आयु के संबंध में जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था वह सही नहीं पाया गया और सचिव शिक्षा बोर्ड के रिकार्ड के अनुसार उसकी जन्म तिथि 8-12-47 थी इस कारण प्रार्थी 15-11-65 को 18 वर्ष से कम उम्र का था व सेवा में नियुक्ति हेतु योग्य ही नहीं था। जबकि हस्तगत मामले में प्रदर्श एम-1 जोग कार्ड श्रमिक द्वारा तैयार नहीं किया गया है बल्कि रेलवे प्रशासन द्वारा ही तैयार किया गया है और उसे जाली व बोगस करार देने का भी कोई समुचित कारण साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है। प्रार्थी श्रमिक को इस कथित फर्जी व बनावटी जोग कार्ड प्रदर्श एम-1 के संबंध में न तो कोई आरोप पत्र दिया गया है और न ही उसके समक्ष कोई जांच कराई गई है न ही श्रमिक की सुनवाई का कोई मौका दिया है। प्रबन्धन यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि श्रमिक ने धोखा देकर नौकरी प्राप्त की।

10 न्याय दृष्टान्त 1978 (1) एन. एन. आर. पेज 312 डा. वी. के. गुप्ता बनाम भारत संघ के तथ्य भी हस्तगत मामले के तथ्यों से सर्वथा भिन्न हैं। हस्तगत मामले में प्रबन्धन के साक्षी श्री पी. सी मेहता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट कथन किया है कि प्रार्थी श्रमिक को चयन समिति द्वारा स्क्रीनिंग नहीं हुआ था, ऐसी परिस्थिति में इस न्याय दृष्टान्त के तथ्य हस्तगत मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

11 न्याय दृष्टान्त ए. आई. आर. 1988 पटना (26) रीता मिश्रा व अन्य बनाम निदेशक प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तथ्य भी हस्तगत मामले के तथ्यों से बिल्कुल भिन्न है क्योंकि उक्त मामले में नियुक्ति पत्र सर्वथा कूटरचित फोर्जरी व अवैध था जबकि हस्तगत मामले में प्रार्थी श्रमिक सी. वी. सिंह 4-4-83 को डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स जोधपुर के कार्यालय आदेश दिनांक 31-3-83 के अनुसार नियुक्त किया गया था जो आदेश पूर्णतः उचित एवं वैध था व किसी तरह से कूटरचित नहीं है और प्रार्थी श्रमिक ने लगातार 3-1-85 तक नियोजक संस्थान में सेवा भी की है।

12 रेलवे प्रशासन का मुख्य कथन यही रहा है कि प्रार्थी श्रमिक ने प्रदर्श एम-1 बनावटी व फर्जी कार्ड के आधार पर नियुक्ति हासिल की है जबकि प्रशासन उक्त कार्ड को फर्जी व अवैध होना प्रमाणित भी नहीं कर सका है।

13 उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जिस प्रदर्श एम-1 को प्रबन्धन ने फर्जी व बनावटी होना बताया है, उस आशय को कोई आरोप पत्र श्रमिक को नहीं दिया न ही कोई धरेलू जांच उसके विरुद्ध कराई प्रार्थी श्रमिक एक कलैण्डर वर्ष में अप्रार्थी के यहां 240 दिवस से अधिक की सेवा पूरी कर चुका था इसलिए सेवा से हटाने से पूर्व उसे एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा छंटनी का मुआवजा दिया जाना था अर्थात धारा 25 एफ अधिनियम की पालना करनी चाहिये थी जो नहीं की गई है अतः श्रमिक का सेवा से पृथक करने का आदेश अनुचित एवं अवैध है। मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त 1985 एन सी. सी. (एल. एंड एस.) 1975 एस. बी. सिंह बनाम रिजर्व बैंक आफ इण्डिया व अन्य 1989 एस. सी. सी. (एल. एंड एस) 565 नरोत्तम ओपड़ा बनाम पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय व अन्य एस सी. एल. जे. 1988-90 सिविल अपील नं. 4077/88 17 नवम्बर 1989 के. के. दुबे बनाम यू. पी. स्टेट फूड एंड ऐग्रीकल्चर कामोडिटीज कार्पोरेशन व अन्य पर भरोसा करता हूँ। और इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

"श्री चन्द्र भूषण सिंह को दिनांक 4-1-85 से सेवा मुक्त करना उचित एवं वैध नहीं है। उसे उसके पद पर नियोजित घोषित किया जाता है एवं पिछला समस्त वेतन दिलाया जाता है। उसकी सेवा को निरंतरता कायम रखी जाती है। 100/— रुपये खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है। नियोजक को आदेश है कि उक्त राशि तीन माह के अंदर श्रमिक को अदा करें। अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।"

14 अवार्ड की प्रति नियमानुसार केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भेजी जाये।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2500:— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार रेलवे मेल सर्विस अजमेर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध के निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट

को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.-40012/110/89-डी-2 (बी) (पी टी)]

बी.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th October, 1993

S.O. 2500.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of R.M.S. Ajmer and their workmen, which was received by the Central Government on 22nd October, 1993.

[No. L-40012/110/89-D.II(B)(Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 45/1990

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-40012/110/89-डी-2 (बी) दिनांक 10-7-90

श्री मघराज पुत्र श्री कालू राम द्वारा भंवर बीनावड़ा इंटक भवन, पाली —प्रार्थी

बनाम

अधीक्षक, रेल डाक सेवा, "जे" मण्डल, अजमेर —अप्रार्थी

उपस्थित

श्री शंकर लाल जी जैन, न्यायाधीश (आर.एच.जे.एस.)

प्रार्थी की ओर से ... श्री जी.डी. गुप्ता

अप्रार्थी की ओर से : श्री प्रवीण बलवदा

दिनांक : 5-1-1993

अवार्ड

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस अधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1948 जिसे तत्पश्चात अधिनियम संशोधित किया जायेगा, की धारा 10 (1)(घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

"Whether the Management of R.M.S. Department in terminating the services of Shri Magh Raj S/o Kalu Ram Extra Department Main at Falna w.e.f. 16-5-89 is just and legal? If not, to what relief is the worker concerned entitled and from what date?"

2. श्री मघराज जिसे आगे चलकर प्रार्थी श्रमिक संबोधित किया है, ने स्टेटमैंट ऑफ क्लेम प्रस्तुत कर जाहिर किया कि उसे नियोजक ने 31-3-87 को रेल डाक सेवा में ई. डी. मेल मैन के पद पर फालना (जिलापाली) में मौखिक आदेश से नियोजित किया था । नियोजक ने दिनांक 16-5-89 को मौखिक आदेश से श्रमिक की सेवा समाप्त कर दी और उसके स्थान पर अन्य किसी श्रमिक को सेवा में ले लिया । प्रार्थी श्रमिक के अनुसार 31-3-87 से 15-5-89 तक की अवधि में प्रत्येक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर चुका है तथा 16-5-89 को समाप्त हुए एक कलैण्डर वर्ष में वह दो सौ चालीस दिवस की निरन्तर सेवा नियोजक के अधीन पूरी कर चुका है । प्रार्थी श्रमिक यह भी कहता है कि श्रमिक को छंटनी का कोई नोटिस नहीं दिया गया न ही नोटिस के एवज में एक माह का वेतन दिया गया जहां तक कि छंटनी का मुआवजा भी उसे नहीं दिया गया अतः नियोजक ने धारा 25(एफ) अधिनियम के प्रावधानों का पालना नहीं की है । श्रमिक की प्रार्थना है कि श्रमिक की सेवा मुक्ति को अनुचित एवं अवैध घोषित किया जावे, उसे निरन्तर सेवा में रखने का आदेश पारित किया जावे तथा श्रमिक को सेवा समाप्ति से पुनः सेवा में रखने की अवधि तक का पूर्ण बकाया वेतन एवं मुकदमे का हर्जा खर्चा तथा अन्य सभी राहत दिलाई जावे ।

3. अधीक्षक, रेल डाक सेवा "जे" मण्डल अजमेर , जिसे तत्पश्चात् अप्रार्थी नियोजक संबोधित किया है, ने जरिये प्रत्युत्तर प्रकट किया कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1983-84 से नई भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था इसलिए दिनांक 31-3-87 से पूर्व कार्यरत ई डी मेलमैन हीरालाल के वर्ग "द" श्रेणी में पदोन्नति मे हुए रिक्त पद पर अस्थाई तौर पर श्रमिक श्री मघराज को लगाया गया था । इस आशय का उन्हें कोई नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया । अतः प्रार्थी का अप्रार्थी के साथ किसी प्रकार का नियोजक व श्रमिक का संबंध ही नहीं है । यह भी कहा कि प्रार्थी को केवल इसी शर्त पर काम पर लगाया गया था कि जैसे ही रिक्त पद पर नियमानुसार नियुक्ति की जावेगी उससे किसी प्रकार का कार्य नहीं लिया जायेगा । आगे अभिकथन किया कि प्रार्थी श्रमिक को न तो कोई नियुक्ति पत्र दिया था और न ही किन्हीं शर्तों से अनुबन्ध किया गया था अतः छंटनी को नोटिस अथवा मुआवजा देना आवश्यक नहीं था इसलिए धारा 25 (एफ) की अवहेलना नहीं की गई है । अतः अप्रार्थी का कहना है कि प्रार्थी श्रमिक के क्लेम का निरस्त किया जावे ।

4. प्रार्थी ने अपने क्लेम के कथनों के समर्थन में अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है जिस पर अप्रार्थी के प्रतिनिधि ने जिरह की है । अप्रार्थी की ओर से सर्वश्री रामशरण जे. राम, सहायक अधीक्षक रेल डाक सेवा एवं सांकलेश्वर प्रसाद, उप अभिलेख अधिकारी, रेल डाक सेवा, के शपथ पत्र पेश हुए है जिन पर प्रार्थी के प्रतिनिधि ने जिरह की है । तत्पश्चात् मैंने पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना ।

5. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री का मूल्यांकन करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले में यह निर्विवाद तथ्य है कि श्रमिक मघराज को दिनांक

31-3-87 को रेल डाक सेवा फालना में ई.डी. मेलमैन के रिक्त पद पर मौखिक आदेश द्वारा लगाया गया था। अप्रार्थी के साक्षी श्री सांकलेश्वर प्रसाद ने अपने शपथ पत्र में यह स्वीकार किया है कि उसने श्रमिक श्री मघराज को 31-3-87 में ई.डी. मेलमैन के रिक्त पद पर लगाया था और श्रमिक ने 15-5-89 तक उक्त पद पर कार्य किया था यह भी एक निर्विवाद तथ्य है। विपक्षी के एक अन्य साक्षी श्री रामचरण का यह कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि श्रमिक मघराज विपक्षी के यहां पार्ट टाईम काम करता था क्योंकि एकसा कोई अभिकथन विपक्षी नियोजक ने अपने जवाबदावे में नहीं किया है। श्री रामचरण, विपक्षी साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि उसके पे-बिल या वाउचर पर ड्यूटी आवर्स दर्ज नहीं है, हाजिरी रजिस्टर में भी ड्यूटी आवर्स दर्ज नहीं होते। इसलिए उसका यह कथन वाद में विचारा हुआ लगता है कि प्रार्थी श्रमिक विपक्षी संस्थान में पार्ट टाईम काम करता था। इसके विपरीत विपक्षी के साक्षी श्री सांकलेश्वर प्रसाद ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि उसने 11.30 पी.एम. से 4.30 पी.एम. तक के ड्यूटी आदेश उपस्थिति रजिस्टर में दिये थे, यह भी स्वीकार किया कि हटाने से पहले कोई नोटिस या नोटिस पे अथवा छंटनी का मुआवजा नहीं दिया। उपरोक्त स्वीकारोक्ति से प्रार्थी श्रमिक को पार्ट टाईम कर्मकार नहीं कहा जा सकता। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि श्रमिक नियोजक संस्थान में पार्ट टाईम काम करता था तो भी न्याय दृष्टान्त एल.एल.जे. (1) 1991, 501, यशवन्त सिंह यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अनुसार पार्ट टाईम कार्य करने वाला श्रमिक भी कर्मकार की परिभाषा में आता है अतः उसे धारा 25-एफ अधिनियम में प्रावधानों में वर्णित लाभों से वंचित नहीं रखा जा सकता।

6. प्रार्थी श्रमिक श्री मघराज ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि उसे दिनांक 31-3-87 को रेल डाक सेवा फालना में मेलमैन के पद पर मौखिक आदेश से नियुक्त किया गया था और उसने इस पद पर 31-3-87 से 15-5-89 अर्थात् दो वर्ष से भी अधिक अवधि तक लगातार कार्य किया है और दिनांक 16-5-89 को जब वह सदैव की भांति कार्य पर उपस्थित हुआ तो उसे मौखिक आदेश से ही कार्य पर लेने से मना कर दिया गया। उसे कार्य पर न लेने के संबंध में विपक्षी द्वारा न तो कोई लिखित आदेश दिया और न ही कोई कारण बताया। उसे नियमानुसार कोई नोटिस, नोटिस पे अथवा छंटनी का मुआवजा आदि का भुगतान भी नहीं किया गया। इस प्रकार नियोजक ने धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की जबकि श्रमिक मघराज ने 16-5-89 को समाप्त हुए एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस की सेवा नियोजक संस्थान में पूरी कर ली थी। धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधानों की पालना किये बिना प्रार्थी श्रमिक को सेवा मुक्ति का मौखिक आदेश स्वयं ही वोइड-एब-इनीशियो है जिसे निरस्त किया जाता है। मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त एस.सी. एल.जे. 1988-90, 662 कृष्ण कुमार दुबे बनाम यू.पी. स्टेट फूड एंड असैन्शयल कोमोडिटीज कार्पोरेशन व अन्य तथा एस.सी.एल.जे. 1988-90, 663 नरोत्तम चोपड़ा बनाम पी.ओ. लेबर कोर्ट पर भरोसा करता हूं।

7. तथ्यों एवं विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

"श्रमिक श्री मघराज को सेवा मुक्ति दिनांक 16-5-89 से नियोजक द्वारा किया जाना उचित एवं वैध नहीं है, इसे इसके पद पर नियोजित घोषित किया जाता है और पिछला समस्त वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाये जाते हैं। श्रमिक की सेवा की निरंतरता कायम रखी जाती है। 100 रुपये खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है। अगर नियोजक उक्त राशि अंदर तीन माह अदा नहीं करेगा तागा तो 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।"

8. अवार्ड की प्रति भारत सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17 (1) अधिनियम भेजी जावे।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2501.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार वेस्टर्न रेलवे, जयपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कामकारों, के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था

[सं. एल-41011/10/85-डी 2 (बी) (पीटी)]

बी.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th October, 1993

S.O. 2501.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Western Railway, Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on 22nd October, 1993.

[No. L-41011/10/85-D.II(B)(Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 8/1986

रैफरेंस: भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-41011/10/85-डी-II(13) दिनांक 19-2-86

जनरल सैक्रेट्री, हरिजन कर्मचारी परिषद्, सांवीकुई

--प्रार्थी

बनाम

डी.आर.एम पश्चिमी रेलवे, जयपुर

--अप्रार्थी

उपस्थित

श्री शंकर लाल जैन, आर.एच.जे.एस. न्यायाधीश

प्रार्थी की ओर से :	श्री जे.के. अग्रवाल
अप्रार्थी की ओर से :	श्री बी.एस. माथुर
दिनांक अवार्ड :	7 जनवरी, 1993

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम संबोधित किया जायेगा, की धारा 10 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

"क्या पश्चिमी रेलवे, जयपुर के प्रबंधतंत्र की श्री किशन सिंह, ए.एल.एफ., बांदीकुई की 1977, 78, 79, 82 और 83 की गोपनीय रिपोर्टों से प्रतिकूल प्रविष्टियों को न हटाने की कार्यवाही सही है और इसके अतिरिक्त पश्चिमी रेलवे के प्रबंधतंत्र की श्री किशनसिंह, ए.एल.एफ. बांदीकुई को एल.एफ. के पद पर पदोन्नति न करने की कार्यवाही न्यायोचित है । यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ।"

2. हरिजन कर्मचारी परिषद, बांदीकुई, जिसे तत्पश्चात प्रार्थी संघ संबोधित किया है, ने स्टेटमेंट आफ क्लेम पेश कर अभिकथन किया है कि प्रार्थी श्री किशनसिंह विपक्षी संस्थान का सेवा निवृत कर्मचारी है उसकी सेवा निवृत्ति 30-11-85 को लोको फोरमैन "सी" के पद से हुई थी । प्रार्थी श्रमिक की प्रथम नियुक्ति संस्थान में 4.1.44 को अप्रन्टिस के रूप में हुई थी । प्रार्थी का कार्य सर्वत्र संतोषजनक रहा है और कभी कोई शिकायत विपक्षी संस्थान को नहीं रही । आगे अभिकथन किया कि प्रार्थी से जुनियर व्यक्तियों को फोरमैन के पद पर पदोन्नत कर दिया गया । इस विषय की शिकायत जब विपक्षी संस्थान से की गई तो प्रार्थी श्रमिक को यह बताया गया कि उसके गोपनीय प्रतिवेदन में विपरीत रिमार्क होने से उसकी पदोन्नति नहीं हो सकी जब कि विपरीत रिमार्क की सूचना प्रार्थी श्रमिक को इससे पहले कभी नहीं दी गई । यह भी कहा कि रामगोपाल शर्मा व ओ.पी. साहनी को गोपनीय रिपोर्ट में भी विपरीत रिमार्क होने के बावजूद उन्हें पदोन्नति दी गई है । आगे कथन किया कि किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति केवल विपरीत रिमार्क होने से नहीं रोकी जा सकती प्रार्थी श्रमिक कहता है कि उसे 27-12-75 से लोको फोरमैन के पद पर पदोन्नति दी जानी चाहिये थी क्योंकि इस दिन प्रार्थी से कनिष्ठ श्री के.सी. भण्डारी को फिटर चार्जमैन से लोको फोरमैन के पद पर पदोन्नत किया गया था । प्रार्थी कहता है और भी कई व्यक्तियों को जो उससे कनिष्ठ थे उनको पदोन्नतियां दे दी गई, ऐसा करना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत ,दुर्भावनापूर्ण, अनुचित एवं अवैध है प्रार्थी को पदोन्नति रोकना आरबाट्रेरी एक्शन है प्रार्थी संघ कहता है कि चूंकि श्रमिक अब सेवा निवृत्त हो चुका है अतः उसे जिस दिन से उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया उस दिन से नोशनल पदोन्नति दी जाकर उससे मिलने वाले लाभ दिये जाने है । अंत में प्रार्थना की है कि प्रार्थी को जिस दिन से उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई है उसी दिनांक से प्रार्थी श्रमिक श्री किशन सिंह को भी लोको फोरमैन के पद पर पदोन्नत मानते हुए लोको फोरमैन के समस्त वेतन व सेवा लाभ प्रदान करने के आदेश प्रदान करें ।

2. ऊपर मण्डल रेल प्रबन्धक पश्चिम रेलवे जयपुर, जिसे तत्पश्चात विपक्षी संबोधित किया है, ने क्लेम का उत्तर देते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थी श्रमिक रेलवे प्रशासन का सेवा निवृत कर्मचारी है तथा उसकी नियुक्ति 4-1-44 तथा सेवा निवृत्ति 30-11-85 को हुई थी । विपक्षी ने आगे कहा कि मुख्य यांत्रिक अभियन्ता (ई) चर्चगेट बम्बई के पत्र दिनांक 30-8-85 के आदेशानुसार प्रार्थी कर्मकार का रिकार्ड ठीक न होने के कारण उसे पदोन्नति से वंचित रखा गया है । प्रार्थी स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसको रेलवे प्रशासन द्वारा यह बता दिया गया था कि उसकी गोपनीय रिपोर्ट सन् 1977, 78, 79, 82 व 83 के खराब होने के कारण उसे पदोन्नत नहीं किया गया है । प्रार्थी को समय-समय पर प्रतिकूल रिमार्क्स की सूचना दे दी गई थी श्री भण्डारी को मुख्य यांत्रिक अभियन्ता (ई) के पत्र दिनांक 30-8-85 के अनुसार पदोन्नति के योग्य पाये जाने के कारण ही उसे पदोन्नत किया गया था । अप्रार्थी को प्रार्थी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं बरती गई है । अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कर्मकार को किसी प्रकार की मानसिक वेदना व आर्थिक हानि नहीं पहुंचाई है इसलिए प्रार्थी किसी हर्जे खर्च व ब्याज का अधिकारी नहीं है । आगे यह भी कहा कि प्रार्थी ने अपने इसी क्लेम के संबंध में न्यायालय मुंसिफ बांदीकुई में दावा पेश किया था जिसे बाद में वापस ले लिया , माननीय राजस्थान हाई कोर्ट में भी प्रार्थी ने इसी संबंध में रिट याचिका पेश की थी जो खारिज हो गई तथा श्रम न्यायालय, जयपुर में भी इसी विवाद को प्रस्तुत किया जहां से भी उसने वाद में वापस ले लिया । अतः उत्तर पेश कर निवेदन किया कि क्लेम को निरस्त किया जावे ।

3. प्रार्थी संघ ने अपने क्लेम के समर्थन में संबंधित श्रमिक श्री किशनसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित कराया जिस पर विपक्षी के प्रतिनिधि ने प्रति-परीक्षण किया है । विपक्षी ने अपनी साक्ष्य में मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय पश्चिम रेलवे जयपुर के प्रधान लिपिक श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिससे प्रार्थी संघ के प्रतिनिधि ने प्रति परीक्षण किया है । इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों की ओर से प्रालेखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत हुई है जिसका विवेचन साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय यथास्थान किया जायेगा ।

4. प्रार्थी संघ के प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्तों का सहारा लिया :

(1) ए.आई.आर. 1987 (एस.सी.) 1201, स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम श्री पी.सी. धवन ।

(2) 1991 (2) एस.एल.आर. 675, भारत संघ व अन्य बनाम ई.जी. नमोद्र ।

(3) 1989 (1) एस.एल.आर., 804, गुरबचनसिंह फिल्लौर बनाम पंजाब राज्य व अन्य ।

(4) एल.आई.सी. 1986 (एस.सी.) 75 मूलचंद व अन्य बनाम नगर निगम इन्दौर व अन्य ।

(5) लेब. आई.सी. 1991, (एस.ओ.सी. 32) मोहम्मद जफर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य ।

5. विपक्षी डी.आर.एम. पश्चिम रेलवे जयपुर के प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्तों का सहारा लिया :

(1) 1989 (1) एस.एल.आर. 722 (सैन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मद्रास बेन्च) राजकुमार सिंह बनाम राजस्व सचिव नई दिल्ली व अन्य ।

(2) 1985 (1) एस.एल.आर. 391 (माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय) बाई, बी.थाटे बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य ।

(3) 1985 (2) एस.एल.आर. 810 (माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय) श्री एम.के. मैनन बनाम साइंटोफिक एडवाईजर

(4) 1986 (1) एस.एल.आर. 165 (माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय) श्री रणसिंह कलसोन बनाम लाखी राम पूनिया व अन्य ।

(5) ए.आई.आर. 1988 (एस.सी.) 1113, मैसूर राज्य व अन्य बनाम सैय्यद मोहम्मद व अन्य ।

6. तत्पश्चात् मैंने पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना । पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया ।

7. उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों से विधि की यह स्थिति तो स्पष्ट है कि कर्मचारी को उसकी गोपनीय प्रविवेदनों में प्रतिकूल प्रविष्टियों की सूचना दी जानी चाहिये जिससे कि वह उस संबंध में अपना स्पष्टीकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सके तथा इन प्रतिकूल प्रविष्टियों का एक यह भी उद्देश्य है कि कर्मचारी को उसके आचरण, चरित्र व कार्य में सुधार करने का मौका दिया जाना चाहिये ।

8. जहां कर्मचारी की पदोन्नति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाती है उस स्थिति में कर्मचारी मात्र वरिष्ठ होने के नाते पदोन्नति का अधिकार नहीं रखता बल्कि उसकी कार्यकुशलता, चरित्र एवं आचरण आदि को भी उसकी योग्यता का आंकलन करते समय दृष्टिगत रखा जाता है और पदोन्नति करते समय उस पद के लिए योग्य कर्मचारी के मामले में विचार किया जाता है । हस्तगत मामले में (1) कर्मकार श्री किशनसिंह ए.एल.एफ० बांदीकुई की 1977, 1978, 1979, 1982 व 1983 के गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल प्रविष्टियों को नहीं हटाने की कार्यवाही सही है अथवा नहीं यह विचारणीय प्रश्न है, (2) इसके अतिरिक्त पश्चिम रेलवे प्रबंधतंत्र की श्री किशनसिंह कर्मकार को ए.एल.एफ. बांदीकुई से एल.एफ. के पद पर पदोन्नति नहीं करने की कार्यवाही न्यायोचित है अथवा नहीं, यह विचारणीय बिंदु है ।

9. अब मैं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा पक्षकारों की मौखिक एवं प्रालेखिक साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए उपरोक्त विचारणीय बिंदुओं का निपटारा करूंगा ।

10. इस संबंध में यह एक निर्विवाद तथ्य है कि प्रार्थी कर्मकार किशनसिंह विपक्षी संस्थान का एक सेवा निवृत्त कर्मचारी है और उसकी सेवा निवृत्ति 30-11-85 को लोको फोरमैन "सी" के पद से हुई थी । उसकी विपक्षी संस्थान में प्रथम नियुक्ति 4-1-44 को अप्रेन्टिस के रूप में हुई थी ।

11. प्रार्थी का यह क्लेम है कि उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है तथा विपक्षी संस्थान को कभी कोई शिकायत इस विषय में नहीं रही । विपक्षी द्वारा प्रार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को लोको फोरमैन के पद पर पदोन्नत कर दिया गया और जब प्रार्थी द्वारा विपक्षी संस्थान को शिकायत की गई तो उसे बताया गया कि उसकी गुप्त रिपोर्टस में वर्ष 1977, 78, 79, 82 व 83 में प्रतिकूल प्रविष्टियां होने के कारण उसे फोरमैन के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया प्रार्थी का कहना है कि उसे प्रतिकूल प्रविष्टियों की कोई सूचना भी नहीं दी गई ।

12. विपक्षी ने प्रार्थी के क्लेम का विरोध करते हुए यह अभिकथन किया है कि प्रार्थी श्रमिक ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि उसे रेलवे प्रशासन द्वारा यह बता दिया गया था कि उसकी गोपनीय रिपोर्ट वर्ष 1977, 78, 79, 82 व 83 के खराब होने के कारण उसको पदोन्नत नहीं किया गया । प्रार्थी को समय-समय पर उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टियों की सूचना नियमानुसार दे दी गई थी । कर्मकार के गोपनीय रिकार्ड में निरन्तर प्रतिकूल प्रविष्टियां होने के कारण उसको पदोन्नत नहीं किया गया । यह भी कहते हैं कि कर्मकार ने इसी क्लेम के संदर्भ में न्यायालय मुंसिफ बांदीकुई में दावा किया जो वापस ले लिया, फिर इसी संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की जो खारिज हो गई । इसी विवाद के संबंध में कर्मकार ने श्रम न्यायालय जयपुर में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो बाद में वापस उठा लिया । यह भी कहा है कि कर्मकार से कनिष्ठ जिन श्रमिकों को पदोन्नत किये जाने का उल्लेख किया है जो इस विवाद के आवश्यक पक्षकार थे, उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है और यह औद्योगिक विवाद न होकर सेवा संबंधी विवाद है जो चलने योग्य नहीं है ।

12 मैंने अभिलेख पर उपलब्ध कर्मकार की सेवा पुस्तिका देखी तो पाया कि कर्मकार के विरुद्ध "सेन्सर फोरफीचर ऑफ इन्क्रीमेन्ट" का रिकार्ड लगा हुआ है । दिनांक 23-12-61 को उसके विरुद्ध सेवा पुस्तिका में "सेन्सर" का रिमार्क है, इसी प्रकार का रिमार्क 9-3-62 में भी है । दिनांक 20-1-64 को ड्रॉस निगलीजेन्स के कारण उसकी वेतन वृद्धि रोकी गई है इसी प्रकार 11-11-65 को भी वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने का रिमार्क है जो कि सेवा पुस्तिका प्रदर्श एम-1 से स्पष्ट है । प्रार्थी स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसे रेलवे प्रशासन द्वारा यह बता दिया गया था कि उसकी गोपनीय रिपोर्ट वर्ष 1977, 78, 79, 82 व 83 में प्रतिकूल प्रविष्टियां होने के कारण उसे पदोन्नत नहीं किया गया । कर्मकार श्री किशनसिंह ने अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसे प्रत्येक प्रदर्श एम-2 लगायत एम 6 प्राप्त हुए थे । प्रदर्श एम-2 वर्ष 1977, एम-3 वर्ष 1978, एम-4 वर्ष 1978, एम-5 वर्ष 1982, एम 6 वर्ष 1983 के गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल प्रविष्टियों की सूचनाएं हैं । कर्मकार को पदोन्नति के उपयुक्त नहीं माना गया है इसलिए उसे पदोन्नत नहीं किया गया । कर्मकार का यह कथन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं रहता है कि उसका कार्य हमेशा संतोषजनक रहा हो और विपक्षी को कोई शिकायत नहीं रही हो । उपरोक्त प्रालेखिक साक्ष्य से प्रार्थी का यह कथन भी अविश्वसनीय हो जाता है कि उसे प्रतिकूल प्रविष्टियों की सूचना नहीं दी गई हो । कर्मकार के विद्वान प्रतिनिधि की यह दलील कि कर्मकार की गोपनीय रिपोर्टस् सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं भरे गये, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि इस तरह की कोई आपत्ति कर्मकार ने अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में नहीं उठाई है । कर्मकार को प्रतिकूल प्रविष्टियों की सूचनाएं प्रदर्श एम-2 लगायत एम 6 मण्डल रेलवे प्रबन्धक (ई) जयपुर द्वारा भेजी गई हैं जिससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सक्षम व्यक्ति द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन नहीं भरे गये हों । कर्मकार ने अपने शपथ पत्र में यह कथन नहीं किया है कि उसके विरुद्ध की गई प्रतिकूल प्रविष्टियां सक्षम व्यक्ति ने नहीं की ; कर्मकारी श्री किशनसिंह का यह कथन है कि लोको फोरमैन (सी) से "बी" के पद पर पदोन्नति का आधार सीनियोरिटी-कम-स्यूटेबिलिटी है । विपक्षी के साक्षी श्री आर.पी.शर्मा ने अपने कथन से यह प्रमाणित किया है कि कर्मकार किशनसिंह का कार्य संतोषजनक नहीं था, उसके कार्य की अकुशलता के कारण ही दिनांक 23-12-61 व 9-3-62 को उसकी सेवा पुस्तिका में "सेन्सर" का नोट लगाया गया था तथा कर्मकार द्वारा अत्याधिक असावधानी बरतने के कारण आदेश दिनांक 20-1-64 को उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की भी सजा दी गई । तत्पश्चात् 11-11-65 को छः माह की वेतन वृद्धि रोकी गई फिर 25-3-68 को दुबारा उसकी सेवा पुस्तिका में सेन्सर का नोट लगाया गया तथा दिनांक 24-3-78, 29-10-74, 17-1-75 के आदेशानुसार कर्मकार की अकुशलता के कारण उस सेवा पुस्तिका में सैन्सर का नोट लगाया गया तथा दिनांक 18-12-80, 11-12-81, 25-2-82, 16-8-83 के अनुसार कर्मकार की अकुशलता के कारण गेट सुविधा पास बंद किया गया । प्रार्थी के दिनांक 3-C-84 को ड्यूटी पर कार्य करते समय ए.एल.एफ. डायरी में गलत रिमार्क देने के कारण उसकी सेवा पुस्तिका में परिनिन्दा का आरोप 25-1-85 को लगाया गया था । कर्मकार के खिलाफ सेवा पुस्तिका में जो प्रतिकूल प्रविष्टियां थी उनकी सूचना नियमानुसार उसे दिनांक 12-6-78 4-9-78, 24-6-80, 21-1-83 एवं 16-1-84 को दी जा चुकी है जो क्रमशः प्रदर्श एम-2 लगायत एम-6 हैं । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं प्रत्येकों से यह भली भांति प्रमाणित होता है कि पदोन्नति के समय प्रार्थी के नाम पर भी हर बार विचार किया गया और उसकी सेवा पुस्तिका में एवं गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल प्रविष्टियां होने के कारण उसे पदोन्नति के योग्य नहीं पाया गया और इसी कारण उसे पदोन्नति नहीं दी गई । विपक्षी की कोई दुर्भावना नहीं प्रतीत होती है साथ ही जो व्यक्ति पदोन्नत किये गये हैं उनको वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर ही पदोन्नत किया गया है और कर्मकार के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता गया है ।

13 कर्मकार को प्रतिकूल प्रविष्टियों की समय-समय जो सूचना दी गई उस बारे में कर्मकार ने समय-समय पर प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये हैं और उनका उत्तर भी विपक्षी संस्थान द्वारा कर्मकार को दिया जाता रहा है।

14 कर्मकार ने प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने पदोन्नति के संबंध में मुंसिफ बांदीकुई के समक्ष दावा किया था जो उसने वापस उठा लिया, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी इस संबंध में रिट याचिका दायर की थी जो खारिज हुई और श्रम न्यायालय जयपुर में भी इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो बाद में उसने प्रतिहासित कर लिया कर्मकार ने यह भी कथन किया है कि प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटाने का अधिकार प्रशासनिक अधिकारी को भी है और वह उनसे मिला था परन्तु उसकी प्रार्थना पर कोई विचार नहीं किया गया।

15 तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से तथा उपरोक्त प्रलेखिक एवं मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

"पश्चिमी रेलवे, जयपुर के प्रबन्धतंत्र की श्री किशनसिंह, ए.एल.एफ. बांदीकुई की 1977, 1978, 1979, 1982 एवं 1983 की गोपनीय रिपोर्टों से प्रतिकूल प्रविष्टियों को न हटाने की कार्यवाही उचित एवं वैध है तथा साथ ही पश्चिमी रेलवे के प्रबन्धतंत्र की श्री किशनसिंह, ए.एल.एफ. बांदीकुई को एल.एल. के पद पर पदोन्नत न करने की कार्यवाही भी न्यायोचित एवं वैध है। श्रमिक श्री किशन सिंह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।"

16 अवार्ड की प्रति भारत सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17 (1) अधिनियम भेजी जावे।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2502--औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एम ई एस जयपुर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-14011/1/91-आईआर (डीयू) (पीटी)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th October, 1993

S.O. 2502. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M. E. S., Jaipur, and their workmen, which was received by the Central Government on 22nd October, 1993.

[No. L-14011/1/91-IR(DU)(Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस सं० सी०आई०टी० 52/1991

रेफरेंस केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-14011/1/91 आईआरडी दिनांक 26-9-1991

महासचिव, एम ई एल वर्क्स यूनियन, सी डब्ल्यू ई 82/5, एमईएस कालोनी, नसीराबाद जिला अजमेर।

--प्रार्थी

बनाम

कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर, एमईएस, जयपुर।

--अप्रार्थी

उपस्थिति

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर एच जे एस

प्रार्थी की ओर से :	श्री जी. एन. जूड़ावत
अप्रार्थी की ओर से :	कोई हाजिर नहीं
दिनांक अवार्ड :	26 मई, 1993

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात् अधिनियम संबोधित किया जायेगा, की धारा 10(1)(4) के अंतर्गत प्रेषित किया है :

"Whether the action of the Commander Works Engineer Jaipur in not promoting 20% and 15% of its actual existing strength of Electricians/BBA/Wiremen to Electrical Highly Skilled Gr. II and Electricians Skilled Gr. I posts respectively is justifiedfi ?. If not, to what relief the concerned workmen entitled ?"

2 प्रार्थी संघ ने डाक द्वारा क्लेम प्रस्तुत कर जाहिर किया कि कमांडर वर्क्स इंजीनियर जो पदोन्नति हेतु कंपीटेंट अथोरिटी हैं, ने तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक इलेक्ट्रिकल्स ट्रेड को पत्र दिनांक 12-8-85 के अनुसार आज तक 20 प्रतिशत उच्च कुशल द्वितीय व 15 प्रतिशत उच्च कुशल प्रथम वर्ग को पदोन्नति नहीं दी है। जबकि बार-बार अनुरोध किया गया है जिसका आर्थिक लाभ 15-10-84 से मिलना चाहिये। चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति मिलने के पश्चात् इलैक्ट्रिशियन, लाईनमैन, वायर मैन, एफ बी ए एवं आर्मेचर वाइंडर इन पांचों वर्गों को मिलाकर एक ही वर्ग इलैक्ट्रिशियन कर दिया गया। आगे जाहिर किया कि कमांडर वर्क्स इंजीनियर द्वारा 88-89 में अधिकृत स्वीकृत इलैक्ट्रिशियन कुशल 146 उच्च कुशल प्रथम--10 उच्च कुशल द्वितीय 26 है जबकि सी डब्ल्यू ई जयपुर के पत्र दिनांक 6-9-90 के अनुसार उच्च कुशल द्वितीय इलैक्ट्रिशियन 16 हैं तथा उच्च कुशल प्रथम 9 हैं जो स्वीकृत प्रतिशत से कम है। अतः पदोन्नति दी जानी चाहिये। वर्ष 1990 की वरिष्ठता सूची के अनुसार सबसे कनिष्ठ इलैक्ट्रिशियन जिसको सरपलस किया गया है, कुशल इलैक्ट्रिशियन 160, उच्च कुशल प्रथम, 9 उच्च कुशल द्वितीय 24 अर्थात् कुल 192 इलैक्ट्रिशियन हैं। उच्च कुशल द्वितीय जो 24 हैं उनमें अपग्रेडेड एस बी ए व वायरमैन भी शामिल हैं जिन्हें 16-10-81 से अपग्रेड किया गया था और वरिष्ठता के आधार पर अपग्रेड किया गया था। उक्त सूची के अनुसार कुल 192 इलैक्ट्रिशियन का 15 प्रतिशत प्रथम उच्च कुशल 29, 20 प्रतिशत द्वितीय उच्च कुशल 38 तथा 65 प्रतिशत कुशल 125 होने चाहिये थे अर्थात् 14 उच्च कुशल द्वितीय व 21 उच्च कुशल प्रथम कम हैं। अतः प्रार्थना की कि चूंकि वर्ष 88 में इलैक्ट्रिशियन उच्च कुशल द्वितीय का टेस्ट सी डब्ल्यू ई जयपुर द्वारा लिया जा चुका है और योग्य अभ्यर्थी टैस्ट पास उपलब्ध है। अतः इलैक्ट्रिशियन उच्च कुशल द्वितीय परीक्षा पास 14+21(--)351 कुशल इलैक्ट्रिशियन को तुरन्त पदोन्नत करने के आदेश पारित किए जाये तथा उन्हें पदोन्नत का लाभ भी परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से ही दिलवाया जाये।

3 विपक्षी की ओर से बाद तामील भी कोई उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 30-5-92 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। एक प्रार्थीय साक्ष्य में प्रार्थी संघ की ओर से श्री गोविंद नारायण जूड़ावत का शपथ पत्र अतिरिक्त शपथ पत्र पेश हुआ जिसे तस्दीक किया गया। तत्पश्चात्

संघ के प्रतिनिधि श्री गोविंद नारायण चूड़ावत की बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

4 प्रार्थी यूनियन के साक्षी श्री गोविंद नारायण चूड़ावत ने अपने शपथ पत्र में यह प्रमाणित किया है कि तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश दिनांक 15-10-84 के अनुसार इंजीनियर इनचीफ के पत्र दिनांक 4-7-85 द्वारा उच्च कुशल प्रथम 8, उच्च कुशल द्वितीय 24 कुशल 20 प्रतिशत उच्च कुशल द्वितीय व 15 प्रतिशत उच्च कुशल प्रथम वर्ग में पदोन्नतियां दिये जाने के आदेश पारित किये गये थे किन्तु विपक्षी कमांडर वर्क्स इंजीनियर द्वारा उपरोक्त पदोन्नतियां नहीं की गई थीं। साक्षी ने यह भी प्रमाणित किया है कि विपक्षी द्वारा इलैक्ट्रीशियन उच्च कुशल द्वितीय की परीक्षा ली गई थी जिसके परिणाम 14 दिसंबर 1988 को घोषित हो चुके हैं जिसमें 26 व्यक्ति सफल हुए थे। यह उल्लेखनीय है कि गोविंद नारायण चूड़ावत ने यह भी प्रमाणित किया है कि सूची के अनुसार कुशल इलैक्ट्रीशियन 160, उच्च कुशल प्रथम 8 तथा उच्च कुशल द्वितीय 24 अर्थात् कुल 192 इलैक्ट्रीशियन हैं। उपरोक्त स्ट्रेंथ के आधार पर 20 प्रतिशत उच्च कुशल द्वितीय व 15 प्रतिशत उच्च कुशल प्रथम पदोन्नति योग्य है। इस प्रकार उच्च कुशल द्वितीय के 36 पद एवं उच्च कुशल प्रथम के 27 पद होने चाहिये थे। अर्थात् उच्च कुशल प्रथम के 17 पद कम हैं व उच्च कुशल द्वितीय के 10 पद कम हैं अतः इन पदों पर उच्च कुशल द्वितीय की परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों को पदोन्नति देने की प्रार्थना की गई है। 26 उत्तीर्ण श्रमिकों में से एक श्रमिक सेवा निवृत्त हो चुका है अतः 25 व्यक्तियों को पदोन्नति देना उचित एवं वैध प्रतीत होता है। उच्च कुशल प्रथम वर्ग में कोई व्यक्ति पदोन्नति पाने का अधिकारी नहीं क्योंकि उच्च कुशल प्रथम की परीक्षा होने के बारे में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त साक्ष्य के खंडन में विपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है अतः श्री चूड़ावत के कथनों पर अविश्वास करने का कोई समुचित कारण प्रतीत नहीं होता। तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

"कमांडर वर्क्स इंजीनियर जयपुर उच्च कुशल द्वितीय की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 25 व्यक्तियों के नामों पर विचार कर नियमानुसार उन्हें दिनांक 16-7-90 से अर्थात् जिस दिन यह विवाद सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष उठाया गया, पदोन्नत कर उनके वेतन का अंतर तीन माह के अंदर अदा करेंगे। अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।

5 अवार्ड की प्रति भारत सरकार को प्रकाशनार्थ अनुसार धारा 17(1) अधिनियम के भेजी जाये।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2503—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एस.डी.ओ., टैलीग्राफ भीलवाड़ा के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/88/90-आई.आर. (डी.यू.) (पीटी)]

बी.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th October, 1993

S.O. 2503.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of SDO, Telegraph, Bhilwara, and their workmen, which was received by the Central Government on 22nd October, 1993.

[No. L-40012/88/90-IR(DU)(Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

2575 GI/93—14

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर : राजस्थान

केस नं. सी.आई.टी. 6/91

रैफरेंस : केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या :

एल-40012/88/90-आई.आर.डी. (डी.यू.) दि. 24-1-91

चतरनाथ पुत्र श्री भोलानाथ, गांव सौनियाना पोस्ट मानपुरा जिला भीलवाड़ा।

बनाम

सब डिवीजनल ओफिसर, टैलीग्राफ, भीलवाड़ा

उपस्थिति

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी श्रमिक की ओर से : श्री कान सिंह राठौड़

अप्रार्थी नियोजक की ओर से : श्री प्रवीण बनबदा

दिनांक अवार्ड : 29-5-93

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपनी उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :—

"Whether the action of the management of Telecom Deptt. in terminating the services of Shri Chatra Nath S/o Shri Ruza Nath, Labourer w.e.f 1-8-83 is justified? If not what relief is the workman concerned entitled to?"

2. प्रार्थी श्रमिक चतरनाथ ने स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत कर जाहिर किया है कि उसे दिनांक 1-4-1982 को विपक्षी नियोजक ने अपने यहां नियुक्ति दी थी और दिनांक 1-8-83 के बाद से ही उस की सेवा पृथक बिना किसी कारण के कर दी। उसने विपक्षी नियोजक के यहां निरंतर एवं नियमित सेवायें अर्पित की थी लेकिन बिना कोई कारण बताये मनमाने तरीके से उसकी सेवायें समाप्त कर दी गई। अपने क्लेम में आगे जाहिर किया है कि प्रार्थी की सेवा समाप्ति करना अवैध छंटनी की तारीफ में आता है उसे कोई नोटिस अथवा नोटिस वेतन नहीं दिया गया अतः धारा 25(एफ) के प्रावधानों के उल्लंघन में उसकी सेवा मुक्ति विधि विरुद्ध एवं शून्य है। श्रमिक से कनिष्ठ श्रमिकों को नियोजन दिया है इस कारण धारा 25(जी) के प्रावधानों का भी विपक्षी नियोजक ने उल्लंघन किया है। यह भी जाहिर किया कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति के बाद दूसरे व्यक्तियों को नियोजित किया है उसे पुनः नियोजित करने की कोई सूचना नहीं दी गई अतः नियोजक ने धारा 25(एच) के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है अतः उसकी सेवा मुक्ति अवैध एवं अनुचित है अंत में प्रार्थना की है कि वह बेरोजगार बैठा हुआ है अतः उसे शीघ्र सेवा में नियोजित कर पिछला समस्त वेतन व लाभ आदि दिलाये जाए। और उसकी सेवा मुक्ति को अवैध करार घोषित किया जाए।

3. अप्रार्थी नियोजक ने अपना जवाब प्रस्तुत कर स्वीकार किया कि उसकी नियुक्ति अप्रैल 1982 में की गई थी लेकिन यह अस्वीकार किया है कि उसने लगातार कार्य किया, उसने जुलाई, अगस्त-82 में कार्य नहीं किया था सितम्बर-82 में वह पुनः काम पर लौटा था जिसे पुनः काम पर रख लिया गया था। फिर वह नवम्बर 82 में अनुपस्थित हो गया, दिसम्बर, 82 में कार्य पर लौटा फिर जून 83 में अनुपस्थित हो गया और जुलाई-83 में कार्य कर उसके

बाद बिना कोई कारण के एवं बिना सूचना दिये अनुपस्थित हो गया अतः प्रार्थी का यह कहना कि उसने 1-4-82 से 1-8-83 तक विपक्षी के अधीन कार्य लगातार किया, गलत है । उसे सेवा पृथक नहीं किया गया बल्कि वह कार्य छोड़कर चला गया था । उसे कोई कार्य पर न आने का आदेश नहीं दिया गया था आगे अप्रार्थी ने जाहिर किया कि डी.टी.ओ. के दिनांक 30-3-85 को ऐसे आदेश हो गये है कि 31-3-85 के बाद ऐसे श्रमिकों की नियुक्ति आयन्दा नहीं की जायेगी अतः अब, इस लेबर को वापस रखना संभव नहीं है । प्रार्थी ने पूर्व में कोई विपक्षी के उच्चाधिकारियों को निवेदन मौखिक या लिखित रूप से नहीं किया था। प्रार्थी ने केवल अपने कार्यकाल का स्टेटमेंट मांगा था जो उसे 13-2-90 को दे दिया गया। आगे जाहिर किया कि श्रमिक प्रार्थी पर धारा 25एफ लागू नहीं होती है । विपक्षी विभाग में कुछ विशेष कार्य चलते रहे हैं इस कारण आकस्मिक मजदूरों की जरूरत होने से नये श्रमिक रखे गये थे। यह यदि कार्य पर आता रहता तो विभाग को उसे कार्य पर रखने में कोई आपत्ति नहीं थी अतः प्रार्थी किसी भी लाभ का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी ने यह भी अपने जवाब में जाहिर किया है कि प्रार्थी ने मामला सात साल बाद उठाया है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह तब से बेरोजगार रहा हो । अतः निवेदन किया कि स्टेटमेंट आफ क्लेम को खारिज फरमाया जावे।

3. अपने कथनों के समर्थन मे श्रमिक चतरानाथ ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित कराया जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की और प्रलेखिक साक्ष्य में एक्जि. डब्ल्यू./कार्यकाल स्टेटमेंट, डब्ल्यू-2 असफल वार्ता प्रतिवेदन, डब्ल्यू-3 कार्यालय ज्ञापन एवं डब्ल्यू 4 कार्यालय ज्ञापन की फोटो प्रति पेश की हैं। इसके विपरीत नियोजक की तरफ से श्री संजीव त्यागी ओफिसर इंचार्ज ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की एवं प्रलेखिक साक्ष्य में एक्जि. अप्रार्थी-1 पत्र दि. 30-3-85 की फोटो प्रति पेश की । तत्पश्चात् मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना।

4. श्रमिक का कथन यह है कि उसने 1-4-82 से 1-8-83 तक लगातार एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य किया है जब कि इसके विपरीत क्लेम के प्रत्युत्तर में नियोजक ने कहा है कि किसी भी वर्ष में श्रमिक ने 240 दिवस कार्य नहीं किया । अतः इन परिस्थितियों में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रालेखिक एवं मौखिक साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है । क्लेम के अनुसार ही श्रमिक चतरानाथ ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि 1-4-82 से दैनिक वेतन पर मस्ट्रोल कर्मचारी के रूप में उसकी नियुक्ति की गई थी और 1-8-83 को अचानक उसकी सेवायें मौखिक आदेश से अलग कर दी गई जब तक मैंने लगातार सेवा की थी और एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक कार्य किया है, अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डब्ल्यू-1 कार्यकाल विवरण की फोटो प्रति पेश की है जो सहायक मण्डल अधिकारी (अभियांत्रिकी) तार उपमण्डल, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 13-2-90 को श्रमिक के मांगने पर दिया गया था, जिसमे प्रार्थी द्वारा जिन जिन महीनों में कितने कितने दिन काम किया गया है, का विवरण दिया गया है। प्रतिपरीक्षा में श्रमिक कहता है कि 4/82 से 7/83 तक लगातार काम कराया है । 7/82 व 8/82 को काम नहीं किया हो यह गलत है बल्कि 16 माह काम किया है । मैं एक माह बीमार रहा था तब काम पर नहीं गया । यह गलत है कि मुझे काम मिल गया हो, मेरे गाड़ी है जिससे खर्चा चलाया है। नियोजक साक्षी संजीव त्यागी प्रतिपरीक्षा मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एक्जि. डब्ल्यू-1 को स्वीकार करता है तथा कहता है कि मेरे दस्तावेजों से जारी हुआ है इस पर ए से बी मेरे दस्तखत है, यह भी कहता है कि 1-4-82 से 1-8-83 तक लगातार कार्य नहीं किया इसमें कुछ कुछ समय का ब्रेक है । कब कब ब्रेक है जुबानी याद नहीं रिकार्ड पेश नहीं किया है । इस प्रकार इस नियोजक साक्षी ने भी स्पष्ट उत्तर देने से यह कहकर इंकार कर दिया कि रिकार्ड देखकर ही वह बता सकते हैं जबकि रिकार्ड पेश नहीं किया गया है । परन्तु एक्जि. डब्ल्यू-1 पर नियोजक साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। और उक्त दस्तावेज को स्वीकार किया है । अतः दस्तावेज एक्जि. डब्ल्यू-1 मे कार्य किये गये दिवसों को एक कलैण्डर वर्ष के आधार पर लिया जाये तो जुलाई 83 से जून 82 तक 10 माहों में जून-82 में 26 दिन, सितम्बर 82 में 21 दिन, अक्तूबर 82 में 19 दिन, दिसम्बर 82 में 23 दिन, जनवरी 83 में 27 दिन, फरवरी 83 मे 24 दिन, मार्च 83 में 24 दिन, अप्रैल में 21 दिन, मई में 27 दिन एवं जुलाई 83 में 24 दिन कुल 236 दिन कार्य किया है लेकिन उक्त चार्ट में रविवारों को कार्य दिवसों मे नहीं जोड़ा गया है जो 10 माह के 40 रविवार न्याय दृष्टान्तों LLNLSC पेज 817 वर्कमैन V/S AA इण्टरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन की रोशनी में जोड़ने पर कुल 276 दिवस कार्य करना सिद्ध होता है ऐसी स्थिति में उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं श्रमिक की साक्ष्य तथा नियोजक की साक्ष्य के की रोशनी मे श्रमिक द्वारा एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक सेवा पूरी किया जाना विपक्षी विभाग मे साबित है।

5. श्रमिक ने अपने क्लेम के समर्थन में शपथ पत्र में कहा है कि उसे विपक्षी ने मौखिक आदेश से निकाल दिया और उसे कोई नोटिस, नोटिस वेतन अथवा छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया जिसके बारे में नियोजक स्वीकार करते हुए जवाब मे कहता है कि वह स्वयं कार्य पर नहीं आया इसलिये उसे नोटिस अथवा नोटिस वेतन देना आवश्यक नहीं था । प्रार्थी श्रमिक ने अपनी जिरह में कहा है कि यह गलत है कि उसने 8/83 से काम पर आना खुद ने बन्द किया हो । विपक्षी साक्षी श्री संजीव त्यागी अपनी जिरह मे यही कहता है कि श्रमिक केजुअल लेबर था इस कारण उसे सूचना भेजना काम पर उपस्थित होने के बाबत आवश्यक नहीं था । आगे जिरह में यह भी कहा है कि उसे कोई नोटिस चार्जशीट नहीं दी गई क्योंकि वह खुद काम छोड़कर गया था । मेरे समक्ष श्रमिक प्रतिनिधि ने नजीर रोबर्ट डिसूजा (एल) बनाम एक्जि. इंजीनियर साउथ रेलवे एवं अन्य एल.एल.एन. (एस सी) पेज 217 प्रस्तुत की जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी भी कारण से की गई सेवा मुक्ति छंटनी की परिभाषा में आयेगी अतः मैं समझता हूं कि उक्त श्रमिक की सेवा मुक्ति छंटनी की परिभाषा मे आयेगी और इसे सेवा मुक्त करते समय विपक्षी को नोटिस या नोटिस वेतन एवं छंटनी का मुआवजा दिया जाना चाहिये था जो नहीं देने से धारा 25एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 प्रावधानों के उल्लंघन में उसकी सेवा मुक्ति अवैध पाता हूं । यदि श्रमिक स्वयं नौकरी छोड़ कर गया था तो उसे नियोजक द्वारा आरोप पत्र देकर घरेलू जांच करवानी चाहिये थी जो ऐसा न करके नियोजक द्वारा औ. वि. अधिनियम 1947 के प्रावधानों का उल्लंघन है ।

6 श्रमिक ने अपने क्लेम के कथनों को सत्यापित करते हुए शपथपत्र में कहा है कि उसकी सेवा मुक्ति करते समय कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई । नये श्रमिकों को भर्ती कर लिया गया लेकिन उसे पुनः नियोजन का मौका नहीं दिया गया, इससे धारा 25जी एवं 25एच के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है । शपथ-पत्र में यह भी कहा है कि उसकी सेवा मुक्ति के समय सत्यनारायण, भरत लाल, जगदीश सैन, गोपाल तेली आदि जूनियर कार्य कर रहे थे । तथा सेवा से अलग करने के बाद शंकर गुर्जर सोहन लुहारवो, जगदीश शर्मा को नियुक्ति दी जो कि अब भी कार्यरत हैं। विपक्षी के साक्षी ने अपने शपथपत्र में उक्त कथनों बाबत कुछ नहीं कहा है लेकिन जिरह में कहा है कि श्रमिक चतरनाथ को काम से हटाया उस समय वरिष्ठता सूची नहीं बनाई थी क्योंकि प्रावधान नहीं था उस समय सत्यनारायण, भंवरलाल, गोपाल सैनी आदि कार्य

कर रहे थे। दिनांक 1-8-83 के बाद शंकर गुर्जर, सोहन लोहारदो, जगदीश शर्मा आदि श्रमिक रखे गये हों तो मुझे ध्यान नहीं क्योंकि रिकार्ड मेरे पास नहीं है । इस संबंध में रिकार्ड पेश नहीं किया है। अतः विपक्षी के साक्षी द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर साबित है कि श्रमिक को जिस समय सेवा मुक्त किया गया था उस समय उससे जूनियर श्रमिक कार्य कर रहे थे तथा सेवा मुक्ति के बाद नये श्रमिकों को रखा गया था और उसे सेवा का पुनः अवसर नहीं दिया । श्रमिक प्रतिनिधि ने मेरे समक्ष 1992/डब्ल्यू. एल.सी.(राज.) पेज 464 ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स बनाम सेंट्रल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, सिविल रिट पिटी. नं. 220/89 निर्णय दिनांक 16-12-91, हेमराज बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, 1987 लेब, आई.सी. पेज 1361 गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कारपो. बनाम दीपक, आर.एल. डब्ल्यू. 1990(1) राज. उ. न्या. पेज 137 जी एम नोर्दन रेलवे बनाम सेंट्रल इण्ड. ट्रिब्यूनल जयपुर, डी.बी. सिविल स्पे. अपील नं. 24/91 दि. 23-4-91 सेंट्रल मैनेजर नोर्दन रेलवे बनाम सी.आई. टी. जयपुर प्रस्तुत की। अतः उक्त नजीरों की रोशनी में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि श्रमिक को सेवा मुक्त धारा 25 जी एवं 25 एच के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया है जिस कारण से भी श्रमिक की सेवा मुक्ति को मैं अवैध एवं अनुचित पाता हूं।

7. नियोजक ने अपने जवाब में कहा है कि श्रमिक सात साल तक क्या करता रहा और वह सात साल तक बेरोजगार रहा हो नहीं माना जा सकता । श्रमिक ने अपने को बेरोजगार होना बताया है तथा जिरह में कहा है कि उसके गाड़ी है जिससे वह अपना पालन करता है अतः मैं उपरोक्त स्थिति में क्योंकि श्रमिक एक्जि डब्ल्यू-2 असफल वार्ता प्रतिवेदन में वर्णित दिनांक 10-4-90 को समझौता अधिकारी के यहां गया है इस कारण उसे वेतन आदि लाभ 10-4-90 से दिलाया जाना उचित समझता हूं । अतः उक्त श्रमिक की साक्ष्य एवं नियोजक की साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य और बहस के आधार पर एवं न्याय दृष्टान्तों की रोशनी में मैं इस रैफरेंस का अधिनिर्णय निम्न प्रकार करता हूं कि—

श्रमिक चतरनाथ पुत्र श्री दुर्गा नाथ को प्रबंधक टैलीकम डिपार्टमेंट द्वारा दिनांक 1-8-83 से सेवा मुक्त करना उचित एवं वैध नहीं है, उसे नियोजित घोषित किया जाता है, इसकी सेवा की निरन्तरता कायम रखी जाती है तथा इसे दिनांक 10-4-90 से समस्त पिछला वेतन एवं लाभ दिलाये जाते हैं।

8. उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है जिसे बाम्बे प्रकाशनार्थ केन्द्र सरकार को अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम भेजा जावे ।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1993

का. आ. 2504—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार / असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पोस्ट आफिस, अहमदाबाद के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण अहमदाबाद के पंचट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-10-93 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-40011/4/92-आई. आर (डी. यू. (पी टी)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th October, 1993

S.O. 2504.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Asstt. Supdt. of Post Offices, Ahmedabad and their workmen, which was received by the Central Government on 21-10-1993

[No. L-40011/4/92-IR (DU) (Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI H. R. KAMODIA, INDUSTRIAL TRIBUNAL, AHMEDABAD.

Ref. (ITC) No. 19 of 1992

ADJUDICATION

BETWEEN

Asstt. Supdt. of Post Offices, Ahmedabad. .. First Party

Versus

The workmen employed under it. .. Second Party

In the matter of termination of S|

Shri G. M. Prajapati & M. S. Parmar w.e.f. 15-10-1991.

APPEARANCES :

Shri Bhargav Joshi, Advocate for the first party.
Shri R. C. Pathak, Advocate, for the second party.

AWARD

An industrial dispute between the above-named parties has been referred to this Tribunal for adjudication under section 10(1) of the I.D. Act, 1947 by the Desk Officer, Ministry of Labour, New Delhi, vide his order No. L-40011/4/92-IR(DU) dated 15th September, 1992.

2. The industrial dispute relates to the question whether the action of the Post Master General, Income-tax Asbram Road, Ahmedabad in terminating the services of S|Srri G. M. Prajapati and Mahendrakumar S. Parmar w.e.f. 15-10-91 is legal and justified ? If not, what relief the workmen are entitled to?"

3. The first day for filing the statement of claim was fixed on 30-9-92. The second party was served with the intimation. Still however, for reasons best known to the second party, the statement of claim was not filed on that date. The matter was adjourned from time to time. Then the second party was served with a notice by regd. post to remain present in the Tribunal and file its statement of claim, on 9-12-92. The postal acknowledgement receipt. at Ex. 3. So it was served with the intimation. Still however, it did not remain present. The matter was adjourned from time to time. Then again it was informed by a notice served by regd. post to remain present and to file its

statement of claim. The learned advocate of the second party has filed its adjournment applicttion on 29-6-93. Thereafter for a period of 3-1/2 months he has neither appeared nor has he filed any statement of clim nor has he filed application for time. Therefore the first party submitted an application Ex. 7 stating that matter be dismissed for default. It appears that the second party is not interested in proceeding further with the reference and hence it is of no use keeping the matter pending for adjudication till such time as the second party decides to file its statement of claim. Hence I pass the following order.

ORDER

The reference stands dismissed for default for want of prosecution with no order as to cost.

Sd/-

SECRETARY,

Ahmedabad, 10th October, 1993.

H. R. KAMODIA, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2505—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, कोटा के प्रबन्ध-तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उन के कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-43011/9/84-डी 2 (बी) (पीटी)]

बी० एम० डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th October, 1993

S.O. 2505.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rajasthan Atomic Power Project, Kota and their workmen, wrich was received by the Central Government on 22-10-93.

[No. L-43011/9/84-D.II(B) (Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी० आई० टी० 35/1985

रेफरेन्स:—केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल—43011 (9) 84 डी० बी० दिनांक 12-7-85

राजस्थान अणुशक्ति कर्मचारी यूनियन (सी) सी० आई० ओ० यू०) जरिये सैक्रेटरी रावतभाटा

—प्रार्थी

बनाम

थोक प्रोजेक्ट इंजीनियर राजस्थान आटोमेटिक पावर प्रोजेक्ट पोस्ट आफिस अणुशक्ति बाया कोटा।

—अप्रार्थी

उपस्थिति

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर० एच० जे० के० एस०

प्रार्थी की ओर से श्री जी० आर० मोणा

प्रार्थी की ओर से श्री एस.के. द्विवेदी

दिनांक अवार्ड 30-7-93

अवार्ड

पक्षकारण के प्रतिनिधिगण उपस्थित हैं। यूनियन के प्रतिनिधि साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते। पक्षकारण के प्रतिनिधिगण ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के आदेश दिनांक 23 अगस्त, 1988 के अनुसार नर्सेज एवं फार्मासिस्टस को 12 अप्रैल, 1988 से तकनीकी पद घोषित किया जा चुका है, इस कारण अब दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं रहा है ऐसी स्थिति में प्रकरण में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जाये।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2506—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण, में केन्द्रीय सरकार वैस्ट्रन रेलवे, कोटा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध मे निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं.-एल-33/18/86-कान. I/आई.आर. (डी. यू.) (पी टी)]

बी.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th October, 1993

S.O. 2506.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Railway, Kota ond their workmen, which was received by the Central Government on 22-10-93.

[No. L-33/18/86-Con.I/IR(DUR)(Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 85/1987

रेफरेंस:—केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक 33/18/86-सी ओ. एन दिनांक 21 सितम्बर, 1987

श्री दबीलाल द्वारा जनरल सैक्रेट्री जनरल मजदूर यूनियन झालावाड़।

—प्रार्थी

बनाम

मैनेजमेंट वैस्टर्न रेलवे द्वारा एक्स ई.एन. सर्वे एंड इन्सट्रक्शन्स (1) पश्चिम रेलवे, कोटा

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री आर. सी. नारंग

अप्रार्थी की ओर से : श्री बी.एस. माथुर

दिनांक अवार्ड : 26 जून, 1993

अवार्ड

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश के जरिये निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात् अधिनियम संबंधित किया है, की धारा 10(1) (घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

"Whether the action of X. En. (E & C) I, Kota, in terminating the services of Shri Devilal Chowkidar w.e.f. 15-9-85 is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. जनरल सैक्रेट्री, जनरल मजदूर यूनियन झालावाड़ जिसे तत्पश्चात् प्रार्थी संघ संबोधित किया है ने दिनांक 10-11-87 को स्टेटमेंट आफ क्लेम पेश कर जाहिर किया कि श्रमिक देवीलाल को 17-1-83 से भारत सरकार के पश्चिम रेलवे में खलासी के रूप में कार्यरत है और उसे टैम्परेरी स्टेटस भी प्राप्त है । प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 9-8-85 को आदेश क्रमांक डी टी., सी ओ आर आई-615/1 वी. 5 भेजा गया जिसमें प्रार्थी को 15-9-85 से नौकरी से अलहदा करने की सूचना दी गई और उसे यह भी आदेश दिया गया कि वह 16-9-85 को अपने ड्यूज प्राप्त कर ले । इस आदेश द्वारा श्रमिक पर यह आरोप लगाया गया है कि वह वाचमैन के पद पर बूंदी यार्ड में 15-2-85 को 4 बजे सायं से रात्रि 12 बजे तक कार्यरत था दिनांक 1-3-85 तथा 5-3-86 को रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक कार्यरत था और उसकी लापरवाही से सी एस टी/9 स्लीपर की चोरी हो गई और प्रार्थी ने चोरी को रोकने का प्रयास नहीं किया अतः उसकी असावधानी के कारण उसे नौकरी से हटाया जा रहा है । प्रार्थी संघ कहता है कि सेवा मुक्ति आदेश स्पष्टतः दण्डात्मक है किन्तु श्रमिक के खिलाफ कोई रेलवे सरवेन्ट डिसीप्लिन रूल्स के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई , न ही कोई चार्जशीट दी न उसे सुनवाई का अवसर दिया इस कारण आदेश सर्वथा गैर कानूनी है । सेवा मुक्ति से पहले कोई एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन और ना ही छंटनी मुआवजा दिया गया । इस प्रकार धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की गई है जिसकी वजह से सेवा मुक्ति आदेश स्वतः ही शून्य हो जाता है । आगे जाहिर किया कि प्रार्थी से अनेक कनिष्ठ व्यक्ति आज भी संस्थान में कार्य कर रहे हैं और प्रार्थी को दुर्भावनापूर्ण तरीके से यह आदेश पारित कर सेवा मुक्त किया गया है । यह भी जाहिर किया है कि बूंदी यार्ड एक खुला यार्ड है तथा पहले भी अधिकारियों को मौजूदगी में चोरियां हुई है किन्तु और किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की । प्रार्थी श्रमिक को रिटरेंचमेंट का नोटिस 9-8-85 को सर्व नहीं बल्कि 10 दिवस बाद सर्व हुआ । अतः निर्धारित अवधि का न होने के कारण निरस्तनीय है । प्रार्थी संघ कहता है कि श्रमिक ने सामान को बचाने का काफी प्रयास किया था और चोरों से उसकी झड़प हुई जिसमें उसे चोटें भी आई अतः नैगलीजैन्सी का आरोप गलत व निराधार है अतः प्रार्थना की कि श्रमिक को उसके पद पर समस्त लाभों सहित सवेतन नौकरी में बहाल करने के आदेश फरमाये जायें ।

3. उप मुख्य इंजीनियर (के. सी पी) पश्चिम रेलवे कोटा जंक्शन जिसे तत्पश्चात् अप्रार्थी नियोजक संबोधित किया है ने क्लेम का प्रत्युत्तर दिनांक 22-4-88 को प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थी श्रमिक को नियुक्ति 17-1-83 को खलासी के पद पर हुई थी किन्तु उसे टैम्परेरी स्टेटस प्राप्त है इस बात से इन्कार किया । प्रार्थी ने अपनी चौकीदारी की ड्यूटी को सही तौर पर नहीं निभाया इसलिए उसकी लापरवाही व अयोग्यता के कारण 15-2-85 व 1-3-85 एवं 5-3-85 को उसकी उपस्थिति में स्लीपरों की चोरी की वारदातें हुई जिससे प्रशासन को आर्थिक हानि उठानी पड़ी । प्रशासन ने श्रमिक के विरुद्ध जांच कार्यवाही की जिसमें श्रमिक दोषी पाया गया अतः उसे 9-5-85 को विधिवत नोटिस एक माह का वेकर ही 15-9-85 से उसकी सेवाएं समाप्त की उस नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि वह अपना वेतन कम्पनसेशन कार्यालय में उपस्थित हो कर प्राप्त कर ले किन्तु प्रार्थी श्रमिक ने अपना प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया यह कि वह केवल वेतन की राशि ही लेना चाहता है कम्पनसेशन की धनराशि नहीं लेना चाहता और उसने दिनांक 23-9-85 को अपना वेतन 500.55 रुपये का भुगतान तो प्राप्त कर लिया तथा कम्पनसेशन की राशि बावजूद आफर अन्डर के नहीं ली प्रार्थी श्रमिक ने रेलवे प्रशासन का विश्वास खो दिया ऐसी स्थिति में उसे पुनः नौकरी पर लेने का प्रश्न ही नहीं उठता । अप्रार्थी नियोजक ने कोई भेदभाव व दुर्भावनापूर्ण व्यवहार नहीं किया है और ना ही अधिनियम 1947 के प्रावधानों की अवहेलना की है । सेवा मुक्ति आदेश दण्डात्मक न होकर वैधानिक है क्योंकि प्रार्थी श्रमिक चोरियों के इल्जाम में दोषी पाया गया । प्रार्थी की सेवा स्टेच्यूटरी नहीं है और वह रेलवे का नियमित कर्मचारी नहीं है । उसका कार्यकाल निष्कलंक नहीं रहा और उसके फलस्वरूप रेलवे को आर्थिक हानि उठानी पड़ी जिस कारण उसे सेवा मुक्त किया गया । अतः कनिष्ठ व्यक्तियों को सेवा मुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठाता धारा 25-एफ अधिनियम की पालना कर दी गई थी उसे विधिवत नोटिस भेजा था व कम्पनसेशन की राशि आफर की थी जो उसने स्वयं ही लेने से इन्कार कर दिया ।

4. विशेष विवरण में अप्रार्थी नियोजक ने अभिकथन किया है कि प्रार्थी श्रमिक ने अपने नौकरी से हटाए जाने के संबंध में एक दीवानी दावा न्यायालय मुंसिफ नार्थ कोटा के यहां दिनांक 22-8-85 को मय स्टे दरख्वास्त पेश किया था जो स्टे दरख्वास्त दिनांक 16-9-85 को खारिज हो गई इसे बाद में सी ए टी में ट्रांसफर कर दिया गया जहां प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बाद को वापिस ले लिया अतः प्रार्थी श्रमिक किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है, प्रार्थी संघ का क्लेम खारिज किये जाने योग्य है जिसे खारिज किया जावे ।

5. न्यायाधिकरण के समक्ष श्रमिक के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने हेतु हुई जांच में सर्वश्री मोहनलाल, कृष्ण गोपाल शर्मा नरोत्तम कुमार अग्रवाल डी एम. काला राजेश कुमार, मोतीलाल एवं तेज राम को परीक्षित किया गया है। श्रमिक देवीलाल ने स्वयं को परीक्षित कराया है । मैंने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री साक्ष्य एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया तथा पक्षकारों के सुयोग्य प्रतिनिधिगण ने कार्यवाही बहुत विस्तारपूर्वक सुनी

6. प्रबन्धन के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्तों का आश्रय लिया :

1. एफ. एल. आर. 1971 (23) एस. सी. 241 मै. फ्रांसिस क्लेन एंड कम्पनी (प्रा) लि. बनाम डेयर वर्कमैन

2. एल. एस जे. 1982(1)(352) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, सुरेश कुमार बनाम बैंड बाक्स (प्रा.) लि.

3. एफ. एल. आर. 1982 (44) पेज 202, लखनऊ जूट कम्पनी लि. बनाम नन्द कैमार सिंह ।

7. इस प्रकरण में यह तो एक निर्विवाद तथ्य सामने आया है कि देवी लाल प्रार्थी श्रमिक को प्रबन्ध पश्चिम रेलवे द्वारा खलासी के रूप में 17-1-83 को नियुक्त किया गया था । परंतु श्रमिक की सेवाएं समाप्त करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही "रेलवे सर्वेन्टस (डिसीप्लीन एंड अपील) रूल्स, 1968" के अधीन श्रमिक के विरुद्ध नहीं की गई, न तो उसे कोई चार्ज शीट दी गई न ही उसे सुनवाई का मौका दिया गया व जांच किए बिना उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जो स्पष्टतः एक दण्डात्मक आदेश है। चूंकि श्रमिक की नियुक्ति 17-1-83 को खलासी के पद पर की गई और उसने निरन्तर उस पद पर कार्य किया और उसकी सेवाएं 15-9-85 को समाप्त की गई अर्थात् निश्चित रूप से प्रार्थी श्रमिक एक वर्ष की अवधि से अधिक अप्रार्थी संस्थान के अधीन नियोजित रहा है श्रमिक ने इस मामले में धारा 25 एफ अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना बताते हुए बाबा संस्थिति किया है । अधिनियम की धारा 25-एफ निम्न प्रकार है :—

25-F. Conditions precedent to retrenchment of workmen : No workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until —

(a) the workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice; wages for the period of the notice;

(b) The workman has been paid, at the time of retrenchment compensation which shall be equivalent to 15 days average pay (for every completed year of continuous service) or any part thereof in excess of six months;

(c) Notice in the prescribed manner is served on the appropriate government (or such authority as may be specified by the appropriate Govt. by notification in the official Gazette)."

8. अब मैं साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह अधिनिर्णित करूंगा कि इस मामले में अधिनियम की धारा 25-एफ की पालना हुई है। प्रबन्धन के साक्षी श्री जी.एम. काला ने कथन किया है कि श्रमिक देवीलाल को एक माह का नोटिस 9-8-85 को दिया गया था उस पर तामील है । यह साक्षी अपने प्रति परीक्षण में यह बताने में असमर्थ रहा है कि प्रदर्श एम-1 नोटिस देवीलाल को किसनी तारीख को दिया । श्री काला ने कथन किया है कि देवीलाल को चोरी का दोषी पाया गया तथा उसे दुराचरण के कारण दिनांक 15-9-85 से सेवा से हटा दिया गया । प्रदर्श एम.-1 नोटिस में यह भी उल्लिखित किया गया है कि नोटिस की अवधि 16-8-85 से आरंभ मानी जायेगी । इसमें यह भी निर्देश दिये गये कि वह अपना बकाया भुगतान आई. ओ. डब्ल्यू (एस एंड सी) II/कोटा के कार्यालय में उपस्थित होकर 16-9-85 को प्राप्त कर ले । श्री काला ने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि दिनांक 23-9-85 को श्रमिक देवीलाल ने एक माह का वेतन 500.55 पैसे प्राप्त किया किन्तु छंटनी भत्ता उसने लेने से इंकार कर दिया। छंटनी भत्ते का कोई एम ओ. नहीं भेजा । अधिनियम की धारा 25-एफ के अनुसार छंटनी मुआवजे की राशि भी रिट्रेन्चमेन्ट के समय ही दे दी जानी चाहिये। श्रमिक देवीलाल ने दिनांक 23-9-85 को आवेदन पत्र प्रदर्श एम-1 प्रस्तुत कर प्रकट किया कि उसे केवल वेतन ही लेना है व रु. 990.45 कम्पनसेशन के नहीं लेगा । प्रबन्धन ने यह भी प्रमाणित नहीं किया है कि निर्धारित प्रपत्र में नोटिस संबंधित सरकार को भेजा गया हो । इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि धारा 25-एफ की आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना श्रमिक को सेवा से हटाते समय नहीं की गई है । अतः प्रबन्धक द्वारा जारी किया गया सेवा मुक्त आदेश स्वतः ही अनुचित एवं अवैध होने से प्रभाव शून्य हो जाता है । यहां यह भी उल्लिखित करना आवश्यक है कि नोटिस दिनांक 9-8-85 में यह उल्लिखित किया गया है कि श्रमिक चौकीदार के पद पर बूंदी कोटा यार्ड में कार्यरत था । दिनांक 15-2-85, 1-3-85 एवं 5-3-85 को जब वह चौकीदार की ड्यूटी अंजाम दे रहा था तब उसकी लापरवाही के कारण सी. एम. टी/स्लीपर्स की चोरी हुई जिससे संस्थान को आर्थिक हानि हुई और उसने चोरों को रेलवे का सामान ले जाते हुए रोकने का प्रयास नहीं किया इस तरह उसने कर्तव्य परायणता में लापरवाही एवं उदासीनता बरती । जैसे कि मैं ऊपर उल्लेख कर चुका हूं कि कि रेलवे सर्विसेज अपील रूल्स के तहत श्रमिक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई । उसे न तो कोई चार्जशीट दी गई न ही सुनवाई का मौका दिया गया और बिना जांच किये उसे सेवा मुक्त कर दिया । प्रबन्धन की ओर से आरोप सिद्ध करने के संबंध में प्रस्तुत की गई साक्ष्य का मुल्यांकन करने के पश्चात् में यह अधिनिर्णित करूंगा कि क्या प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हैं अथवा नहीं

9. प्रबन्धन के साथीगण मोहनलाल, कृष्ण गोपाल, नरोत्तम कुमार, व मांगी लाल के कथनानुसार श्रमिक देवीलाल की ड्यूटी आवर्स में दिनांक 15-2-85, 1-3-85 व 5-3-85 को चोरी की घटनाएं हुई थी। प्रबन्धन के साक्षी श्री डी. एम. काला ने यह कथन किया है कि उक्त चोरियां देवीलाल की असावधानी व लापरवाही के कारण घटित हुई । इस कारण रेलवे प्रशासन को अकारण ही भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी विभागीय साक्षी श्री राजेश कुमार ने कथन किया है कि चोरी की वारदातों के संबंध में जांच श्री काला ने की थी, जब उसके बयान हुए थे तो देवीलाल मौजूद नहीं था । इस प्रकार जांच देवीलाल की मौजूदगी में नहीं हुई है। विभागी साक्षी श्री लेखराम के कथनानुसार लोहे के स्लीपरों की चोरी बाबत जांच रेलवे विभाग द्वारा कराई गई थी। उसने अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि उसे पता नहीं कि देवीलाल की लापरवाही किस प्रकार की थी।

10. यह उल्लेखनीय है कि श्रमिक देवीलाल ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 15-2-85, 1-2-85 व 5-3-85 को चोरी की घटनाएं घटित हुई थी किन्तु उसने अपने दायित्व को स्वीकार नहीं किया है।

11. प्रबन्धन की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य का मूल्यांकन करने पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रबन्धन अपनी साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा कि श्रमिक देवीलाल की ड्यूटी आवर्स में दिनांक 15-2-85, 1-3-85 व 5-3-85 को रेलवे स्टोर बूंदी से स्टील स्लीपरों की चोरी हुई जो श्रमिक देवीलाल की लापरवाही व असावधानी के कारण घटित हुई। उस उपरोक्त अवधि में श्रमिक देवीलाल चौकीदार के पद पर कार्यरत था। श्री डी एम काला के कथन से यह भी प्रमाणित है कि श्रमिक ने अपना विश्वास रेलवे प्रबन्धन के प्रति पूर्णतः खो दिया है और प्रशासन श्रमिक को पुनः नौकरी पर रखना न्यायसंगत नहीं मानता जो उचित व न्याय संगत है। मैं अपने निष्कर्ष के संबंध में एफ. एल. आर (23) 1977 पेज 241 (सुपरा) पर भरोसा करता हूं।

12. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :—

"श्रमिक देवीलाल को दिनांक 15-9-85 से सेवामुक्त किया जाना उचित एवं वैध नहीं है क्योंकि प्रबन्धन द्वारा धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। किन्तु चूंकि श्रमिक के चौकीदारी की ड्यूटी अंजाम देते समय रेलवे स्टोर बूंदी से चोरी की तीन घटनाएं 15-2-85, 1-3-85 व 5-3-85 श्रमिक देवीलाल की लापरवाही व असावधानी के कारण चोरी हुई होना प्रमाणित हुआ है जिसके फलस्वरूप स्टील स्लीपरों की चोरी हो जाने से प्रशासन को काफी आर्थिक हानि हुई है और रेलवे प्रशासन में श्रमिक अपना विश्वास पूर्णतः खो चुका है और वह श्रमिक को पुनः सेवा में लेना नहीं चाहता, अतः श्रमिक देवीलाल सेवा मुक्ति की दिनांक 15-9-85 से अवार्ड की तारीख 26-6-93 तक का समस्त वेतन जो कि वह सेवा मुक्ति की तारीख को प्राप्त कर रहा था एवं अन्य लाभों सहित प्राप्त करने का अधिकारी है और चूंकि श्रमिक को सेवा में पुनः नियोजित नहीं किया जाता उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में वह नियोजक से 1000 रुपये की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त समस्त राशि नियोजक अंदर तीन माह श्रमिक को अदा करेगा अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। 100 रुपये खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है।"

13. अवार्ड की प्रति भारत सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम भेजी जावे।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2507.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार माइक्रोवेव प्रोजेक्ट टेलीफोन एक्सचेंज बीकानेर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-40012/68/90-आई आर. (डी. यू.) (पी टी.)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th October, 1993

S.O. 2507.—In pursunce of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Jaipur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Microwave Proj. Telephone Exchange, Bikaner and their workmen, which was received by Central Government on 22-10-1993.

[No. L-40012/68/90-IR(DU)(Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 5/91

रैफरेंस: केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-40012/68/90-आई. आर. (डी. यू.) दिनांक 23-1-92

लक्ष्मी नारायण विजय पुत्र श्री किशन गोपाल विजय जाति विजय निवासी शंकर होटल के पास, स्टेशन रोड बीकानेर।

—प्रार्थी

बनाम

सहायक अभियन्ता, माइक्रोवेव प्रोजेक्ट टेलीफोन एक्सचेंज, बीकानेर

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी श्रमिक की ओर से	श्री जे. के. अग्रवाल
अप्रार्थी नियोजक की ओर से	श्री प्रवीण बलवदा
दिनांक अवार्ड	7 अगस्त, 1993

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश के द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम संबोधित किया जाएगा, की धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

"Whether the action of the management of A.E.N. Microvave Project, in terminating the services of Shri Laxminarayan Vijay is justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled to ?"

2. श्री लक्ष्मीनारायण विजय जिसे तत्पश्चात प्रार्थी श्रमिक संबोधित किया है, ने स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत कर जाहिर किया कि उसकी नियुक्ति विपक्षी संस्थान में (विभाग) दिनांक 11-3-87 को मस्टररोल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में की गई थी। उसका कार्य सदैव संतोषप्रद रहा किन्तु हमेशा की तरह जब प्रार्थी श्रमिक दिनांक 1-4-89 को ड्यूटी पर गया तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को ड्यूटी पर लेने से मना कर दिया तथा इसका कोई कारण भी नहीं बताया। प्रार्थी इसके बाद कुछ दिन तक तो ड्यूटी पर जाता रहा किन्तु जब अप्रार्थी ने उसे ड्यूटी पर नहीं लिया तो प्रार्थी श्रमिक ने केन्द्रीय श्रम एवं समझौता अधिकारी के समक्ष मामला प्रस्तुत किया जहां अप्रार्थी का कोई भी अधिकारी बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं हुआ। प्रार्थी कहता है कि उसकी सेवा मुक्ति करने से पहले न कोई नोटिस दिया न ही उसके एवज में एक माह का वेतन और यहां तक कि छटनी का मुआवजा भी नहीं दिया। प्रार्थी जिस पद पर नियुक्त था वह पद एवं कार्य स्थाई प्रकृति का है और हमेशा रहेगा। प्रार्थी श्रमिक का कथन है कि उसने एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक निरन्तर कार्य किया अतः धारा 25-एफ के प्रावधानों की अनुपालना सेवा मुक्ति से पूर्व नियोजक द्वारा नहीं की गई न ही कोई वरिष्ठता सूची बनाई गई

है तथा प्रार्थी की सेवामुक्ति के बाद नए श्रमिकों को भी काम पर रखा है किन्तु प्रार्थी श्रमिक को सूचना नहीं दी गई, नवनियुक्त श्रमिकों के नाम श्री रवीन्द्र कुमार एवं श्री मदन सिंह बताए हैं । इस प्रकार धारा 25-एफ जी व एच अधिनियम का खुला उल्लंघन किया गया है अतः उसकी सेवामुक्ति प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है । प्रार्थी कहता है कि वह अपनी सेवा मुक्ति की तारीख से ही बेरोजगार बैठा है । अतः प्रार्थना की कि उसकी सेवा मुक्ति को अनुचित एवं अवैध घोषित किया जाए तथा प्रार्थी को पुनः पिछले समस्त वेतन एवं परिलाभों सहित विपक्षी (विभाग) संस्थान में बहाल किया जाए तथा ब्याज की राशि व खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाए ।

3. सहायक अभियन्ता माईक्रोवेव प्रोजेक्ट टेलीफोन एक्सचेन्ज, बीकानेर, जिसे तत्पश्चात अप्रार्थी संबोधित किया ने दिनांक 1-6-91 को स्टेटमैंट आफ क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थी को अस्थाई दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में कार्य पर रखा था । यह सही है कि प्रार्थी ने एक मामला केन्द्रीय श्रम व समझौता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था किन्तु दिनांक 2-3-89 के पश्चात स्वयं ही अप्रार्थी के यहां कार्य करने नहीं गया। प्रार्थी ने एक वर्ष में 240 दिन लगातार कार्य नहीं किया है तथा जिस पद पर वह कार्य कर रहा था वो स्थाई प्रकृति का नहीं है अतः प्रार्थी को किसी प्रकार का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं था तथा प्रार्थी ने स्वयं ही कार्य पर आना छोड़ दिया था। अप्रार्थी कहता है कि अब उसके पास निरन्तर कार्य उपलब्ध भी नहीं है जब कार्य होता है तभी किसी श्रमिक को कार्य पर रख लिया जाता है अन्यथा नहीं। अप्रार्थी कहता है कि प्रार्थी के स्थान पर किसी नए व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी गई है अतः अप्रार्थी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है । अतः प्रार्थी का क्लेम खारिज किया जाए ।

4. प्रार्थी श्रमिक श्री लक्ष्मी नारायण ने अपने दावे के समर्थन में अपनी साक्ष्य में स्वयं को परीक्षित कराया है तथा विपक्षी ने प्रार्थी की साक्ष्य के खण्डन में श्री भगवानाराम सहायक अभियन्ता माईक्रोवेव प्रोजेक्ट बीकानेर को परीक्षित कराया है ।

5. तत्पश्चात मैंने पक्षकारों के विद्वान प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना और पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री तथा विधि के सुसंगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया ।

6. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्तों का आश्रय लिया :

1. आर. एल. आर. 1991 (2) पेज 158 (मान. राजस्थान उच्च न्यायालय, ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स बनाम पीठासीन अधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण व अन्य ।

2. 1989 (1) एस. एल. आर. पेज 443, (मान. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय) सुदीप सिंह मान बनाम पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ व अन्य ।

3. 1991 (4) एस. एल. आर. (74) पेज 236, जे. एल. वासु राव एंड अन्य बनाम असिसटैंट इंजीनियर, कंबिलस सिकन्दर सिकन्दराना व अन्य ।

7. विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि श्री प्रवीण बलवदा ने अपनी दलीलों के समर्थन में न्याय दृष्टान्त (1992) 4 एस. सी. सी. 99, दिल्ली डैवेलपमेंट हार्टीकल्चर एम्पलाईज यूनियन बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन व अन्य का आश्रय लिया ।

8. यह निर्विवाद तथ्य है कि प्रार्थी श्रमिक को विपक्षी ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य पर रखा था । प्रार्थी श्रमिक ने अपनी प्रथम नियुक्ति की तारीख 11-3-87 बताई है जिसका विपक्षी ने भी खण्डन नहीं किया है । विपक्षी की यह प्रतिरक्षा रही है कि प्रार्थी दिनांक 2-3-89 के पश्चात स्वयं कार्य करने नहीं आया जबकि प्रार्थी श्रमिक ने अपने कथन से यह प्रमाणित किया है कि उसने विपक्षी संस्थान के अधीन निरन्तर कार्य किया है और विपक्षी ने अवैध रूप से उसकी सेवा मुक्ति दिनांक 1-4-89 को की है और उसका यह कथन है कि उसने विपक्षी संस्थान के अधीन एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य किया है किन्तु विपक्षी ने प्रार्थी को सेवा मुक्ति करने से पूर्व उसे कोई नोटिस, नोटिस के एवज में एक माह का वेतन अथवा छंटनी का मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया गया और न ही कोई वरिष्ठता सूची ही बनाई तथा प्रार्थी श्रमिक को अवैध सेवा मुक्ति के पश्चात विपक्षी ने नए श्रमिकों को भी रखा है इस प्रकार प्रार्थी ने अपना यह वाद अप्रार्थी के विरुद्ध धारा 25एफ, जी, व एच अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना बताते हुए संस्थित किया है ।

9. पक्षकारान् की साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विपक्षी की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रलेख प्रदर्श डब्ल्यू-1 से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी श्रमिक ने विपक्षी संस्थान भारतीय दूर संचार विभाग के अधीन वर्ष 1987 में 164 दिवस, वर्ष 1988 में 186 दिवस तथा वर्ष 1989 में 50 दिवस कार्य किया जैसा कि विपक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है । प्रार्थी श्रमिक द्वारा मार्च 1987 में 19 दिवस, अप्रैल में 25 दिवस, मई में 26 दिवस, जून में 17 दिवस, जुलाई में 23 दिवस, सितम्बर में 8 दिवस, अक्टूबर में 15 दिवस, दिसम्बर में 31 दिवस, जनवरी 1988 में 31 दिवस व फरवरी 1988 में 29 दिवस कार्य करना प्रमाणित होता है इसी प्रकार प्रदर्श डब्ल्यू-2 से यह प्रमाणित होता है कि श्रमिक ने नवम्बर 1987 में 30 दिवस कार्य किया। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक द्वारा कुल 254 दिवस विपक्षी संस्थान के अधीन कार्य करना प्रमाणित होता है, इन कार्य दिवसों में रविवारीय व अन्य अवकाश शामिल नहीं हैं । प्रार्थी श्रमिक को सेवा से हटाने से पूर्व कोई नोटिस, नोटिस के एवज में एक माह का वेतन एवं छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया है इस प्रकार धारा 25एफ अधिनियम के प्रावधानों का अवहेलना होना प्रमाणित हो जाता है ।

10, विपक्षी संस्थान के विद्वान प्रतिनिधि श्री बलवदा ने यह दलील दी कि प्रार्थी श्रमिक ने विपक्षी संस्थान में मात्र दो ही दिवस कार्य किया है इसके बाद वह स्वयं ही कार्य करने नहीं आया तथा उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य स्थाई प्रकृति का नहीं था। श्री बलवदा ने न्याय दृष्टान्त (1192) 4 एस. सी. सी. 99 (सुप्रा) का आश्रय लेते हुए यह दलील दी कि टैम्परेरी गवर्नमैंट किस्म जवाहर योजना के अन्तर्गत अगर किसी श्रमिक ने 240 दिवस से अधिक भी कार्य कर लिया हो तो भी वह अपनी सेवाएं नियमित कराने का अधिकारी नहीं होता है किन्तु हस्तगत मामले में यह न्याय दृष्टान्त लागू नहीं होता है क्योंकि श्रमिक को न तो जवाहर योजना अथवा अकाल राहत योजना और ना किसी अन्य योजना के अन्तर्गत रखा गया था तथा ऐसी कोई प्लानिंग विपक्षी द्वारा उनके जवाब में नहीं उठाई गई है। उनका मात्र यही कथन रहा है कि श्रमिक स्वयं ही 2-3-89 के पश्चात कार्य पर नहीं आया । विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि की यह दलील भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है कि प्रार्थी श्रमिक ने ए. ई. एन., माईक्रोवेव, बीकानेर के अधीन केवल दो दिवस कार्य किया हो वहां उसके कार्य दिवस माने जाने चाहिए। विपक्षी संस्थान के साक्षी श्री भगवाना राम ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डब्ल्यू 1 सही है और इस पर ए से बी हस्ताक्षर श्री एम. एल. सोलंकी के होना स्वीकार किया । प्रदर्श डब्ल्यू 1 व 2 से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी श्रमिक ने विपक्षी संस्थान के अधीन 240 दिवस से अधिक कार्य किया है । प्रदर्श डब्ल्यू-1 में विपक्षी ने प्रार्थी श्रमिक द्वारा भारतीय दूर संचार विभाग में किए गए कार्य दिवसों को बताया गया है । ए. ई. एन. माईक्रोवेव बीकानेर द्वारा ही प्रार्थी की सेवाएं समाप्त की गई है अतः वही इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है । निगम के अन्य पदाधिकारियों को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है । विपक्ष संस्थान के साक्षी श्री भगवानाराम ने यह

भी स्वीकार किया है कि आकस्मिक श्रमिकों की वरिष्ठता सूची नहीं बनाई भले ही उन्होंने 240 दिवस से अधिक कार्य क्यों नहीं कर लिया हो। उसने यह भी स्वीकार किया है कि लक्ष्मी नारायण की सेवा मुक्ति के बाद अस्थाई कर्मचारियों को उसके कार्यालय में रखा गया।

11. उपरोक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रार्थी श्रमिक की प्रथम नियुक्ति 11-8-87 को विपक्षी संस्थान में हुई थी और उसे 1-4-89 को विपक्षी ने अवैध रूप से सेवा मुक्त कर दिया जब कि उसने एक कलैण्डर वर्ष में लगातार 240 दिवस से अधिक कार्य कर लिया था उसके बावजूद भी अप्रार्थी नियोजक ने प्रार्थी की सेवा मुक्ति से पहले कोई एक माह का नोटिस नहीं दिया न ही नोटिस के एवज में एक माह का वेतन दिया यहां तक कि छटनी मुआवजा भी अदा नहीं किया तथा कोई वरिष्ठता सूची भी नहीं बनाई। प्रार्थी की अवैध सेवा मुक्ति के बाद नए श्रमिकों को भी संस्थान में रखा गया है। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक की साक्ष्य से यह भली भांति प्रमाणित हो गया है कि प्रार्थी की सेवा मुक्ति करने से पूर्व धारा 25एफ, 25जी व 25एच अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं की गई है इसलिए प्रार्थी की सेवा मुक्ति अनुचित एवं अवैध है। मैं अपने निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त एस. सी. एल. जे. (1988-90) पेज 662, के. के. दुबे, बनाम यू. पी. स्टेट ब्रिज एंड एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन व अन्य तथा एस. सी. एल. जे. (1988-90) पेज 663, नरसिंह चौपड़ा बनाम पीठासीन अधिकारी लेबर कोर्ट पर भरोसा करता हूं।

12. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

"ए. ई. एन. माईक्रोवेव प्रोजेक्ट बीकानेर के प्रबन्धतंत्र द्वारा श्रमिक श्री लक्ष्मीनारायण बिश्नोई की सेवा मुक्ति किया जाना उचित एवं वैध नहीं है। उसे उसके पद पर नियोजित घोषित किया जाता है और उसका समस्त पिछला वेतन व अन्य सभी लाभ मय सेवा की निरन्तरता के दिलाए जाते हैं। नियोजक को आदेश है कि अंदर तीन माह उसका समस्त बकाया वेतन अदा करें अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा। 100/- रुपए खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है।"

13. अवार्ड की प्रति भारत सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजी जाए।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2508.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स काशीराम एंड सन्स, मेहनावास (बेह रोड़) अलवर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[एल-29012/41/87-डी III (बी)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th October, 1993

S.O. 2508.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Kashi Ram and Sons and their workmen, which was received by the Central Government on 26-10-1993.

[No. L-29012/41/87-D.III(B)]

B. M. DAVID, Desk Officer

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 8/1988

रैफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-29012/41/87-डी III (13) दिनांक 14-1-88

श्री पवन कुमार जरिये खान मजदूर यूनियन, मेहनावास जिला अलवर।

—प्रार्थी

बनाम

मैसर्स काशीराम एंड सन्स, मेहनावास (बेह रोड़) अलवर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से :	श्री जे. एल. शाह
अप्रार्थी की ओर से :	श्री कैलाशचन्द्र भय श्री केवल राम
दिनांक अवार्ड :	1-9-93

अवार्ड

श्री जे. एल. शाह व श्री केवल राम के प्रार्थना पत्र पर फाईल आज पेश हुई। श्री पवन कुमार यादव श्रमिक स्वयं व उनके प्रतिनिधि श्री जे. एल. शाह उपस्थित है। श्री कैलाश चन्द्र भय उनके प्रतिनिधि श्री केवल राम उपस्थित है। पक्षकारान के प्रतिनिधियों ने आज एक आपसी समझौता पेश किया जिसे तस्दीक किया गया। अब पक्षकारान के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा है। पक्षकारान की प्रार्थना पर प्रकरण में समझौते के आधार पर अवार्ड पारित किया जाता है। समझौता अवार्ड का अंग रहेगा। अवार्ड की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजी जावे।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

समक्ष माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण केन्द्रीय जयपुर केस नं C/77/89

खान मजदूर संघ बनाम मैं. काशीराम एण्ड सन्स, मेहनावास जिला अलवर।

उपरोक्त विवाद में दोनों पक्षों के बीच कई बार आपसी वार्ताओं के बाद आज निम्न समझौता सम्पन्न हुआ है :—

(1) यह कि नियोजक पार्टी श्रमिक को उसकी पिछली सेवाओं व इस विवाद से सम्बन्धित सभी क्लेम के पैसे एक मुश्त राशि रुपया 13,000.00 (तेरह हजार रुपया) मात्र का भुगतान करना स्वीकार करते हैं। श्रमिक व संघ इससे सहमत है।

(2) यह कि श्रमिक पवन कुमार पार्टी सेवाओं की बहाली का अधिकार छोड़ता है। तथा उक्त 13,000.00 रुपया प्राप्त होने के बाद उसका किसी प्रकार का कोई लेना देना नियोजक के प्रति बाकी नहीं रहेगा।

(3) यह कि नियोजक ने आज चैक नं. एनएमसीटी/सी-790819 दिनांक 1-9-93 का 13000.00 रुपया (तेरह हजार रुपया मात्र) का न्यू बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुण्ड, जिला रेवाड़ी का श्रमिक को दे दिया है

(4) यह कि उक्त समझौता श्रमिक पवन कुमार ने होश हवास राजीखुशी बिना किसी दबाव के किया है और चैक (रुपया तेरह हजार) का प्राप्त कर लिया है। अब श्रमिक का नियोजक से कोई लेना बाकी नहीं है।

दिनांक 1-9-93

नियोजक | श्रमिक
(कैलाश चन्द) | (पवन कुमार)

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2509.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, दरीबा कापर प्रोजेक्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-43012/29/87-डी-III (बी)]
बी० एम० डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th October, 1993

S.O. 2509.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dariba Copper Project and their workmen, which was received by the Central Government on 26-10-1993.

[No. L-43012/29/87-D.III(B)]
B. M. DAVID, Desk Officer

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 13/88

रेफरेन्स : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-13012/29/87-डी-III (बी) दिनांक 20-1-87

महासचिव, कोपर प्रोजेक्ट मजदूर यूनियन, डाकघर-दरीबा, जिला अलवर, (राजस्थान)

. . . . प्रार्थी यूनियन

बनाम

प्रोजेक्ट मैनेजर, दरीबा कापर प्रोजेक्ट, डाकघर दरीबा, जिला अलवर (राजस्थान)

. . . . . विपक्षी प्रबन्धक

उपस्थिति

श्री शंकर लाल जैन, आर.एच.जे.एस. (न्यायाधीश)

प्रार्थी यूनियन की ओर से : श्री एम.एफ. बेग
अप्रार्थी नियोजक की ओर से : श्री मनोज कुमार शर्मा
दिनांक अवार्ड : 27-5-93

अवार्ड

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस अधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम संबोधित किया जाएगा, की धारा 10 (1) डी. के अंतर्गत प्रेषित किया गया है :

"Whether the action of the management of Dariba Copper Project, P.O. Dariba, Distt. Alwar is justified in terminating the services of Shri Madho Singh (workman) w.e.f. 9-3-87. If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. महासचिव, कोपर प्रोजेक्ट, मजदूर यूनियन, डाकखाना दरीबा, जिला अलवर जिसे आगे चलकर प्रार्थी यूनियन के नाम से संबोधित किया गया है ने स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत कर जाहिर किया कि उक्त विवाद श्रमिक श्री माधोसिंह को दिनांक 9-3-87 से की गई अवैध सेवा मुक्ति से संबंधित है। आगे यह जाहिर किया कि माधोसिंह, जो कि प्रार्थी यूनियन का स्थाई सदस्य है, की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में दिनांक 24-5-80 को स्थायी पद के विरुद्ध अप्रार्थी प्रबन्धक द्वारा की गई थी तथा तभी से श्रमिक श्री माधो सिंह बराबर मेहनत एवं ईमानदारी से कार्य करता रहा। आगे जाहिर किया कि दिनांक 15-2-87 को श्रमिक को अवैध एवं अनुचित रूप से पुलिस कस्टडी में लिया गया तथा इसकी जानकारी प्रबन्धन को दे दी गई थी कि श्रमिक माधोसिंह को पुलिस द्वारा गलत तरीके से बन्द कर दिया गया है तथा जमानत होने पर वह उपस्थित हो जाएगा। अपने स्टेटमेंट आफ क्लेम में प्रार्थी यूनियन ने आगे जाहिर किया कि अप्रार्थी प्रबन्धक द्वारा उक्त श्रमिक माधोसिंह की सेवाएं यह कहते हुए समाप्त कर दी कि वह 20 दिन से लगातार अनुपस्थित चल रहा है। आगे जाहिर किया कि प्रार्थी श्रमिक को सेवा समाप्ति से पूर्व कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और न ही उसे आरोप पत्र जारी किया जाकर उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध किये गये और न ही उसे अपनी सफाई प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अपने स्टेटमेंट आफ क्लेम में प्रार्थी यूनियन ने जाहिर किया कि ऐसी सेवा समाप्ति से पूर्व श्रमिक को नियमानुसार एक माह का नोटिस अथवा बदले में नोटिस का भुगतान भी नियोजक द्वारा नहीं किया गया और न ही छंटनी का मुआवजा दिया गया, इस प्रकार नियोजक द्वारा धारा 25एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। प्रार्थी यूनियन ने अपने क्लेम में आगे जाहिर किया कि अप्रार्थी प्रबन्धक द्वारा श्रमिक श्री माधो सिंह की सेवा मुक्त करते समय स्टेंडिंग आर्डर क्लॉसेस 27 का हवाला दिया गया है जिसके आधार पर लगातार अनुपस्थित होने की स्थिति में सेवामुक्ति किये जाने का प्रावधान है परन्तु यह प्रावधान प्राकृतिक एवं सामाजिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। प्रार्थी यूनियन का कथन है कि श्रमिक की सेवामुक्ति से पूर्व उसे सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया। प्रार्थी यूनियन ने यह भी जाहिर किया है कि श्रमिक माधोसिंह से जूनियर अनेक श्रमिक अप्रार्थी संस्थान में कार्यरत है तथा श्रमिक को सेवामुक्ति से पूर्व अप्रार्थी प्रबन्धक द्वारा कोई वरिष्ठता सूची भी नहीं बनाई गई। अन्त में प्रार्थी यूनियन ने निवेदन किया कि श्रमिक श्री माधो सिंह का सेवा पृथक्करण आदेश निरस्त करते हुए उसे दिनांक 9-3-87 से ही संवैधानिक एवं निरन्तर सेवा में लिया जाए तथा वे सभी लाभ भी उसे दिलाए जाएं जो कि निरन्तर सेवा में रहते हुए वह प्राप्त करता।

3. इसके विपरीत नियोजक पक्ष की ओर से उक्त स्टेटमेंट आफ क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया। अपने जवाब में अप्रार्थी प्रबन्धक ने स्वीकार किया कि श्रमिक की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी श्रमिक के रूप में दिनांक 24-5-80 को की गई थी। अप्रार्थी प्रबन्धक ने अपने जवाब में आगे जाहिर किया कि श्रमिक श्री माधोसिंह द्वारा अनुपस्थिति बाबत

कभी सूचना नहीं दी और जब वे कार्य पर नहीं आए तो विपक्षी के कार्मिक अधिकारी को इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया था तो इनके घर पर भी इनका कोई अता पता नहीं बताया गया। तथा प्रबन्धक को श्री माधोसिंह द्वारा लिखित पत्र जो कि अधीक्षक, कारागृह, अलवर द्वारा दिनांक 25-3-87 को प्रेषित किया गया प्राप्त हुआ परन्तु श्री माधोसिंह संविदा की शर्तों के अनुरूप स्वतः ही अपना नियोजन पहले ही समाप्त कर चुके थे। अपने जवाब में आगे जाहिर किया कि श्री माधोसिंह की सेवामुक्ति उसके द्वारा सेवा शर्तों के अनुसार जो कि संविदा स्थाई आदेशों द्वारा निर्धारित थी, के अनुसार स्वतः ही समाप्त की गई थी। अप्रार्थी प्रबन्धक का अपने जवाब में कथन है कि श्री माधोसिंह को सेवा में लेना संस्थान में औद्योगिक शान्ति एवं उत्पादन की गतिविधियों के हित में नहीं था क्योंकि माधोसिंह का पिछला रिकार्ड ठीक नहीं था और उन पर विश्वास करना संस्थान एवं अधिकतर श्रमिकों के नियोजन के विरुद्ध है। अंत में अपने जवाब में अप्रार्थी प्रबन्धक ने प्रार्थना की कि उक्त रेफरेन्स को कानून गलत घोषित किया जाए अन्यथा भी श्री. माधोसिंह को सेवा मुक्ति को उचित पाया जाए एवं स्टेटमेंट आफ क्लेम को निरस्त किया जाए तथा अप्रार्थी को हर्जाना खर्च दिलाया जाएं।

4. अपने क्लेम के समर्थन में यूनियन की ओर से शपथपत्र में श्री माधोसिंह का शपथ पत्र पेश किया जिसमें माधोसिंह ने शपथपूर्वक कहा कि उसकी नियुक्ति अप्रार्थी संस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर, दिनांक 24-5-80 को हुई थी तथा सेवा मुक्ति के समय तक वह इसी पद पर कार्यरत रहा तथा मुझे मेरे सेवाकाल में कभी कोई आरोप पत्र आदि नहीं दिया गया। आगे जाहिर किया कि दिनांक 15-2-87 को पुलिस द्वारा अवैध रूप से उसे पुलिस कस्टडी में लिया गया था और इसकी जानकारी प्रार्थी प्रबन्धक को थी क्योंकि गिरफ्तारी वरीया में ही ड्यूटी के समय 8 से 4 में की गई थी तथा इसकी सूचना भी उसने यू.पी.सी. से दिनांक 18-2-87 को नियोजक को भेज दी थी। श्री माधोसिंह ने आगे कथन किया कि वह कभी अनुपस्थित नहीं रहा। दिनांक 16-2-87 से उपस्थिति मजबूरन न दी जा सकी जिसकी सूचना नियोजक को थी तथा श्रमिक के पिता द्वारा दिनांक 18-2-87 को लिखित में भी सूचित कर दिया गया था। इस संबंध में पोस्टल रसीद पेश हुई। अपनी जिरह में श्री माधोसिंह ने कथन किया कि यह गलत है कि उसका कभी कैन्टीन में झगड़ा हुआ हो तथा वह 15-2-87 को ड्यूटी पर मौजूद नहीं था बल्कि पुलिस कस्टडी में था। यह भी कथन किया कि उसकी गिरफ्तारी 15-2-87 को 8 से 4 बजे के बीच हुई थी और यह बात प्रबन्धक की जानकारी में थी, उसके कथन का समर्थन गैरालाल शर्मा के बयान से किया है। अपने जवाब के समर्थन में अप्रार्थी प्रबन्धक की ओर से श्री जबर सिंह पुण्डीर का शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें श्री जबर सिंह ने जाहिर किया कि वह वर्तमान में सहायक सचिवालयीक अधिकारी के रूप में कार्यरत है तथा माधोसिंह मेरी जानकारी में अक्सर अपनी ड्यूटी में उपस्थिति लगवा कर गायब हो जाता था तथा झगड़ालू किस्म की प्रवृत्ति थी। श्री माधो सिंह के बारे में यह आम बात थी कि वह लोगों से सामान लेकर उनको पैसा नहीं देते थे। अपने शपथ पत्र में श्री जबर सिंह ने आगे कथन किया कि यह गलत है कि माधोसिंह को प्रोजेक्ट मैनेजर में गिरफ्तार किया गया हो। आगे कहा कि मेरी जानकारी में प्रोजेक्ट मैनेजर से पुलिस ने श्री माधो सिंह को गिरफ्तार करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। रिकार्ड के अनुसार श्री माधोसिंह दिनांक 16-2-87 से 20 दिन से अधिक समय तक बिना सूचना एवं अनुमति के अपनी ड्यूटी पर नहीं आए थे जिरह में श्री जबरसिंह का कथन कि उनका व प्रोजेक्ट मैनेजर का कमरा अलग अलग था। जिरह में आगे कहा कि मेरा कार्य केवल डायरेक्शन लेना ही नहीं था बल्कि डे टू डे वर्क में भी असिस्ट करना मेरी ड्यूटी थी। अपनी जिरह में श्री जबर सिंह ने स्वीकार किया कि दिनांक 15-2-87 से 9-3-87 तक माधो सिंह को नोटिस या चार्जशीट नहीं दी गई थी क्योंकि वह बिना सूचना गैरहाजिर हो गया था आगे कहा कि हमारे यहां डाक से प्राप्त पत्र रिसीट रजिस्टर में नहीं चढ़ते।

5. मैंने पत्रावली का अध्ययन किया तथा दोनों पक्षों के विद्वान प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना। अपने क्लेम के समर्थन में प्रार्थी यूनियन की ओर से तीन न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये है। (1) एल.एल.जे. 1974 वॉल्यूम 1 एस.सी. पेज 478 (स्टेट बैंक आफ इंडिया बनाम एन. सुन्दरमणी) (2) एल.एल.जे. वॉल्यूम 1982 (एस.सी.) (पेज 33) (एल. रोबर्ट डिसूजा बनाम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, साउथर्न रेलवे व अन्य तथा (3) लेबर लॉ नोट्स 1988 वॉल्यूम 32 (1) पेज 259 माननीय बम्बई उच्च न्यायालय (गौरीशंकर विश्वकर्मा बनाम ईगल स्प्रिंग इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड व अन्य)। प्रार्थी यूनियन की ओर से उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का सहारा अपने बयान के समर्थन में लिया है।

6. प्रबन्धक के विद्वान प्रतिनिधि ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए दलील दी है कि श्रमिक श्री माधोसिंह एवं विपक्षी संस्थान के मध्य जो सेवा शर्तें तय थी, नियोजक ने स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के तहत स्थायी आदेश है और इस संविदा की शर्तों के अनुसार ही श्रमिक श्री माधोसिंह की सेवामुक्ति की है जो कानूनन उचित एवं वैध है। श्रमिक की सेवाएं धारा 2 (ओ ओ) औद्योगिक विवाद अधिनियम की उपधारा बी.बी. के अनुसार समाप्त हुई है। इस कारण श्रमिक कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में अप्रार्थी प्रबन्धक ने निम्न न्याय दृष्टान्तों का आश्रय लिया है :

(1) आई०एफ.एल.आर. 1981 वॉल्यूम 43 पेज 258 (एस.सी.) फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इंडिया प्रा.लि. बनाम कर्मचारी।

(2) एल.एल.जे. 1957 वॉल्यूम 1 पेज 226 (एस.सी.) बर्न एण्ड कं. लि. बनाम उनके कर्मचारी।

(3) सुप्रीम कोर्ट लेबर जजमेन्ट 1968-70 वॉल्यूम 7 पेज 31 (चेयरमैन, मै. बुकक्रॉफ्ट इंडिया प्रा.लि. व अन्य बनाम अमरनाथ चौधरी)

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान प्रतिनिधियों की बहस को सविस्तार सुना तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टान्तों का अध्ययन किया। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले में यह निर्विवाद तथ्य है कि श्रमिक माधोसिंह की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी श्रमिक के रूप में दिनांक 24-5-80 को स्थाई पद के विरुद्ध विपक्षी संस्थान द्वारा की गई थी। इस संबंध में एग्जीबिट एम. 1 नियुक्तिपत्र अभिलेख पर है। तत्पश्चात श्रमिक विपक्षी संस्थान में लगातार कार्यरत था। उसे दिनांक 15-2-87 को एक अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी सूचना विपक्षी संस्थान को 18-2-87 को भेजी गई। माधोसिंह के कथन का समर्थन गैरा लाल शर्मा ने भी किया है। प्रबन्धक की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श एम 6 से यह प्रकट होता है कि श्रमिक माधो सिंह ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए जिला कारागार के माध्यम से प्रदर्श एम. 6 पत्र द्वारा विपक्षी को सूचित किया था कि उसे गिरफ्तार करने के कारण 16-2-87 से वह ड्यूटी पर उपस्थित होने में असमर्थ है फिर भी विपक्षी प्रबन्धक ने श्रमिक को बिना कोई नोटिस दिये, अथवा बिना कोई चार्जशीट दिए तथा बिना कोई जांच किये मनमाने तरीके से प्रार्थी श्रमिक की सेवाएं 9-3-87 से समाप्त कर दी। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ, की अवहेलना हुई है क्योंकि श्रमिक को नोटिस अथवा नोटिस पे के भुगतान के अभाव में उसको छंटनी का मुआवजा आदि दिये बिना उसकी सेवाएं अवैध एवं अनुचित रूप से समाप्त कर दी गई। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रबन्धक की यह कार्यवाही विक्टीमाईजेशन एवं अनफेयर लेबर प्रेक्टिस की तारीफ में आती है। प्रार्थी श्रमिक को हटाते समय कोई वरीष्ठता सूची भी जारी नहीं की गई। इस प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25जी. की भी अवहेलना हुई है। माधोसिंह तथा गैरालाल शर्मा की साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है इनके कथन के दावे की पुष्टि हुई है।

8. यहां विधि की स्थिति इस बारे में स्पष्ट है कि श्रमिक अगर काम पर नहीं आये और अनुपस्थित रह जाए, ऐसी स्थिति में भी इस कृत्य का

दुराचरण मानते हुए श्रमिक को हटाने से पूर्व जांच की जानी आवश्यक है और जो नहीं की गई है। इस प्रकार श्रमिक मार्थोसिंह का सेवा पृथक्करण का आदेश अवैध एवं अनुचित है।

9. विपक्ष की यह दलील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि विपक्षी स्थायी आदेश की धारा 27 के अधीन श्रमिक की सेवाएं समाप्त करने में सक्षम हो। यह उल्लेखनीय है कि इस मामले में स्थाई आदेशों की धारा 26 डी की भी पालना नहीं की है क्योंकि श्रमिक को सुनवाई का भी अवसर नहीं दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 27 इस मामले में इस कारण से भी आकर्षित नहीं होती क्योंकि विपक्षी को श्रमिक ने यह सूचना कर दी थी कि उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण बन जाने के कारण वह न्यायिक हिरासत में रहा इस कारण ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो सका। मेरी विनम्र राय में विपक्षी का यह दलील स्वीकार योग्य नहीं है कि विपक्षी धारा 2 (ओ ओ) सपठित उपधारा बी.बी. औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत अनुपस्थिति के आधार पर सेवा समाप्त करने में सक्षम हो।

10. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रार्थी श्रमिक का सेवा पृथक्करण का आदेश अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः इस निर्देश का निम्न प्रकार अधिनिर्णय किया जाता है :

"नियोजक द्वारा श्रमिक श्री मार्थोसिंह की दिनांक 9-3-87 से सेवा समाप्त किया जाना उचित एवं वैध नहीं है अतः श्रमिक मार्थोसिंह को उसके पद पर नियोजित घोषित किया जाता है और पिछला समस्त वेतन और अन्य सभी लाभ, जो निरन्तर सेवा में रहते हुए श्रमिक प्राप्त करता, दिलाए जाने के आदेश दिये जाते हैं। श्रमिक की सेवा की निरन्तरता कायम रखी जाती है तथा मुकदमे के हर्जे खर्चे के रूप में श्रमिक को नियोजक से रुपये 100 भी दिलाए जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

11. अवार्ड की प्रति राज्य सरकार को प्रकाशनार्थ अंतर्गत धारा 17 (1) अधिनियम भेजी जाए।

शंकर लाल जैन, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2510.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बरसुआ आयरन ओर माईन्स के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण उड़ीसा के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-26011/9/81-डी III (बी)]

बी. एम डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2510.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Barsua Iron Ore Mines and their workmen, which was received by the Central Government on 26-10-93.

[No. L-26011/9/81-D.III(B)]

B. M. DAVID, Desk Officer

INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA, BHUBANESWAR

PRESENT :

Sri R. K. Dash, LL.B., Presiding Officer, Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar.

Industrial Dispute Case No. 2 of 1982 (Central)
Dated, Bhubaneswar, the 30th September, 1993

BETWEEN

The Management of Barsua Iron Ore Mines of Rourkela Steel Plant of Steel Authority of India Ltd., Rourkela

— First Party—Management.

Vrs.

Their workmen represented through :

(1) United Mines Mazdoor Union, Tensa, Sundergarh; (2) Hindustan Steel Workers Association, Tenso, and (3) Rourkela Mazdoor Sabha, Bisra Road, Rourkela.

—Second Party—Workmen.

APPEARANCES :

Sri S. B. Nanda, Advocate—For the First Party—Management.

None—For United Mines Mazdoor Union and Hindustan Steel Workers Association.

Sri S. K. Nayak, Advocate —For the Rourkela Mazdoor Sabha.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of powers conferred upon them by Section-7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (for short 'Act') have referred the following dispute for adjudication vide their Order No. L-26011/9/81-D.III.B, dated 23-1-1982 :—

"Whether the action of the Management of Barsua Iron Mines of Rourkela Steel Plant in enhancing the electricity charges in residential quarters of the employees w.e.f. 1st April, 1981 is justified ? If not, to with relief are the workmen concerned entitled ?"

2. Change of electricity charges from point basis to unit basis in respect of the residential quarters of the employees of Barsua Iron Ore Mines with effect from 1-4-81 is the subject matter of dispute in the present reference. The parties to the present proceeding are the management of Rourkela Steel Plant of Steel Authority of India Ltd. in one hand and the workers on the other being represented by three unions, namely, United Mines Mazdoor Union, Hindustan Steel Workers' Association and Rourkela Mazdoor Sabha. All the aforesaid three unions have appeared separately and filed their statement of claims. Their claim being the same and similar it is needless to recapitulate their pleadings separately.

Their case as borne out from their pleadings may succintly be stated thus :—

Barsua Iron Ore Mines is one of the captive mines of Rourkela Steel Plant, a Central Government public undertaking. The said mines is situate at a distance of 150 Kms. from Rourkela in Bonai sub-division of the district of Sundergarh and it started operating in the year 1961. As to its geographical situation, it is situated at a high altitude of 2760 from the sea level being surrounded by hills and jungles. The total strength of the workers working in the Mines is about 1350 of whom 80% have been provided with quarters by the management. In view of the geographical situation, as aforesaid, most of the days the area remains fuggy and clouded. The living condition of the workers is not on part with the workers of the Rourkela Steel Plant where better medical and educational facilities are provided to the workers and their family members. So, taking all these aspects into consideration the management since inception charged the workers to pay electricity on point basis. But suddenly the management by order dated 4-11-81 changed the system and asked the workers occupying company's quarters to pay such charges on unit basis with retrospective effect from 1-4-81. Against such decision, the workers laid a protest and ultimately struck work as a consequence the present reference was made for adjudication of the dispute as to whether the change so brought in can be said to be legal and justified. It is further urged that while bringing out such change the management did not resort to the provisions of Section 9-A of the Act, in other words, payment of electricity charges on point basis from the very inception having been matured as a condition of service, it was obligatory on the part of the management to give prior notice to the workers before bringing out any such change in the system. Moreover, when in other mines such as Bolani Iron Ore Mines and in Goa Mines of HSCO, the concerned managements have been collecting electric charges on point basis from their workers, there was no reason to change the said system in so far as the workers of Barsua Iron Ore Mines are concerned.

3. The management on the other hand, while challenging the maintainability of the reference has pleaded inter alia that Barsua Iron Ore Mines, one of the captive mines of the Rourkela Steel Plant came into operation in 1961. By gradual process a township in the mines area came up in between 1958 and 1961. For the occupation of the workers many quarters were built up to which electricity was supplied by drawing the same from the State Electricity Board (for short 'O.S.E.B.'). Since no meters had been installed/affixed in those quarters, the management was charging from the employees concerned on point basis at a flat rate; that is—at the rate of 0.25 paise for each light point of 5 Amps., at the rate of Rs. 2 for each power plug and Re. 1 for each fan. As the Rourkela Steel Plant and its captive mines are under one administrative control and since 1-1-61 the employees of the Rourkela Steel Plant were charged at the rate of 7 paise per unit vide circular dated 2-12-60 a similar circular dated 4-1-61 was issued asking the employees of the mines occupying quarters to pay at the same rate. But the said circular could not be implemented for the reasons beyond control of the management, inas much as, there was stiff resistance by the workers to instal meters and also sufficient number of meters were not available to be installed in all the quarters. Later on it was about in 1966 the management could notice that there was misuse of energy by the occupiers of the residential quarters for which it issued a circular dated 16-11-66 to enforce the system of realising electricity charges on meter basis at the rate of 7 paise per unit plus 15% duty as was being charged from the employees of the Rourkela Steel Plant and Purunapani Limestone and Dolomite Quarry. The union representing the workers resisted the said circular and insisted the authorities to withdraw the same. With a view not to allow the management to put the circular into action the workers resisted fixing of meters in the remaining quarters and restrained to take the meter reading from those quarters already fitted with meters. The management, however, before taking steps for realising the charges on meter basis issued notice in abundant caution u/s 9-A of the Act Ultimately, the matter was agitated by the workers before the labour machinery as a consequence the Assistant Labour Commissioner tried to bring out a conciliation between the parties but the same having failed a report was made to the Government of India whereupon the Government by its order dated 4-9-67 refused to make a reference on the ground that the decision of the management regarding the mode of charging the workers to pay the electricity dues on unit basis is legal and justified. Despite of such decision of the Government of India, the workers non-cooperated with the management and did not allow it to collect the dues on unit basis.

Since generation of energy was taken over by the O.S.E.B., the tariff rate increased in multiple rate. So, by order dated 4-11-81 the management revised the rate of electricity charges on meter basis and in cases where meters are not working on point basis. It would therefore indicate, as urged by the management, that since 1961 attempts have been made to realise the energy charges on unit basis from the workers but by some means or other they did not allow the management to do so. In this view of the matter, it cannot be said that the management being not able to realise the said charges on unit basis for the reasons mentioned above, would be deemed to have extended any privilege or concession and that the same has matured to be a condition of service. Hence, the management prays that the reference should be answered in affirmative, in other words, enhancement of electricity charges in respect of the residential quarters of the employees with effect from 1-1-81 should be held to be legal and justified.

4. In view of the pleadings of the parties, the following issues are settled :—

ISSUES

(1) If the action of the management of M/s. Barsua Iron Ore Mines of the Rourkela Steel Plant in enhancing electricity charges in residential quarters with effect from 1st April, 1981 is justified ?

(2) To what relief, if any, the workmen are entitled.

5. Learned counsel Sri S. Nayak appearing for the Rourkela Mazdoor Sabha urged that right from 1961 the management had been collecting electric charges on point basis from the occupiers of the company's quarters even though from time to time there was increase in the electric tariff by the O.S.E.B., the supplier of energy to the management and this concession provided to the workers having matured as a condition of service, the management ought not to have abolished the same without giving prior notice as envisaged in Section 9-A of the Act. He further submitted that realisation of electric charges in concessional rate since many years should not have been withheld or curtailed which runs contrary to clause 7.15.1 of the memorandum of agreement/settlement arrived at in National level between the parties. So, the curtailment of the concession being in violation of the agreement, as aforesaid, the same should be interfered with by this Tribunal.

6. Per contra, Sri S. B. Nanda, learned counsel appearing for the management contended that the dispute or difference between the parties as mentioned in the terms of reference is not an 'industrial dispute' and payment of electric charges by the workers on point basis cannot be termed as a condition of service since because the management from 1960 onwards has been demanding to pay such charges on unit basis and therefore, the Tribunal lacks jurisdiction to decide the question raised in the present reference. He goes on to submit that because the O.S.E.B. having monopoly in the supply of energy raised the tariff rate, the management had no other alternative than to enhance the electric charges since April 1981. Realisation of electricity charges from the workers on point basis although is not a concession or privilege necessitating to serve a notice u/s 9-A of the Act before bringing out a change thereof but however, such notice was given by the management in abundant caution. In the circustnce, therefore, it is not apt to say that the workers have either been prejudiced or their rights have been infringed by the impugned action of the management.

7. The project of Barsua Iron Ore Mines started way back in 1958 and commenced production in 1961. As stated by MW2 at the initial stage the workers and the officials were staying in baracks, sheds and mud huts which although were connected with electric line but it was not possible to collect charges on unit basis since no meters were fixed and so, collection was made on point basis. Later on in phased manner the management constructed quarters to which meters were fixed being supplied by the OSEB which came into being in 1961. Even after fixation of meters collection could not be made on unit basis, the reason being that meters were either tampered with or there was stiff resistance by the workers for taking meter reading.

On the other hand, the workers by examining WW1 tried to prove that the climatic condition in the Barsua Iron Ore Mines throughout the year being not good due to fuggy and cold weather the workers have been using lights and room heaters as of necessity. This apart, the cost of living in the mines area is higher than that of Rourkela. Further, there are no proper educational and medical facilities as are available to the employees of Rourkela Steel Plant. So, taking all these facts into consideration the management as of concession or privilege had been collecting electric charges on point basis without making any revision thereof.

8. In view of the arguments and counter arguments advanced by the learned counsels coupled with the oral evidence as narrated above, the crux in question is whether payment made by the workers towards electricity charges on point basis in respect of the company's quarters under their occupation since inception can be held to be a concession or privilege. If this is answered in affirmative, then it has to be held to be an 'industrial dispute' and for bringing out any change in such concession or privilege it is obligatory for the management to give a prior notice as required in Section 9-A of the Act.

9. Though the term 'condition of service' has no where been defined in the Act but however, a reference may be made to Schedule IV of the Act which lays down as to what are to be treated as 'condition of service' for change of which a prior notice to the workers under law is necessary. In so far as the present case is concerned, it is worthwhile to refer to entry No. 8 of the said Schedule which deals with withdrawal of any customary concession or privilege or change of any usage. Now, from the facts and evidence on record it is to be decided whether the aforesaid entry is wide enough to take within its fold the change effected by the management regarding mode of realisation of electricity charges from point basis to unit basis.

Further discussion of oral evidence of the parties in detail is not necessary since because the documents available on record are sufficient enough to answer the reference. Ext. IV series marked on behalf of the workers would show that a paltry amount was being deducted from their wages towards electricity charges The other documents, Exts. II and III are the quarter occupation reports. In Ext. II it is stated that the electric meter of the quarter in occupation of the employee concerned was not working. From those documents no inference can be made that any concession or privilege had been given by the management to the aggrieved workers to pay the electricity charges on point basis. The oral evidence led by the workers referred to earlier in support of their claim not only could not be corroborated by any documentary evidence but also has been negatived by the management's overwhelming oral and documentary evidence. In this connection, it is worthwhile to refer to the circulars Ext. F dated 4-1-61 and Ext. F|1 dated 16-11-66. In the first circular it was notified that electricity charges from the employees occupying quarters at Tensa and Basua will be made at the rate of 0.07 paise per unit as prevalent at Rourkela only after the meters are fixed. The next circular in the form of a notice was issued by the management of Basua Iron Mines indicating the reasons for taking a decision to realise such charges on meter basis. It would be seen from the said circular that with a view to bring in

line with Purunapani Limestone Quarry where electricity is being charged on meter basis and to stop misuse and wastage of electric energy by the occupiers of the company's quarters the aforesaid decision was taken to bring out a change in the mode of realisation of electricity charges. The other documents, which are relevant to the question in issue are the House Allotment Rules, Ext. E and the confidential report of the Manager, Basua Iron Mines to the Superintendent (OMQ), Rourkela, Ext. L.A look at clause-7 of Ext. E would indicate that there is a stipulation regarding recovery of charges towards water, electricity and other amenities at such rate as may be prescribed by the management from time to time. Next remains the confidential report, Ext. I, under which it was reported that the workers restrained the electrical staff to enter into their quarters to take the meter reading. So, from the above documentary evidence it is crystal clear that about one year after functioning of the mines, the management insisted the workers to pay electric charges on unit basis but the same was not heeded to. On the other hand, the workers created such a situation as a consequence the electrical staff could not be able to inspect the meters and take the reading to facilitate the management to realise the charges on unit basis. If it was the intention of the management to realise the charges on point basis as a concession or privilege as because they are deprived of the privileges or facilities as are being given to the workers in Rourkela Steel Plant, it would not have issued circular insisting payment on unit basis.

10. In view of my discussions made above, I would unhesitatingly hold that realisation of electricity charges on point basis in the facts and circumstances being not a concession or privilege the dispute as raised is not an 'industrial dispute'. As defined in Section 2(K) of the Act, a dispute comes into existence only when the employer and the workmen are in dispute or difference which his connected with employment, non-employment or terms of employment or with the conditions of labour. Even remotely, the claim of the workers to have acquired a right to pay electricity charges on point basis is not a question connected with employment, non-emploment or terms of employment.

11. The next grievance of the workers is that it would be discrimination if they are forced to pay electricity charges on unit basis when from the counterparts working in other mines of SAIL such charges are being realised on point basis.

In this respect, a brief reference may be made to the evidence of WW1 who speaks that the employees of Bolani Ores Mines, Captive Ores Mines of Durgapur Steel Plant, Kiriburu Iron Ore Mines of Bokaro Steel Mines and Chidia Iron Ore Mines of IISCO occupying company's quarters are paying electricity dues on point basis and not on meter basis. On being cross-examined he has however, stated to have no personal knowledge as to the mode of payment of such charges. Rather, his positive version is that on the basis of written information received from the Secretary, Barbil Workers Union he speaks about the realisation of electricity charges in flat rate from the workers of Bolani Ores Mines. Apart from what has been stated by WW1 as discussed above, the House Rent Allowance Rules, Ext. V applicable to the employees of Bolani Ores Ltd. would indicate that the management temporarily allowed its employees to pay energy charges on point basis till meters are fixed to their quarters. In view of such evidecen, I am not inclined to accept the contention of the aggrieved workers that they would be discriminated it they are forced to pay the electricity charges on unit basis.

12. Next I shall deal with the question as to the applicability of Section 9-A of the Act to the present case.

I have already said earlier that realisation of electric charges in the circumstance on point basis being not a concession or privilege, the management was not obliged to give notice to the workers revising electricity charge at different rates for the quarters in occupation of the employees. However, for abundant caution the management published such notice in 1967, Ext. M informing that the charge should be made on meter basis. The argument advanced on behalf of the workmen that Ext. M has been created later on to get rid of the rigour of law can not be accepted as because the very existence of the said notice finds mention in the conciliation failure report, Ext. N submitted to the Government of India, Ministry of Labour & Employment on 27-7-68 by the Asst. Labour Commissioner (Central), Jharsuguda. Once such a notice was published informing the workers to pay the charges on meter basis no further notice in my opinion, was necessary to be served before putting the circular, Ext. A into execution.

13. Before parting, I may observe that electricity has now-a-days become precious. It is one of the essential requirements for country's economic growth both in the field of agriculture and industry. Judicial notice can be taken of the facts that due to non-supply of sufficient energy many industries are either closed or have become defunct. In such a situation, it would be sheer wastage|misuse of energy if the workers in present case are allowed to consume electricity for cooking and other purposes on pleasure by making payment of paltry amount on point basis.

14. So, on a conspectus of the evidence and the circumstances discussed above, I have no other alternative but to answer the reference in favour of the management by holding that the action taken by it in enhancing electric charges for the residential quarters of the employees with effect from 1-4-81 is quite legal and justified.

15. The reference is thus answered accordingly. Dictated and corrected by me.

Sd/- Illegible
Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1993

का.आ. 2511 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के

पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/153/89-आई.आर. (बी III)]

एस.एस.के. राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th October, 1993

S.O. 2511.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Bikaner and Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on 22-10-93.

[No. L-12012/153/89-IR. B. III]

S. S. K. RAO, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, राजस्थान, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 8/92

रैफरेन्स : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-12012/153/89, आई. आर. बी. दिनांक 26-3-92

प्रताप सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, निवासी ग्राम पोस्ट मकराना तहसील राजगढ़, जिला चूरू।

—प्रार्थी

बनाम

1. मैनेजर, (आई.आर.) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर प्रधान कार्यालय तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

2. ब्रांच मैनेजर, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर.एच.जे. एस.

प्रार्थी की ओर से :	श्री जे.के. अग्रवाल
विपक्षी की ओर से :	(कोई हाजिर नहीं, एकपक्षीय)
दिनांक अवार्ड :	25-6-1993

अवार्ड

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपनी उपरोक्त सूचना के जरिए निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम संबोधित किया है, की धारा 10(1घ) के अंतर्गत प्रेषित किया है :

'Whether the action of the management of State Bank of Bikaner & Jaipur in terminating the services of Shri Pratap Singh w.e.f. 1-2-77 was justified? If not, to what relief the workman is entitled to?'

2. श्रमिक प्रताप सिंह, जिसे तत्पश्चात प्रार्थी संबोधित किया है, ने दिनांक 8-4-92 को स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत कर यह प्रकट किया कि श्रमिक को विपक्षी संस्थान सं. 2 वाचमैन-कम-पीओन के पद पर नियुक्ति दिनांक 8-5-76 को की गई थी। इस पद पर श्रमिक ने 8-5-76 से जनवरी 1977 की अवधि में लगभग 127 दिवस कार्य किया एवं दिनांक 8-5-76 से 26-7-76 के मध्य 90 दिवस एवं नवम्बर, 1976 में 15 दिवस, दिसम्बर, 1976 में 16 दिवस, जनवरी 1977 में 16 दिन कार्य किया। उसके पश्चात विपक्षी संस्थान ने प्रार्थी की सेवाएं समाप्त कर दीं। श्रमिक ने यह भी अभिकथन किया है कि जिस पद पर उसने कार्य किया वह पद एवं कार्य पूर्ण रूप से स्थायी प्रकृति का है और उसकी नियुक्ति किसी असम्भावित कार्य के उत्पन्न होने के फलस्वरूप नहीं की गई है बल्कि स्थायी पद व स्थायी कार्य पर उसकी नियुक्ति की गई थी। श्रमिक कहता है कि वह पद एवं कार्य आज भी चल रहा है और उसकी सेवा मुक्ति के बाद अप्रार्थी संस्थान द्वारा नई भर्ती की गई है एवं प्रार्थी श्रमिक से कनिष्ठ व्यक्ति विपक्षी संस्थान में आज भी कार्यरत हैं, उदाहरणस्वरूप श्री मनोहराम व प्रेम जीया के नाम उद्धृत किये हैं। प्रार्थी श्रमिक ने यह भी अभिकथन किया है कि उसकी सेवा मुक्ति करने के पश्चात विपक्षी संस्थान ने नये व्यक्तियों की भर्ती करते समय प्रार्थी श्रमिक को कोई सूचना नहीं भेजी यद्यपि श्रमिक ने समय-समय पर विपक्षी संस्थान के यहां नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। विपक्षी संस्थान के सर्कुलर नं. कार्मिक/18/88 दिनांक 17-9-88 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जिन श्रमिकों ने विपक्षी संस्थान में 90 दिवस या इससे अधिक कार्य किया है उन्हें पुनः नियोजित किया जायेगा। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक ने विपक्षी संस्थान द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-जी व 25 एच का उल्लंघन बताते हुए यह दावा संस्थित किया है।

3. विपक्षी संस्थान की ओर से प्रत्युत्तर दिनांक 19-11-92 को प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि प्रार्थी श्रमिक को 8-5-76 को वाचमैन-कम-पीओन के पद पर नियुक्त किया गया था तथा श्रमिक ने एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस कार्य नहीं किया था इसलिए धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रार्थी श्रमिक प्राप्त नहीं कर सकता और यह भी अभिकथन किया कि धारा 25-जी व 25-एच अधिनियम के प्रावधान इस मामले में आकर्षित नहीं होते क्योंकि धारा 25-एफ लागू होने पर ही धारा 25-जी व एच का पालन करना आवश्यक होता है तथा धारा 25 व 25-एच स्वतंत्र धाराएं नहीं हैं बल्कि धारा 25 एफ पर ही आधारित हैं अतः प्रार्थी श्रमिक का क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

4. विपक्षी संस्थान इस प्रकरण की कार्यवाही के दौरान दिनांक 18-3-93 को अनुपस्थित हो गये इस कारण उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने का आदेश पारित किया गया।

5. एकपक्षीय साक्ष्य में प्रार्थी श्रमिक प्रताप सिंह ने अपना स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने दावे का पूर्णतः समर्थन किया कि विपक्षी संस्थान सं. 2 ने उसे वाचमैन-कम-पीओन के पद पर दिनांक 8-5-76 को नियुक्ति दी थी और उसने इस पद पर जनवरी, 1977 की अवधि के मध्य लगभग 128 दिवस कार्य किया अर्थात 8-5-76 से 26-7-76 के मध्य 90 दिवस, नवम्बर, 1976 में 15 दिवस, दिसम्बर 1976 में 16 दिवस तथा जनवरी 1977 में 16 दिवस कार्य किया। जिस पद पर प्रार्थी श्रमिक ने कार्य किया वह स्थाई प्रकृति का कार्य था तथा उसकी नियुक्ति किसी असंभावित कार्य के लिए नहीं की गई। प्रार्थी श्रमिक की इस साक्ष्य का विपक्षी संस्थान द्वारा खण्डन नहीं किया गया है अतः प्रार्थी श्रमिक के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता।

6. प्रार्थी श्रमिक की साक्ष्य से यह प्रमाणित हुआ है कि उसकी नियुक्ति विपक्षी संस्थान में वाचमैन-कम-पीओन के पद पर दिनांक 8-5-76 से की गई जो एक स्थाई प्रकृति का कार्य था। किन्तु श्रमिक की सेवा मुक्ति के पश्चात विपक्षी संस्थान द्वारा जब नई नियुक्तियां की गईं तो श्रमिक को इस विषय में कोई सूचना नहीं दी गई न ही उसका नाम उक्त पद हेतु कन्सीडर किया गया, तथा न ही, उसके द्वारा भेजे गए

प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार किया गया जबकि अनुचित तरीके से उसे सेवा मुक्त कर दिया गया। प्रार्थी श्रमिक ने यह प्रमाणित किया है कि उसकी सेवा मुक्ति के बाद नये कार्मिकों को नियोजित किया गया है जिसकी सूची प्रदर्श डब्ल्यू-1 प्रमाणित की है। इस प्रकार विपक्षी संस्थान द्वारा धारा 25-एच अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना भली भांति साबित है।

7. श्रमिक ने यह भी प्रमाणित किया है कि उसे सेवा मुक्त करते समय विपक्षी संस्थान ने कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनाई अतः धारा 25-जी के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया।

8. यद्यपि विपक्षी संस्थान द्वारा सर्कुलर दिनांक 17-9-88 के अधीन अन्य श्रमिकों को पुनः सेवा में लिया किन्तु प्रार्थी श्रमिक के साथ भेदभाव व दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया गया और उसका नाम नई नियुक्तियां करते समय कन्सीडर नहीं किया गया। इस प्रकार धारा 25जी एवं एच के प्रावधानों की विपक्षी संस्थान द्वारा अवहेलना किया जाना श्रमिक ने पूर्णतया प्रमाणित किया है। मैं अपने निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त आर.एल.आर. 1991 (2) पेज 158 ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स बनाम प्रसाईडिंग आफीसर केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण पर भरोसा करता हूं।

9. अतः मेरी विनम्र राय में यह तो प्रमाणित है कि प्रार्थी श्रमिक श्री प्रताप सिंह की सेवा मुक्ति अधिनियम की धारा 25-जी व एच तथा राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम 1958 के नियम 77 एवं 78 की अवहेलना होने से अनुचित एवं अवैध है जिसे अपास्त किया जाता है। जहां तक अनुतोष का प्रश्न है प्रार्थी श्रमिक ने अप्रार्थी सं. 2 के पास राजस्थान पत्रिका दिनांक 21-10-90 की सूचना के आधार पर पुनः नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर विपक्षी सं. 2 ने कोई विचार नहीं किया, अतः प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 21-10-90 से ही विपक्षी संस्थान में नियोजित किया जाना है और दिनांक 21-10-90 से अवार्ड को दिनांक 25-6-93 तक प्रार्थी श्रमिक को वाचमैन-कम पीओन के पद का आधा बकाया वेतन दिलाने से ही न्याय हित की पूर्ति हो जायेगी। मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त II एल.एल.एन. (एस.सी) 1983 पेज 951 जय भगवान बनाम अम्बाला सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. स भरा पर भरोसा करता हूं।

10. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस मामले में निम्न प्रकार से एक पक्षीय अवार्ड पारित किया जाता है:—

"स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के प्रबन्धतंत्र द्वारा श्रमिक प्रताप सिंह को सेवा मुक्त किया जाना उचित एवं वैध नही है। श्रमिक को वाचमैन-कम-पीआन के पद पर दिनांक 21-10-90 से नियोजित घोषित किया जाता है और उसकी सेवा को निरन्तरता कायम रखते हुए उसे दिनांक 21-10-1990 से दिनांक 25-6-93 तक का पिछला आधा वेतन एवं दिनांक 26-6-93 से वह पूरा वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा। 100/-रुपये खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है। यदि नियोजक उक्त राशि अंदर तीन माह अदा नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा। अवार्ड की प्रति प्रकाशनार्थ नियमानुसार केन्द्र सरकार को भेजी जाये।"

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2512.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दी बैंक आफ राजस्थान लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/75/89-आई.आर(बी-I)]
एस.एस. के राव, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th October, 1993

S.O. 2512.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of The Bank of Rajasthan Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 22-10-93

[No. L-12011|75|89-IR. (B.I)]
S. S. K. RAO, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 28/1990

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-12011/75/89 आई. आर. (बी-I) दि. 18-4-90

श्री तेज सिंह मनावत पुत्र श्री मोहन लाल मनावत, 25 अरिया मार्ग, चमनपुरा, उदयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

जनरल मैनेजर, बैंक आफ राजस्थान, भगवान दास, रोड जयपुर।

—प्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से :	श्री एम.एफ. बेग
अप्रार्थी की ओर से :	श्री आलोक फतहपुरिया
दिनांक अवार्ड.	31 जुलाई 1993

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपनी उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम संबोधित किया है की धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

"Whether the action of the management of the Bank of Rajasthan Ltd. in dismissing from services Shri Tej Singh Manawat, Cashier-cum-Godown Keeper, w.e.f. 20|21-6-86 is just and legal? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. प्रार्थी श्रमिक ने दिनांक 12-6-90 को अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पेश कर जाहिर किया कि उसे दी बैंक ऑफ राजस्थान लि. में कैशियर-कम-गोडाऊन कीपर के पद पर दिनांक 16-5-72 को अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया। दिनांक 25-2-76 को उसे सेवा मुक्त कर दिया गया जिसका विवाद समझौता अधिकारी के यहां प्रस्तुत किया और उक्त विवाद के लंबित रहते बैंक यूनियन व अप्रार्थी बैंक के बीच समझौता हुआ और प्रार्थी को लिखित परीक्षा व इंटरव्यू लेने के

पश्चात् नियमित रूप से चयन कर दिनांक 25-9-76 से स्थाई रूप से क्लर्क-कम-गोडाउन-कीपर के पद पर नियुक्त किया गया। वर्ष 1979 में प्रार्थी अधिकारी बैंक में पदोन्नति पाने योग्य था किन्तु बैंक प्रबन्धक उपरोक्त कारणों से नाराज होने के कारण उसे टेस्ट में नहीं बुलाया जिस पर 1982 में प्रार्थी ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जिसके निर्णय दिनांक 9-8-86 द्वारा प्रार्थी को समस्त लाभ व पदोन्नति वर्ष 1979 से प्रदान करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रार्थी बैंक ने अतिरिक्त जिला न्यायालय उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी है जो अभी लंबित है । चूंकि प्रार्थी ने अपने अधिकारों के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये थे जिससे बैंक के चेयरमन श्री जे.एम. बाबेल नाराज रहते थे इसलिए उसे बार बार स्थानान्तरित भी किया जाता रहा। दिनांक 29-11-84 को प्रार्थी को बैंक की अश्विनी बाजार शाखा में कैशियर-कम-क्लर्क के पद पर रखा गया जबकि उसकी नियुक्ति-कैशियर-कम-गोडाउन कीपर के पद पर हुई थी । प्रार्थी अप्रार्थी बैंक का शेयरहोल्डर होने के कारण 25-6-77 की साधारण सभा में उसने चेयरमैन श्री बाबेल द्वारा अपने एक नजदीकी रिश्तेदार श्री शांतिलाल संचेती की नियुक्ति ब्रांच मैनेजर के पद पर किये जाने का विरोध किया क्योंकि यह नियुक्ति नियमानुसार नहीं थी तथा उन्हें अनुचित रूप से पदोन्नति देने के लिए भी चेयरमैन ने उनके रिकार्ड में हेरफेर किया और उनको ब्रांच में घाटा होने के बावजूद भी उन्हें प्रशंसा पत्र दिलवाये । जिससे श्री संचेती व श्री बाबेल प्रार्थी श्रमिक से नाराज हो गये और उसे अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाने लगा । आगे प्रार्थी जाहिर करता है कि उपरोक्त कारणों से श्री संचेती ने प्रार्थी के खिलाफ जब वह उनके अधीनस्थ कार्यरत था, बदले की भावना से और बदनियती से कई शिकायतें प्रस्तुत कीं तथा दिनांक 29-3-86 से 2-5-86 को दो आरोप पत्र भी जारी किये गये तथा उनकी जांच के लिए श्री जे.सी. वाली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया तथा प्रार्थी को दिनांक 5-4-86 को निलंबित कर दिया गया जिसका कोई औचित्य नहीं था । प्रार्थी यह भी कहता है कि बैंक के नियमानुसार वह एक वर्ष बाद पूरा वेतन निर्वाह भत्ता पाने का अधिकारी था किन्तु उसे आधा ही निर्वाह भत्ता दिया गया । प्रार्थी ने यह लिखकर दिया कि जब तक उसे पूरा निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा रहा है जो देने के बाद ही जांच कार्यवाही आगे बढ़ाई जावे । किन्तु अप्रार्थी द्वारा ऐसा न करने पर प्रार्थी ने जांच में भाग नहीं लिया और जांच अधिकारी जो की अवसर की तलाश में थे उन्होंने उसी दिन दिनांक 4-6-87 को शिकायत श्री संचेती को बुलाकर उसके बयान लिये तथा अन्य गवाह को बुलाकर उसी दिन रात के नौ बजे तक जांच कार्यवाही पूर्ण कर ली गई और प्रार्थी को दोषी घोषित कर दिया। प्रार्थी को अपने गवाह प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया न अप्रार्थी के गवाहों से जिरह का मौका दिया गया। अतः जांच कार्यवाही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है तथा फेयर व प्रापर नहीं हुई है । दिनांक 14-5-88 को प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाये । दिनांक 21-6-88 को प्रार्थी ने शो-कॉज-नोटिस दिनांक 14-5-88 व 1-6-88 के खिलाफ मुंसिफ कोर्ट उदयपुर में वाद प्रस्तुत किया और उसी दिन नोटिस अप्रार्थी को तामील करवाये, नोटिस प्राप्त होते ही अप्रार्थी बैंक ने उस दिन एक आदेश तैयार किया जिस पर 20-6-88 की तारीख डालकर प्रार्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जिससे प्रार्थी का वाद निष्फल हो गया । प्रार्थी कहता है कि दिनांक 2-5-86 को उसे आरोप पत्र दिया गया कि प्रार्थी ने श्री एम.एल. संचेती को दिनांक 4-4-86 को थप्पड़ मारा जिस विषय में भी दिनांक 1-6-88 को उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जावे और दिनांक 21-6-88 द्वारा प्रार्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया जो कार्यवाही पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार की गई थी । प्रार्थी ने आदेश दिनांक 20-6-88 व 21-6-88 के विरुद्ध 4-8-88 को अपील प्रस्तुत की किन्तु अपीलान्ट आथोरिटी द्वारा उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और दिनांक 23-12-88 के नॉन-स्पीकिंग आदेश द्वारा प्रार्थी की अपील खारिज कर दी गई। प्रार्थी कहता है इस पर उसने समझौता अधिकारी के यहां विवाद प्रस्तुत किया किन्तु समझौता नहीं होने पर वह विवाद इस न्यायाधिकरण को राज्य सरकार द्वारा न्याय निर्णय हेतु प्रेषित किया गया । प्रार्थी का कहना है कि उसके बर्खास्तगी के आदेश दिनांक 20-6-88 व 21-6-88 पूर्ण रूप से अवैध हैं क्योंकि आरोप पत्र झूठी शिकायतों पर आधारित था वे शिकायतें शिकायतकर्ता की प्रार्थी से व्यक्तिगत नाराजगी के कारण की गई थी, जांच कार्यवाही केवल मात्र एक ही दिन में सम्पूर्ण कर ली गई तथा प्रार्थी को बिना सबूत के दण्ड दिया गया है । प्रार्थी कहता है कि उसे दिया गया दण्ड कृत्य के अनुपात में घोर कठिन व अमानुषिक है तथा वह सेवा मुक्ति दिनांक से ही बेरोजगार बैठा है अतः प्रार्थना की कि आदेश दिनांक 20-6-88 व 21-6-88 को खारिज फरमाया जावे तथा उसे बैंक की सेवा में नियोजित घोषित कर समस्त लाभ एवं बकाया वेतन दिलवाया जावे ।

3 अप्रार्थी, यी बैंक ऑफ राजस्थान लि. की ओर से क्लेम का विस्तृत जवाब दावा पेश कर प्रार्थी के क्लेम का विरोध करते हुए जाहिर किया गया है कि प्रार्थी की नियुक्ति की तारीख एवं किस पर नियुक्ति की गई, इन प्रश्नों का विवाद से कोई संबंध नहीं है । कार्य की आवश्यकता को देखते हुए समय-समय पर कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाता है । बैंक के चेयरमैन के खिलाफ प्रार्थी ने जो आक्षेप लगाये हैं वे असत्य एवं निराधार हैं । प्रार्थी का यह आरोप भी गलत है कि श्री शांति लाल संचेती को प्रोमोशन देने के लिए चेयरमैन ने उनके व्यक्तिगत रिकार्ड में हेराफेरी की हो । प्रार्थी को अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, निर्देशित कार्य न करने जैसे गंभीर दुराचरण किये जाने के कारण आरोप पत्र दिनांक 29-3-86 व ब्रांच मैनेजर के गाल पर थप्पड़ मारने जैसे गंभीर दुराचरण के संबंध में प्रार्थी को 2-5-86 के आरोप पत्र दिये गये थे । आरोपों की नियमानुसार जांच करवाने पर प्रार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने के बाद ही प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देकर उसके बाद सेवाच्युत किया गया है । प्रार्थी का यह कथन भी सर्वथा गलत है कि जांच अधिकारी श्री जे.सी. वाली चेयरमैन के दबाव में आ गये हों । जांच कार्यवाही में विलंब अप्रार्थी बैंक प्रबन्धकों के कारण नहीं होने से ही प्रार्थी पूरे निर्वाह भत्ते पाने का अधिकारी नहीं होता था। प्रार्थी ने जानबूझकर जांच कार्यवाही में भाग नहीं लिया। दिनांक 4-6-87 को प्रार्थी जांच कार्यवाही के बीच में बिना जांच अधिकारी की अनुमति के उठकर चला गया ऐसी स्थिति में जांच अधिकारी के पास एक तरफा जांच करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था । फिर भी उक्त दिनांक पर हुई कार्यवाहियों की प्रतियां प्रार्थी को दी गई किन्तु उसने एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करने का कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया ना ही प्रबंधकों के गवाहों से जिरह करने का अवसर चाहा। नियोजक द्वारा कराई गई दोनों ही घरेलू जांच फेयर व प्रोपर हैं । प्रार्थी का यह कहना भी गलत है कि अप्रार्थी बैंक ने 21-6-88 को आदेश तैयार किया और उस पर 20-6-88 की तारीख डाली हो । दिनांक 21-6-88 को प्रार्थी को सुनवाई हेतु तारीख दी गई थी किन्तु उसके बावजूद भी उसने अपना कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। अपीलीय अधिकारी ने प्रार्थी की अपील में कोई वजन नहीं पाया अतः तथ्यों को समझकर उनपर विचार करने के बाद ही अपील खारिज की गई। प्रार्थी को जो दण्ड दिया गया है वह उसके दुराचरणों की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए उसके कृत्यों के अनुरूप ही दिया गया है अतः अप्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के क्लेम को खारिज किया जावे और मामले में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जावे।

4 यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस प्रकरण में मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी नियोजक द्वारा कराई गई दोनों घरेलू जांच को दिनांक 16-5-92 के विस्तृत आदेश द्वारा फेयर एवं प्रोपर घोषित किया जा चुका है । अब इस मामले में केवल यह तय किया जाना शेष है कि क्या श्रमिक पर लगाये गये आरोप घरेलू जांच में आई साक्ष्य से प्रमाणित होते हैं अथवा नहीं तथा क्या प्रार्थी को दिया गया सेवाच्युति का दण्ड उसके द्वारा किये गये दुराचरणों के अनुपात में अधिक तो नहीं है । मैंने उक्त बिन्दुओं पर पक्षकारान के प्रतिनिधियों की बहस विस्तारपूर्वक सुनी तथा पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, दोनों घरेलू जांच पत्रावलियों तथा विधि के सुसंगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया ।

5. प्रार्थी श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि श्री एम.एफ. बेग ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्तों का आश्रय लिया :

1. 1974, लैब. आई.सी. 99 (मान. राजस्थान उच्च न्या.) यूनियन ऑफ इंडिया बनाम श्री बी.के. वत्ता ।

2. II एल.एल.जे. 1982, 319, तारामोहन जं. चौधरी यूनियन आफ इंडिया एंड अदर्स । (माननीय कलकत्ता उच्च न्या०)

3. I एल.एल.जे. 1982, पेज 251 (कलकत्ता उच्च न्यायालय) सुरेन्द्र चन्द्र दास बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल व अन्य

4. I एल.एल.जे. 1984 पेज 546, (एस.सी.) वेद प्रकाश गुप्ता बनाम मैसर्स डैल्टन केबिल इंडिया (प्रा.) लि. ।

6. विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि श्री आलोक फतेहपुरिया ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्तों का आश्रय लिया।

1. 1983 एफ.जे.आर. (62) 427, (मान. केरला उच्च न्या.) कोटायम डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन लि. बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण व अन्य।

2. I एल.एल. जे. 1980, 295, साराभाई एम. कैमीकल्स (एस.एम. कैमिकल्स एंड इलैक्ट्रोनिक्स) लि. बनाम एम.एस. अजमेरे व अन्य (माननीय बॉम्बे उच्च न्याय.)

3.

4. II एल.एल.जे. 1987, 504, (माननीय उच्चतम न्याय) राम कुमार बनाम स्टेट आफ हरियाणा ।

5. एस.सी.एल.जे. (1950-83) (8) 457, बुक ब्रॉण्ड इंडिया लि. बनाम एस. सुब्बा रमन एवं अन्य।

6. लैब. आई.सी. 1987 (20), 417 (मान. पटना हाई कोर्ट) सालू मेहतू बनाम पीठासीन अधिकारी सैन्ट्रल औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद व अन्य।

7. एफ. एल. आर. 1992 (65) (मान. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय) पेज 444, रतनचंद हरजस राय (मोल्डिंग्स) प्रा.लि. बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा।

8. 1992 एफ.जे.आर. (81) 542, (मान. केरला हाई कोर्ट) इन्स्ट्रूमेन्टेशन एम्प्लाईज यूनियन बनाम श्रम न्यायालय कोझीकोटे ।

7 यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध अप्रार्थी नियोजक द्वारा दो आरोप पत्र दिनांक 29-6-86 तथा दिनांक 2-5-86 दिये गये थे और दोनों ही आरोप पत्रों की जांच पृथक-2 की गई थी और जांच रिपोर्ट भी पृथक-2 दी गई थी । जांच अधिकारी द्वारा आरोप साबित पाये जाने पर अप्रार्थी नियोजक द्वारा दिनांक 20/21 जून, 1986 के आदेशों द्वारा प्रार्थी श्रमिक को सेवा मुक्ति का दण्ड दिया गया है । इस न्यायाधिकरण द्वारा पूर्व में दिनांक 16-5-92 के आदेश द्वारा दोनों ही घरेलू जांच का प्रोपर एवं फेयर घोषित किया जा चुका है । पक्षकारान के विद्वान प्रतिनिधिगण को प्रकरण के गुणावगुण पर तथा धारा 11-ए अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सुनवाई का समुचित मौका दिया गया । जांच कार्यवाही तथा जांच अधिकारी के निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया ।

I. आरोप पत्र दिनांक 29-3-86 के संबंध में :

8 प्रार्थी श्रमिक तेजसिंह मामावत विपक्षी बैंक के प्रधीन कैशियर कम-गोडाउन कीपर के पद पर कार्यरत था। उसे दिनांक 29-3-86 को आरोप पत्र दिया जाकर जबाब मांगा गया और जबाव संतोषजनक नहीं होने पर जांच कार्यवाही की गई । इस आरोप पत्र द्वारा प्रार्थी श्रमिक पर अनुशासनहीनता के चार गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। प्रथम आरोप यह लगाया गया है कि प्रार्थी ने कर्तव्य निष्पादन में घोर लापरवाही व उपेक्षा बरती व जानबूझकर अपने सामान्य कर्तव्यों का निष्पादन नहीं किया और उसने आरोप पत्र में वर्णित 15 वे आर्डरस दिनांक 2-1-86 से 7-1-86 के मध्य के तैयार नहीं किये जो उसकी ड्यूटी का ही भाग था तथा जो कार्य स्टाफ के अन्य सदस्यों द्वारा कराया गया और प्रार्थी श्रमिक पर यह भी आरोप लगाया गया है कि सीरीज बैंक सप्लीमेन्टरा लिखने का उसका कर्तव्य था जो भी उसने जानबूझकर नहीं लिखी । इस आरोप के संबंध में प्रबन्धन की ओर से एक साक्षी श्री शांति लाल संचेती, शाखा प्रबन्धक को परीक्षित किया गया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य में 15 प्रलेख प्रदर्शित कराये गये हैं । जांच कार्यवाही के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि प्रार्थी श्रमिक को इस कार्यवाही में भाग लेने के समुचित अवसर दिये गये । उसने जांच में सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाया और जांच अधिकारी को बिना अनुमति के दो बार जांच कार्यवाही को छोड़कर चला गया, जांच अधिकारी को मजबूर होकर 4 जून, 1987 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लानी पड़ी । जांच अधिकारी ने साक्ष्य तथा प्रलेखों के आधार पर प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध विधिक साक्ष्य के आधार पर आरोप प्रमाणित माना है । मेरी राय में जांच अधिकारी ने ऐसा करने में त्रुटि नहीं की है ।

9. प्रार्थी श्रमिक पर दूसरा आरोप यह था कि अपने सामान्य कर्तव्य निष्पादन में अवांछनीय डिपोजिट रसीदें व जन हिन्दी डिपोजिट की रसीदों के नवीनीकरण का कार्य दिनांक 17-1-86 को जानबूझकर नहीं किया और ब्रान्च को 3.50 बजे ही छोड़कर चला गया जबकि उसको यह कार्य करने के लिए ग्राहकों, संबंधित अधिकारी, सब-मैनेजर व ब्रान्च मैनेजर द्वारा भी कहा गया था । जांच अधिकारी ने इस आरोप के संबंध में श्री संचेती के बयान तथा प्रलेखीय सबूतों के आधार पर यह आरोप प्रमाणित पाया है जो निष्कर्ष भी विधिक साक्ष्य पर आधारित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

10. प्रार्थी श्रमिक पर लगाये गये तृतीय आरोप के संबंध में जांच अधिकारी ने श्री संचेती तथा प्रालेखीय सबूत, पीओन बुक में की गई एन्ट्री दिनांक 23-1-86 तथा प्रार्थी श्रमिक द्वारा 25-1-85 को लिखे गये पत्र पर भरोसा किया है । प्रार्थी श्रमिक श्री मामावत ने पीओन बुक दिनांक 23-1-86 में झूठी व मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की प्रविष्टि की है कि "ब्रांच में दो ही कर्मचारी मौजूद है" जबकि उस रोज अन्य कर्मचारी मौजूद थे जिनके हस्ताक्षर पीओन बुक दिनांक 23-1-86 में अंकित हैं । प्रार्थी श्रमिक ने दिनांक 25-1-86 को ब्रांच मैनेजर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि सब-मैनेजर श्री मेहता नहीं आये है और उनके स्थान पर कार्य करने का अवसर चाहा गया है जबकि वास्तव में श्री मेहता ड्यूटी पर उपस्थित हो गये थे । इस आशय की टिप्पणी भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र पर अंकित की गई थी तथा श्री मेहता के हस्ताक्षर भी उस पर मौजूद थे । इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक ने दिनांक 25-1-86 को ब्रांच मैनेजर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी श्रमिक ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ने हेतु आवेदन पत्र सम्प्रेषित किया। प्रार्थी श्रमिक ने इस साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रार्थी पर लगाया गया तृतीय आरोप भी प्रमाणित माने जाने में जांच अधिकारी ने मेरी राय में कोई भूल नहीं की है ।

11. प्रार्थी श्रमिक पर चौथा आरोप यह था कि 2 जनवरी, 1986 के स्टाफ के सदस्यों के वेतन बिलों को प्रार्थी ने चैक नहीं किया और उसने केवल विद्या भवन एक्सटेन्शन काउंटर के सेलरी बिलों को ही चैक किया जबकि यह उनका नियमित कर्तव्य था और ऐसा करने के लिए उसे ब्रान्च मैनेजर से लिखित में भी निर्देश दिये थे और मौखिक रूप से भी कहा था किन्तु प्रार्थी श्रमिक ने यह कार्य नहीं किया और 3.50 बजे ही ब्रान्च छोड़कर चला गया और वापस 4.35 पर ब्रान्च में उपस्थित हुआ जिसका उससे स्पष्टीकरण मांगा गया जो उसने पेश नहीं किया। जांच अधिकारी ने श्री संचेती के बयान पर एवं प्रालेखीय सबूतों पर भरोसा करते हुए प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध यह आरोप भी प्रमाणित माना है जो निष्कर्ष भी विधिक साक्ष्य पर आधारित है और मैं जांच अधिकारी के निष्कर्ष से पूर्णतः सहमत हूं ।

12. प्रार्थी श्रमिक केवल इस आधार पर लाभ नहीं प्राप्त कर सकता कि दिनांक 23-1-86 व 17-1-86 के उसके वेतन जो काट लिये गये

थे, वे श्रम न्यायालय, उदयपुर द्वारा बिना दिये गये है। यहां यह उल्लिखित करना भी अनावश्यक नहीं होगा कि श्रम न्यायालय उदयपुर द्वारा केवल मात्र वेजेज ही दिलाये गये हैं। इस बात से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रार्थी श्रमिक पर लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुए हों। यह सही है कि 29-10-85 से 6-11-85 तक की अवकाश की दरख्वास्त बाद में प्रार्थी के अनुरोध पर स्वीकार कर ली गई थी किन्तु इससे आरोपों की गंभीरता समाप्त नहीं हो जाती क्योंकि छुट्टी का आवेदन पत्र तो बाद में स्वीकार किया गया है। विभाग की ओर से श्री संचेती के अलावा प्रालेखीय सबूत भी प्रस्तुत किये गये है जो प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध दिनांक 29-3-86 में लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए समुचित व पर्याप्त हैं। इसके खंडन में प्रार्थी श्रमिक ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में जांच अधिकारी के निष्कर्षों को पर्वर्स नहीं माना जा सकता और अनुशासनिक अधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होने में कोई भूल नहीं की है।

II. आरोप पत्र दिनांक 2-5-1986 के संबंध में :

11. प्रार्थी श्रमिक पर आरोप है कि दिनांक 4-4-86 को दोपहर 3.20 बजे वह ब्रान्च के शाखा प्रबन्धक श्री संचेती के केबिन में रिपरेजेन्टेशन देने के लिये गया जिसको प्राप्त कर श्री सचेती ने रसीद दे दी। उसके बाद कैबिन से बाहर जाने के लिए श्री संचेती की सीट के पीछे से जब प्रार्थी श्रमिक जाने लगा तब एक क्षण रूककर श्री संचेती पर आक्रमक होते हुए बिना किसी प्रोवोकेशन के श्री संचेती के दाहिने गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और यह कहा कि "अब आराम से बैठे-बैठे पढ़ लेना और जवाब दे देना"। इस प्रकार दिनांक 4-4-86 की घटना के संबंध में प्रार्थी श्रमिक के दुराचरण के मामले को गंभीर मानते हुए उसे दिनांक 2-5-86 को आरोप पत्र दिया गया जो निम्न प्रकार है :

(1) Gross misconduct of an act of disorderely and indecent behaviour on the Bank's premises under 19.5(c) of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966.

(2) An act of willful insubordination under 19.5(c) of the Bipartite settlement dated 19-10-966.

(3) An act of prejudicial to the interest of the Bank under 19.5(j) of the Bipartite settlement dated 19-10-1966.

(4) Besides, you are also charged for a minor misconduct of failure to show proper courtesy and respect to your superiors under 19.7(j) of the Bipartite settlement dated 19-10-66.

(5) A marked disregard of ordinary requirement of decency under 19.7(k) of the settlement dt. 19-10-66.

The following circumstances appears against you :

10 (1) That on 4th April, 1986, at about 3.20 p.m. when **Shri Sancheti was sitting alone, you went to his** cabin in order to give a representation of yours **against a memo issued to you by the Manager on** 3-4-86 vide letter No. 644.

(2) That Shri Sancheti, the Manager acknowledged the receipt of your representation in the spare copy you placed before him.

(3) That the aforesaid memo issued to you by that manager on 3rd April, 1986 related to the fact that your wages were being deducted for 1st and 2nd April, 1986 applying the principle of 'No Work No pay'.

(4) After obtaining the acknowledgement of the representation from the Manager, Shri S. L. Sancheti you proceeded on your way from behind his seat and pausing a bit, you barged towards Shri Sancheti without any provocation and slapped him forcefully on his right cheek and uttered the following words :

(5) After uttering the above words you left the cabin. The Manager having taken aback by your surprise attack on him, wanted to enquire from you as to why you have behaved in such a way. You had left the cabin. The Manager, Shri S. L Sancheti soon after going out of his cabin explained the whole thing, to his colleagues who were in the branch and showed the finger prints on his right cheek and injury on lips.

(6) That having heard the Manager being slapped by you and having seen the finger marks on his face, Mr. Gajanand Gupta, Officer alongwith Shri Lalusingh, Driver, went to the Police Station in the meantime, the Manager Shri S. L. Sancheti reported the matter to the Regional Office.

(7) Subsequently on the basis of the above FIR, you were taken to the Police Station by the Police and remanded for the rest of the day.

(8) The above circumstances have lead us to the conclusion that your riotous, unprovoked and surprise attack on your immediate superior officer during the working hours is against the discipline and decorum of the branch. You are, therefore, charged as per misconduct mentioned in para 2 above. You are, called upon to submit your explanation to the above charges within three days of the receipt of this chargesheet. Since the charges levelled against you herein before are are serious, you have been placed under suspension pending an enquiry into the aforesaid charges in terms of my earlier order dated 5-4-86 which is hereby confirmed. Please note that during the period of suspension you will be paid subsistence allowance as per para 557 of Shastri Award which further amended by subsequent Bipartite settlements

इस मामले में भी संघ अधिकारी श्री जे.सी. दानी को नियुक्त किया गया था जिन्होंने घरेलू जांच शुरू की और प्रार्थी श्रमिक को आरोप समझाते हुए जांच कार्यवाही से अवगत कराया। प्रार्थी ने आरोपों से इंकार किया जिस पर जांच कार्यवाही विस्तार से निम्नानुसार सम्पन्न की गई। प्रार्थी श्रमिक को चार्ज शीट संबंधी प्रतियों की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गई। इस घटना के संबंध में धारा 187/151 भा.द.सं. के अधीन ए.डी.एम. सिटी उदयपुर के समक्ष चार्ज शीट प्रस्तुत की गई थी जिसकी प्रति भी प्रालेखीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई है तथा उसकी प्रतियां भी प्रार्थी श्रमिक को दिलाई गई थी। कानून के अनुसार छह माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् ऐसी कार्यवाही स्वतः ही समाप्त हो जाती है और ऐसा ही इस प्रकरण में भी हुआ है। शाखा प्रबन्धक श्री एस.एल. संचेती ने अपने कथन में यह प्रमाणित किया है कि दिनांक 4-4-86 को जब वे अपने कैबिन में अपनी सीट पर श्री मानावत जी को 29-3-86 को जारी तथा 1-4-86 को उनको प्रदत्त आरोप पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कर रहे थे जिसका कि उनको प्रस्तोता अधिकारी नियुक्त किया गया था लगभग 3.15 या 3.20 बजे ऊपर के बीच श्री मानावत जी स्टाफ से उनकी सीट के पीछे बांय

हाथ की तरफ से आये तथा उसके दाहिने हाथ की तरफ खड़े हुए तथा एक पत्र जो दिनांक 4-4-86 का उनके हाथ का लिखा हुआ था जिसमें पत्र सं. 3486 व उनके प्रपत्र दिनांक 3-4-86 द्वारा अंकित टिप्पणी का हवाला था, प्रस्तुत कर प्राप्ति रसीद की मांग की तब उन्होंने हमेशा की तरह प्राप्ति समय आदि अंकित करके निर्धारित प्रति उनको लौटा देना चाहते थे लेकिन मानावत जी ने अत्याधिक जल्दी करते हुए कहा कि बिना कार्बन लगायें ही उन्हें प्राप्ति रसीद दे दी जावे तो अनिच्छा होते हुए भी उन्होंने चाहे मुताबिक तत्काल रसीद दे दी और फिर ज्यू ही वे उक्त पत्र पर प्राप्ति दिनांक आदि अंकित करने लगे त्यों ही मानावत जी ने लौटते समय उनके पीछे से दाहिने गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और यह कहते हुए स्टाफ गेट से बाहर चला गया कि "अब तू बैठ-बैठे आराम से पढ़ लेना और जवाब दे देना"। इस प्रकार श्री संचेती ने अपने कथन से यह प्रमाणित किया है कि प्रार्थी श्रमिक ने ड्यूटी आवर्स में उसके गाल पर थप्पड़ मारकर उसके साथ अभद्र एवं अपमानजनक व्यवहार किया है। यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रमिक की ओर से श्री संचेती के इस शहादत का खण्डन नहीं हुआ है क्योंकि प्रार्थी स्वयं अपनी साक्ष्य में पेश ही नहीं हुआ है। श्री संचेती ने अपने कथन से यह भी प्रमाणित किया है कि इस घटना की सूचना रीजनल मैनेजर को भी दी गई तथा पुलिस थाने में भी तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराई गई। श्री संचेती ने यह भी कथन किया है कि धारा 116 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अधीन 6 माह की अवधि समाप्त होने के बाद यह कार्यवाही स्वयं ही समाप्त हो गई। यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रमिक ने श्री संचेती से विस्तृत प्रति-परीक्षण किया है किन्तु यह साक्षी अपने प्रति-परीक्षण में अडिग रहा है और सत्यता की कसौटी पर खरा उतरा है। सूचना मिलने पर घटना के रोज ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। श्री संचेती के कथन का समर्थन श्री एस.एस. मेहता के कथन से भी हुआ है यद्यपि उसने घटना नहीं देखी किन्तु उसने परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित किया है कि जब वह अपनी सीट पर बैठा था तब उसने मानावत जी को संचेती साहब से कमरे में देखा था, कुछ समय बाद मानावतजी केबिन के अंदर वाले गेट से बाहर आये और अपनी सीट पर आते ही बैठ गये। उनके पीछे पीछे संचेती साहब केबिन के उसी दरवाजे से बाहर निकलकर मेरे पास आये और कहा कि मानावतजी ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारी है और उन्हें (गवाह को) अपना गाल व होंठ—जहां पर से हल्का सा खून आ रहा था, दिखाया था। विभागीय साक्षी श्री गजानन्द गुप्ता ने भी घटना की पुष्टि करते हुए यह कथन किया है कि 4-4-86 को लंच टाईम के बाद श्री मानावत जी ने एक पत्र के साथ मैनेजर साहब के केबिन में प्रवेश किया था, 5-6 मिनट बाद मानावत जी केबिन के बाहर और गये और श्री संचेती जी भी बाहर आ गये और उन्होंने स्टाफ मैम्बरस को अपना गाल व होंठ दिखाया और कहा कि मानावत जी ने उनके थप्पड़ मार दिया है। इस साक्षी ने यह भी प्रमाणित किया है कि इस घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस में दर्ज कराई थी। विभागीय साक्षी श्री आर.सी. चतुर्वेदी ने भी घटना की पुष्टि की है और कहा है कि इस घटना की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त हुई थी, इस संबंध में दिनांक 4-4-86 को मध्यान्ह एक टेलीफोन आया था। विभागीय साक्षीगण से प्रार्थी श्रमिक को प्रति-परीक्षण का समुचित अवसर दिया गया है और उसने प्रति रक्षा में 5 साक्षीगण श्री जे.के. अग्रवाल, श्री लालसिंह राजपूत, श्री राकेश चित्तौड़ा, श्री एम.एम. शर्मा, श्री पदम सिंह सोनी को पेश किया है। इन साक्षीगण के कथनों से प्रार्थी श्रमिक को कोई मदद नहीं मिलती है क्योंकि श्री जे.के. अग्रवाल ने कथन किया है कि उस दिन वह घरेलू कार्य की वजह से अवकाश पर था फिर भी उसने अपने प्रति-परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना की उड़ती बात उसने उसी दिन धानमण्डी में सुनी थी। प्रति रक्षा के द्वितीय साक्षी श्री लालसिंह ने यह कथन किया है कि 4-4-86 को वह गजानन्द गुप्ता के साथ धानमण्डी पुलिस स्टेशन गया था, इस साक्षी का कथन है कि वह क्लीयरिंग ड्यूटी पर बाहर गया हुआ था और यह घटना उसके सामने नहीं हुई थी। प्रति रक्षा के तृतीय गवाह श्री चतुर्वेदी का कथन है कि संचेती साहब ने अपना गाल दिखाया था, प्रति रक्षा के चौथे गवाह श्री एम.एम. शर्मा ने भी यही कथन किया है कि उसको संचेती साहब ने गाल दिखाया था, और प्रति रक्षा के आखिरी साक्षी श्री पदम सोनी का भी यही कथन है कि दिनांक 4-4-86 को श्री संचेती ने अपना गाल व चेहरा दिखाया था। प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि की यह दलील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि इस मामले में श्री संचेती द्वारा डाक्टरी मुआयना नहीं कराने से अथवा इस घटना को कोई अन्य प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने से घटना अविश्वसनीय हो जाती है। श्री संचेती तथा उसके अन्य तीन साक्षीगण श्री एस.एस. मेहता, श्री जी.एन. गुप्ता व श्री आर.सी. चतुर्वेदी एवं पुलिस कार्यवाही तथा प्रलेखिक सबूतों से इस घटना की पुष्टि भलीभांति हुई है, ऐसी स्थिति में श्री संचेती का डॉक्टरी मुआयना नहीं कराने से घटना अविश्वसनीय नहीं हो जाती। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रार्थी श्रमिक ने भी इस घटना का प्रतिवाद अपने स्वयं के कथन से नहीं किया है एवं उसकी ओर से प्रति रक्षा में पेश किये गये पांचों गवाहों ने भी घटना को अविश्वसनीय नहीं बनाया है। चूंकि घटना श्री संचेती के केबिन में हुई और उस समय वहां केवल श्री संचेती व प्रार्थी श्रमिक श्री मानावत ही मौजूद थे, ऐसी स्थिति में घटना का अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हो भी कैसे सकता है। इसलिए दरपेश मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य से ही घटना की पुष्टि हुई है।

12. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जांच अधिकारी श्री जे.सी. बाली ने निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से जांच कर विधिक साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाया है तथा जांच अधिकारी द्वारा निकाले गये निष्कर्ष मेरी राय में पर्वर्स नहीं हैं एवं साक्ष्य पर ही आधारित हैं। गुणावगुण पर को गई नियमानुसार घरेलू जांच से श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित होते हैं। निष्कर्ष यह है कि श्रमिक के विरुद्ध दो आरोप पत्रों दिनांक 29-3-86 व 2-5-86 में लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित मानने में जांच अधिकारी ने कोई भूल नहीं की है। मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त एस.सी.एल.जे. (1950-67) (5) पेज 2978 मैनेजमेंट ऑफ डनलप रबड़ कंपनी इंडिया लि. बनाम वेयर वर्कमैन पर भरोसा करता हूं जिसमें श्रम न्यायालय व औद्योगिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के संबंध में विधि का निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :

> "the extent of jurisdiction which a Labour Court or an Industrial Tribunal can exercise in dealing with industrial dispute is well settled if the termination of an Industrial employee's services has been preceded by a proper domestic enquiry which has been held in accordance with the rules of natural justice and a conclusion reached at the said enquiry are not purverse, the tribunal is not entitled to consider the propriety or the correctness of the said conclusions."

हस्तगत मामले में विपक्षी नियोजक द्वारा कराई गई दोनों घरेलू जांच को इस न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 16-5-92 के आदेश द्वारा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुरूप व फेयर व प्रोपर माना जा चुका है।

13. अब मैं प्रार्थी श्रमिक को दिये गये सेवाच्युति के दण्ड के प्रश्न पर विचार करूंगा कि क्या प्रार्थी श्रमिक को दिया गया दण्ड उसके कृत्य की तुलना में कठोर तो नहीं है तथा क्या सेवाच्युति का आदेश उचित एवं न्यायोचित है। यह उल्लेखनीय है कि जांच अधिकारी श्री जे.सी. बाली की आरोप पत्र दिनांक 29-3-86 के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर सहायक महा-प्रबन्धक श्री बी.एल. शर्मा ने 14 मई 1988 को फाईंडिंग की प्रति प्रार्थी श्रमिक को भेजते हुए उसे कारण बताओ नोटिस भेजा कि क्यों नहीं उसे उसके इस गंभीर दुराचरणों के मामले में सेवाच्युत कर दिया

जावे । सजा के प्रश्न पर दिनांक 28 मई 1988 को प्रार्थी श्रमिक को सुनवाई का मौका दिया गया और अनुशासनिक अधिकारी ने दिनांक 20-6-88 को जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत होते हुए तथा प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध आरोप प्रमाणित मानते हुए श्रमिक की सेवाच्युति का आदेश पारित किया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जांच कार्यवाही की प्रतियां जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थी श्रमिक को 5 जून 1987 को ही दिलाई जा चुकी थी ऐसी स्थिति में जांच को प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुरूप माना जा चुका है।

14. प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध दिनांक 2-5-86 के आरोप पत्र के संबंध में भी नियमानुसार जांच सम्पन्न की जाकर जांच अधिकारी श्री जे.सी. बाली ने फाईडिंग रिपोर्ट प्रेषित की और प्रार्थी श्रमिक श्री तेज सिंह मानावत के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित माने जिससे सहमत होकर सहायक महाप्रबन्धक श्री बी.एल. शर्मा ने 1 जून 1988 को प्रार्थी श्रमिक को कारण बताओ नोटिस भेजा कि क्यों न उसके गंभीर दुराचरणों के लिए उसे सेवाच्युत कर दिया जावे फाईडिंग्स रिपोर्ट की प्रति भी शो कॉज नोटिस के साथ भेजी गई। इसके पश्चात् प्रार्थी श्रमिक को सुनवाई का समुचित अवसर दिनांक 21-6-88 को देते हुए एवं जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत होकर उसी दिन श्रमिक की सेवाच्युति का आदेश पारित कर दिया। हस्तगत मामले में जांच अधिकारी ने प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध जारी किये गये दो आरोप पत्रों दिनांक 29-3-86 व 2-5-86 के संबंध में नियमानुसार जांच करके विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं और अनुशासनिक अधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत होते हुए तथा प्रार्थी श्रमिक को सुनवाई का अवसर देते हुए उसे सेवाच्युत करने का दण्डादेश दोनों ही मामलों में पारित किया है।

15. न्याय दृष्टान्त II एल.एल.जे. 1987 पेज 504 राम कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा में विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :

"When the punishing authority agrees with the findings of the Enquiry Officer and accept reasons given by him in support of such finding, it is not necessary for the punishing authority to again discuss the evidence and come to the same finding as that of the Enquiry Officer and give the same reasons for the finding."

16. यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 29-2-86 के संबंध में दण्डादेश दिनांक 20-6-88 को एवं आरोप पत्र दिनांक 2-5-86 के संबंध में दण्डादेश दिनांक 21-6-88 को पारित किया गया है और दोनों ही आदेश प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 21-6-88 को प्राप्त हुए हैं। दोनों ही आरोप पत्रों में उल्लिखित आरोपों के संबंध में प्रार्थी श्रमिक को गम्भीर दुराचरणों का दोषी मानते हुए सेवाच्युत किया गया है।

17. विधि की स्थिति सुस्थिर है। धारा 11-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण को दण्डादेश के मामलों में उसी अवस्था में हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है जहां सेवाच्युति आदेश में श्रमिक को दिया गया दण्ड दुराचरणों के अनुपात में कठोर (हार्ष) व अत्याधिक हो। मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त II एल. एल. एन. (एस. सी.) 1983 पेज 655 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. बैंगलोर बनाम मोहम्मद उस्मान व अन्य पर भरोसा करता हूं।

18. जैसा कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्रमिक के विरुद्ध दोनों आरोप पत्रों द्वारा लगाये गये सभी प्रमाणित दुराचरण गम्भीर प्रकृति के हैं एवं ऐसे दुराचरणों को देखते हुए प्रार्थी श्रमिक को दिया गया सेवाच्युति का दण्ड मेरी राय में दुराचरणों के अनुपात में सर्वथा सही प्रतीत होता है जो कठोर व अत्याधिक बिल्कुल नहीं है। अतः अप्रार्थी नियोजक द्वारा जारी सेवाच्युति आदेश उचित एवं वैध होने से मैं उसमें कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता। मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त एफ.एल.आर. 1992 (65) पेज 448 (एस.सी.) स्टेट ऑफ पंजाब बनाम राम सिंह, एस.सी.एल.जे. (1950-83) (8) पेज 606 सैन्ट्रल इंडिया कोलफील्डस लि. कलकत्ता एवं राम विलास शोभनाथ एवं एफ. जे. आर. 1992 (8) पेज 542 इन्स्ट्रुमैन्टेशन एम्पलाईज यूनियन बनाम लेबर कोर्ट पर भरोसा करता हूं।

19. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

"दी बैंक ऑफ राजस्थान लि. के प्रबन्धतंत्र द्वारा दिनांक 20/21-6-86 के आदेश द्वारा श्री तेजसिंह मानावत कैशियर-कम-गोडाउन कीपर को सेवाच्युत किया जाना उचित एवं वैध है। श्रमिक किसी राहत को पाने का अधिकारी नहीं है।"

20. प्रकरण में उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17 (1) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 भेजा जावे।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2513:- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ इन्दौर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट, औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/121/88-डी III (ए)]

एस. एस. के. राव, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th October, 1993

S.O. 2513.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Indore and their workmen, which was received by the Central Government on 22-10-93.

[No. L-12012|121|88-D. III(A)]

S. S. K. RAO, Desk Officer

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर
केस नं. सी.आई.टी. 26/89

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-12012/121/88-डी-3 (21) दिनांक 7-2-89

श्री राम करण पुत्र श्री नारायण गुर्जर ग्राम खुरी कला तहसील दौसा द्वारा बी.एम. बागड़ा चांदपोल बाजार जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर स्टेशन रोड, जयपुर

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर.एच.जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री बी.एम. बागड़ा

अप्रार्थी की ओर से : श्री आलोक फतहपुरिया

दिनांक अवार्ड : 19 अप्रैल, 1993

अवार्ड

श्री बी.एम. बागड़ा प्रार्थी की ओर से तथा श्री आलोक फतहपुरिया विपक्षी की ओर से उपस्थित हैं। आज भी प्रार्थी की शहादत हाजिर नहीं है। प्रार्थी को दिनांक 16-4-91 से ही शहादत पेश करने के लिए समय दिया जा रहा है अब और समय दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। श्री बी.एम. बागड़ा इस प्रकरण में नो इन्सट्रक्शन्स फ्लीड करते हैं अतः परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1993

का.आ. 2514— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दी बैंक आफ राजस्थान लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/71/89-आई. आर. (बी-I)]

एस.एस. के. राव, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th October, 1993

S.O. 2514.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of The Bank of Rajasthan Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 22-10-93.

[No. L-12011|71|89-IR. B-(I)]

S. S. K. RAO, Desk Officer

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई. टी. 105/89

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-12011/71/89-आई.आर. (बी-I) दिनांक 16-10-89.

श्री जुगल किशोर शर्मा पुत्र श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा, गोस्वामी मार्ग, खेरापति मोहल्ला, भरतपुर (राजस्थान)

—पार्थी

बनाम

1. मैनेजर, दी बैंक ऑफ राजस्थान, भरतपुर ब्रांच, नई मण्डी, भरतपुर।

2. जनरल मैनेजर, दी बैंक ऑफ राजस्थान लि., सी-49, भगवान दास रोड, जयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री विजेन्द्र बिहारी

अप्रार्थी की ओर से : श्री केवल राम

दिनांक अवार्ड : 23 मार्च, 1993

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, जिसे तत्पश्चात् अधिनियम से संबोधित किया है, की धारा 10 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

"Whether the action of the management of the Bank of Rajasthan in terminating the services of Shri Jugal Sharma, Ex-temporary sub-staff at their Jaipur main branch with effect from 2-11-1988 is just and legal. If not to what relief is the worker concerned entitled and from what date?"

2. श्री जुगल किशोर शर्मा, जिसे तत्पश्चात् प्रार्थी श्रमिक संबोधित किया है ने स्टेटमैंट ऑफ क्लेम प्रस्तुत कर जाहिर किया कि वह दी बैंक आफ राजस्थान लि. भरतपुर ब्रान्च नई मण्डी जिसे तत्पश्चात विपक्षी बैंक संबोधित किया है, के यहां 12-11-87 से लगातार 1-11-88 तक सब स्टाफ के रूप में कार्यरत रहा। आगे कहा कि उससे स्टाफ को पानी पिलाने, रजिस्टर्स व पेपर्स एक टेबिल से दूसरी टेबिल पर रखने, बैंक डाक बांटने आदि का कार्य उक्त अवधि में किया है। यह भी कहा कि उसे 12-11-87 से 30-4-88 तक विपक्षी बैंक सं. 1 द्वारा 15/- रुपया रोज के हिसाब से वेतन दिया तथा दिनांक 1-5-88 से 25/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया। फिर कहा है कि विपक्षी सं. 1 ने दिनांक 1-11-88 को सायंकाल उससे भिन्न भिन्न पैनों से ग्यारह वक्तव्य लिखवाई जिनमें पिछली तारीखें बोलकर लिखवाई। ये वक्तव्य श्री ओ. पी. बंसल ने लिखवाई थीं और यह कहा था कि उसे स्थाई नियुक्ति बैंक दे रही है इसलिए वक्तव्य लिखकर भिजवानी हैं। इसीलिए उन्होंने जो भाषा बोली उसने लिख दी। किन्तु जब प्रार्थी 2-11-88 को बैंक में पहुंचा तो विपक्षी सं. 1 ने उसे ड्यूटी पर नहीं लिया और मौखिक रूप से कह दिया कि अब वह ड्यूटी पर न आए। प्रार्थी श्रमिक कहता है कि उसने सेवा समाप्ति के पूर्व 12 माह में 300 दिवस से अधिक सेवा की है और सेवा मुक्ति से पहले उसे कोई नोटिस अथवा नोटिस के एवज में वेतन या छंटनी का मुआवजा आदि नहीं दिया गया इसलिए धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधानों का अवहेलना की गई है। आगे कहा कि चूंकि उसे सेवा मुक्ति के बिन्दु पर नहीं सुना गया इसलिए उसकी सेवा मुक्ति प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने से अनफेयर लेबर प्रेक्टिस में आती है। अतः प्रार्थना की है कि उसकी दिनांक 2-11-88 से की गई सेवा मुक्ति को अवैध एवं अनुचित करार देते हुए उसकी सेवा लगातार मानते हुए उसे पिछले समस्त वेतन व अन्य सभी लाभों सहित सेवा में बहाल किया जाये तथा मुकदमे का हर्जा खर्चा भी दिलवाया जावे।

3. अप्रार्थी बैंक ने क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि रैफरेंस में प्रार्थी को एक्स टैम्परेरी सब स्टाफ मानकर यह बिन्दु बनाया गया है जबकि प्रार्थी कभी भी सब स्टाफ के रूप में नियोजित नहीं किया गया था। इस प्रारंभिक आपत्ति के अतिरिक्त जाहिर किया कि नवम्बर 1987 में पुराना रिकार्ड बाहर करना था अतः इस कार्य के लिए फाइलें आदि उठाने के लिए प्रार्थी को दैनिक मजदूरी तय करके आकस्मिक कार्य करने हेतु रखा गया था और जब जब ऐसे आकस्मिक कार्य करने की आवश्यकता पड़ी प्रार्थी को कार्य पर लगाया गया और फरवरी 88 में यह कार्य समाप्त हो गया। उसके बाद कार्यालय बिल्डिंग की पुताई का कार्य हुआ जिससे रिकार्ड इत्यादि उथल पुथल

हो गया, उस रिकार्ड को दूसरी जगह रखवाने हेतु प्रार्थी को दैनिक मजदूरी पर आकस्मिक कार्य के लिए रखा गया। इसके अलावा कुछ समय के लिए प्रार्थी को कार्यालय में लगे हुए कूलरों में पानी भरने व सफाई करने के लिए मजदूरी तय करके दैनिक वेतन पर आकस्मिक कार्य हेतु रखा गया था। प्रार्थी को कभी भी स्थाई कार्य हेतु नियुक्ति नहीं दी। प्रार्थी एवं अप्रार्थी का नियोजक एवं श्रमिक का कोई संबंध ही नहीं रहा। उसके आकस्मिक कार्य को देखते हुए ही अलग-अलग मजदूरी तय की जाती थी। प्रार्थी से दैनिक मजदूरी तय करके ही कार्य पर रखा जाता और तयशुदा मजदूरी के अनुसार उसको भुगतान कर दिया गया। अप्रार्थी संस्थान में स्थाई पदों पर नियुक्ति देने का एक निश्चित तरीका है। जब प्रार्थी, अप्रार्थी संस्थान में नियोजित ही नहीं था तो उसकी सेवा समाप्ति का और अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधान लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम की धारा 2 (ओ ओ) के अनुसार छंटनी की परिभाषा में नहीं आती हैं इसलिए प्रार्थी कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है। विशेष विवरण में जाहिर किया कि अप्रार्थी संस्था से जो कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं उनकी नियुक्ति के लिए नियम बने हुए है और उन नियमों के अनुसार जिस पद के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है उन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिये जाते हैं तत्पश्चात् आवेदन पत्रों को छंटनी कर योग्य प्रत्याशियों को बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है और बोर्ड द्वारा चयनित प्रत्याशियों को ही नियुक्ति दी जाती है। प्रार्थी श्रमिक नियमानुसार नियुक्ति के लिए कभी आवेदन नहीं दिया न कभी इसकी नियुक्ति की गई उसे तो केवल आकस्मिक कार्य के लिए ही दैनिक वेतन पर रखा गया जिसके समाप्त होते ही स्वतः उसकी सेवा भी समाप्त हो गई।

4 साक्ष्य में प्रार्थी ने अपना स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर तस्दीक करवाया जिससे अप्रार्थी के प्रतिनिधि ने जिरह की। अप्रार्थी संस्थान की ओर से श्री ओम प्रकाश बंसल, ब्रान्च मैनेजर दी बैंक आफ राजस्थान लि० अलवर का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ जिससे प्रार्थी के प्रतिनिधि ने जिरह की है। प्रालेखिक साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से प्रदर्श डब्ल्यू 1 लगायत डब्ल्यू -3 प्रस्तुत किये गये हैं और अप्रार्थी बैंक की ओर से प्रदर्श एम-1 लगायत एम-23 प्रस्तुत हुए है। तत्पश्चात मैंने पक्षकारों के विद्वान प्रतिनिधियों की बहस सुनी और पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत निम्न न्याय दृष्टान्तों को ध्यानपूर्वक परिशीलन किया।

5. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के समर्थन में लिखित बहस के साथ निम्न न्याय दृष्टान्तों का सहारा लिया

(1) 1990 (2) आर.एल.आर. पेज 18, पन्ना राम

(2) 1990 एल आई.सी. पेज 174 (आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय) आर. श्री निवास राव बनाम लेबर कोर्ट हैदराबाद

(3) 1991 II एल.एल. नं. पेज 218 (राजस्थान उच्च न्यायालय) टी.ए. सैनी बनाम राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि.।

6. विद्वान प्रतिनिधि अप्रार्थी ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टान्तों का सहारा लिया :

(1) I एल.एल.एन. 1986 (वाल्यूम 28) पेज 260, शंकरैया, बनाम कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (कर्नाटक हाई कोर्ट)

(2) I एल.एल.एन. 1981 (वाल्यूम 18) पेज 561, मनेजमेंट ऑफ कोयम्बटूर पायोनियर वीं मिल्स लि. बनाम लेबर कोर्ट कोयम्बटूर व अन्य।

(3) II एल.एल.एन. 1985 (वाल्यूम 11) पेज 680 बिन्नी लि. बनाम श्रम न्यायालय, बंगलौर व अन्य।

(4) 1988 लैब.आई.सी. (वाल्यूम 21) पेज 2161, भरत कुमार शेखर बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय भुवनेश्वर।

(5) 1976 लैब.आई.सी. (वाल्यूम 9) पेज 1284 (कर्नाटका हाई कोर्ट) मैनेजमेंट ऑफ महादेव टैक्सटाईल मिल्स, हुबली, बनाम एडीशनल इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल बंगलोर व अन्य)

(6) 1980 लैब. आई.सी. (वाल्यूम 13) पेज 508, तपन कुमार जाना बनाम महाप्रबन्धक, कलकत्ता टेलीफोन्स व अन्य।

(7) 1985 लैब.आई.सी. (वाल्यूम 18) पेज 1833, सी.एस. शैलेन्द्र कुमार बनाम मैनेजमेंट ऑफ भारत अर्थ म्यूवर्स लि. व अन्य।

(8) I सी.एल.आर. 1988 (वाल्यूम 1) पेज 569, विश्वास भीमराव श्रृमाल बनाम कौपार गांव नगर पालिका व अन्य।

(9) 1990 एफ.एल.आर. (वाल्यूम 60) पेज 421, के.जी. रेड्डी व अन्य बनाम सहायक अभियन्ता (सिविल) ए.पी. डेयरी डेवेलपमेंट कार्पोरेटिव फैडरेशन लि. व अन्य (आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट)

(10) 1986 सी.एल.आर. (वाल्यूम 12) पेज 285, (राजस्थान हाई कोर्ट) राजस्थान राज्य बनाम जोधपुर रीजन पी.डब्ल्यू डी. (बी. एंड आर.) मजदूर संघ व अन्य।

(11) डी.बी.स्पेशल अपील नं. 33/86 व 20 अन्य, राजस्थान राज्य बनाम अरुणा माथुर व अन्य आदेश दिनांक 19-3-86 (राजस्थान उच्च न्यायालय)।

7. प्रार्थी श्रमिक श्री जुगल किशोर शर्मा ने अपने क्लेम की ही भांति अपने शपथ पत्र में भी यह कथन किया है कि विपक्षी बैंक ने उसे दिनांक 12-11-87 को सब-स्टाफ के रूप में कार्य पर रखा था और उसने इस पद पर 12-11-87 से लगातार 1-11-88 तक विपक्षी बैंक के यहां कार्य किया। इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक के कथनानुसार वह विपक्षी संस्थान में 240 दिवस से अधिक कार्यरत रहा है। विपक्षी ने भी इस तथ्य को विवादित नहीं किया है किन्तु विपक्षी का यह कथन है कि प्रार्थी श्रमिक कभी भी सब-स्टाफ के रूप में नियोजित किया ही नहीं गया। विपक्षी के साक्षी श्री ओम प्रकाश बंसल का कथन है कि बैंक आफ राजस्थान, नई मण्डी भरतपुर शाखा में बैंक के नियमानुसार पुराने रिकार्ड को छिन्द्रांम करने तथा शेष को व्यवस्थित रूप से रखवाने के लिए माह नवम्बर 1987 में उनके केन्द्रीय कार्यालय से एक स्टाफ

इंप्यूट किया गया था, चूंकि यह कार्य नियमित कार्य से अलग था अतः इसकी सहायता के लिए प्रार्थी श्री जुगल किशोर को दैनिक वेतन पर मजदूरी तय कर पुराना रिकार्ड उतरवाने और शेष को व्यवस्थित कर से रखवाने के लिए रखा गया था जो कार्य फरवरी 1988 में समाप्त हो गया । इसके पश्चात बैंक भवन में सफेदी कराने हेतु बैंक रिकार्ड तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं हाल में रखवाने बाबत तथा पुनः व्हाईटवाश होने के बाद अपने स्थान पर रखवाने का आकस्मिक कार्य था उसे करने के लिए भी श्रमिक से दैनिक मजदूरी तय कर यह कार्य कराया गया । इसके अतिरिक्त माह अप्रैल से चूंकि कूलरों में पानी भरवाना था इस कार्य के लिए एवं स्टाफ के लिए पीने का पानी भरने के लिए दैनिक मजदूरी तय कर इस कार्य के लिए लगाया गया और दिनांक 1-11-88 के पश्चात चूंकि उपरोक्त वर्णित जैसा कोई भी आकस्मिक कार्य नहीं रहा इसलिए श्रमिक का कार्य स्वतः ही समाप्त हो गया ।

8. पक्षकारों कि साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात यह प्रकट होता है कि श्रमिक की नियुक्ति का कोई आदेश जारी नहीं किया गया । प्रार्थी श्रमिक ने यह कथन किया है कि विपक्षी सं. 1 ने उससे दिनांक 1-11-88 की सायंकाल तीन भिन्न-2 पैनों से 11 दरख्वास्तें स्वयं बोलकर लिखवाई तथा उन दरख्वास्तों में भिन्न-2 तारीखें भी लगवाई । ये दरख्वास्तें काली, नीली व लाल स्याही से लिखवाई थी और उसको यह कहा गया था कि उसे स्थाई नियुक्ति दी जा रही है किन्तु जब वह 2-11-88 को प्रतिदिन की भांति विपक्षी बैंक के यहां काम करने के लिए पहुंचा तो उसे मौखिक रूप से ड्यूटी पर नहीं आने के लिए कहा गया जिस पर उसने दूसरे दिन दिनांक 3-11-88 को एक रजिस्टर ए.डी. नोटिस विपक्षी बैंक को भिजवाया जो प्रदर्श डब्ल्यू-1 है । उसकी रसीद प्रदर्श डब्ल्यू-2 है किन्तु इस नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जबकि वह बैंक की सेवा समाप्ति से पूर्व 12 माह में 300 दिवस से अधिक सेवा पूरी कर चुका था । न तो उसे कोई एक माह का नोटिस दिया न नोटिस के एवज में एक माह का वेतन यहां तक कि छंटनी का मुआवजा भी नहीं दिया गया न ही सेवा मुक्ति का कोई कारण ही बताया । नियोजक का यह कृत्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने से अनफेयर लेबर प्रेक्टिस में आता है । विपक्षी बैंक ने उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व कोई वरिष्ठता सूची भी जारी नहीं की । प्रार्थी ने यह विवाद सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के समक्ष उठाया जहां वार्ता असफल रही सो यह विवाद इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णय हेतु भेजा गया । असफल वार्ता प्रतिवेदन प्रदर्श डब्ल्यू-3 है । प्रार्थी श्रमिक ने यह स्पष्ट कथन किया है कि जो कार्य वह करता था वो कार्य 2-11-88 को समाप्त नहीं हुआ था और वह सेवा समाप्ति से लेकर अब तक बेरोजगार बैठा है । श्रमिक जुगल किशोर ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवादित दरख्वास्ते प्रदर्श एम-1 लगायत एम-12 उसकी कलमी है किन्तु उसका यह कथन है कि ये सभी दरख्वास्तें मैनेजर के कहने से उसने लिखी थीं । उसने यह भी माना है कि प्रदर्श एम-13 से प्रदर्श एम-23 पे-आर्डर्स द्वारा उसे वेतन दिया गया था जिसकी पुश्त पर उसके हस्ताक्षर हैं । यह सही है कि प्रार्थी श्रमिक की नियुक्ति विज्ञापन द्वारा नहीं की गई और न ही उसे कोई नियुक्ति पत्र ही दिया गया किन्तु यह उल्लेखनीय है कि विवादित प्रार्थना पत्र श्रमिक से एक ही रोज अर्थात् 1-11-88 को ही मैनेजर द्वारा बोलकर लिखाया जाना श्रमिक ने बताया है और उसके दूसरे ही दिन अर्थात् 2-11-88 को जब वह बैंक में ड्यूटी पर पहुंचा तो उसे ड्यूटी पर नहीं लिया गया जिसके दूसरे दिन अर्थात् 3-11-88 को प्रार्थी श्रमिक ने एक रजिस्टर्ड नोटिस भी विपक्षी को भेजा जो प्रदर्श डब्ल्यू-2 है जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उससे उक्त दरख्वास्तें 1-11-88 को विपक्षी के मैनेजर ने उसे स्थाई नियुक्ति देने की बात कहकर लिखवाई थी जिसकी ए.डी. रसीद प्रदर्श एम-2 है । नोटिस प्रदर्श डब्ल्यू-2 की प्राप्ति के बावजूद भी उसका कोई जवाब बैंक द्वारा नहीं दिया गया यद्यपि विपक्षी ने अपने प्रत्युत्तर में इस नोटिस एवं ए.डी. रसीद के संबंध में गलत जवाबदेही की है और प्रत्युत्तर की मद सं. 10 में यह उल्लिखित किया है कि नोटिस 3-11-88 को भरतपुर ब्रान्च में प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता । जबकि तत्कालीन प्रबन्धक ओम प्रकाश बंसल ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि नोटिस प्रदर्श डब्ल्यू-2 मिला था । यह सबसे महत्वपूर्ण है कि इन प्रार्थना पत्रों प्रदर्श एम-1 से एम-12 पर जो बैंक का पृष्ठांकन किया हुआ था उसे काटकर जानबूझकर निरस्त कर दिया गया है । इस संबंध में श्री ओम प्रकाश बंसल ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, उसका कथन है कि प्रार्थना पत्र प्रदर्श एम-1 से एम-12 को उन्होंने नहीं फाड़ा । बहस के दौरान असल प्रार्थना पत्र प्रदर्श एम-1 से एम-12 को न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किये गये तो उन्हें देखने से विदित हुआ कि इन प्रार्थना पत्र पर जो पृष्ठांकन किया हुआ है उसे जानबूझकर फाड़ दिया गया जिससे बैंक द्वारा लिखा गया पृष्ठांकन दिखने में नहीं आ सका । यहां यह उल्लिखित करना भी अनावश्यक नहीं होगा कि विपक्षी बैंक ने जो फोटो प्रतियां इन प्रार्थना पत्रों की प्रस्तुत की हैं उनको देखने से ऐसा विदित नहीं होता कि इन प्रार्थना पत्रों को फाड़ा गया हो । इन फाड़े हुए प्रार्थना पत्रों पर कोई पे-आर्डर भी दर्ज नहीं है जो पे-आर्डर लगे हुए थे उन्हें फाड़ दिया गया है । केवल प्रदर्श एम-2 में 400 रुपए का भुगतान करने का पृष्ठांकन नजर आता है । प्रदर्श एम-1 लगायत एम-12 बैंक के अधिपत्य में थे इसलिए उन्हें जानबूझकर फाड़कर कूटरचित किया गया जाना प्रतीत होता है इसके लिए श्रमिक को दोषी नहीं माना जा सकता और श्रमिक ने जो कथन किया है कि ये प्रार्थना पत्र उससे 1-11-88 को एक ही दिन बैंक मैनेजर ने झूठा आश्वासन देकर लिखवाये किन्तु दूसरे ही दिन वह ड्यूटी पर पहुंचा तो उसे काम पर नहीं लिया गया तब उसने तत्काल 3-11-88 को विपक्षी बैंक को नोटिस प्रदर्श डब्ल्यू-2 दिया जो बैंक को प्राप्त हुआ भी किन्तु बैंक ने उसका कोई जवाब नहीं दिया । बैंक जैसे उत्तरदायी संस्थान को ऐसी कार्यवाही करना शोभा नहीं देता और यह प्रकट होता है कि बैंक ने जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की वजह से ही यह कूटरचना की है ।

9. जहां तक प्रार्थी श्रमिक के पद का प्रश्न है इस संबंध में प्रदर्श-1 में यह उल्लेख अवश्य आया है कि वह 12-11-81 से चपरासी के पद पर कार्य कर रहा है । रेफरेंस में टैम्परेरी सब-स्टाफ उल्लिखित किये जाने मात्र से यह निर्देश निरस्तनीय नहीं हो जाता है । श्रमिक के कथन से यह भलीभांति प्रमाणित होता है कि उसने एक कलेण्डर वर्ष में बैंक में 240 दिवस से अधिक सेवा पूरी कर ली थी और उसे सेवा मुक्ति से पहले एक माह का नोटिस या नोटिस के तथा छंटनी का मुआवजा आदि नहीं दिया गया अर्थात् धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना प्रमाणित है । प्रदर्श एम-1 से एम-12 अभिलेखों से क्रमशः यह प्रमाणित है कि श्रमिक ने 15-11-87 से 15/- रु. रोज के हिसाब से 19 दिवस, 4-12-87 से 26-12-87 तक 23 दिवस, 27-12-87 से 30-1-88 तक 27 दिवस, 1-2-88 से 2-3-88 तक, 3-3-88 से 4-4-88 तक, 5-4-88 से 4-5-88 तक, 5-5-88 से 3-6-88 तक, 4-6-88 से 2-7-88 तक, 3-7-88 से 2-8-88 तक 25 दिन, 3-8-88 से 6-9-88 तक 27 दिन, फिर 27 दिवस तथा अक्टूबर, 1988 में 25 दिवस और नवम्बर, 1988 में 1 दिन कुल 16 दिवस कार्य विपक्षी संस्थान में लगातार किया है और इस कार्य को आकस्मिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि प्रार्थी श्रमिक को किस विशेष कार्य के लिए एवं किस या कितनी विशेष अवधि के लिए नियोजित किया गया था । प्रार्थी की सेवाएं समाप्त करते समय विपक्षी बैंक ने कोई वरिष्ठता सूची भी जारी नहीं की । अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि प्रार्थी श्रमिक को सेवा मुक्त करते समय धारा 25-एफ एवं जी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है अतः श्रमिक की सेवा मुक्ति अनुचित एवं अवैध है । मैं अपने इस निष्कर्ष के संबंध में न्याय दृष्टान्त 1991 II एल.एल.एन. पेज 218 (राजस्थान उच्च न्यायालय) टी.ए. बैनी राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., 1991 (1) डब्ल्यू.एल.सी. (राजस्थान) पूरणचन्द सैन बनाम जनरल मैनेजर यू.को.बैंक, एस.सी.एल.जे., 1984-90 पेज 662, के.के. दुबे बनाम यू.पी. फूड एंड ऐसेन्शियल कॉमोडिटीज कार्पोरेशन बनाम अन्य तथा एस सी.एल.जे.

1984-90 एस. 663 नरोत्तम चोपड़ा बनाम पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय पर भरोसा करता है ।

10. प्रबन्धन के विद्वान प्रतिनिधि की यह दलील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि श्रमिक की नियुक्ति बैंक के नियमानुसार नहीं होने के कारण वह धारा 25-एफ के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । न्याय दृष्टान्त आर.एल.आर. 1989 (1) पेज 621 बाबूलाल शर्मा बनाम अजमेर विश्वविद्यालय व अन्य में विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि रविवार तथा अन्य अवकाश 240 दिवस गिनते समय जोड़े जायेंगे धारा 25-एफ के प्रावधानों का लाभ नहीं मिलने का इस न्याय दृष्टान्त में उल्लेख नहीं है ।

11. सुयोग्य प्रतिनिधि प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टान्त हस्तगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते । सी.एल.आर. 1986 (वाल्यूम 12) पेज 285 राजस्थान राज्य बनाम जोधपुर रीजन) पी.उब्ल्यू डी. (बी.एंड आर.) के तथ्य भी हस्तगत मामले के तथ्यों से भिन्न हैं क्योंकि इस मामले में श्रमिकों को अकाल की अवधि के लिए एक निश्चित अवधि हेतु रखा गया था इस कारण श्रमिकों को 25-एफ के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया । न्याय दृष्टान्त एस.एल.एन 1981 पेज 561 (सुप्रा) के तथ्य भी हस्तगत मामले के तथ्यों से भिन्न है । इस मामले में छंटनी को सद्भाविक मानते हुए मुआवजा दिलाया गया था जबकि हस्तगत मामले में विपक्षी का कृत्य सद्भाविक नहीं कहा जा सकता । हस्तगत मामले में श्रमिक को कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और न ही उसको नियुक्ति किसी अवधि विशेष के लिए ही की गई थी बल्कि उसमें सभी दरख्वास्तें एक ही दिवस में बैंक के व्यवस्थापक ने यह कहकर धोखे से लिखवाई थी कि उसे नियमित नियुक्ति दी जा रही है किन्तु दूसरे दिन ही उसे सेवा में नहीं रखने दिया और प्रार्थी ने तत्काल ही इस विषय की नोटिस दिया जिसका भी बैंक ने कोई उत्तर नहीं दिया । अतः प्रार्थी श्रमिक की सेवा मुक्ति अवैध व अनुचित है । अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त डी.थी. सिविल अपील अरुण माथुर व अन्य बनाम राजस्थान न्याय निर्णय दिनांक 19 मार्च 1986 के तथ्य भी हस्तगत मामले के तथ्यों से बिल्कुल अलग हैं । इस मामले में कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा आर.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित की जाती थी और उसमें सफलता के बाद ही नियमित नियुक्ति दी जा सकती थी । जबकि हस्तगत मामले में प्रार्थी श्रमिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत था अतः आर.पी एस.सी. इत्यादि द्वारा आयोजित परीक्षा आदि देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

12. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्वेश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

> "बैंक आफ राजस्थान के प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रार्थी श्रमिक श्री जुगल किशोर शर्मा की दिनांक 2-11-88 से की गई सेवा मुक्ति धारा 25-एफ व जी के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अनुचित एवं अवैध है जो मौखिक आदेश अपास्त किया जाता है । प्रार्थी को उसके पद पर नियोजित घोषित किया जाता है और उसे उसके पद का समस्त वेतन व अन्य लाभ मय सेवा की निरन्तरता के दिलाये जाते हैं । अगर नियोजक उक्त राशि अंदर तीन माह अदा नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा । 100/- रुपये खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है ।"

13. अवार्ड की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजी जावे ।

शंकरलाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2515.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12012/12/88-डी-II(बी)/डी.-III(ए)]
एस.एस.के. राव, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th October, 1993

S..O. 2515.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Marudhar Kshetriya Grammin Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 22-10-93.

[No. L-12012/12/88-D. II(B)/D III(A)]

S. S. K. RAO, Desk Officer

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 18/1989

रैफरेन्स : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल. 12012/12/88डी-1बीII/डी-3(ए) दिनांक 18 जनवरी, 1989

महामंत्री, ग्रामीण बैंक एम्प्लाइज यूनियन, जयपुर ।

—प्रार्थी

बनाम

अध्यक्ष, मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चूरू ।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर एच. जे एम.

प्रार्थी की ओर से : श्री आर. सी. जैन

अप्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं (एकतरफा)

दिनांक अवार्ड : 16-9-1993

अवार्ड

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जिसे तत्पश्चात अधिनियम संबोधित किया है की धारा 10(1)(घ) के अंतर्गत प्रेषित किया है :

> "Whether the action of the management of Marudhar Gramin Bank, Churu is justified in not allowing Shri Bajrang Lal Jat to continue the services from 11-4-1986 when he has completed more than 5 years of service from 31-12-1981 to 10-4-1986 without paying him notice or notice pay and retrenchment compensation ? If not, to what relief, is the workman entitled ?"

2. प्रार्थी संघ ने स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत कर प्रकट किया कि श्री बजरंग लाल जिसे तत्पश्चात श्रमिक संबोधित किया है की प्रथम नियुक्ति विपक्षी बैंक की सुजानगढ़ शाखा में (जिला चुरू) दिनांक 31-12-81 को मैसेन्जर-कम-फर्राश के पद पर दैनिक वेतन पर हुई थी। दिनांक 21-1-86 को श्रमिक को मौखिक आदेशों द्वारा सीमांसर शाखा में स्थानान्तरित कर दिया जहां उसने 10-4-86 तक कार्य किया । इस प्रकार

श्रमिक ने विपक्षी संस्थान में दिनांक 31-12-81 से 10-4-86 तक लगातार कार्य किया । प्रार्थी संघ कहता है कि श्रमिक का कार्य पूर्णतः सन्तोषप्रद था फिर भी दिनांक 10-4-86 को अकारण ही अप्रार्थी ने सेवा मुक्त कर दिया जिसके कोई लिखित आदेश जारी नहीं किये । श्रमिक को सेवा मुक्त करने से पहले न तो एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन, एवं छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया । इस प्रकार धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की है। प्रार्थी संघ कहता है कि श्रमिक से जूनियर कर्मचारी अभी भी विपक्षी संस्थान में कार्य कर रहे हैं तथा नये श्रमिक को भी भर्ती किया गया है। इस प्रकार धारा 25-एच 37 एवं जी अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है। यह भी जाहिर किया कि समान काम समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर श्रमिक मैसेन्जर/फर्राश की वेतन श्रृंखला पाने का अधिकारी है जबकि उसे केवल दैनिक वेतन का ही भुगतान किया गया है जो एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। अतः प्रार्थना की कि अप्रार्थी द्वारा की गई श्रमिक की सेवा मुक्ति दिनांक 10-4-86 को अवैध एवं अनुचित घोषित किया जाएं और श्रमिक को सेवा में लगातार मानते हुए उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभों सहित सेवा में बहाल किया जाये।

3. अप्रार्थी ने क्लेम का जवाब दिनांक 14-11-90 को प्रस्तुत कर जाहिर किया कि अप्रार्थी बैंक भारत सरकार का उपक्रम है अतः सभी प्रकार की नियुक्तियां एवं समस्त कार्य भारत सरकार के निर्देशानुसार ही किया जाता है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 26-11-75 द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में चपरासी, मैसेन्जर आदि की नियुक्ति नहीं करने के आदेश दिये थे तथा पत्र दिनांक 27-9-80 द्वारा दैनिक व अंशकालीन मजदूरी पर मजदूर रखने की अनुमति दी थी। अतः श्रमिक बजरंग लाल को सुजानगढ़ शाखा में 11-12-81 से अंशकालीन दैनिक वेतन भोगी श्रमिक की हैसियत से रखा गया था तथा 21-1-86 तक उसने वहां कार्य किया। उसके बाद वहां से कार्य छोड़ देने के बाद अप्रार्थी बैंक की सांडासर शाखा में 25-1-86 से 10-4-86 तक अंशकालीन दैनिक वेतन भोगी मजदूर के रूप में कार्य किया। श्रमिक से केवल 4 घंटे ही कार्य लिया जाता था तथा कार्य के घंटों के हिसाब से उसे भुगतान किया जाता था। अप्रार्थी कहता है श्रमिक ने कभी भी एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन लगातार कार्य नहीं किया। अप्रार्थी के बैंक से ऋण लेकर श्रमिक ने अपना लोहे का व्यवसाय चालू किया इसलिए बैंक की सेवा स्वतः ही छोड़ दी, अप्रार्थी ने उसे सेवा मुक्त कभी नहीं किया अप्रार्थी कहता है कि प्रार्थी को 17 अगस्त 1985 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और स्क्रीनिंग में वह योग्य नहीं पाया गया फिर भी उसे सेवा करने का मौका दिया गया और उसे सांडासर शाखा में अंशकालीन दैनिक मजदूरी पर रखा जहां से वह अपना निजी व्यवसाय शुरू करने के कारण स्वयं ही कार्य छोड़कर चला गया। अतः धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता चूंकि । श्रमिक स्वेच्छा से बैंक की सेवा छोड़कर चला गया था और अंशकालीन दैनिक वेतन पर नियुक्त था अतः नियमित वेतन अथवा भत्ते आदि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतिरिक्त आपत्तियों में अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी संघ ने बैंक की सांडासर शाखा को पार्टी नहीं बनाया तथा उक्त प्रार्थी संघ मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है। बैंक के अलग से नियम बने हुए हैं और श्रमिक के सेवा सम्बन्धी बाद उपरोक्त वर्णित सेवा नियम के अंतर्गत नहीं है अतः क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

4 यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रार्थी संघ द्वारा क्लेम पेश करने के बाद अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर नहीं आया और उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 24-2-90 को पारित किये गये जिसे अपास्त करने हेतु अप्रार्थी के प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र दिनांक 30-3-90 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एकतरफा कार्यवाही के आदेश को निरस्त किया जावे। प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्ष की सुनवाई के पश्चात दिनांक 12-10-90 को 35 रुपये खर्चे पर अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए एकतरफा कार्यवाही के आदेश को निरस्त किया जाकर अप्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने का मौका दिया गया और अप्रार्थी की ओर से दिनांक 14-11-90 को उपरोक्त जवाब प्रस्तुत किया गया । उसके बाद 31-7-93 को प्रार्थी यूनियन की ओर से श्री बजरंग लाल जाट का शपथ पत्र पेश किया गया जिसे तसदीक किया गया । विपक्षी की ओर से उस दिन कोई उपस्थित नहीं आया अतः उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश हुए। तत्पश्चात मैं प्रार्थी के प्रतिनिधि की एकतरफा बहस सुनी और पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री व विधि के सुसंगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया।

5 श्रमिक बजरंग लाल जाट ने अपने शपथ पत्र द्वारा उसके द्वारा प्रस्तुत क्लेम के कथनों की ताईद करते हुए कहा है कि उसकी नियुक्ति विपक्षी बैंक में 31-12-81 को मैसेन्जर-कम-फर्राश के रूप में दैनिक वेतन पर हुई थी। उसने 21-1-86 तक विपक्षी बैंक की सुजानगढ़ शाखा में कार्य किया उसके बाद उसे सांडासर शाखा में स्थानान्तरित कर दिया गया जहां उसने 10-4-86 तक अर्थात कुल मिलाकर विपक्षी संस्थान में 31-12-81 से 10-4-86 तक कार्य किया । उसके बाद दिनांक 10-4-86 को उसे मौखिक आदेशों से सेवामुक्त कर दिया गया और सेवा मुक्ति से पूर्व एक माह का नोटिस, नोटिस वेतन एवं छंटनी मुआवजा आदि का भुगतान नहीं किया गया । श्रमिक ने शपथ कहा है कि वह प्रतिदिन 9.30 बजे प्रातः से 5.30 बजे सायं तक बैंक में कार्य करता था। श्रमिक कहता है विपक्षी का यह कथन पूर्णतया असत्य है कि उसने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दी थी। उसे सेवामुक्त 10-4-86 को किया गया जबकि उसने लोन का आवेदन पत्र 10-10-86 को दिया। विपक्षी ने उसे 15-10-86 को स्वीकार किया जिससे उसने लघु व्यवसाय शुरू किया जो एक दो महीने बाद ही घाटा हो जाने कारण उसे बन्द करना पड़ा। इस प्रकार प्रार्थी ने अपनी एकपक्षीय साक्ष्य द्वारा अपने क्लेम के कथनों को प्रमाणित किया है।

6 उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह तो प्रमाणित है कि श्रमिक बजरंग लाल ने अप्रार्थी बैंक के अधीन 3-12-81 से 10-4-86 तक लगातार कार्य किया है। अर्थात एक कलैण्डर वर्ष में निश्चित रूप से 240 दिवस से अधिक कार्य किया जाना प्रमाणित है। अतः सेवा मुक्ति से पूर्व धारा 25एफ अधिनियम की पालना किया जाना अनिवार्य था किन्तु विपक्षी ने स्वयं ने यह माना है कि श्रमिक को कोई नोटिस अथवा नोटिस पे व छटनी का मुआवजा सेवा मुक्ति से पूर्व नहीं दिया गया क्योंकि वह स्वेच्छा से सेवा छोड़ गया था जबकि इस तथ्य को विपक्षी ने किसी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं किया है। श्रमिक की साक्ष्य के रिबटल के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि श्रमिक स्वेच्छा से नौकरी छोड़कर चला गया था। विपक्षी बैंक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श एम-11 से भी यही साबित होता है कि श्रमिक ने ऋण का प्रार्थना पत्र सेवा मुक्ति के बाद अर्थात 10-10-86 को प्रस्तुत किया क्योंकि यह बेरोजगार हो गया था और कुछ व्यवसाय करना चाहता था। अतः मेरी राय में धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधानों की पालना किए बिना श्रमिक बजरंग लाल की सेवा मुक्त किया जाना स्वतः ही अनुचित एवं अवैध हो जाता है जिसे अपास्त किया जाता है और तथ्यों एवं विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

"मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरू के प्रबन्धतंत्र द्वारा श्रमिक बजरंग लाल को दिनांक 31-12-81 से 10-4-86 तक सेवा करने के पश्चात बिना नोटिस एवं नोटिस पे तथा छटनी मुआवजा दिये नौकरी की सेवा से नहीं लिया जाना अनुचित एवं अवैध है। श्रमिक बजरंग लाल को उसके पद पर नियोजित घोषित किया जाता है तथा उसे उसके पद का समस्त वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाए जाते हैं जो नियोजक अंदर तीन माह अदा नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। 100/- रुपये खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है।"

7 अवार्ड की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम भेजी जाय ।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2516.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-10-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/66/89/आई आर बी-I]
एस.एस.के. राव, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th October, 1993

S.O. 2516.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhilwara Ajmer Kshetriya Gramin Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 22-10-93.

[No. L-12012/66/89 IR B-1]
S. S. K. RAO, Desk Officer

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 26/1990

रैफरेंस: भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-12012/66/89 (डी.आर.) बी.आई. दिनांक 18-4-90

महामंत्री, ग्रामीण बैंक एम्पलाईज यूनियन, आचार्यों की हवेली, किशनपोल बाजार, जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

अध्यक्ष, भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री आर.सी. जैन
अप्रार्थी की ओर से : श्री अशोक मेहता
दिनांक अवार्ड : 19-7-1993

अवार्ड

भारत सरकार श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश के द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम संबोधित किया है, की धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

"Whether the action of the management Bhilwara Ajmer Khsetriya Gramin Bank Bhilwara in terminating the services of Shri Shiv Raj Sharma, Temporary messanger in their Nagelav Branch w.e.f. 22-11-1988 is just and legal? If not to what relief the workman concerned is entitled?"

2. महामंत्री, ग्रामीण बैंक एम्पलाईज यूनियन, जयपुर, जिसे तत्पश्चात प्रार्थी संघ संबोधित किया है, ने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम प्रस्तुत कर जाहिर किया कि इस विवाद से संबंधित श्रमिक श्री शिवराज शर्मा की प्रथम नियुक्ति विपक्षी संस्थान में दिनांक 27-5-85 को मैसेंजर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में दैनिक वेतन पर हुई थी। तब से श्रमिक निरन्तर विपक्षी संस्थान में कार्य करता रहा और उसका कार्य पूर्णरूपेण संतोषप्रद था। किन्तु दिनांक 21-11-88 को अप्रार्थी ने श्रमिक को अकारण ही सेवामुक्त कर दिया जिसका कोई आदेश भी जारी नहीं किया गया। प्रार्थी संघ कहता है कि श्रमिक को सेवामुक्त किए जाने के पूर्व न तो कोई नोटिस दिया न ही नोटिस के एवज में एक माह का वेतन और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया। इस प्रकार धारा 25-एफ अधिनियम की अवहेलना की गई है। श्रमिक से कनिष्ठ अनेकों श्रमिक अभी तक विपक्षी संस्थान में कार्यरत हैं तथा नये श्रमिकों को भी भर्ती की गई हैं। इस प्रकार धारा 25-जी व 25-एच के प्रावधानों का भी विपक्षी संस्थान द्वारा उल्लंघन किया गया है एवं राजस्थान औद्योगिक विवाद नियमावली के नियम 77 व 78 का भी पालन नहीं किया। प्रार्थी संघ आगे कहता है कि श्रमिक को अनुचित एवं अवैध तरीके से सेवा मुक्त किया गया है तथा श्रमिक समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धान्त के अनुसार उसकी नियुक्ति तिथि से ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/मैसेंजर को नियमित वेतन श्रृंखला व भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी था किन्तु उसे दैनिक वेतन का भुगतान किया गया जो अनफेयर लेबर प्रेक्टिस है। अतः प्रार्थी संघ की प्रार्थना है कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 22-11-88 को की गई श्रमिक की सेवा मुक्ति को अनुचित एवं अवैध घोषित किया जाकर उसे निरन्तर सेवा में मानते हुए पुनः नौकरी पर बहाल किया जाये तथा पिछला समस्त वेतन एवं अन्य लाभ मुकदमे के खर्चे सहित दिलाया जाये।

3. अप्रार्थी ने क्लेम का जवाब दिनांक 5-9-91 को प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थी को दिनांक 27-5-85 से पार्ट टाईम मैसेंजर के पद पर दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था। तब से प्रार्थी श्रमिक 20-11-88 तक विपक्षी संस्थान में कार्यरत रहा व प्रत्येक सप्ताह में कुल 24 घंटे कार्य करता था। विपक्षी कहता है कि श्रमिक ने इसी दौरान अपना व्यवसाय अर्थात् किराने की दुकान शुरू कर दी इसलिए वह बैंक का कार्य करने का इच्छुक नहीं था, अतः उसके स्वयं के निवेदन पर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी तथा श्रमिक को अपनी दुकान चलाने हेतु बैंक से ऋण भी दिया गया इस प्रकार अकारण उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं। चूंकि श्रमिक स्वयं बैंक की सेवा करने में असमर्थ हो गया अतः उसे नोटिस आदि देने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार धारा 25-एफ जी व एच के प्रावधानों की अवहेलना का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि श्रमिक अन्य लाभ के व्यवसाय में संलग्न होने व स्वतः के कारण सेवा त्यागना चाहता था। चूंकि प्रार्थी श्रमिक ने स्वयं ही स्वेच्छा से बैंक की सेवा छोड़नी चाही थी अतः उसकी सेवा मुक्ति अवैध एवं अनुचित नहीं कही जा सकती। प्रार्थी संघ अथवा श्रमिक किसी राहत का अधिकारी नहीं है।

4. क्लेम के समर्थन में प्रार्थी श्रमिक शिवराज शर्मा ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर तस्दीक कराया है कि जिससे अप्रार्थी के प्रतिनिधि ने जिरह की है। प्रलेखिक साक्ष्य में प्रदर्श डब्ल्यू-1 लगायत डब्ल्यू-4 प्रस्तुत किये हैं। मैंने पक्षकारों के विद्वान प्रतिनिधियों की बहस सुनी है तथा पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री व विधि के सुसंगत प्रावधानों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया।

5. इस प्रकरण में यह तो एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी की नियुक्ति विपक्षी संस्थान में पार्ट टाईम मैसेंजर के पद पर दिनांक 27-5-85 को दैनिक वेतन पर की गई थी जिसे विपक्षी संस्थान ने स्वयं भी माना है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी श्रमिक दिनांक 20-11-88 तक विपक्षी संस्थान में कार्यरत रहा। अर्थात् एक कलेण्डर वर्ष में प्रार्थी ने 240 दिवस से ज्यादा कार्य किया था यह भी प्रमाणित है। प्रार्थी श्रमिक का कथन है कि दिनांक 22-11-88 को उसे अकारण ही प्रदर्श डब्ल्यू-2 द्वारा कार्य से हटा दिया गया और सेवा मुक्त करने से पहले न तो एक माह का नोटिस दिया न ही नोटिस के एवज में एक माह के वेतन का भुगतान किया

यहां तक कि छंटनी का मुआवजा भी उसे नहीं दिया गया। इस प्रकार धारा 25-एफ के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। जबकि विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि का कथन है कि प्रार्थी श्रमिक ने अपना व्यवसाय अर्थात् किराने की दुकान शुरू कर दी तथा वह बैंक का कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं था इस कारण दिनांक 21-11-88 को उसके स्वयं के निवेदन पर ही उसे बैंक की सेवा से पृथक किया गया। विपक्षी चाहता है कि दुकान चलाने के लिए प्रार्थी श्रमिक को बैंक द्वारा ऋण भी दिया गया था जिससे उसने अपना व्यवसाय शुरू किया इस प्रकार प्रार्थी ने स्वेच्छा से नौकरी छोड़नी चाही थी अतः नोटिस आदि देने की आवश्यकता नहीं थी। अप्रार्थी की यह बात तो सही है कि प्रार्थी श्रमिक ने बैंक से ऋण लिया था जो दुकान चलाने हेतु लिया गया था किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध ऋण आवेदन पत्र से यह स्पष्ट है कि यह ऋण बैंक द्वारा वर्ष 1986 में प्रार्थी श्रमिक को दिया गया था और उसके दो वर्ष बाद तक प्रार्थी श्रमिक ने बैंक में काम किया है। प्रार्थी श्रमिक ने भी अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया कि वह किराने की दुकान सुबह शाम करता था किन्तु उसने कभी बैंक की सेवा छोड़ने हेतु त्याग पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी बैंक द्वारा जवाब में तो यह जाहिर किया गया है कि प्रार्थी श्रमिक ने स्वयं लिखकर दिया कि वह बैंक की नौकरी अब नहीं करना चाहता किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रार्थी श्रमिक स्वेच्छा से नौकरी छोड़ना चाहता था। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि प्रार्थी श्रमिक को विपक्षी बैंक द्वारा सेवा से पृथक किया गया है और सेवा मुक्ति से पूर्व ना तो कोई एक माह का नोटिस दिया ना हो उसके एवज में एक माह का वेतन तथा ना ही छंटनी का मुआवजा दिया गया अर्थात् धारा 25-एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। श्रमिक की साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि उसे सेवा मुक्त करने से पूर्व कोई वरिष्ठता सूची प्रबन्धन द्वारा जारी नहीं की गई और इस प्रकार धारा 25-जी की अवहेलना की गई है।

6 यद्यपि जिरह में प्रार्थी श्रमिक यह स्वीकार करता है कि वह तभी से बेरोजगार बैठा है किन्तु उसके घर का खर्च 1000-1200 रुपये का है जो खेती से चलता है तथा 12 रुपये रोज सेठजी की दुकान पर काम करने का मिल जाता है अर्थात् वह किसी न किसी तरह गेनफुल एम्पलायमेंट में रहा है। यद्यपि प्रार्थी श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि उससे कनिष्ठ व्यक्ति संदेशवाहक के पद पर उसकी सेवामुक्ति के समय कार्यरत थे और बाद में भी नये व्यक्तियों को नियुक्त किया गया किन्तु उसे सूचना नहीं भेजी अतः धारा 25एच का भी उल्लंघन किया है किन्तु अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि नये व्यक्तियों की नियुक्ति विपक्षी बैंक द्वारा की गई हो और प्रार्थी श्रमिक को सूचना नहीं भेजी।

7. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

> "भीलवाड़ा आजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा के प्रबंधतंत्र द्वारा उनके श्रमिक श्री शिवराज शर्मा की सेवाएं दिनांक 22-11-88 से समाप्त किया जाना उचित एवं वैध नहीं है। प्रार्थी श्रमिक को उसके पद पर नियोजित घोषित किया जाता है और उसे उसके पद का पिछला आधा वेतन (50 प्रतिशत) मय सेवा की निरन्तरता एवं अन्य सभी देय लाभों सहित दिलाया जाता है जो नियोजक उसे तीन माह के अन्दर अदा नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी अदा करना पड़ेगा।"

8. उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम नियमानुसार भेजा जावे।

शंकर लाल जैन, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर 1993

का. आ. 2517.—यतः मैसर्स डनकन ऐग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 31 नेता जी सुभाष रोड, कलकत्ता और शाखाएं बम्बई, नई दिल्ली, मद्रास और गुवाहाटी (इसके आगे जहां कहीं भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो इससे अभिप्राय उक्त स्थापना से है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) इसके आगे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट की धारा 17 की उप धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किया है।

यह केन्द्रीय सरकार की राय में उक्त स्थापना के कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए भविष्य निधि नियमों में अंशदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित कर्मचारी अंशदान की दर से कम नहीं है तथा इसके कर्मचारियों को मिलने वाले भविष्य निधि लाभ उक्त अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 (इसके आगे जहां कहीं भी स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है उससे अभिप्राय उक्त स्कीम से है) में उल्लिखित लाभों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है जो इस वर्ग की स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध है।

अब इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा एक (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनुसूची में वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापना को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के लागू होने से छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना से संबंधित नियोक्ता केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेश के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) में उल्लिखित निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभारी अदायगी प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा।

2. अन्छूट प्राप्त स्थापनाओं के संबंध में उक्त अधिनियम और उसके अधीन सृजित उक्त स्कीम के अंतर्गत देय अंशदान की दर से स्थापना के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत देय अंशदान की दर किसी समय भी कम न होगी।

3. पेशगियों के मामले में छूट प्राप्त स्थापना की स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 से कम हितकर नहीं होगी।

4. उक्त स्कीम में कोई भी संशोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमों से अधिक लाभकारी है उन पर अपने आप लागू किया जाएगा। उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित में प्रतिकूल प्रभावी होने की सम्भावना है वह अपनी अनुमति देने से पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा।

5. यदि स्थापना को छूट न दी जाती तो वे सभी कर्मचारी (जैसे उक्त अधिनियम की धारा 2(च) में निर्दिष्ट किया गया है) जो सदस्य बनने के पात्र होते, सदस्य बनाए जाएंगे।

6. जहां एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी) या किसी अन्य छूट प्राप्त स्थापना का पहले से सदस्य है, को अपनी स्थापना में काम पर लगाया जाता है तो नियुक्ता उसे निधि का तुरन्त सदस्य बनाएगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले नियोक्ता के पास भविष्य निधि लेखे में संचयों को अंतरित कराने और उसके लेखे में जमा कराने की व्यवस्था करेगा।

7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के द्वारा जैसे भी मामला हो, समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबन्ध के लिए नियोक्ता न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा।

8. भविष्य निधि, न्यासी बोर्ड में निहित होगा जो अन्य बातों के होते हुए भविष्य निधि में आय के उचित लेखों और भविष्य निधि से अदायगियों और उनकी अभिरक्षा में शेयी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से उत्तरदायी होगा।

9. न्यासी बोर्ड कम से कम 3 माह में एक बार बैठक करेंगे और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक से खातों की दुबारा लेखा परीक्षा कराए और ऐसे पुनः लेखा परीक्षा के खर्च नियोक्ता वहन करेगा।

10. न्यासी बोर्ड द्वारा रखे गए भविष्य निधि लेखे अर्हता प्राप्त निष्पक्ष चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन होंगे। जहां आवश्यक समझा जाए, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किसी अन्य अर्हता प्राप्त लेखा परीक्षा द्वारा लेखों को पुनः लेखा परीक्षा कराने का अधिकार होगा और इस पर हुआ व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जायगा।

11. प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के साथ लेखा परीक्षित वार्षिक भविष्य निधि लेखों की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

12. नियोक्ता प्रतिमाह भविष्य निधि के देय अपने कर्मचारियों के अंशदानों को आगामी माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अन्तरित कर देगा। अंशदानों की विलम्ब से अदायगी करने के लिए समान परिस्थितियों में नियोक्ता नुकसानी देने का उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार एक न छूट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती है।

13. न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार निधि में जमा राशियों का निवेश करेगा। प्रतिभूतियां न्यासी बोर्ड के नाम पर प्राप्त की जाएंगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा नियन्त्रण में अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

14. सरकार के निदेशों के अनुसार निवेश न करने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग रुप से और एक साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए अधिक प्रभार का उत्तरदायी होगा।

15. न्यासी बोर्ड एक वस्तु ब्यौरा रजिस्टर तैयार करेगा और ब्याज और विमोचन आय की समय पर वसूली सुनिश्चित करेगा।

16. जमा किए गए अंशदानों, निकाले गए और प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित ब्याज को दिखाने के लिए न्यासी बोर्ड विस्तृत लेखे तैयार करेगा।

17. वित्तीय/लेखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा।

18. बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर पासबुक जारी कर सकता है। ये पास बुकें कर्मचारियों की अभिरक्षा में रहेंगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतीकरण पर बोर्ड के द्वारा इन्हें अद्यतन किया जाएगा।

19. लेखा वर्ष के पहले दिन आदि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के लेखे में ब्याज उस दर से जमा किया जाएगा जिसका न्यासी बोर्ड निर्णय करे परन्तु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा।

20. यदि न्यासी बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ब्याज की दर इस कारण से हैं कि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से अदा करने में असमर्थ है तो इस कमी को नियोक्ता पूरा करेगा।

21. नियोक्ता भविष्य निधि की चोरी के कारण, लूट खसोट, दुर्विनियोजन, गबन अथवा किसी अन्य कारण से हुई हानि को पूरा करेगा।

22. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित करे।

23. उक्त स्कीम के पैरा 69 की शर्तों पर किसी कर्मचारी को निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापना के भविष्य निधि नियमों में नियोक्ताओं के अंशदानों को जब्त करने की व्यवस्था है तो न्यासी बोर्ड इस प्रकार जब्त की गई राशियों का अलग से लेखा तैयार करेगा और उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति से सुनिश्चित किया गया हो।

24. स्थापना के भविष्य निधि नियमों में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति को सेवा निवृत्ति होने के फलस्वरूप या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नौकरी करने पर निधि की सदस्यता समाप्त हो जाती है या पता लगता है कि प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अंशदान की दर समपहरण की दर आदि सांविधिक योजना के अन्तर्गत दी गई दरों की तुलना में कम अनुकूल है तो अन्तर का वहन नियोक्ता द्वारा किया जायेगा।

25. नियोक्ता, भविष्य निधि के प्रशासन से संबंधित सभी खर्च जिसमें लेखों के रखरखाव, रिटर्न प्रस्तुत किए जाने, राशियों का अन्तरण शामिल है, वहन करेगा।

26. नियोक्ता समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति तथा जब भी कोई संशोधन होता है, उसकी मुख्य बातों को कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में अनुवाद करके स्थापना के बोर्ड पर लगाएगा।

27. "समुचित सरकार" स्थापना की चालू छूट पर और शर्तें लगा सकती है।

28. यदि उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापना वर्ग जिसमें उसकी स्थापना आती है, पर अंशदान की दर बढ़ायी जाती है, नियोक्ता भविष्य निधि अंशदान की दर उचित रूप में बढ़ाएगा ताकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों से स्थापना की स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले भविष्य निधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हों।

29. उक्त शर्तों में से किसी एक के उल्लंघन पर छूट रद्द की जा सकती है।

[सं. एस-35015/12/93-एस एस-II]
जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 28th October, 1993

S.O. 2517.—Whereas Messers Duncan Agro Industries Ltd., 31, Netaji Subhas Road, Calcutta-700001, and its branches, at Bombay, New Delhi, Madras and Guhati (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas in the opinion of the Central Government the rules of the provided fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the

said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment for from the operation of all the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

2. The rate of contribution payable under the provident fund rules of the establishment shall at no time be lower than those payable under the said Act in respect of the un-exempted establishments and the said Scheme framed thereunder.

3. In the matter of advances, the Scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees Provident Fund Scheme, 1952.

4. Any amendment to the said Scheme which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically. The employer shall not however make any other amendment in its P.F. rules without the approval of Regional Provident Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their points of view.

5. All employees as defined in section 2 (f) of the said Act who would have been eligible to become members of the Provident Fund had the establishment not been granted exemption shall be enrolled as members.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory) or a Provident Fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the fund and arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transferred and credited to his account.

7. The employer shall establish a Board of Trustees for the management of the provident fund according to such directions as may be given by the Central Provident Fund Commissioner or by the Central Government, as the case may be, from time to time.

8. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees Provident Fund Organisation inter-alia for proper accounts of the receipts into and payments from the Provident Fund and the balances in their custody.

9. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government|Central Provident Fund Commissioner or any officer authorised by him.

10. The accounts of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent Chartered Accountant annually. Where considered necessary, the Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the accounts reaudited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

11. A copy of the audited annual provident fund accounts together with the audited balance sheet of the establishment for each accounting year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner within six months after the close of the financial year. For this purpose the financial year of the provident fund shall be from the 1st of April to the 31st of March.

12. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself and the employees by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay damages to the Board of Trustees for any delay in payment of the contributions in the same manner as an un-exempted establishment is liable under similar circumstances.

13. The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per directions that may be given by the Government from time to time. The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees and shall be kept in the custody of a Scheduled Bank under the Credit Control of the Reserve Bank of Indai.

14. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees severally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.

15. The Board of Trustees shall maintain a script-wise register and ensure timely realisation of interest.

16. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee.

17. The Board shall issue an annual statement of accounts to every employee within six months of the close of financial|accounting year.

18. The Board may, instead of the annual statement of accounts, issue pass ooks to every employee. Those pass books shall remain in the custody of the employees and will be brought uptodate by the Board on presentation by the employees.

19. The accounts of each employee shall be credited with interest calculated on the opening balance as on the 1st day of the accounting year at such rate as may be decided by the Board of Trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme.

20. If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason then the deficiency shall be made good by the employer.

21. The employer shall also make good any other loss that may be cause to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, mis-appropriation or any other reason.

22. The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government|Central Provident Fund Commissioner may prescribed for time to time.

23. If the Provident Fund rules of the establishment provide for forfeiture of the employees' contributions in cases where an employee ceases to be a member of the fund on the lines of para 69 of the said Scheme, the Board of Trustees shall maintain a separate account of the amounts so forfeited and may utilise the same for such purposes as may be determined with the prior approval of the Central Provident Fund Commissioner.

24. Notwithstanding any thing contained in the Provident Fund Rules of the establishment, if on the ceasation of any individual from the membership of the fund consequent on retiring from service or on taking up the employment in some other establishment, it is found that the rate of contribution rate of forefeiture etc., under the P.F. Rules of the establishment are less favourable as compared to these under the statutory Scheme, the difference shall be borne by the employer.

25. The employer shall bear all the expenses of the administration of the Provident Fund including the maintenance of accounts, submission of returns transfer of accumulations.

26. The employer shall display on the notise board of the establishment, a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto alongwith translation of the salient points there of in the language of the majority of the employees.

27. The "appropriate Government" may lay down any further conditions for continued exemption of the establishment.

28. The employee shall enhance the rate of provident fund contributions appropriately if the rate of provident fund contribution is enhanced under the said Act so that the benefits under the Provident Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act.

29. The exemption is liable to be cancelled for violation of any of the above conditions.

[No. S-35015|12|93-SS.II]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1993

का०आ० 2518—जबकि मैसर्स हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० लोक कल्याण भवन, 11—ए, साउथ एवन्यू लैन, नई दिल्ली-110002 तथा शाखाएं मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, भदोई तथा श्रीनगर (इसके आगे जहां कहीं भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो इससे अभिप्राय उक्त स्थापना से है) ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (1952 का 19) (इसके आगे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट) के पैरा 27क के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है ;

और जब कि केन्द्र सरकार की राय में उक्त स्थापना के कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए भविष्य निधि नियमों में अंशदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित कर्मचारी अंशदान की दर से कम नहीं है तथा इसके कर्मचारियों को मिलने वाले भविष्य निधि लाभ उक्त अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (इसके आगे जहां कहीं भी योजना शब्द का प्रयोग किया गया है उससे अभिप्राय उक्त योजना से है) में उल्लिखित लाभों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है जो इस वर्ग की स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध हैं,

अब इसलिए उक्त योजना के पैरा 27क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनुसूची में वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापना के नियमित कर्मकारों को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के लागू होने से छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना से सम्बन्धित नियोक्ता केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेश के अनुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 27क के अधीन उल्लिखित निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार की अदायगी प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा।

2. इस प्रतिष्ठान की भविष्य निधि नियमावली के अन्तर्गत देय अंशदान की दर, किसी गैर छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के संबंध में उक्त अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनायी गयी योजना के अन्तर्गत देय दर से कम नही होगी।

3. अग्रिम के संबंध में, छूट प्राप्त प्रतिष्ठान की योजना कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 से कम लाभदायक नहीं होनी चाहिये।

4. उक्त योजना से कोई भी संशोधन, जो प्रतिष्ठान के विद्यमान योजना की तुलना में कर्मचारियों के लिये ज्यादा लाभदायक है, स्वतः ही प्रतिष्ठान पर लागू हो जायेगी। उक्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा तथा जब किसी संशोधन के द्वारा उक्त प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के हितों के प्रभावित होने की संभावना हो स्वीकृति देने के पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारियों को अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का समुचित समय देंगे।

5. उन सभी कर्मचारी (उक्त अधिनियम की धारा 2(च) में यथा परिभाषित) जो यदि स्थापना को छूट न दी गयी होती तो वे भविष्य निधि के सदस्य बनने के पात्र होते, को सदस्य बनाया जायेगा।

6. यदि कोई कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि (सांविधिक) या किसी अन्य छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उक्त प्रतिष्ठान में नियोजित होता है तो नियोक्ता को उसे तत्काल ही सदस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा उसके पूर्ववर्ती नियोक्ता के पास उस कर्मचारी की जमा भविष्य निधि की राशि को अंतरित करवाकर उसके खाते में यह राशि जमा करवाने की व्यवस्था करना होगी।

7. नियोक्ता, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा केन्द्रीय सरकार, जैसा भी हो, द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबंधन के लिए न्यासी बोर्ड का गठन करेगा।

8. भविष्य निधि न्यासी बोर्ड के पास जमा रहेगी जो अन्य बातों के साथ-साथ भविष्य निधि में प्राप्तियों का उचित हिसाब-किताब तथा उसमें से किए गए भुगतानों तथा उनके पास शेष धरनराशि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह होगा।

9. न्यासी बोर्ड की प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक होगी तथा बोर्ड, केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

10. न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए भविष्य निधि खातों की एक योग्य स्वतंत्र चार्टर्ड लेखाकार द्वारा वर्ष में एक बार लेखा परीक्षा की जाएगी। जहां आवश्यक समझा जाए, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक द्वारा खातों की पुनः लेखा परीक्षा करवाने का अधिकार होगा और उस पर आए व्यय को नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

11. प्रत्येक लेखा वर्ष के लिए प्रतिष्ठान की लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के साथ लेखा-परीक्षित वार्षिक भविष्य निधि खातों की एक प्रति वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् छः महीने के भीतर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

12. नियोजक स्वयं तथा कर्मचारियों द्वारा देय भविष्य निधि के अंशदान को प्रत्येक उस माह से अगले माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अन्तरित कर देगा जिसमें अंशदान देय होता है। नियोजक अंशदान की अदायगी में किए गए किसी विलम्ब के लिए न्यासी बोर्ड को उसी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा जिस तरह से उन्हीं परिस्थितियों में एक छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान करता है।

13. न्यासी बोर्ड धन को सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निदेशों के अनुसार निधि में निवेशित करेगा। न्यासी बोर्ड के नाम से प्रतिभूति ली जाएगी और उसे भारतीय रिजर्व बैंक के जमा-खाता नियंत्रण के अधीन एक अनुसूचित बैंक के अधिकार में रखा जाएगा।

14. न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार निवेश न करने पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा यथा आरोपित अधिशुल्क को अदा करने के लिए पूरी तरह से और संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगा।

15. न्यासी बोर्ड कर्मचारियों के लिये क्रम से एक रजिस्टर रखेगा और ब्याज की सामयिक वसूली सुनिश्चित करेगा।

16. न्यासी बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में जमा किया गया अंशदान, निकाली गई राशि एवं उस पर ब्याज को दर्शाने के लिए एक विस्तृत लेखा रखेगा।

17. बोर्ड प्रत्येक वित्तीय/लेखा वर्ष के समाप्त होने के छह माह के अन्दर प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा।

18. बोर्ड वार्षिक लेखा विवरण जारी करने के बजाए प्रत्येक कर्मचारी को पासबुक जारी करेगा। ये पास-बुक कर्मचारियों के अधिकार में रहेगी और कर्मचारी द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत करने पर अद्यतन कर दी जाएगी।

19. प्रत्येक कर्मचारी के खाते में प्रत्येक लेखा वर्ष के पहले दिन अथशेष में उसी दर से ब्याज की गणना की जाएगी जो न्यासी बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाएगा किन्तु यह उक्त योजना के पैरा 60 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किए गए दर से कम नहीं होगा।

20. यदि न्यासी बोर्ड निवेश से कम लाभ प्राप्त होने अथवा किसी अन्य कारण से केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित की गई दर पर ब्याज देने में असमर्थ है, तो उसकी कमी नियोजक द्वारा पूरी की जाएगी।

21. नियोजक चोरी, धोखाधड़ी, गबन, दुरूपयोग अथवा किसी अन्य कारण से भविष्य निधि को होने वाले किसी अन्य घाटे को भी पूरा करेगा।

22. नियोजक और न्यासी बोर्ड भी केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित विवरणियां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजेंगे ।

23. यदि ऐसे मामलों में, जिनमें उपरोक्त योजना के पैरा 69 के तहत निधि से किसी कर्मचारी की सदस्यता समाप्त हो जाती है, प्रतिष्ठान की भविष्य निधि नियमावली में कर्मचारी के अंशदान को जब्त करने का प्रावधान है, तो न्यासी बोर्ड इस तरह से जब्त की गई धनराशि के लिए अलग से लेखा-जोखा रखेगा और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व-अनुमोदन पर यथा-निर्धारित प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग करेगा ।

24. प्रतिष्ठान की भविष्य निधि नियमावली में निहित किसी बात के होते हुए भी सेवा निवृत्ति अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान में रोजगार प्राप्त करने पर किसी व्यक्ति की भविष्य निधि की सदस्यता समाप्त होने पर पाया गया कि यदि प्रतिष्ठान की भविष्य निधि नियमावली के अन्तर्गत अपवर्तित इत्यादि भविष्य निधि अंशदान दर सांविधिक योजना के अंतर्गत दी गयी दर की तुलना में अनुकूल नहीं है तो उसका अन्तर नियोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा ।

25. खातों को तैयार करना, विवरणियां प्रस्तुत करना, संचित राशि का अन्तरण इत्यादि सहित भविष्य निधि के सभी प्रशासनिक खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए जायेंगे ।

26. नियोक्ता, समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तथा समय-समय पर यथा संशोधित भविष्य निधि नियमावली, उसकी प्रमुख बातों को उस भाषा में जोकि वहां पर अधिकांश कर्मचारियों द्वारा बोली जाती है के अनुवाद सहित, प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा ।

27. "समुचित सरकार" इस संबंध में प्रतिष्ठान को छूट जारी रखने के लिए कुछ और शर्तें निर्धारित कर सकती है ।

28. यदि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि अंशदान की दर बढ़ायी जाती है तो कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की दर में समुचित वृद्धि करेगा जिससे कि प्रतिष्ठान की भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले लाभ उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिए गये लाभों से कम लाभकारी नहीं हों ।

29. उपर्युक्त शर्तों में किसी का भी उल्लंघन होने पर छूट को रद्द किया जा सकता है ।

[सं० एस-35015/8/92-एसएस-II]

जे०पी० शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 28th October, 1993

S.O. 2518.—Whereas Messers Handicraft & Handlooms Exports Corporation of India Ltd., Lok Kalyan Bhawan, 11-A, Rouse Avenue Lane, New Delhi-110002; and Branches, Madras, Bombay, Calcutta, Bhadohi, and Srinagar (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under para 27-A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Scheme).

And whereas in the opinion of the Central Government the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under para 27A of the said Scheme and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the regular employees of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under para 27A of the E.P.F. Scheme, 1952 of the said Act within 15 days from the close of every month.

2. The rate of contribution payable under the provident fund rules of the establishment shall at no time be lower than those payable under the said Act in respect of the un-exempted establishments and the said Scheme framed thereunder.

3. In the matter of advances, the Scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees Provident Fund Scheme, 1952.

4. Any amendment to the said Scheme which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically. No amendment of the rules of the Provident Fund of the said establishment shall be made without the previous approval of the Regional Provident Fund Commissioner and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees of the said establishment, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their points of view.

5. All employees as defined in section 2 (f) of the said Act who would have been eligible to become members of the Provident Fund had the establishment not been granted exemption shall be enrolled as members.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory) or a Provident Fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall

immediately enrol him as a member of the fund and arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transfered and credited to his account.

7. The employer shall establish a Board of Trustees for the management of the provident fund according to such directions as may be given by the Central Provident Fund Commissioner or by the Central Government, as the case may be, from time to time.

8. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees Provident Fund Organisation interalia for proper accounts of the receipts into and payments from the Provident Fund and the balances in their custody.

9. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government|Central Provident Fund Commissioner or any officer authorised by him.

10. The accounts of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent Chartered Accountant annually. Where considered necessary, the Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the accounts reaudited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

11. A copy of the audited annual provident fund accounts together with the audited balance sheet of the establishment for each accounting year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner within six months after the close of the financial year. For this purpose the financial year of the provident fund shall be from the 1st of April to the 31st of March.

12. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself and the employees by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay damages to the Board of Trustees for any delay in payment of the contributions in the same manner as an un-exempted establishment is liable under similar circumstances.

13. The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per directions that may be given by the Government from time to time. The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees and shall be kept in the custody of a Scheduled Bank under the Credit Control of the Reserve Bank of India.

14. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees severally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.

15. The Board of Trustees shall maintain a scriptwise register and ensure timely realisation of interest.

16. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee.

17. The Board shall issue an annual statement of accounts to every employee within six months of the close of financial|accounting year.

18. The Board may, instead of the annual statement of accounts, issue pass books to every employees. Those pass book shall remain in the custody of the employees and will be brought uptodate by the Board on presentaion by the employees.

19. The accounts of each employee shall be credited with interest calculated on the opening balance as on the 1st day of the accounting year at such rate as may be decided by the Board of Trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme.

20. If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason then the deficiency shall be made good by the employer.

21. The employer shall also make good any other loss that may be cause to the Provident Fund due to theft burglary, defalcation, mis-appropriation or any other reason.

22. The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government|Central Provident Fund Commissioner may prescribed for time to time.

23. If the Provident Fund rules of the establishment provide for forfeiture of the employees' contributions in cases where an employee ceases to be a member of the fund on the lines of para 69 of the said Scheme, the Board of Trustees shall maintain a separate account of the amounts so forfeited and may utilise the same for such purposes as may be determined with the prior approval of the Central Provident Fund Commissioner.

24. Notwithstanding any thing contained in the Provident Fund Rules of the establishment, if on the ceasation of any individual from the membership of the fund consequent on retiring from service or on taking up the employment in some other establishment, it is found that the rate of contribution rate of forefeiture etc., under the P.F. Rules of the establishments are less favourable as compared to these under the statutory Scheme, the difference shall be borne by the employer.

25. The employer shall bear all the expenses of the administration of the Provident Fund including the maintenance of accounts, submission of returns, transfer of accumulations.

26. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto alongwith translation of the salient points there of in the language of the majority of the employees.

27. The "appropriate Government" may lay down any further conditions for continued exemption of the establishment.

28. The employee shall enhance the rate of provident fund contributions appropriately if the rate of

provident fund contribution is enhanced under the said Act so that the benefits under the Provident Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act.

29. The exemption is liable to be cancelled for violation of any of the above conditions.

[No. S-35015/8/92-SS.II]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2519—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16-11-93 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला एवं तालुक त्रिशूर में राजस्व ग्राम वेलापाया के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

[संख्या एस-38013/21/93-एस एस-I]
जे.पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 28th October, 1993

S.O. 2519.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 16th November, 1993 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been bourght into force) on the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala, namely :

"The areas within the revenue village of Velapaya in taluk and District of Thrissur."

[No. S-38013/21/93-SS-I]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2520.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16-11-93 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला इडुक्की के तालुक थोडुपुझा में राजस्व ग्राम अलाकोड के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"

[संख्या एस-38013/26/93-एस एस-I]
जे.पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 28th October, 1993

S.O. 2520.—In exercisa of the powers conferred by sub-section (3) ef Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 16th November, 1993 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala namely :

"The areas within the revenue village of Alakode in Thodupuzha taluk of Idukki District."

[No. S-38013/26/93-SS.I]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2521.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16-11-93 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला मालापुरम के तालुक इरनाद में राजस्व ग्राम तीरुवली के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

[संख्या एस-38013/23/93-एस एस-I]
जे.पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 28th October, 1993

S.O. 2521.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 16th November, 1993 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala namely :

"The area within the revenue village of Tiruvali in Erned Taluk of Malapuram District."

[No. S-38013/23/93-SS.I]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1993

का.आ. 2522.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3(ii) दिनांक 8-9-90 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 2401 दिनांक 27 अगस्त, 1990 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना के क्रमांक 31 के सामने की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि दर्ज की जायेगी, अर्थात् :—

"(31) श्री एम ए. हकीम,
महासचिव
स्टैंडिंग कानफरेंस आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज,
कोर-7 स्कोप भवन, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003"

[सं. यू-16012/1/93-एस एस-I]
जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2522.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 2401 dated the 27th August, 1990 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii) dated the 8th September, 1990:

In the said notification for Serial No. 31, the following shall be inserted, namely :

"(31) Sh. M. A. Hakeem,
Secretary General,
Standing Conference of Public Enterprises,
Core-7, SCOPE Complex,
Lodhi Road,
New Delhi-110003."

[No. U-16012|1|93-SS.I]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2523.—यतः मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड-ईकोनोमिक सर्विसस 27, बारा खम्बा रोड, नई दिल्ली हाउस, नई दिल्ली तथा शाखाएं बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, सिकन्दराबाद, भुवनेश्वर, नागपुर तथा ज्वालामुखी (बिहार) में इसके आगे जहां कहीं भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो इससे अभिप्राय उक्त स्थापना से है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) इसके आगे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट की धारा 17 की उप धारा (i) के खंड (क) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

यह केन्द्र सरकार की राय में उक्त स्थापना के कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए भविष्य निधि नियमों में अंशदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित कर्मचारी अंशदान की दर से कम नहीं है तथा इसके कर्मचारियों को मिलने वाले भविष्य निधि लाभ उक्त अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि, स्कीम, 1952 (इसके आगे जहां कहीं भी स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है उससे अभिप्राय उक्त स्कीम से है) में उल्लिखित लाभों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है जो इस वर्ग की स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध है।

अब इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनुसूची में वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापना को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के लागू होने से छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना से संबंधित नियोक्ता केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेश के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) में उल्लिखित निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार की अदायगी प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा।

2. न छूट प्राप्त स्थापनाओं के संबंध में उक्त अधिनियम और उनके अधीन सृजित उक्त स्कीम के अंतर्गत देय अंशदान की दर से स्थापना के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत देय अंशदान की दर किसी समय भी कम न होगी।

3. पेंशनियों के मामले में छूट प्राप्त स्थापना की स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 से कम हितकर नहीं होगी।

4. उक्त स्कीम में कोई भी संशोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमों से अधिक लाभकारी है उन पर अपने आप लागू किया जाएगा। उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित के प्रतिकूल प्रभावी होने की सम्भावना है वहां अपनी अनुमति देने से पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा।

5. यदि स्थापना को छूट न दी जाती तो वे सभी कर्मचारी (जैसे उक्त अधिनियम की धारा 2(च) में निश्चित किया गया है) जो सदस्य बनने के पात्र होंगे, सदस्य बनाए जाएंगे।

6. जहां एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी) या किसी अन्य छूट प्राप्त स्थापना का पहले से सदस्य है, को अपनी स्थापना में काम पर लगाया जाता है तो नियोक्ता उसे निधि का तुरन्त सदस्य बनाएगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले नियोक्ता के पास भविष्य निधि लेखे में संचयों को अंतरित कराने और उसके लेखे में जमा कराने की व्यवस्था करेगा।

7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के द्वारा जैसे भी मामला हो, समय समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबन्ध के लिए नियोक्ता न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा।

8. भविष्य निधि न्यासी बोर्ड में निहित होगा जो अन्य बातों के होते हुए भविष्य निधि में आय के उचित लेखों और भविष्य निधि से अदायगियों और उनकी अभिरक्षा में निधी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उत्तरदायी होगा।

9. न्यासी बोर्ड कम से कम 3 माह में एक बार बैठक करेंगे और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक से खातों की दुबारा लेखा परीक्षा कराए और ऐसे पुनः लेखा परीक्षा के खर्च नियोक्ता वहन करेगा।

10. न्यासी बोर्ड द्वारा रखे गए भविष्य निधि लेखे अर्हता प्राप्त निष्पक्ष चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन होंगे। जहां आवश्यक समझा जाए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किसी अन्य अर्हता प्राप्त लेखा परीक्षक द्वारा लेखों की पुनः लेखा परीक्षा कराने का अधिकार होगा और इस पर हुआ व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

11. प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के साथ लेखा परीक्षित वार्षिक भविष्य निधि लेखों की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

12. नियोक्ता प्रतिमाह भविष्य निधि के देय अपने कर्मचारियों के अंशदानों को आगामी माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित कर देगा। अंशदानों की विलम्ब से अदायगी करने के लिए समान

परिस्थितियों में नियोक्ता नुकसानी देने का उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार एक न छूट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती है।

13. न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार निधि में जमा राशियों का निवेश करेगा प्रतिभूतियां न्यासी बोर्ड के नाम पर प्राप्त की जाएंगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा नियन्त्रण में अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा ;

14. सरकार के निदेशों के अनुसार निवेश न करने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग रूप से और एक साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए अधिक प्रभार का उत्तरदायी होगा।

15. न्यासी बोर्ड एक वस्तु ब्यौरा रजिस्टर तैयार करेगा और ब्याज और विमोचन आय की समय पर वसूली सुनिश्चित करेगा ;

16. जमा किए गए अंशदानों, निकाले गए और प्रत्येक कर्मचारी संबंधित ब्याज को दिखाने के लिए न्यासी बोर्ड विस्तृत लेखे तैयार करेगा।

17. वित्तीय/लेखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा।

18. बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर पासबुक जारी कर सकता है। ये पास बुकें कर्मचारियों की अभिरक्षा में रहेंगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतीकरण पर बोर्ड के द्वारा इन्हें अद्यतन किया जाएगा।

19. लेखा वर्ष के पहले दिन आदि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के लेखे में ब्याज उस दर से जमा किया जाएगा जिसका न्यासी बोर्ड निर्णय करे परन्तु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा।

20. यदि न्यासी बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ब्याज की दर इस कारण से कि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से अदा करने में असमर्थ है तो इस कमी को नियोक्ता पूरा करेगा।

21. नियोक्ता भविष्य निधि की चोरी के कारण लूटखसोट, ख्यानत, गबन अथवा किसी अन्य कारण से हुई हानि को पूरा करेगा।

22. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित करें।

23. उक्त स्कीम के पैरा 69 की शर्तों पर किसी कर्मचारी को निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापना के भविष्य निधि नियमों में नियोक्ताओं के अंशदानों को जब्त करने की व्यवस्था है तो न्यासी बोर्ड इस प्रकार जब्त की गई राशियों का अलग से लेखा तैयार करेगा और उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति से सुनिश्चित किया गया हो।

24. स्थापना के भविष्य निधि नियमों में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति की सेवा निवृत्ति होने के फलस्वरूप या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नौकरी करने पर निधि की सदस्यता समाप्त हो जाती है या पता लगता है कि प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अंशदान की दर समपहरण की दर आदि संविधिक योजना के अन्तर्गत दी गई दरों की तुलना में कम अनुकूल है तो अन्तर का वहन नियोक्ता द्वारा किया जायेगा।

25. नियोक्ता भविष्य निधि के प्रशासन से संबंधित सभी खर्च जिसमें लेखों के रखरखाव, रिटर्न प्रस्तुत किए जाने, राशियों का अन्तरण शामिल है, वहन करेगा।

26. नियोक्ता समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति तथा जब भी कोई संशोधन होता है, उसकी मुख्य बातों को कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में अनुवाद करके स्थापना के बोर्ड पर लगाएगा।

27. "समुचित सरकार" स्थापना की शर्तों पर छूट दे सकती है।

28. यदि उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापना वर्ग जिसमें उसकी स्थापना आती है, पर अंशदान की दर बढ़ाई जाती है नियोक्ता भविष्य निधि अंशदान की दर उचित रूप में बढ़ाएगा, ताकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों में स्थापना की स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले भविष्य निधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हों।

29. उक्त शर्तों में से किसी एक के उल्लंघन पर छूट रद्द की जा सकती है।

[सं. एस-35015/2/93-एस. एस-II]
जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2523.—Whereas Messrs Rail India Technical & Economic Services, New Delhi and its branches at Bombay, Calcutta, Madras, Bangalore, Secunderabad, Bhubaneshwar, Nagpur and Jwala Mukhi Bihar (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas in the opinion of the Central Government the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed here to the Central Government hereby exempt the said establishment for from the operation of all the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) sub-section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

2. The rate of contribution payable under the provident fund rules of the establishment shall at no time be lower than those payable under the said Act in respect of the unexempted establishments and the said Scheme framed thereunder.

3. In the matter of advances, the Scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees Provident Fund Scheme, 1952.

4. Any amendment to the said Scheme which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically. The employer shall not however make any other amendment in its Provident Fund rules without the approval of Regional Provident Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their points of view.

5. All employees as defined in section 2(f) of the said Act who would have been eligible to become members of the Provident Fund had the establishment not been granted exemption shall be enrolled as members.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory) or a Provident Fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund and arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transferred and credited to his account.

7. The employer shall establish a Board of Trustees for the management of the provident fund according to such directions as may be given by the Central Provident Fund Commissioner or by the Central Government, as the case may be, from time to time.

8. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees Provident Fund Organisation inter-alia for proper accounts of the receipts into and payments from the Provident Fund and the balances in their custody.

9. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner or any officer authorised by him.

10. The accounts of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent Chartered Accountant annually. Where considered necessary, the Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the accounts reaudited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

11. A copy of the audited annual provident fund accounts together with the audited balance sheet of the establishment for each accounting year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner within six months after the close of the financial year.

For this purpose the financial year of the provident fund shall be from the 1st of April to the 31st of March.

12. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the provident fund by himself and the employees by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay damages to the Board of Trustees for any delay in payment of the contributions in the same manner as on un-exmpted establishment is liable under similar circumstances.

13. The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per directions that may be given by the Government from time to time. The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees fund shall be kept in the custody of a scheduled Bank under the Credit Control of the Reserve Bank of India.

14. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees severally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative

15. The Board of Trustees shall maintain a scriptwise register and ensure timely realisation of interest.

16. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee.

17. The Board shall issue an annual statement of accounts to every employee within six months of the close of financial/accounting year.

The Board may, instead of the annual statement of accounts, issue pass books to every employee. Those pass book shall remain in the custody of the employees and will be brought uptodate by the Board on presentation by the employees.

19. The accounts of each employee shall be credited with interest calculated on the opening balance as on the 1st day of the accounting year at such rate as may be decided by the Board of Trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme.

20. If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason then the deficiency shall be made good by the employer.

21. The employer shall also make good any other loss that may be cause to the Provident Fund due to theft burglary, defalcation, mis-appropriation or any other reason.

22. The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner may prescribed for time to time.

23. If the Profident Fund rules of the establishment provide for forfeiture of the employees' contributions in cases where an employee ceases to be a member

of the fund on the lines of para 69 of the said Scheme, the Board of Trustees shall maintain a separate account of the amounts so forefeited and may utilise the same for such purposes as may be determined with the prior approval of the Central Provident Fund Commissioner.

24. Notwithstanding any thing contained in the Provident Fund Rules of the establishment, if on the ceasation of any individual from the membership of the fund consequent on retiring from service or on taking up the employment in some other establishment it is found that the rate of contribution rate of forfeiture etc., under the PF Rules of the establishment are less favourable as compared to these under the statutory Scheme, the difference shall be borne by the employees.

25. The employer shall bear all the expenses of the administration of the Provident Fund including the maintenance of accounts, submission of returns, transfer of accumulations.

26. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto alongwith translation of the salient points there of in the language of the majority of the employees.

27. The "appropriate Government" may lay down any further conditions for continued exemption of the establishment.

28. The employee shall enhance the rate of provident fund contributions appropriately if the rate of provident fund contribution is enhanced under the said Act so that the benefits under the provident Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act.

29. The exemption is liable to be cancelled for violation of any of the above conditions.

[No. S-35015(2)/93-SS. II]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1993

का. आ. 2524—यत : मैसर्स टाटा टैलिकाम लिमिटिड ई-1/आई, गांधी नगर इलैक्ट्रोनिक्स इस्टेट, गांधी नगर - 322028 और शाखाएं मद्रास, कलकत्ता, नई दिल्ली, बम्बई, बैंगलौर एवम् पुणे। (इसके आगे जहां कहीं भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो इसमें अभिप्राय उक्त स्थापना से है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) इसके आगे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट की धारा 17 की उप धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

यह केन्द्र सरकार की राय से उक्त स्थापना के कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए भविष्य निधि नियमों में अंशदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित कर्मचारी अंशदान की दर से कम नहीं है तथा इसके कर्मचारी को मिलने वाले भविष्य निधि लाभ उक्त अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (इसके आगे जहां कहीं भी स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है उससे अभिप्राय उक्त स्कीम से है) में उल्लिखित लाभों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है जो उस वर्ग की स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध है।

अब इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा एक के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनुसूची में वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापना को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के लागू होने से छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना में संबंधित नियोक्ता केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) में उल्लिखित निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार की अदायगी प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा।

2. इन-छूट प्राप्त स्थापनाओं के संबंध में उक्त अधिनियम और उनके अधीन सृजित उक्त स्कीम के अंतर्गत देय अंशदान की दर से स्थापना के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत देय अंशदान की दर किसी समय भी कम न होगी।

3. देयगियों के मामले में छूट प्राप्त स्थापना की स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 से कम हितकर नहीं होगी।

4. उक्त स्कीम में कोई भी संशोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमों से अधिक लाभकारी है उन पर अपने आप लागू किया जाएगा। उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित के प्रतिकूल प्रभावी होने की संभावना है वहां अपनी अनुमति देने से पूर्व, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा।

5. यदि स्थापना को छूट न दी जाती तो वे सभी कर्मचारी (जैसे उक्त अधिनियम की धारा 2(च) में निर्दिष्ट किया गया है) जो सदस्य बनने के पात्र होते, सदस्य बनाए जाएंगे।

6. जहां एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी) या किसी अन्य छूट प्राप्त स्थापना का पहले से सदस्य है, को अपनी स्थापना में काम पर लगाया जाता है तो नियोक्ता उसे निधि का तुरन्त सदस्य बनाएगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले नियोक्ता के पास भविष्य निधि लेखे में संचयों को अंतरित कराने और उसके लेखे में जमा कराने की व्यवस्था करेगा।

7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के द्वारा जैसे भी मामला हो, समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबन्ध के लिए नियोक्ता न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा।

8. भविष्य निधि न्यासी बोर्ड में निहित होगा जो अन्य बातों के होते हुए भविष्य निधि में आय के उचित लेखों और भविष्य निधि से अदायगियों और उनकी अभिरक्षा में जोखों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उत्तरदायी होगा।

9. न्यासी बोर्ड कम से कम 3 माह में एक बार बैठक करेंगे और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक से खातों की दुबारा लेखा परीक्षा कराए और ऐसे पत. लेखा परीक्षा के खर्च नियोक्ता वहन करेगा।

10. न्यासी बोर्ड द्वारा रखे गए भविष्य निधि लेखे अर्हता प्राप्त निष्पक्ष चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन होंगे। जहां आवश्यक समझा जाए, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किसी अन्य अर्हता प्राप्त लेखा परीक्षक द्वारा लेखों की पुनः लेखा परीक्षा कराने का अधिकार होगा और इस पर हुआ व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

11. प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेखा परीक्षित तुलना-पत्र के साथ लेखा परीक्षित वार्षिक भविष्य निधि लेखों की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

12. नियोक्ता प्रतिमाह भविष्य निधि के देय अपने कर्मचारियों के अंशदानों को आगामी माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित कर देगा। अंशदानों की विलम्ब से अदायगी करने के लिए समान परिस्थितियों में नियोक्ता मुकशानी देने का उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार एक न-छूट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती है।

13. न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार निधि में जमा राशियों का निवेश करेगा। प्रतिभूतियां न्यासी बोर्ड के नाम पर प्राप्त की जाएंगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा नियन्त्रण में अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

14. सरकार के निदेशों के अनुसार निवेश न करने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग रूप से और एक साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए अधिक प्रभार का उत्तरदायी होगा।

15. न्यासी बोर्ड एक वस्तु-बहीरा रजिस्टर तैयार करेगा और ब्याज और विमोचन आय की समय पर वसूली सुनिश्चित करेगा।

16. जमा किए गए अंशदानों, निकाले गए और प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित ब्याज की दिखाने के लिए न्यासी बोर्ड विस्तृत लेखे तैयार करेगा।

17. वित्तीय/लेखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा।

18. बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर पासबुक जारी कर सकता है। ये पास-बुकें कर्मचारियों की अभिरक्षा में रहेंगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतीकरण पर बोर्ड के द्वारा इन्हें अध्यतन किया जाएगा।

19. लेखा वर्ष के पहले दिन आदि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के लेखे में ब्याज उस दर से जमा किया जाएगा जिसका न्यासी बोर्ड निर्णय करे परन्तु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगी।

20. यदि न्यासी बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ब्याज की दर से इस कारण से कि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से अदा करने में असमर्थ है तो इस कमी को नियोक्ता पूरा करेगा।

21. नियोक्ता, भविष्य निधि की चोरी के कारण, लूटखसोट, ग़बन, गबन अथवा किसी अन्य कारण से हुई हानि को पूरा करेगा।

22. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित करें।

23. उक्त स्कीम के पैरा 69 की शर्तों पर किसी कर्मचारी को निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापना के भविष्य निधि नियमों में नियोक्ताओं के अंशदानों को अलग करने की व्यवस्था है तो न्यासी बोर्ड इस प्रकार अलग की गई राशियों का अलग से लेखा तैयार करेगा और उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति से सुनिश्चित किया गया हो।

24. स्थापना के भविष्य निधि नियमों में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति की सेवा निवृत्ति होने के फलस्वरूप या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नौकरी करने पर निधि की सदस्यता समाप्त हो जाती है या पता लगता है कि प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अंशदान की दर समपहरण की दर आदि संविधिक योजना के अन्तर्गत दी गई दरों की तुलना में कम अनुकूल है तो अन्तर का वहन नियोक्ता द्वारा किया जायेगा।

25. नियोक्ता, भविष्य निधि के प्रशासन से संबंधित सभी खर्च जिसमें लेखों के रखरखाव, रिटर्न प्रस्तुत किए जाने, राशियों का अन्तरण शामिल है, वहन करेगा।

26. नियोक्ता समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति तथा जब भी कोई संशोधन होता है, उसकी मुख्य बातों को कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में अनुवाद करके स्थापना के बोर्ड पर लगाएगा।

27. "समुचित सरकार" स्थापना की चालू छूट पर और शर्तें लगा सकती है।

28 यदि उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापना वर्ग जिसमें उसकी स्थापना आती है, पर अंशदान की दर बढ़ायी जाती है, नियोक्ता भविष्य निधि अंशदान की दर उचित रूप में बढ़ाएगा, ताकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों से स्थापना की स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले भविष्य निधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हों।

29 उक्त शर्तों में से किसी एक के उल्लंघन पर छूट रद्द की जा सकती है।

[सं. एस-35015/10/93-एस. एस.-II]
जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 29th October, 1993

S.O. 2524.—Whereas Messers Tata Telecom Ltd., E-1/1, Gandhinagar Electronics Estate, Gandhinagar-32228 and branches at Madras, Calcutta, New Delhi, Bombay, Bangalore and Pune (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas in the opinion of the Central Government the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole and not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed here to the Central Government hereby exempt the said establishment for from the operation of all the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause

(a) sub-section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

2. The rate of contribution payable under the provident fund rules of the establishment shall at no time be lower than those payable under the said Act in respect of the unexempted establishments and the said Scheme framed thereunder.

3. In the matter of advances, the Scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees Provident Fund Scheme, 1952.

4. Any amendment to the said Scheme which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically. The employer shall not however make any other amendment in its Provident Fund rules without the approval of Regional Provident Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their points of view.

5. All employees as defined in section 2(f) of the said Act who would have been eligible to become members of the Provident Fund had the establishment not been granted exemption shall be enrolled as members.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory) or a Provident Fund or any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund and arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transferred and credited to his account.

7. The employer shall establish a Board of Trustees for the management of the provident fund according to such directions as may be given by the Central Provident Fund Commissioner or by the Central Government, as the case may be, from time to time.

8. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees Provident Fund Organisation inter alia for proper accounts of the receipts into and payments from the Provident Fund and the balances in their custody.

9. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner or any officer authorised by him.

10. The accounts of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent Chartered Accountant annually. Where considered necessary, the Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the accounts reaudited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

11. A copy of the audited annual provident fund accounts together with the audited balance sheet of the establishment for each accounting year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner within six months after the close of the financial year. For this purpose the financial year of the provident fund shall be from the 1st of April to the 31st of March.

12. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself and the employees by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay damages to the Board of Trustees for any delay in payment of the contributions in the same manner as an un-exempted establishment is liable under similar circumstances.

13. The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per directions that may be given by the Government from time to time. The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees and shall be kept in the custody of a scheduled Bank under the Credit Control of the Reserve Bank of India.

14. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees severally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.

15. The Board of Trustees shall maintain a scriptwise register and ensure timely realisation of interest.

16. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee.

17. The Board shall issue an annual statement of accounts to every employee within six months of the close of financial/accounting year.

18. The Board may, instead of the annual statement of accounts, issue pass books to every employee. Those pass book shall remain in the custody of the employees and will be brought upto date by the Board on presentation by the employees.

19. The accounts of each employee shall be credited with interest calculated on the opening balance as on the 1st day of the accounting year at such rate as may be decided by the Board of Trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme.

20. If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason then the deficiency shall be made good by the employer.

21. The employer shall also make good any other loss that may be cause to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, mis-appropriation or any other reason.

22. The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government| Central Provident Fund Commissioner may prescribed for time to time.

23. If the Provident Fund rules of the establishment provide for forfeiture of the employees' contributions in cases where an employee ceases to be a member of the fund on the lines of para 69 of the said Scheme, the Board of Trustees shall maintain a separate account of the amounts so forefeited and may utilise the same for such purposes as may be determined with the prior approval of the Central Provident Fund Commissioner.

24. Notwithstanding any thing contained in the Provident Fund Rules of the establishment, if on the ceasation of any individual from the membership of the fund consequent on retiring from service or on taking up the employment in some other establishment it is found that the rate of contribution, rate of forciture etc., under the PF Rules of the establishment are less favourable as compared to these under the statutory Scheme, the difference shall be borne by the employer.

25. The employer shall bear all the expenses of the administration of the Provident Fund including the maintenance of accounts, submission of returns, transfer of accumulations.

26. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto alongwith translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.

27. The "appropriate Government" may lay down any further conditions for continued exemption of the establishment.

28. The employee shall enhance the rate of provident fund contributions appropriately if the rates of provident fund contribution is enhanced under the said Act so that the benefits under the provident Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act.

29. The exemption is liable to be cancelled for violation of any of the above conditions.

[No. SS-35015|10|93-SS. II]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993.